राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2018-2019

वार्षिक प्रतिवेदन
2018-2019

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

ग्ररामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

के द्वारा प्रकाशितः
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. भारत
वेबसाईटः http://www.nirdpr.org

कवर डिजाईनः वी.जी. भट्ट

मुद्रकः
प्रिन्टोग्राफी, 5-4-114 से 116, रानीगंज, एम.जी.रोड, होटल बालाजी पैलस की गली में,
सिकन्दराबाद - 500 030. तेलंगाना. भारत
फोनः 040-29551749/50 सेलः +91 98489 24254 ई-मेलः printography14@gmail.com

स्वरूप

एनआईआरडीपीआर का स्वरूप उन नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है जो ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाये, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें बल प्रदान करें, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता और परिचालन को सुधारे, अपने सामाजिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दें तथा पर्यावरणीय चेतना जगाए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के "विचार भंडार" के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास पर सूचना एकत्रीकरण के माध्यम से मंत्रालय को नीति प्रतिपादन और ग्रामीण विकास के विकल्पों का चयन करने में सहायता प्रदान करना है।

विषयक्रम

क्रम. सं.	अध्याय	पृष्ठ
1	विहंगावलोकन	1
2	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	7
3	अनुसंधान और परामर्शी	20
4	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	45
5	नवोन्मेषी कौशल और आजीविका	60
6	शैक्षणिक कार्यक्रम	77
7	उत्तर - पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस	81
8	नीति समर्थन	93
9	प्रशासन	99
10	वित्त और लेखा	112
11	परिशिष्ट	114

परिवर्णी शब्द

ए ए आर डी ओ	:	अफ्रीकी - एशियाई ग्रामीण विकास संगठन
ए पी ओ	:	सहायक परियोजना अधिकारी
बी डी ओ	:	खंड विकास अधिकारी
बी एम एम यू	:	खंड मिशन निगरानी इकाई
सी आई आर डी ए पी	:	एशिया और पैसिफिक के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र
सी आई सी टी ए बी	:	कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं प्रशिक्षण केन्द्र
सी सी डी यू	:	समुदाय क्षमता विकास इकाई
सी ई ओ	:	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सी बी ओ	:	समुदाय आधारित संगठन
सी एफ टी	:	समूह सुविधा दल
डी सी सी बी	:	जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक
डी डी यू - जी के वाई	:	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
डी पी आर ओ	:	जिला जन संपर्क अधिकारी
डी आर डी ए	:	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डी एम एम यू	:	जिला मिशन अनुश्रवण इकाईई टी सी : विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र
एफ पी ओ	:	किसान उत्पादक संगठन
जी आई एस	:	भू-संसूचना प्रणालीआई बी डी एल पी :एकीकृत घाटी विकास एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रम
आई सी टी	:	सूचना एवं संचार तकनोलॉजी
आई सी डी एस	:	एकीकृत बाल विकास सेवाएँआई आई डब्ल्यू एम :भारतीय जल प्रबंधन संस्थान
आई एस आर ओ	:	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आई टी ई सी	:	भारतीय तकनीकी आर्थिक सहकारिता
आई ई सी	:	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई डब्ल्यू एम पी	:	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम
एम जी एन आर ई जी ए	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम आई एस	:	प्रबंध सूचना प्रणाली
एम ओ आर डी	:	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एन ए बी सी ओ एन एस	:	नाबार्ड परामर्शी सेवाएँ
एन ई आर एल पी	:	उत्तर पूर्वी ग्रामीण आजीविका परियोजना
एन जी ओ	:	गैर सरकारी संगठन
एन आई आर डी पी आर एन ई आर सी	:	एन आई आर डी पी आर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र
एन एम एम यू	:	राष्ट्रीय मिशन अनुश्रवण इकाई
एन आर एल एम	:	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एन आर आर डी ए	:	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
एन एस ए पी	:	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
पी एच ई डी	:	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पी ओ	:	परियोजना अधिकारी

पी आई ए	:	परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी
पी आर आई	:	पंचायती राज संस्थान
पी ई एस ए	:	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार
पी एम जी एस वाई	:	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
पी एच ई डी	:	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग
आर डी डी	:	ग्रामीण विकास विभाग
पी एम के एस वाई	:	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आर जी पी एस ए	:	राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
आर एस ई टी आई	:	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर डब्ल्यू एस एस	:	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
एस ए जी वाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम	:	स्वच्छ भारत मिशन
एस सी ए ए पी	:	विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम
एस एफ सी	:	राज्य वित्त आयोग
एस एच जी	:	स्व-सहायता समूह
एस आई आर डी पी आर	:	राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एस आर एल एम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एस आर आर डी ए	:	राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एस एस ए	:	सर्व शिक्षा अभियानएस डब्ल्यू एस एम :राज्य जल स्वच्छता मिशन
डब्ल्यू एस ओ	:	जल स्वच्छता संगठन
टी ओ टी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
जेड पी	:	जिला परिषद
पी एम के एस वाई	:	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
आर जी पी एस ए	:	राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियानआर एस ई टी आई :ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आर डब्ल्यू एस एस	:	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
एस ए जी वाई	:	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस बी एम	:	स्वच्छ भारत मिशन
एस सी ए ए पी	:	विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम
एस एफ सी	:	राज्य वित्त आयोग
एस एच जी	:	स्व-सहायता समूह
एस आई आर डी पी आर	:	राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
एस आर एल एम	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एस आर आर डी ए	:	राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
एस एस ए	:	सर्व शिक्षा अभियानएस डब्ल्यू एस एम :राज्य जल स्वच्छता मिशन
डब्ल्यू एस ओ	:	जल स्वच्छता संगठन
टी ओ टी	:	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
जेड पी	:	जिला परिषद

अध्याय - 1 विहंगावलोकन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान है तथा ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में एक शीर्ष राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र है। यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे अंतर संबंधित क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, चयनित प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थाओं, सामुदाय आधारित संगठनों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण करता है। सर्वप्रथम वर्ष 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान के रूप में स्थापित इस संस्थान को 1965 में हैदराबाद परिसर में स्थानांतरित कर वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान" (एनआईआरडी) रखा गया। पंचायती राज प्रणाली के सुदृढीकरण तथा पंचायती राज संस्थानों के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण पर अधिक बल देने की आवश्यकता को पहचानते हुए संस्थान की महापरिषद के निर्णयानुसार एनआईआरडी का नाम बदलकर 4 दिसंबर, 2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) रखा गया। संस्थान ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से 15 कि.मी. की दूरी पर राजेन्द्रनगर के ग्रामीण वातावरण में 174.21 एकड़ पर स्थित है। वर्ष 2008 में एनआईआरडीपीआर ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज सुदृढ़ीकरण पर फोकस करते हुए संस्थान निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है:

i. वरिष्ठ स्तर के विकास प्रबंधकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, एन जी ओ और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

ii. अनुसंधान को प्रारंभ करना, सहायता, समन्वयन और बढ़ावा देना।

iii. विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।

iv. ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान करना।

v. आवधिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, ई मॉड्यूल व अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार और विषयों का विकास करना।

संस्थान के अधिदेश में ग्रामीण निर्धनों का विकास और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।। इस संबंध में अनुभव की जाने वाली व्यापक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक शीर्ष संस्थान के रूप में एनआईआरडीपीआर अधिक संख्या में ग्राहक समूह के प्रशिक्षण और क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि नीति प्रतिपादन और कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए संपूर्ण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में विकास कार्यकर्ताओं तथा चयनित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक पूर्वपेक्षा है। संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के पहल और कार्यक्रमों पर विशेष बल के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए "विचार भंडार" के रूप में कार्य करता है तथा विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर कार्य अनुसंधान सहित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। संस्थान की सेवाएँ ग्रामीण विकास से जुड़े केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों / विभागों, बैंकिंग संस्थान, सार्वजनिक तथा अन्य निजी क्षेत्र संगठनों, सिविल सोसायटी, पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के लिए भी उपलब्ध है। अपने अस्तित्व के लगभग 6 दशकों से अधिक समय में एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी, सूचना का प्रचार-प्रसार तथा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा कार्यक्रम प्रबंध में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सामान्य परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इससे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र में संस्थान राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उभर कर आया है।

1983 में गुवाहाटी में स्थापित एनआईआरडीपीआर के उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक केन्द्र (एनईआरसी) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अपने अस्तित्व के 36 वर्ष के दौरान एन ई आर सी ने क्षेत्र के विशिष्ट प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेषज्ञता और अनुभव प्राप्त किया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थान के कार्यनिष्पादन की संक्षिप्त प्रस्तावना नीचे दी गई है।

1.1 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सेमिनार आदि का आयोजन कर रहा है। एनआईआरडीपीआर के पास ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन एवं कार्यान्वयन में निहित वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास कार्यकर्ताओं और ग्रामीण विकास के विभिन्न अन्य स्टेकहोल्डरों अर्थात समुदाय आधारित संगठनों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, प्रौद्योगिकी एजेंसियों, एनजीओ इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है। इन कार्यक्रमों का फोकस प्रक्रिया पहलुओं के विशेष संदर्भ के साथ कार्यक्रम प्रबंधन के तरीकों और तंत्र पर है, जो विकासात्मक पेशेवरों को अपेक्षित लक्ष्यों और कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान आधार बनाना, कौशल विकसित करना और सही दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना है। संस्थान हर साल प्रशिक्षण गतिविधियों की परिधि को बढ़ा रहा है और उन्हें अधिक आवश्यकता-आधारित और केंद्रित बनाने में सफल रहा है। संस्थान निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित और अपनाते हुए प्रतिभागियों की संतुष्टि की एक बहुत ही उच्च दर प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन और कार्य अनुसंधान के निष्कर्षों का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण इनपुट के रूप में किया जाता हैं। निरंतर आधार पर पिछले कुछ वर्षों में संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है। संपर्क (आउटरीच) कार्यक्रमों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संस्थान सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने का प्रयास कर रहा है।

2018-19 के दौरान, 1676 कार्यक्रमों का आयोजन करके, कुल 54835 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। जबकि पिछले वर्ष 1598 कार्यक्रमों का आयोजन करके 50206 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष के दौरान एनआईआरडीपीआर ने कई कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठियों और राष्ट्रीय परामर्शों का आयोजन किया और इनके विचार-विमर्श को रिपोर्ट और किताबों के रूप में प्रकाशित किया गया। अपने लिंक संस्थानों यानि राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं का निर्माण करना संस्थान के अधिदेश का अभिन्न अंग हैं। इसके भाग के रूप में, वर्ष के दौरान इन संस्थानों में 1348 ऑफ कैंपस / क्षेत्रीय और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संगठनों के अनुरोध पर 20 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि आर्डो, सिर्डाप, संयुक्त राष्ट्र महिला आदि के साथ निकट समन्वय में काम करता है। पंचायती राज कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रशिक्षण सामग्रियों और प्रशिक्षकों एवं स्त्रोत व्यक्तियों के विकास के रूप में विभिन्न कार्य प्रारंभ किए है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते भू-संसूचना अनुप्रयोग के महत्व को पहचानते हुए, संस्थान ने ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सी-गार्ड), नवीनतम भौगोलिक तकनीक और उपकरणों में कौशल प्रदान करने और ज्ञान के स्तर में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करता है।

देश में ग्रामीण विकास संस्थागत नेटवर्क को मजबूत करने के अधिदेश के तहत, एनआईआरडीपीआर, राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में, सभी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को मार्गदर्शन

प्रदान करता है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ताकि इन संस्थानों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और संकाय को मजबूत किया जा सके। संस्थान पी आर एवं आर डी के ग्रामीण राज्य सचिवों और एसआईआरडीपीआर / ईटीसी के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन करता है, जिसमें एसआईआरडीपीआर / ईटीसी की स्थिति और उभरते विकास परिदृश्य और प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है एवं उचित सुधारात्मक उपाय शुरू किए जाते हैं। एनआईआरडीपीआर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष पहल के भाग के रूप में विधान सभा के सदस्यों (एम एल ए) और विधान परिषद के सदस्यों (एम एल सी) के लिए प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला, जिला कलेक्टरों के लिए ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम डी पी) और 100 + पंचायत क्लस्टर विकास पर प्रशिक्षण कार्य अनुसंधान परियोजना का आयोजन किया गया।

1.2 अनुसंधान और परामर्श

अनुसंधान एनआईआरडीपीआर के परिप्रेक्ष्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके भाग के रूप में, संस्थान, कार्य अनुसंधान और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण गरीबों और अन्य वंचित समूहों पर फोकस के साथ ग्रामीण लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए योगदान देने वाले कारकों की जांच और विश्लेषण करता है। संस्थान द्वारा आयोजित अनुसंधान वर्तमान ग्रामीण विकास के मुद्दों पर जोर देने के साथ क्षेत्र-आधारित प्रकृति के है। यह ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न जमीनी स्तर के मुद्दों को समझने में मदद करता है। यह ग्रामीण विकास के लिए नीति तैयार करने में सहायता करता है और संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाता है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समसामयिक समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने और विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभाविता में सुधार के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का सुझाव देने हेतु अध्ययन का आयोजन करता है। ग्रामीण गरीबों की जीवन गुणवत्ता से संबंधित विकास मुद्दों का सीधा समाधान करना अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से दी गई प्रतिक्रिया को महत्व दिया है। संस्थान स्थान-विशिष्ट कार्य अनुसंधान भी करता है जिसमें वास्तव में जमीनी स्तर पर परियोजना को कार्यान्वित करते हुए चरण-दर-चरण, एक थीम या मॉडल का क्षेत्र परीक्षण किया जाता है। जबकि स्थान पर प्रचलित स्थिति के अनुसार दिन-प्रति-दिन हस्तक्षेप में संशोधन होता हैं। स्थानीय निर्णय क्षमता और भागीदारी मूल्यांकन के साथ योजना और कार्यान्वयन में लोक-केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना मुख्य फोकस है। वास्तव में यह कार्य करते हुए सीखने की प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थान की कार्य उन्मुख पहल को और मजबूत करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों से गांवों को अपनाकर "ग्राम अभिग्रहण" पर जोर दिया गया है। ये अध्ययन एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को जमीनी वास्तविकताओं और विकास चुनौतियों से स्वयं को अवगत कराने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य संस्थानों के सहयोग से अध्ययन किए जाते हैं। एनआईआरडीपीआर विभिन्न विकास विषयों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श सहायता प्रदान करता है। संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य संगठनों के अनुरोध पर भी अध्ययन आयोजित करता है।

2018-19 के दौरान, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 149 अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए गए। इनमें से 30 को वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से 11 अध्ययन शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान 69 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए।

जहां तक कार्य अनुसंधान का संबंध है, पिछले वर्ष के अध्ययन इस वर्ष के दौरान जारी रहे। इसके अलावा, रूफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और कंप्रेसड स्टेबिलाइल्ड अर्थ

प्रोसेस का उपयोग करके पेवर ब्लॉक्स के डिजाईन एवं विकास और स्कूल में लडकियों के शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए वॉटरलेस यूरिनल सिस्टम के डिजाईन और विकास पर अध्ययन शुरू किया गया।

1.3 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

सतत ग्रामीण विकास के लिए उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापक प्रसार के लिए कार्यों के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका में वृद्धि करना है। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र की विभिन्न प्रौद्योगिकियों के 40 ग्रामीण मकानों की लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित किए गए है। व्यक्तिगत स्वच्छता वाले शौचालयो के मॉडल की एक बड़ी संख्या के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया है जो ग्रामीण जनता के लिए किफायती हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है।

2018-19 के दौरान, आरटीपी द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं -रूरल इनोवेटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव (आर आई एस सी), अभिनव पैकेजिंग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला पर कार्यशाला और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकों पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

1.4 नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

नवोन्मेषी कौशल और आजीविका के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विशेष कार्यों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, एनआईआरडीपीआर में विशेष परियोजनाएँ और संसाधन कक्ष स्थापित किए गए हैं। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना पर संसाधन कक्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसटीआई) पर परियोजना कक्ष, और एस.आर. शंकरन चेयर शामिल है। डीडीयू-जीकेवाई, ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षण और पदस्थापन कार्यक्रम है। एनआईआरडीपीआर केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों (सीटीएसए) में से एक है और नीति परामर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी है तथा मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती है। राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन समर्थन प्रदान करने में इसके द्वारा केंद्रीय भूमिका निभाने की परिकल्पना की है। डीएवाई-एनआरएलएम के लिए संसाधन कक्ष ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण और अनुसंधान गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना है। यह सेल एनआईआरडीपीआर, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विभिन्न राज्यों के अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। संस्थान की आरसेटी परियोजना सेल बैंकिंग संगठनों के सहयोग से राज्यों में आरएसईटीआई के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। इसके भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एमओआरडी द्वारा प्रदान की गई राशि को जारी करने के लिए विभिन्न प्रायोजित बैंकों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त पोषण समर्थन के साथ 2012 में संस्थान द्वारा ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन चेयर की स्थापना की गई थी। चेयर का मुख्य उद्देश्य उन मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है जो ग्रामीण श्रम की स्थितियों में सुधार लाने में मदद और जानकारी को बढ़ाएंगे।

1.5 शैक्षणिक कार्यक्रम

समय-समय पर ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यो ने व्यावसायिकों की मांग सृजित की है ताकि उनका प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के रूप में 2008 में एक वर्ष की अवधि के प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतत: व्यावसायिक कार्यक्रम वितरण प्रबंधकों का एक बड़ा पूल तैयार करना है, जिनकी

प्रेरणा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक आउटरीच के लिए संस्थान की पहल के आगे, वर्ष 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा कक्ष (डीईसी) की स्थापना की गई और एक वर्ष का सतत ग्रामीण विकास पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) प्रारंभ किया गया । विशेष जनजातीय विकास पेशेवरों के एक सुसज्जित प्रशिक्षित सेट के विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में दूरस्थ पद्धति में जनजाति विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, अगस्त 2015 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों (पीजीडीगार्ड) पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

बदलते विकास परिदृश्य और प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक समझ और दक्षता वाले व्यावसायिको की आवश्यकता के संदर्भ में, दीर्घकालिक अवधि के कार्यक्रम शुरू करने का विचार किया गया । तदनुसार, वर्ष 2018 में, संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करके दो साल का पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम प्रारंभ किया।

वर्ष 2018-19 में पीजीडीआरडीएम का 15 वां बैच, पीजीडीएसआरडी का 10 वां बैच, पीजीटीडीएम का 7 वां बैच और पीजीगार्ड का तीसरा बैच पूरा किया गया । इन कार्यक्रमों के नए बैच वर्ष के दौरान शुरू किए गए और अभी चल रहे है।

1.6 एनआईआरडीपीआर-उत्तर पूर्वी केंद्र, गुवाहाटी

एनआईआरडीपीआर का उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र 1983 में गुवाहाटी में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं जी प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को उन्मुख करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 2018-19 के दौरान, 2533 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें परिसर में 55 कार्यक्रम और क्षेत्र में एसआईआरडी और अन्य संस्थानों में 27 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम शामिल थे । वर्ष के दौरान अध्ययन, मामला अध्ययन, सहयोगी अध्ययन और कार्य अनुसंधान एवं ग्राम अभिग्रहण जैसे अलग-अलग श्रेणियों के तहत कुल 18 अध्ययन किए गए। छह अध्ययन संपूरित हो चुके हैं और शेष 12 प्रगति पर हैं।

1.7 नीति समर्थन

एनआईपीडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान होने के नाते इसकी परिकल्पना , ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में विचार भंडार के रूप में की गई है । इसके भाग के रूप में, संस्थान विभिन्न पहलुओं और गतिशीलता पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन करता है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए फीड बैक प्रदान करता है । यह विकास प्रशासन और प्रबंधन विशेषकर अत्याधुनिक स्तर की बारीकियों के बारे में केंद्रीय और राज्य सरकारों को एक अच्छी प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। संस्थान में विभिन्न पारस्परिक और सलाहकार कार्यशालाओं और सेमिनारों के अलावा अध्ययनों का आयोजन किया गया जो नीति समीक्षा और निर्माण के लिए प्रचालन पहलू और उसके निहितार्थ से संबंधित विभिन्न मुद्दों को समझने में सहायता करेगर । 2018-19 के दौरान इस दिशा में प्रारंभ किए गए कार्यो में ग्रामीण विकास के लिए उद्यमिता का आकलन, ऊर्जा व्यय को मापना, समय का उपयोग और एक्सीलिरोमीटर उपकरणों का उपयोग करके कृषि और ग्रामीण आजीविका में खाद्य पदार्थों का सेवन, पीएमएवाई-जी सुरक्षित ग्रामीण जल आपूर्ति का प्रभाव आकलन शामिल है। सामयिक महत्व का विश्लेषण अर्थात् एग्रेरियन क्राइसिस एंड फार्मर्स सुसाइड्स – ऐन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ एंडेमिक स्टेट्स का आयोजन मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने और आवश्यक नीतिगत उपायों एवं सुधारों का प्रस्ताव करने के लिए किया गया।

1.8 प्रशासन और वित्त

एनआईआरडीपीआर के प्रशासन और वित्त विंग संस्थान की प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को करने में संकाय सदस्यों की सहायता और सुविधा प्रदान करते हैं । संस्थान की नीतियाँ और रणनीतियाँ सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं । माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास,

पंचायती राज और खान मंत्री, परिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य कार्यकारी परिषद में निहित है जिसके सचिव, ग्रामीण विकास अध्यक्ष होते है। महानिदेशक सीईओ हैं और संस्थान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार समितियां प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्य शोध और परामर्श एवं अकादमिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करती हैं। डॉ. वाई.के. अलघ समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को प्रत्येक स्कूल में केन्द्रो सहित स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है। एनआईआरडीपीआर के स्थापना दिवस के भाग के रूप में नवंबर, 2018 माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ बजटिंग, निधि का आहरण, लेखांकन, प्राप्ति और भुगतानों का वर्गीकरण, वार्षिक लेखा की तैयारी और संकलन, प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन / प्रशिक्षण / परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देने के अलावा, मंत्रालय को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना भी शामिल है।

एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास पर सूचना का प्रचार प्रसार का अधिदेश है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक "जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट" ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत शासन पर प्रमुख अकादमिक पत्रिकाओं में से एक है। अंग्रेजी और हिंदी में एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति' प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार करने और नियमित आधार पर संस्थान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को उजागर करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। संस्थान ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसटीआई) का एक त्रैमासिक समाचार पत्र "एंटरप्राइज़", प्रकाशित कर रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न आरएसईटीआई के समाचार कवर किए जाते है। इसके अतिरिक्त, संस्थान रिसर्च रिपोर्ट श्रृंखला, केस स्टडी सीरीज़ और कार्य अनुसंधान श्रृंखला के तहत अधिक प्रकाशन प्रकाशित करता है। एनआईआरडीपीआर का लाइब्रेरी ने संस्थागत प्रकाशनों जैसे की अनुसंधान विशिष्टताएँ/ पढ़ना सामग्री और ग्रामीण विकास पर संकाय प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अध्याय - 2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सुदृढीकरण में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण, प्रबंधन और कार्यान्वयन से जुडे वरिष्ठ और मध्यम स्तर के विकास अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञता और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है । कार्यक्रमों का उद्देश्य ज्ञान आधार बनाना, कौशल विकसित करना और प्रतिभागियों में सही दृष्टिकोण और मूल्यों को शामिल करना है । प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक ग्रामीण विकास के लिए चल रही पहल के प्रबंधन के लिए विकास व्यावसायिकों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रतिभागी उच्च स्तर की संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हम निरंतर आधार पर नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को विकसित कर रहे हैं । इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जबकि उन्हें अधिक आवश्यकता आधारित और केंद्रित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, ग्राम अभिग्रहण और मामला अध्ययन के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जाता है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया है जिसमें विशेष रूप से एशिया और आफ्रीका के विकासशील देश शामिल है। एनआईआरडीपीआर, राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के क्षमता निर्माण में भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण, कवरेज, पद्धति और प्रक्रियाओं के उद्देश्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 उद्देश्य

संस्थान के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम योजना और कार्यान्वयन के लिए कार्यकर्ताओं में जागरूकता बढाना, कौशल में सुधार करना, उचित व्यवहार को अपनाना और ज्ञान को बढाना।
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती जरूरतों पर रणनीतियों का विकास करना।
- सतत ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक योगदान के लिए विकास कर्मियों में व्यावहारिक परिवर्तन लाना।
- विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में बेहतर पद्धतियों और सफलता की कहानी से विकास कार्यकर्ताओं को अवगत कराना।

2.2 ग्राहक समूह

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू), अकादमिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी आदि सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़े केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित एवं सरकारी सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए है।

2.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन

संस्थान के विजन और मिशन के संदर्भ में ग्रामीण विकास में उभर रहे व्यापक रुझानों को दर्शाते हुए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाता है । समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के परिणाम, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के विचार-विमर्श, अनुसंधान निष्कर्षों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया को कैलेंडर तैयार करने में प्रदर्शित किया जाता है । एसआईआरडीपीआर और राज्य सरकारों के परामर्श से ऑफ-कैंपस पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को पहचाना जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है। प्रशिक्षण कैलेंडर को तैयार करते समय एनआईआरडीपीआर की गतिविधियों पर आईआरएमए (IRMA) के प्रभाव आकलन रिपोर्ट की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा गया।

राज्य और उप-राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण को सुदृढ करने के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुंचने के संस्थान के प्रयासों में, ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रमों के रूप में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की एक श्रृंखला "कैस्केडिंग मोड" में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए एसआईआरडीपीआर और राज्य तथा जिला स्तरीय स्रोत व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों के संकाय सदस्यों के लिए तैयार की गई है।

2.4 प्रशिक्षण पद्धतियां

विभिन्न स्वरूप के प्रशिक्षण और प्रतिभागियों की भिन्न प्रोफाईल को ध्यान से रखते हुए भिन्न तथा उचित प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है। इनमें से कुछ विधियां व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्ययन, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, व्यायाम और क्रियाशील सत्र भूमिका एवं सिमुलेशन गैम्स, क्षेत्र दौरा इत्यादि हैं।

प्रशिक्षण पद्धति के भाग के रूप में, स्रोत व्यक्तियों द्वारा, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिभागियों के अनुभवों और बातचीत को साझा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। चल रहे विकासात्मक कार्यक्रमों के क्षेत्रीय दौरे से प्रतिभागियों को बेहतर पद्धतियों और सफलता की कहानियों का पता चलता है जिन्हें वे अपने संबंधित राज्यों में दोहराने का विचार कर सकते है।

2.5 प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)

प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं को बेहतर बनाने के उपाय हमेशा से संस्थान की प्राथमिकता रही हैं। इस संबंध में, पाठ्यक्रम डिजाइन और सामग्रियों की जांच करने एवं कार्यक्रमों में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए आंतरिक और बाहरी विषय विशेषज्ञों के सदस्यों सहित एक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति गठित की गई थी। गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के लिए टीक्यूआईएमसी की बैठक हर तिमाही में होती है।

2.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2018-19

वर्ष के दौरान, संस्थान ने 1676 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष संस्थान के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 54835 थी। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य आरडी एवं पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर और उसके क्षेत्रीय केंद्र द्वारा 1348 ऑफ-कैंपस और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 85 प्रतिशत था।

संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार वर्गीकरण नीचे तालिका -1 में प्रस्तुत किया गया है :

सारणी -1: 2018-19 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का प्रकार

प्रकार	एनआईआरडीपीआर	एनआईआरडीपीआर -एनईआरसी	कुल
प्रशिक्षण कार्यक्रम	172	38	210
कार्यशालाएं और सेमिनार	82	16	98
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	20		20
ऑफ - कैंपस कार्यक्रम	386	28	414
नेटवर्किंग कार्यक्रम	934		934
कुल	1594	82	1676

2.7 प्रतिभागियों की रुपरेखा

तालिका 2 से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिकांश प्रतिभागी सरकारी अधिकारी थे। प्रतिभागियों की एक बड़ी संख्या अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य अर्थात् एसएचजी, किसान और युवा समूह का भाग थे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

सारणी - 2: प्रतिभागियों की रूपरेखा

क्र.सं.	श्रेणी	एनआईआरडीएपीआर	एनईआरसी	कुल
1	सरकारी पदाधिकारी	7528	1798	9974
2	वित्तीय संस्थान	151	215	366
3	पंचायती राज संस्थान	2158	14	2172
4	एनजीओ एवं सीबीओ	1107	64	1171
5	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थान	9752	170	9922
6	विश्वविद्यालय और कॉलेज	448	10	458
7	अंतर्राष्ट्रीय	414		414
8	अन्य स्टेकहोल्डर	30078	262	30340
	कुल	52284	2533	54817
	महिलाएँ	9130	832	9962

ग्राफ - 1 : राज्यवार सहभागिता

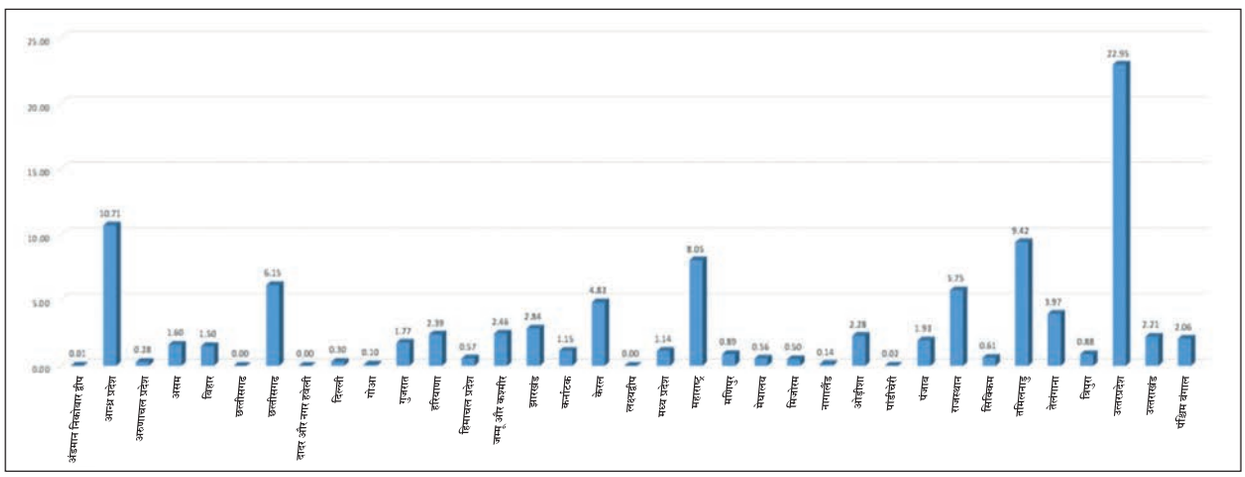

जैसा कि ऊपर के ग्राफ में देखा गया है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा आते हैं। ये अकेले छह राज्य संस्थान के कुल प्रतिभागियों का लगभग 60 प्रतिशत योगदान करते हैं । अन्य राज्यों को एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्यालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी, असम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा श्रेणियों और महीनेवार प्रतिभागियों का विवरण परिशिष्ट- I में दिया गया है।

2.8 प्रशिक्षण के विषय

कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करने वाले सतत ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्य के संदर्भ में विकास व्यावसायिको की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और प्रबंधन तथा पीआरआई कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर बल दिया गया।

वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य विषयों में ग्रामीण आजीविका और सूक्ष्म उद्यम, ग्राम पंचायत विकास योजना, अभिसरण, सामाजिक लेखा परीक्षा, सुशासन, ग्रामीण ऋण प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण विकास के लिए जीआईएस और आईसीटी प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग आदि शामिल हैं। मनरेगा, पीएमकेएसवाई, पीएमजीएसवाई, डीडीयू जीकेवाई, डीएवाई-एनआरएलएम आदि प्रमुख कार्यक्रमों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और समय-समय पर उभरती जरूरतों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

2.9 कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विषय

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में निम्नलिखित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

क) प्रशिक्षण कार्यक्रम

❖ पंचायती राज

- ग्रामीण विकास और पंचायती राज में बेहतर पद्धतियों के लिए प्रशिक्षण सह प्रदर्शन दौरा
- ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन में एसडीजी का एकीकरण
- ग्राम पंचायत के लिए स्वयं स्रोत राजस्व का सृजन और संग्रहण के लिए रणनीतियाँ
- प्रभावी सेवा सुपुर्दगी के लिए पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
- ग्राम पंचायत विकास योजना की सहभागिता के लिए ग्राम सभा और समुदाय आधारित संगठनों को सुदृढ़ करना
- ग्रामीण स्थानीय शासन और सहभागी योजना
- पंचायती राज प्रणाली के साथ कृषि विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ
- राज्य स्तरीय मास्टर स्त्रोत व्यक्तियों का टीआईएसपीआरआई - अभिविन्यास और मूल्यांकन
- व्यापक ग्राम विकास योजना की तैयारी के लिए सहभागिता पद्धतियाँ और तकनीक

❖ ग्रामीण रोजगार

- एनआरएलएम के तहत छोटे और सीमांत किसानों के सतत विकास के लिए जैविक कृषि हेतु पशुधन पालन एवं संवर्धन
- सतत ग्रामीण आजीविका के लिए मूल्य श्रृंखला और विपणन रणनीतियों
- प्रभावी योजना और एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन के लिए जीपीडीपी गतिविधियों के साथ एमजी नरेगा श्रम बजट का एकीकरण
- एमजीएनआरईजीएस के तहत महिला सशक्तिकरण
- सामाजिक-पारिस्थितिक संयोजन, व्यवहार्यता और प्रशासन के मुद्दों का समाधान करने वाले एमजीएनआरईजीएस अभिसरण परियोजनाओं की योजना और शिनाख्त

❖ ग्रामीण आजीविका

- ग्रामीण आजीविका की योजना और विकास के लिए सहभागिता उपकरण और तकनीक
- संकटग्रस्त प्रवासियों और अन्य कमजोर समूहों के लिए आजीविका संवर्धन
- ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल और उद्यमिता विकास
- सतत ग्रामीण आजीविका के लिए मूल्य श्रृंखला और विपणन रणनीतियाँ
- ग्रामीण रोजगार परियोजना और गरीबी उन्मूलन का प्रबंधन

❖ ग्रामीण ऋण

- ग्रामीण ऋण और अग्रिमों का अनुवर्तन
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आंतरिक लेखापरीक्षा
- उद्यमिता और सूक्ष्म वित्त: वित्तीय समावेशन में बिंदुओं को जोड़ना
- कृषि और एमएसई क्षेत्रों में ऋण प्रबंधन

- सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन

❖ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- जलागम दृष्टिकोण के माध्यम से एमजीएनआरईजीएस - एनआरएम गतिविधियों का एकीकरण
- जलवायु व्यवहार्य उत्पादन प्रणाली और उद्यमशीलता संवर्धन
- प्रशासन और प्रबंधन, व्यापार विकास और एफपीओ की स्थिरता में परिवर्तनकारी हस्तक्षेप
- पीएमकेएसवाई के तहत प्रत्येक बूंद से अधिक फसल (मोर क्राप पर ड्राप)
- वर्षा आधारित खेती के लिए नवीन दृष्टिकोण
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ
- जैव विविधता शासन

❖ प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग

- आईसीटी अनुप्रयोग और ई-शासन
- पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी
- ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी और ई-शासन अनुप्रयोग

❖ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अभिशासन

- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम आधारित प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपकरण और तकनीक
- प्रभावी सेवा वितरण के लिए सहभागी विकेंद्रीकृत योजना
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निष्पादन निगरानी
- ग्रामीण विकास में समूह अभिशासन की रणनीतियाँ

❖ अन्य

- असीफाबाद जिले के एसबीएम (जी) जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को स्वच्छता (सीएएस) के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)
- सतत ओडीएफ पर अनुभव साझा करना और मॉड्यूल विकास
- स्वच्छता व्यवसायियों के लिए ओडीएफ स्थिरता और ठोस संसाधन प्रबंधन
- एनएसएपी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों का विकास
- स्वच्छता के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएएस)
- पोषण संवेदनशील कृषि में जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना
- सीएसआर के लिए ग्रामीण विकास मूल सिद्धांत और मॉडल
- मातृ शिशु और युवा बाल पोषण में सुधार के लिए रणनीतियाँ
- कार्यप्रणाली और सामाजिक अनुसंधान की तकनीक
- ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र में समकालीन नीतिगत चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियाँ और विकल्प

ख) कार्यशालाएँ और सेमिनार

- सतत ओडीएफ पर अनुभव साझा करना और मॉड्यूल विकास
- एनएसएपी के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों का विकास
- समय और गति अध्ययन पर क्षमता निर्माण कार्यशाला
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रचार के लिए रणनीतियाँ
- पोषण अभियान के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार
- वॉश और एसबीएम के लिए एसबीसीसी कार्यशाला
- सार्वजनिक कार्रवाई द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत नवाचार
- उन्नत भारत अभियान के तहत अभिग्रहित गाँवों में काम शुरू करने के लिए प्रतिभागी संस्थानों का अभिमुखीकरण
- एसएजीवाई पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद (एबीवीके) के सहयोग से पेसा अधिनियम, 1996 का प्रभावी कार्यान्वयन
- महिलाओं के लिए मनरेगा और एनआरएलएम अभिसरण की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से ड्रग मांग कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एसआईआरडी और ईटीसी के लिए परस्पर संवादात्मक कार्यशाला

- एसडीजी 2030 को प्राप्त करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के लिए प्रकृति आधारित समाधान को बढ़ावा देना
- नाबार्ड एफपीओ की क्षेत्रीय व्यापार विकास कार्यशाला
- पीएमएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना तैयार करने और जीपीडीपी के साथ एकीकरण पर एनआईआरडीपीआर क्षेत्रीय कार्यशाला

2.10 क्षेत्रीय ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडी, ईटीसी तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के संकाय सदस्यों का क्षमता निर्माण करने के लिए, एनआईआरडीपीआर और उसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 386 ऑफ कैंपस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, बढ़ते स्तर पर कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण हेतु, इन संस्थानों के माध्यम से 934 नेटवर्किंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बल विकेंद्रीकृत योजना, सूक्ष्म उद्यम विकास, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण विपणन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री ग्राम स्वराज योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ई-शासन, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), अभिसरण, संगठनात्मक व्यवहार और अंतर-व्यक्तिगत कौशल, परियोजना प्रबंधन, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे और विकलांग, ग्रामीण विकास में नवाचार, अन्य कार्यक्रमों के साथ आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे अन्य कार्यक्रमों पर था।

2.11. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के लाभ के लिए भारतीय अनुभव साझा करने के प्रयासों के तहत, संस्थान ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) तथा आफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष कामनवेल्थ सहायता (एससीएएपी) के तहत आयोजित किए जाते हैं।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के फ्लॉंगशिप योजनाएँ और एशिया एवं पैसिफिक के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी) के सहयोग गितिवधियों का समर्थन और समन्वयन करते हैं। 2018-19 के दौरान, 20 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और विकासशील देशों के 362 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, घाना, नेपाल, म्यान्मार, मॉरीशस, मलेशिया, सूडान, श्रीलंका, तांजेनिया, यमन, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे, आदि देशों के थे। कार्यक्रमों और प्रतिभागियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 3: 2018-19 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	आईटीईसी एवं स्कैप	11	230
2	सिर्डाप	4	75
3	अन्य	5	57
	कुल	20	362

क. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी एवं स्कैप फैलोशिप कार्यक्रम

- ग्रामीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण
- ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान अनुप्रयोग
- ग्रामीण आवास और आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन
- सतत ग्रामीण आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन
- ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन का प्रबंधन
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन
- समुदाय उन्मुख ग्रामीण विकास
- विकास व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण क्रियाविधि

- ग्रामीण विकास के लिए सतत कृषि रणनीतियाँ
- गरीबी निवारण और सतत विकास के लिए सहभागी योजना
- जलवायु व्यवहार्य आवास क्रियाविधि

ख. एमओआरडी-एनआईआरडीपीआर-सिर्डाप सहयोगी कार्यक्रम

- अपशिष्ट से धन - कृषि प्रसंस्करण से मूल्य वसूली
- ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा
- विकेंद्रीकृत शासन और सेवाओं का वितरण - सुशासन का तरीका

ग. अन्य

- सहकारिता और ग्रामीण विकास (2 सीआईसीटीएबी)
- सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन (आर्डो)
- उत्तरी प्रांतीय परिषद, श्रीलंका से प्रतिनिधिमंडल का प्रदर्शन दौरा
- बांग्लादेश के अधिकारियों का प्रदर्शन दौरा

2.12 गत वर्षों में प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण निष्पादन नीचे दिए गए आंकड़े में चित्रित किया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निष्पादन में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2018-19 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में 30 प्रतिशत और प्रशिक्षकों की संख्या में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष (2017-18) की तुलना में कार्यक्रमों और प्रशिक्षकों की संख्या के मामले में 2018-19 के दौरान क्रमशः 5 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। मुख्य रूप से एमजीएनआरजीए, डीएवाई -एनआरएलएम और डीडीयू जीकेवाई के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण वृद्धि हुई है।

ग्राफ - 2 : पिछले 5 वर्षो का प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

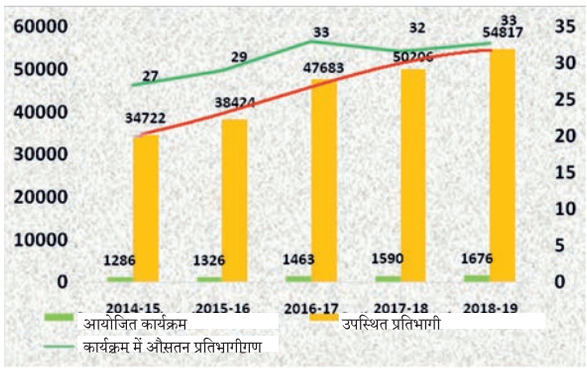

2.13 प्रशिक्षण कार्यनिष्पादन - स्कूलवार

संस्थान के विभिन्न स्कूलों का प्रशिक्षण कार्यनिष्पादन निम्नलिखित चार्ट में सूचित किया गया है। यह देखा गया कि ग्रामीण आजीविका स्कूल ने अन्य स्कूलों की तुलना में अधिक संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से मनरेगा से संबंधित हैं जो 2018-19 के दौरान संस्थान द्वारा आरंभ किये गये क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते है। स्कूल-वार निष्पादन नीचे दिया गया है

स्कूल	कार्यक्रमों की संख्या
विकास अध्ययन और सामाजिक न्याय स्कूल	48
ग्रामीण आजीविका स्कूल	1138
सतत विकास स्कूल	14
सार्वजनिक नीति और सुशासन स्कूल	24
स्थानीय सुशासन स्कूल	113
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान पद्धति स्कूल	226

2.14 प्रशिक्षण फीडबैक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निष्पादन पांच अंकों के पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रशिक्षण डिजाइन, संदर्भ, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता, भोजन और आवास सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधाएं इत्यादि जैसे घटकों को संदर्भित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए

कदम उठाये जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल औसत स्कोर 85 प्रतिशत था।

2.15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सीखने के पश्चात और आवेदन का आकलन करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के प्रभाव का किसी तीसरे पक्ष द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) की सेवाओं को शामिल करके प्रभाव मूल्यांकन शुरू किया गया था और वर्ष 2018-19 के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

एनआईआरडीपीआर ने आईआरएमए को एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को नौकरी के संदर्भ में प्रशिक्षित पदाधिकारियों के निष्पादन और क्षेत्र में ग्रामीण विकास पहल की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार, आरईआरएमए ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आईआरएमए द्वारा किए गए अध्ययन में केवल उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जो प्रभाव मूल्यांकन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित किए गए थे। एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन मुख्य रूप से प्रशिक्षकों के ऑनलाइन सर्वेक्षण और एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण और उनके परिणामों में गुणात्मक अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए आयोजित पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं पर आधारित था।

मुख्य रूप से नमूना उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए प्रशिक्षण से पहले और बाद की स्थिति की तुलना करके मुख्य रूप से आईआरएमए के अध्ययन में प्रभाव का आकलन किया गया था। मुख्य रूप से वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया था। समय और संसाधन दक्षता लाने के उद्येश्य से अध्ययन मुख्य रूप से ऑनलाइन सर्वेक्षण पर निर्भर था। अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों को नीचे दिया गया है:

2.15.1 प्रशिक्षण की रुपरेखा और एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण का प्रभाव

एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण का लक्ष्य आम तौर पर छोटे और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिए कौशल सेट विकसित करना और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण और परिप्रेक्ष्य था। अधिक क्षेत्र-आधारित प्रदर्शन और मामला उन्मुख को हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित उपयोग के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जबकि अधिकांश कार्यक्रम सभी श्रेणी के थे, लगभग 14.5 समर्पित स्वरूप के थे। लक्ष्यों के संदर्भ में हालांकि कौशल और ज्ञान निर्माण की एक अच्छा मिश्रण था, एक हद तक कौशल निर्माण कार्यक्रमों का ध्यान - प्रबंधकीय और तकनीकी पर अधिक केंद्रित था। प्रशिक्षणों के विषयों के संदर्भ में उल्लेखनीय विविधता देखी गई। मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम कम अवधि के थे। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागियों के लगभग 4.94 प्रतिशत होने वाले प्रशिक्षण का लगभग 8.1 प्रतिशत था। प्रतिभागियों की संरचना में अधिक भौगोलिक विविधता थी। दो तिहाई (68.47 प्रतिशत) से अधिक प्रतिभागी राज्य सरकार से थे। आमतौर पर एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षक अपेक्षाकृत कम उम्र (औसतन 39 वर्ष) के पुरुष (80 प्रतिशत) और स्नातक की उपाधि (96 प्रतिशत) वाले होते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि वे अपने स्वयं के संगठनों द्वारा प्रेरित थे, इसके बाद एनआईआरडीपीआर / एसआईआरडी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा चुने गए दो प्रमुख उद्देश्य अपने ज्ञान (78 प्रतिशत) को बढ़ाना और कौशल (44 प्रतिशत) हासिल करना था।

2.15.2 प्रशिक्षण का प्रभाव

कुल मिलाकर, ग्रामीण विकास क्षेत्र में व्यावसायिक जानकारी की आवश्यकता को देखते हुए एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के कारण उनके ज्ञान और कौशल आधार पर अधिक प्रभाव पड़ा। लगभग 98 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने संकेत दिया कि उनके कार्य क्षेत्र और / या उनके कार्यक्षेत्र के बाहर उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। ज्ञान में वृद्धि और विविधता दोनों थी। ज्ञान के अलावा, प्रशिक्षण के प्रभाव को विभिन्न कौशलों में सुधार के माध्यम से महसूस किया गया। कुल मिलाकर, लगभग 96 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उनके प्रबंधकीय और / या तकनीकी कौशल ने प्रशिक्षण के अनुसार सुधार किया है। विशेष रूप से, 66 प्रतिशत ने तकनीकी कौशल में सुधार और 58 प्रतिशत ने प्रबंधकीय / सॉफ्ट कौशल में सुधार की सूचना दी। यद्यपि मिश्रित सीखने की बात है, लेकिन जब कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात आई तो जाहिर तौर पर

तकनीकी कौशल विकास लक्ष्य रखने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम ने अपेक्षाकृत उच्च प्रभाव वाले प्रशिक्षण के लिए प्रबंधकीय कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

बेहतर ज्ञान और कौशल के कारण प्रतिभागियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ, जो ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग के माध्यम से परिलक्षित हुआ। लगभग 91 प्रतिशत अपने कार्य में सुधार द्वारा अपने उन्नत ज्ञान और कौशल का उपयोग करने में सक्षम थे। बेहतर निर्णय लेने / समस्याओं का हल करने (62%), मौजूदा परियोजनाओं को और अधिक कुशलता से (59%) लागू करने, और नई परियोजनाओं (46%) को तैयार करने / लागू करने के माध्यम से कौशल और ज्ञान का अनुप्रयोग किया गया। इसके अलावा, लगभग 28 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने ज्ञान कौशल के आधार पर कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की। प्रतिभागियों द्वारा यह महसूस किया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उनकी नौकरी या काम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश प्रत्यर्थियों ने (93%) प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर मध्यम से अधिक उच्च स्तर के प्रभाव की सूचना दी थी। प्रशिक्षण के समग्र सकारात्मक प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप से संगठन में प्रशिक्षकों के बारे में बेहतर धारणा और अपने सहयोगियों के लिए समान प्रशिक्षण की सिफारिश करने वाले प्रशिक्षुकों द्वारा निष्कर्षों के माध्यम से परोक्ष रूप से भी पुष्टि की गई। कैरियर में उन्नति के संबंध में बहुमत (59 प्रतिशत) ने सूचित किया कि उन्हें पदोन्नति या वेतन वृद्धि जैसे किसी भी बड़े बदलाव का अनुभव नहीं हुआ, हालांकि कई अनुभवी विभिन्न प्रकार की दिनचर्या में भूमिका या गतिविधि जैसा परिवर्तन महसूस करते है।

क्षेत्रीय कार्यशालाओं ने एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडी के प्रशिक्षणों में बहुत उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जो कुछ हद तक मुख्य सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि करती है। कुल मिलाकर, प्रशिक्षणों का प्रभाव सकारात्मक प्रतीत होता है जैसा कि कार्यशाला के प्रतिभागियों ने महसूस किया। एसआईआरडी संकाय के ज्ञान और क्षमता को उन्नत करने में टीओटी मदद करता है। जमीनी स्तर पर कौशल का उपयोग और प्रसार द्वारा सीखने में होने वाले कठिनाईयों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं / सुविधाओं के प्रसार में अवसरों की कमी, और जानकारी को बॉटने के लिए उचित श्रृंखला की अनुपस्थिति जैसे कुछ प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई। कार्यशालाओं से पता चला कि प्रशिक्षण की प्रभावशीलता डिजाइन, सामग्री और प्रशिक्षण के शिक्षाशास्त्र जैसे कारकों पर निर्भर थी जिन्हें और बेहतर बनाया जा सकता था।

2.15.3 सुझाव और सिफारिशें

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर प्राप्त सुझाव और सिफारिशें निम्नलिखित है:

1. एनआईआरडीपीआर को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संपर्क और डिज़ाइन में प्रासंगिक सुधार और बदलाव करने के अलावा अपनी वर्तमान भूमिका जारी रखनी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण हेतु एनआईआरडीपीआर विभिन्न स्तरों- स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय, और संवर्गों को कवर करते हुए नियमित रूप से व्यापक प्रशिक्षण आवश्यक मूल्यांकन (टीएनए) को नियमित रूप से (पांच साल में एक बार) आयोजित कर सकता है। जबकि एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय / क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण और टीओटी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, एसआईआरडी को राज्य स्तर और निम्न स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है।
2. टीएनए के आधार पर, एनआईआरडीपीआर योजनाओं के अतिरिक्त कुछ सामान्य और बुनियादी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सकती है, और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकती है जो क्षेत्र के व्यापक व्यावसायिक कौशल और क्षमताओं का निर्माण करने में मदद कर सकता है।
3. प्रतिभागियों और परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सही प्रतिभागियों की पहचान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जहॉ तक हो बेमेल से बचना चाहिए। एनआईआरडीपीआर को प्रतिभागियों के नामांकन के लिए कुछ दिशानिर्देश या मानदंड विकसित करने चाहिए।
4. प्रशिक्षण शिक्षाशास्त्र में सुधार और नवाचारों की आवश्यकता होती है। क्षेत्र दौरे और भूमिका निभाने पर अधिक जोर दिया जा सकता है जिसमें स्वयं-सीखने और व्यावहारिक प्रदर्शन की गुंजाइश हो। प्रशिक्षण में व्यावहारिक उदाहरणों और स्थान विशिष्ट मामलों को शामिल करने की अधिक आवश्यकता है। एनआईआरडीपीआर को ऐसी अधिक प्रशिक्षण सामग्री

विकसित करने में निवेश करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का उपयोग विशेष रूप से एनआईआरडीपीआर स्तर पर प्रभावी शिक्षण और संचार के लिए निम्न स्तर के प्रशिक्षकों के लिए एक प्रमुख अवरोध बन गया है जिसका उपयुक्त तरीके से समाधान करने की आवश्यकता है।

5. नई प्रशिक्षण तकनीकों और परियोजनाओं की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संकाय के कौशल और विशेषज्ञता के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है। ऐसी क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्य और नीतियों की आवश्यकता हो सकती है। कौशल आधारित प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से प्रशिक्षण दल के भाग के रूप में संचालकों और क्षेत्र-आधारित व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। प्रतिक्रिया प्रणाली को भी अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
6. एनआईआरडीपीआर / एसआईआरडी प्रशिक्षण के नए या प्रासंगिक क्षेत्रों के संदर्भ में, चल रही योजनाओं पर समवर्ती रूप से अद्यतन ज्ञान के लिए टीओटी के अलावा, स्वयं-विकास, परियोजना कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आदि विषयों पर प्रशिक्षण दे सकता हैं।

2.16 नई पहल

2018-19 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने कई नई पहल की हैं और उनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं।

2.16.1. विधान सभा के सदस्य (विधायक) और विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) के लिए प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला

संस्थान ने 8 मई से 11 मई, 2018 तक माननीय एम एल ए/ एमएलसी के लिए 'ग्रामीण विकास में नई रणनीतियाँ और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति' पर एक प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को विशेष रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नई पहल और रणनीतियों से परिचित कराना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 8 मई, 2018 को तेलंगाना विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सिरीकोंडा मधुसूदना चारी ने किया। कुल मिलाकर, 13 राज्यों के 48 विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायकों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों से थे, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया और सर्वोत्तम प्रथाओं और निम्न स्तरीय वास्तविकताओं को भी साझा किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में संवेदनशीलता को शामिल किया गया ताकि उन्हें सतत विकास संबंधी सही नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर मूल्यांकन में मदद मिल सके।

2.16.2 ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट एक महत्वपूर्ण पद है जो गरीबी उन्मूलन का समाधान करने और ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों / पहलों / अभिनव हस्तक्षेपों का प्रसार करते है। यह भी माना जाता है कि जिला कलेक्टर / मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में 2-3 साल के लिए पोस्टिंग उन अधिकारियों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रभावी कामकाज के लिए उनकी कार्य क्षमता को दर्शाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

जिलों के विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करके अपने करियर के शुरुआती चरण में अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए अधिकारियों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है, और उन्हें एनआईआरडीपीआर एवं इसी तरह के एजेंसियों से जुड़ने के लिए पूरी सहायता देनी चाहिए, जहां वे अपनी जिला-विशिष्ट समस्याओं के समाधान ढूँढ सकते है या स्थानीय-विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए एक अभिनव योजना तैयार करने के लिए त्वरित अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए, 2017-18 के दौरान ग्रामीण विकास नेतृत्व पर एमडीपी आरंभ किया गया और 2018-19 के दौरान जारी रखा गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा आईएएस अधिकारियों को प्रेरित करना है जो अभी जिले में काम करने के शुरुआती चरण में है ताकि वे अपनी पोस्टिंग की अवधि का पूरी तरह से उपयोग कर सकें, तथा उन्हें विशेष रूप से जिले और सामान्य रूप से देश के कल्याण के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।

वर्ष 2018-19 के दौरान, इस तरह का एक कार्यक्रम 8-12 जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत से 45 कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, उप और संयुक्त सचिव, आदि शामिल हुए।

इस कार्यक्रम को सभी प्रकार से प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया जैसे कि पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण विधियों, विषयों का चयन, क्षेत्र दौरा, प्रख्यात स्रोत व्यक्तियों की पहचान, रहने और खाने पीने की व्यवस्था आदि।

2.16.3. 100 + पंचायत क्लस्टर विकास परियोजना

एनआईआरडीपीआर ने 19 राज्यों में लगभग 100 + क्लस्टर के 500 जीपी में गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की सुविधा के लिए एक कार्य अनुसंधान परियोजना शुरू की है। यह परियोजना 2 अक्टूबर, 2018 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में शुरू की गई। यह परियोजना क्षमता निर्माण, शासन सुधार और भागीदारी योजना के माध्यम से क्लस्टर ग्राम पंचायतों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तैयार पेशेवर ग्राम पंचायत विकास योजना की परिकल्पना करती है । परियोजना के तहत एनआईआरडीपीआर कई गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। यह परियोजना मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट / गैर सरकारी संगठन द्वारा समर्थित और एनआईआरडीपीआर द्वारा समर्थित "युवा साथियों" के माध्यम से पंचायतों के क्लस्टर / संरक्षक का समर्थन करती है। कॉर्पोरेट द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और एनजीओ के माध्यम से अधिकांश निधि दी जाने की उम्मीद है। हस्तक्षेप परियोजना मोड पर है और 3 साल तक जारी रहेगा, तब तक प्रत्येक चयनित क्लस्टर 'आदर्श स्कूल ऑफ प्रैक्टिस' में विकसित हो जाएगा, जो पास के पंचायत में समान विकास को गति प्रदान कर सकता है।

2.16.4. स्थापना दिवस समारोह

एनआईआरडीपीआर ने नवंबर, 2018 माह में 60 वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। इसके भाग के रूप में, जन योजना पर एक व्याख्यान: 9 नवंबर, 2018 को "सतत विकास के लिए एक विकेंद्रीकृत रणनीति" का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 19-20 नवंबर, 2018 के दौरान एक फिल्म समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास के व्यापक विषय पर शौकिया / पेशेवर फिल्म निर्माताओं / वृत्तचित्र निर्माताओं द्वारा बनाई गई फीचर फिल्मों / वृत्तचित्रों / लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई । समारोह के भाग के रूप में "ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला" 29 नवंबर - 3 दिसंबर, 2018 से आयोजित किया गया। इस वर्ष के लिए मेले का विषय था "नवाचार और उद्यमिता - ग्रामीण परिवर्तन का एक रास्ता"। मेले ने ग्रामीण नवाचारों और प्रौद्योगिकियों, शिल्प, हथकरघा और हस्तशिल्प, विविध कला और ग्रामीण भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

2.16.5. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों की राष्ट्रीय संगोष्ठी

वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों की राष्ट्रीय संगोष्ठी 17-18 जनवरी, 2019 को एनआईआरडीपीआर हैदराबाद परिसर में आयोजित की गई। संगोष्ठी, प्रशिक्षण और अनुसंधान के निष्पादन, राज्यों, एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर की सर्वोत्तम प्रथाओं और नई पहलों को साझा करना और प्रशिक्षण संस्थानों के मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है । संगोष्ठी एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडीपीआर को आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों की योजना बनाने की दिशा प्रदान करता है । यह अवसर बुनियादी ढांचा विकास, संकाय आवश्यकताओं, विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के साथ नेटवर्किंग और अन्य संस्थानों आदि के संदर्भ में संस्था निर्माण से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने का भी कार्य करता है।

श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव (आरडी), भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा के माध्यम से संबोधित किया और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों को साझा किया। सुश्री लीना जौहरी, संयुक्त सचिव (ग्रामीण आजीविका) और सुश्री नीता केजरीवाल, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), एमओआरडी ने प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। एसआईआरडीपीआर के निदेशक और वरिष्ठ संकाय सदस्य, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजे एंड ई), नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में अपनी आवश्यकताओं को बताया।

भारत सरकार की हालिया पहल पोषण अभियान (पोषण मिशन) और संशोधित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएवाई-जी) को भी साझा किया गया । प्रशिक्षण मूल्यांकन आवश्यकता के भाग के रूप में एमओआरडी,

एमओडब्ल्यूसीडी, एमओएसजे एंड ई और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।

2.17 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के साथ नेटवर्किंग

ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण क्रमशः राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के साथ तीन स्तरीय संस्थागत गठन है। एनआईआरडीपीआर के पास एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को सुदृढ करने का एक जनादेश है। इस प्रयास के तहत, एनआईआरडीपीआर नीचे बताई गई गतिविधियों और घटनाओं का आयोजन और समन्वय कर रहा है।

2.17.1. एसआईआरडीपीआर की राष्ट्रीय संगोष्ठी

2.16.5 में बताए अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के अध्यक्षों की राष्ट्रीय संगोष्ठी एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद परिसर में 17-18 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से एक बेहतर नेटवर्किंग पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त हुआ।

2.17.2. एनआईआरडीपीआर-राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) योजना:

यह योजना पिछले कुछ सालों से प्रचलित है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के क्षेत्रों में राज्य सरकारों, एसआईआरडी और ईटीसी और अन्य आरडी प्रशिक्षण संस्थानों को अकादमिक समर्थन प्रदान करने के लिए एनआईआरडीपीआर संकाय सदस्यों को राज्य सम्पर्क अधिकारी (एसएलओ) के रूप में नामित किया गया है।

2.17.3. एसआईआरडीपीआर और ईटीसी का सुदृढीकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), "आरडी कार्यक्रमों के प्रबंधन समर्थन और जिला नियोजन प्रणाली को सुदृढ़ करने" की केंद्रीय योजना के तहत एसआईआरडीयों एवं ईटीसी के लिए गैर आवर्ती और आवर्ती मदों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कैंपस विकास कार्यों, शिक्षण सहायक उपकरण, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्चर सहित बुनियादी ढांचे के विकास के सुदृढीकरण के लिए गैर आवर्ती व्यय हेतु एसआईआरडीपीआर को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एमओआरडी 'गैर-उत्तर-पूर्वी राज्यों' में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 50% और 'पूर्वोत्तर राज्यों' और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 80% भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, सात प्रमुख संकाय सदस्यों के वेतन पर व्यय की 100% प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सभी एसआईआरडीपीआर को की जाती है।

ईटीसी के संबंध में, गैर-आवर्ती के लिए एमओआरडी द्वारा 100% और आवर्ती व्यय के लिए प्रति ईटीसी प्रति वर्ष 20.00 लाख रुपये तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि आरडी और पीआर कार्यकर्ताओं और पीआरआई सदस्यों के क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण भार को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

योजना के तहत निधि समर्थन की मंजूरी पर विचार करने के लिए ग्रा.वि. मंत्रालय की एसआईआरडीपीआर - ईटीसी के निधि समर्थन को चरणबद्ध करने का अधिदेश एनआईआरडीपीआर को प्राप्त है। प्रस्तावों की जांच के एक भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे, संकाय की स्थिति और प्रशिक्षण निष्पादन के संदर्भ में संस्थानों का मूल्यांकन करता है।

एमओआरडी ने एमओआरडी पत्र संख्या एम -13015 / 01/2014-प्रशि. दिनांक 7.8.2017 द्वारा आवर्ती और गैर-आवर्ती दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 'मॉडल लागत मानदंड' के भाग के संकेत भी दिये गये हैं।

2.17.4. एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के प्रशिक्षण कार्य निष्पादन

एनआईआरडीपीआर-एसआईआरडीपीआर-ईटीसी के 'नेटवर्क' ने ग्राहक समूहों के संगठित और कवरेज कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में प्रशिक्षण गतिविधियों के स्पेक्ट्रम में वृद्धि की है। एमओआरडी द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य केंद्रीय प्रायोजित विकास योजनाओं के आरंभ के साथ, अन्य राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ इन पहलों पर अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था। एसआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित राज्य-वार प्रशिक्षणों के विवरणों को नीचे दिया गया हैं:

सारणी -4: 2018-19 में एसआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य	एसआईआरडीपीआर	2018-2019	
			कार्यक्रम	प्रतिभागीगण
1	आन्ध्र प्रदेश	एपीएसआईआरडी	2925	144120
2	अरुणाचल प्रदेश	एसआईआरडी, ईटानगर	62	384
3	असम*	एसआईआरडीपीआर, गुवाहाटी	2037	110649
4	बिहार	बीआईपीए एवं आरडी, पटना	32	1382
5	छत्तीसगढ*	टीपीआईपी एवं आरडी, रायपुर	3526	110700
6	गोआ	जीआईआरडीए, पणजी	134	6174
7	गुजरात*	एसआईआरडी, अहमदाबाद	219	42499
8	हरियाणा*	एचआईआरडी, नीलोखेरी	539	21352
9	हिमाचल प्रदेश	एचआईपीए, शिमला	108	2656
10	जम्मू और कश्मीर	आईएमपीए एवं आरडी श्रीनगर	163	4890
11	झारखंड	एसआईआरडी, रांची	86	3372
12	कर्नाटक*	एएनएस-एसआईआरडीपीआर, मैसूर	74	410460
13	केरल	केआईएलए, कोट्टराकरा	163	5815
14	मध्य प्रदेश	एमजी-एसआईआरडीपीआर, जबलपुर	3163	145624
15	महाराष्ट्र*	याशदा, पुणे	109	3442
16	मणिपुर	एसआईआरडीपीआर , इम्फाल	632	22265
17	मेघालय	एसआईआरडी, नॉनग्सडर	109	3733
18	मिजोरम	एसआईआरडीपीआर , ऐज़वाल	64	1886
19	नागालैंड	एसआईआरडीपीआर , कोहिमा	43	1724
20	ओड़ीशा*	एसआईआरडीपीआर , भुवनेश्वर	3380	101244
21	पंजाब*	एसआईआरडीपीआर , नभा	1083	39516
22	राजस्थान	आईजीपीआरएस एवं जीवीएस, जयपुर	103	11239
23	सिक्किम	एसआईआरडीपीआर , कारफेक्टर	281	15540
24	तमिलनाडु*	एसआईआरडीपीआर, मरिमलैनगर	2048	96654
25	तेलंगाना*	टीएसआईपीएआरडी, हैदराबाद	5737	225906
26	त्रिपुरा	एसआईपीए एवं आरडी, अगरतला	188	4930
27	उत्तरप्रदेश	एसआईआरडी, बक्शी-का-तलाब	5295	151364
28	उत्तराखंड	यूआईआरडी एवं पीआर, रुद्रपुर	67	3156
29	पंश्चिम बंगाल*	बीआरएआईपी एवं आरडी, कल्याणी	1501	545508
	कुल		33871	2238184

* इनमें ईटीसी संपर्क कार्यक्रमों और सैटकॉम मोड के माध्यम से पीआरआई के अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

अध्याय - 3 अनुसंधान और परामर्शी

अनुसंधान एनआईआरडीपीआर की प्रमुख गतिविधियों में से एक है जो ग्रामीण विकास से संबंधित सभी मुद्दों को कवर करता है। अनुसंधान गतिविधियाँ हमें समय-समय पर उभरते हुए ग्रामीण विकास के मुद्दों को समझने और ग्रामीण विकास की पद्धतियों को सीखने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार, एनआईआरडीपीआर अनुसंधान सफल ग्रामीण विकास हस्तक्षेपों पर डेटाबेस के निर्माण और नीतिगत विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की विस्तृत श्रृंखला के विश्लेषण में सक्षम बनाता है।

3.1 उद्देश्य

अनुसंधान अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आयोजित किए जाते हैं:

- ग्रामीण विकास फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर बल देते बदलते ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समझना।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सर्वांगीण कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम हस्तक्षेपों का सुझाव देना।
- अनुसंधान परिणामों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करना
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्रों में ज्ञान निकाय का सृजन करना।

3.2 अनुसंधान विषय और फोकस क्षेत्र

व्यापक विषय और फोकस क्षेत्र निम्नलिखित है जिसमें वर्ष के दौरान अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

- गरीबी उन्मूलन
- सुशासन
- ग्रामीण आजीविका
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- ग्रामीण आधारभूत संरचना
- ग्रामीण ऋण
- ग्रामीण विकास में भू-संसूचना और आईसीटी अनुप्रयोग
- मानव संसाधन
- ग्रामीण रोजगार और संबंधित मुद्दे
- भूमि सुधार और कृषि संबंध
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार
- विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से जेंडर संबंध
- ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन
- स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ और निहित प्रक्रियाएँ
- समता और सामाजिक विकास मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान
- आपदा प्रबंधन

3.3 अनुसंधान की श्रेणियाँ

गुणवत्ता और मात्रात्मक मुद्दों के समाधान को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडी पीआर के अनुसंधान को पाँच व्यापक श्रेणियों द्वारा आरंभ किया गया और वे है :

i. अनुसंधान परियोजनाएँ / अध्ययन
ii. मामला अध्ययन
iii. सहयोगी अध्ययन
iv. कार्य अनुसंधान एवं ग्राम अभिग्रहण
v. परामर्शी अध्ययन एवं परियोजनाएँ

संकाय सदस्यों के समूह द्वारा स्थूल स्तरीय मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाएं / अध्ययन किए जाते हैं। मामला अध्ययन मुख्यत: सफल ग्रामीण विकास पद्धतियों पर केंद्रित है, जिनमें विशिष्ट प्रशिक्षण मूल्य और पुनरावृत्ति की संभावना होती है। सहयोगी अध्ययन विशेष रूप से एसआईआरडीपीआर / ईटीसी, एएससीआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों, आईआरएमए और एनजीओ आदि के संकाय सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण ग्रामीण विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को जमीनी स्तर की समस्याओं और संभावनाओं के बहुत निकट ले जाते है। कार्य अनुसंधान ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के मुद्दों को समझने के लिए अनुसंधानकर्ताओं में ज्ञान के आधार को समृद्ध करने का प्रयास करता है। इसे संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान

अध्ययनों की नीति सिफारिशों के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने और कार्यान्वयनात्मकता की जॉच करने के लिए किया जाता है।

अनुसंधान और कार्रवाई अनुसंधान पर आधारित संस्थान द्वारा अनुशंसित मॉडल और कार्यान्वयन तंत्र के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए 2012-13 के दौरान ग्राम अभिग्रहण योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संकाय सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ावा देना है। ग्राम अभिग्रहण अध्ययन के माध्यम से विशेष रूप से आरंभ की गई कार्य अनुसंधान पहल, सामाजिक गतिशीलता को समझने, सामूहिक कार्रवाई के लिए समुदाय को एकजुट करने, विकास प्रशासन और गांवों के बीच अंतर को कम करने और सतत विकास की सुविधा के मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती हैं।

संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा व्यापक ध्यान दिए जाने की वजह से, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन विशिष्ट उद्देश्य उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं। इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.4 अनुसंधान साधन और तकनीक

नमूना सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, मामला अध्ययन, पीआरए तकनीक, विषय विश्लेषण, गुणात्मक मूल्यांकन और प्रभाव विश्लेषण से युक्त सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण कुछ अनुसंधान टूल्स और तकनीक हैं जिन्हें, अनुसंधान अध्ययन के लिए अपनाया गया हैं।

3.5 अनुसंधान प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया

शिनाख्त किए गए विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययन आरम्भ करते समय एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रारंभिक चरण में, एक केंद्र के संकाय सदस्य संबंधित केंद्र के अध्यक्ष के मार्गदर्शन से परामर्श में शामिल होते हैं। इस प्रकार तैयार अनुसंधान प्रस्तावों को व्यापक विचार-विमर्श और सुझाव प्राप्त करने के लिए अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रस्तावों में सुधार किया जाता है तत्पश्चात टिप्पणियों और सुझावों के लिए बाह्य और आंतरिक विशेषज्ञों की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) को भेजा जाता है । इन संशोधित अनुसंधान प्रस्तावों पर आरएसी की एक औपचारिक बैठक में चर्चा की जाती है और सुझावों में चर्चा के बाद इसे अनुमोदित किया जाता है। एसआईआरडीपीआर / ईटीसी / सहयोगी संस्थानों के अध्ययन की श्रेणी के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन के संबंध में, प्रस्तावों को वरिष्ठ संकाय सदस्य सहित विषय विशेषज्ञों की एक आंतरिक समिति के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं। सुझावों को शामिल करने के बाद प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है।

3.6 गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय

अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। अध्ययन पूरा होने के बाद, मसौदा रिपोर्ट को व्यापक चर्चा के लिए अध्ययन मंच में प्रस्तुत किया जाता है। सुझावों के आधार पर, अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम संस्करण तैयार किया जाता है। प्रकाशन के समय, अनुसंधान रिपोर्टों को बाहरी विषय-विशेषज्ञों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाता है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

3.7 आयोजित अनुसंधान अध्ययन : 2018-19

2018-19 में विभिन्न श्रेणियों, अनुसंधान अध्ययन, मामला अध्ययन और सहयोगात्मक अध्ययन के तहत लगभग 149 अनुसंधान अध्ययन संपन्न किए गए। इनमें से 30 अध्ययनों को वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से 11 अध्ययन शामिल हैं। अध्ययनों का विवरण परिशिष्ट - II में दिया गया है।

2018-19 के दौरान 69 अनुसंधान अध्ययन संपूरित किए गए और विवरण परिशिष्ट – III में दिए गए है । ये अध्ययन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में किए गए थे और एक अध्ययन अखिल भारत में प्रारंभ किया गया था।

हालांकि अनुसंधान अध्ययनों की अवधि वित्तीय वर्ष के दौरान होती है, इसलिए संदर्भ वर्ष के दौरान सम्पूरित अध्ययनों के साथ-साथ पिछले वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कुछ अध्ययनों को वर्तमान वर्ष के दौरान पूर्ण किया गया। समय-सीमा के अनुसार, 50 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं और विवरण परिशिष्ट IV में प्रस्तुत किए गए हैं। आरंभ किए गए श्रेणी वार अनुसंधान अध्ययनों को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

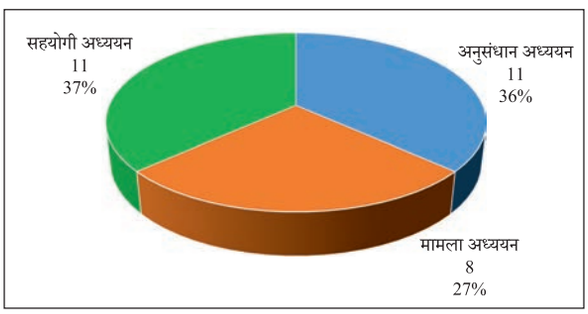

चित्र -1: 2018-19 के दौरान अनुसंधान अध्ययन की श्रेणियाँ

3.8 संपूरित अध्ययनों की प्रमुख विशेषताएॅं / महत्वपूर्ण जानकारी

3.8.1. ग्रामीण पेयजल का वितरण समता: समावेशी सेवा सुपुर्दगी का एक अध्ययन

पेयजल सेवा सुपुर्दगी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से अनु.जाति / अ.ज.जा. वाले गांवों को कवर करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की शुरुआत के बाद से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) विशेष प्रयास कर रहा है। । एमडीडब्ल्यूएस भारत सरकार के 'समावेशी विकास' एजेंडे में योगदान देने में सक्षम होने के लिए इस को अंजाम दे रहा है। भारत में समावेशी नीति की शुरुआत का लगभग एक दशक हुआ है।

यह अध्ययन इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता है कि: एमडीडब्ल्यूएस के प्रयासों ने सरकार की समावेशी सेवा वितरण नीति में योगदान देते हुए पेयजल प्रावधान में सेवा वितरण के अंतर को कम करने में किस हद तक मदद की है। इस अध्ययन में भारत के छह राज्यों को शामिल किया गया है। वे हैं: (1) बिहार (2) झारखंड (3) असम (4) हिमाचल प्रदेश (5) तमिलनाडु और (6) उत्तराखंड जिसमें 12 जिलों में 60 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 1200 प्रत्यर्थी अनु. जाति / अनु.ज.जाति और गैर-अनु.जाति / अनु.ज.जाति समुदाय को सम्मिलित किया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष से पता चला है कि (i) उपलब्धता और (ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को दी जाने वाली जल सेवा की गुणवत्ता । हालाँकि, अन्य आवश्यक मापदंड जैसे (iii) तय की गई दूरी (iv) बिताया गया समय और (v) दी गई पानी की मात्रा, असमानता बनी रहती है। अनु.जाति / अनु.ज.जा. समुदाय अभी भी इससे वंचित हैं।

3.8.2. सुरक्षित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति - चयनित राज्यों में रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र और वाटर एटीएम पर एक अध्ययन

ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्रों की स्थापना का कार्य भारत के कई राज्यों में तेजी से बढ रहा है। अक्सर बताया जाने वाला कारण है: "पीने के पानी में गुणवत्ता की समस्या है - रासायनिक संदूषण जैसे कि अतिरिक्त फ्लोराइड, कठोरता आदि।" आरओ प्लांट स्थापित करने का कार्य कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (आईएनजीओ) और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) परियोजनाओं के साथ शुरू हुआ। । बाद में, राज्य सरकारों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में आरओ प्लांट स्थापित करना शुरू किया। हाल में , यह लगभग एक फैशन के रूप में उभर रहा है। व्यावहारिक रूप से, आरओ प्लांट स्थापित करने का निर्णय जल सुरक्षा मुद्दो से प्रेरित होना चाहिए, न कि फैशन या प्रवृत्ति से । भारत के कई राज्यों में देखा गया रुझान एक बात को स्पष्ट करता है, कि क्या भारत में ग्राम पंचायतें पानी की गुणवत्ता की समस्याओं (या यह बताने के लिए कि हमारे पास आरओ प्लांट भी है) का समाधान करने के लिए तथ्यों के आधार पर इस बुनियादी ढांचे की स्थापना कर रही है?

इस अध्ययन में सात राज्यों अर्थात् कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और राजस्थान के आरओ प्लांट वाले 21 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है । अध्ययन किए गए 21 मामलों (ग्रा.पं.) में से 13 ग्राम पंचायतों ने आरओ प्लांटों की स्थापना की ताकि पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्या का समाधान किया जा सके और शेष 8 जीपी ने आरओ प्लांट की स्थापना तथ्य-आधारित आवश्यकता पर नहीं की है । आर ओ प्लांट एक परिकल्पना है जो बुनियादी ढाँचे के रूप में सामने आ रही हैं, और जिसे सही पाया गया । अध्ययन से पता चला कि 62% मामलों में जो प्लांट्स स्थापित किए गए हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड सहित कुछ रासायनिक संदूषण को आरओ द्वारा हटाया जाना

आवश्यक था। शेष 38% मामलों में, जहां आरओ प्लांट्स की स्थापना की गई थी, वह संभवत: पानी में हानिकारक या आवश्यक खनिजों की प्रकृति के बारे में जागरूकता की कमी के कारण आया है।

3 . 8 . 3 . पीएमएवाई-जी का प्रभाव मूल्यांकन: यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षणों का उपयोग करते हुए एक अध्ययन

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में न केवल लाभार्थी चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों के संदर्भ में, बल्कि सामुदायिक भागीदारी और वित्तपोषण सहित कई अन्य मामलों में भी पूर्व ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की तुलना में सुधार हुआ है । हालांकि, ग्रामीण सामाजिक विकास के प्रभाव के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यक्रम उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया जा सकता है, इसे समझने के लिए शायद ही कोई अध्ययन किया गया हो। इसलिए, यह अध्ययन यह पता लगाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है कि पीएमएवाई-जी द्वारा भौतिक सुविधाओं या लोगों की व्यक्तिपरक भलाई में क्या बदलाव लाए गए हैं।

अध्ययन में 3 राज्यों के 6 जिलों 12 ब्लॉकों में 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अध्ययन के अधीन राज्य हैं: (i) मध्य प्रदेश (मैदानी) (ii) ओडिशा [तटीय], (iii) पश्चिम बंगाल [पहाड़ी]।

भौतिक सुविधाओं जैसे कि घर के प्रकार, बिजली कनेक्शन, रसोई, शौचालय और बाथरूम, प्राकृतिक वेंटिलेशन, प्राकृतिक प्रकाश, आजीविका गतिविधियों के लिए जगह आदि को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पाया की पीएमएवाई-जी लाभार्थी उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं जिन्हें अभी तक योजना के तहत एक घर भी नहीं मिला है। पीएमएवाई-जी ने दो या अधिक कमरे निर्मित करके घरों में जगह की कमी को कम कर दिया है। लगभग 68 प्रतिशत परिवारों ने घर में आजीविका गतिविधियों के लिए अतिरिक्त स्थान का उल्लेख किया है। हालाँकि, पीएमएवाई-जी ने अन्य कार्यक्रमों, जैसे कि पीने के पानी के कनेक्शन, गैस कनेक्शन आदि के साथ कम कार्यान्मुख हुआ है।

3.8.4. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वशासन: मध्य प्रदेश और ओडिशा में पेसा अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन का एक अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में पेसा अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन द्वारा जनजातीय स्वशासन और जनजातीय विकास के माध्यम से मुद्दों का पता लगाना है। अध्ययन के निष्कर्ष द्वारा जनजातीय स्वशासन, लोकतांत्रिककरण और स्थानीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सकारात्मक भूमिका निभाने में पेसा अधिनियम की तरह लोकतांत्रिक सुधारों और विधानों के क्रियान्वयन की क्षमताओं के परीक्षण का प्रयास किया गया है । अध्ययन से पता चला है कि पंचायत के कामकाज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की समग्र भागीदारी अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों की तुलना में गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक थी। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूहों से संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के संबंध में, यह अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में गैर-अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में उनके समकक्षों की तुलना में यह काफी अधिक था। इसलिए, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि पेसा अधिनियम ने अनु. जाति और अनु.ज. जाति जैसे समाज के सीमान्तीकृत वर्गों के लिए एक मंच तैयार किया जाए ताकि वे अपनी राय दे और स्थानीय मामलों को नियंत्रित करने में सार्थक योगदान दे, जो उनके अपने राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में योगदान होगा। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों ने गैर अनु.जाति / अनु.ज.जा वर्ग की तुलना में स्थानीयता (जैसे कि राजनीतिक रैलियों, आम चुनावों के लिए प्रचार आदि) में सीमित राजनीतिक भागीदारी का प्रदर्शन किया, फिर भी पंचायत के भीतर उनकी सहभागिता और भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा, ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी गैर-अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में काफी सक्रिय देखी गई। ग्राम सभा के समग्र कामकाज को गैर-अनुसूचित क्षेत्रों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों के बारे में बहस और विचार-विमर्श के साथ काफी सक्रिय देखा गया। अध्ययन के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों की कुछ पंचायतों में, ग्राम सभाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और नियमित रूप से बैठकें नहीं की गईं। हालाँकि, अनुसूचित क्षेत्रों की अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा के कामकाज को काफी संतोषजनक माना गया था। इसलिए, अध्ययन ने निष्कर्ष निकला कि पेसा अधिनियम ने आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों को बेहतर विकास के परिणाम प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3.8.5. स्मार्ट विलेज, लखपति किसान: खूंटी जिला, झारखंड में ग्राम पंचायतों का मामला अध्ययन

यह मामला अध्ययन झारखंड के खूंटी जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा एक नागरिक समाज संगठन (नव भारत जागृति केंद्र, एनबीजेके) और एकीकृत आजीविका कार्य (सलएलएनएन) के समन्वय में सफल पहल का एक दस्तावेज है, जिसमें 2500 परिवारों के जीवन स्तर में अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाया गया। सीएलएनएल के साथ टाटा ट्रस्ट ने 2015 में 101,000 आदिवासी परिवारों को लखपति बनाने ’के उद्देश्य से“ मिशन 2020 लखपति किसान: स्मार्ट विलेज ’’कार्यक्रम शुरू किया। मिशन 2020 के दो लक्ष्य हैं: 4 राज्यों (झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात) में विकास के क्षेत्रीय ड्राइवरों के रूप में 17 ब्लॉक विकसित करना और 101,000 परिवारों को अपरिवर्तनीय रूप से गरीबी से ऊपर लाना।

एकीकृत आजीविका पहल (सीएनएनएल) के लिए कलेक्टर्स के समर्थन से, नव भारत जागृति केंद्र (एनबीजेके) आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए झारखंड के खुंटी जिले के मुरहू ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायतों में समुदायों और 2500 परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान (डिगरी, गुटुहातु, कुदापट्टी, बिंदा और बिछना) हेतु काम कर रहा है। ग्राम पंचायत सदस्यों के समन्वय में एनबीजेके के हस्तक्षेप से एसएचजी द्वारा भवन निर्माण जल संसाधन विकास, सब्जियों की खेती के माध्यम से आजीविका के अवसरों का विविधीकरण बागवानी स्मार्ट संवर्धन और सुअर पालन विलेज की एक सफल पहल शामिल हैं। खूंटी जिला, झारखंड के मुरू ब्लॉक में 2500 परिवारों के आजीविका विकास में सुधार के लिए 5 साल (2015-20) के लिए 7.44 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की योजना बनाई है। स्मार्ट विलेज और लखपति किसान की ये पहल 1.00 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक की आय अर्जित कर रही है। जबकि पिछले वर्ष औसत के मुकाबले प्रति परिवार 30,000 प्रति वर्ष थी। मामला अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि बहु आर्थिक क्रियाकलापों के साथ लगातार और अभिसरक प्रयास कृषि-आश्रित परिवारों में "लखपति" सृजित हो सकते हैं।

3.8.6. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर खुली सरकारी व्यवस्था की प्रक्रिया और पद्धतियां एवं इसका प्रभाव - एक प्रायोगिक अध्ययन

ओपन गवर्नमेंट एक गवर्निंग सिद्धांत है, जो मानता है कि नागरिकों को सरकार के दस्तावेजों और कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार है ताकि प्रभावी सार्वजनिक निरीक्षण किया जा सके। सामान्य शब्दों में खुली सरकार वो है जो सरकारी जवाबदेहिता पर बल देते हुए जन संवीक्षा के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता को शामिल करता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- इस अध्ययन ने अध्ययन किए गए पंचायतों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में खुले सरकारी हस्तक्षेपों के परिणामों और प्रभावों की जांच की। खुली शासन प्रणाली का लोगों पर प्रभाव, पंचायत के कामकाज से संबंधित विभिन्न मापदंडों मे महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। लोगों के अधिकारों, पंचायतों के लिए समय पर चुनाव, सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका, पंचायतों की विभिन्न समितियों और ग्राम सभा बैठकों के महत्व जैसे विभिन्न आयामों पर जागरूकता स्तर को बढ़ाया है।
- वर्तमान अध्ययन ने इस सिद्धांत को सत्यापित करने का भी व्यापक प्रयास किया कि, खुले सरकारी तंत्र ने बुनियादी सेवाओं की सुपुर्दगी और वितरण कार्यों का समर्थन करने वाले लोगों पर सराहनीय प्रभाव डाला। इसने पारदर्शिता, जवाबदेहिता में भी सुधार किया, जिससे लोगों में जागरूकता, भूमिका की स्पष्टता और उत्तरदायी शासन में सुधार हुआ।
- विशेष रूप से, खुले सरकारी तंत्र ने लोगों की भागीदारी, सामूहिक निर्णय, लोगों की योजना को साकार किया और ग्राम पंचायत का समग्र विकास हासिल किया.

3.8.7. खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित ग्राम पंचायतों में परिवारों का स्वच्छता अभिव्यवहार मूल्यांकन

अध्ययन से पता चला कि भारत में ऐसे घर [ओडीएफ गाँव] हैं, जो स्थान की चाहत के लिए शौचालय नहीं बनाते हैं, या परिवार एक विवादित भूमि में रहता है आदि। यह अफसोस

की बात है कि घरों में भी जहां एक उपयोगी शौचालय उपलब्ध है वहां परिवार के कुछ सदस्य खुले में करना पसंद करते हैं। कुछ गांवों में शौचालय-उपयोग के संबंध में, परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि यह व्यक्तिगत प्राथमिकता और सुविधा का मामला है। आमतौर पर, एक परिवार के लोगों को लगता है कि शौचालय का उपयोग करना नैतिक आदर्श का सवाल है, हालांकि परिवार में इसकी स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है। इस प्रकार, अभी भी भारत में न तो शौचालय का उपयोग और न ही ओडी अभ्यास एक सामाजिक आदर्श है। दूसरे शब्दों में, भारतीय समाज खुले में शौच करने वाले किसी व्यक्ति से असहमत नहीं होता और जहाँ तक है यह किसी के द्वारा शौचालय का उपयोग करने पर सराहना भी नहीं करता है।

अंतिम बात यह हो सकती है कि, सामाजिक अस्वीकृति के रूप में सृजित नए सामाजिक मानदंड के अनुसार लोग उन्हें देख कर मुँह बना लेते हे जो खुले में शौच करते हैं। यूनिवर्सल शौचालय का उपयोग भारत में एक सामाजिक आदर्श बनना चाहिए। यह ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय संस्थानों द्वारा अधिक संभव है यदि वे शौचालय के उपयोग को आधिकारिक मानक मानते है तो समय के साथ यह एक सामाजिक आदर्श बन जाएगा। फिर, खुले में करने वालों पर नजर रखी जाएगी। उसे विकृत माना जाएगा। हमारे प्रयासों को बेकार करने के बजाय अलग-अलग परिवारों को बदलने का लक्ष्य होना चाहिए। ओडीएफ सततता चरण के दौरान एसबीएम-जी को अपने संचार अभियानों को इस तरह तेज करना चाहिए कि 'शौचालय का उपयोग ग्रामीण भारत में एक सार्वभौमिक सामाजिक आदर्श बन जाए'।

3.8.8. महिला प्रधान ग्राम पंचायतों की उपलब्धियां: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में धौज और चंदावली का मामला अध्ययन

अनुसंधान में ग्राम पंचायत (जीपी) के मामलों में सक्रिय भागीदारी को समझने का प्रयास किया गया है, दो महिलाओं के ग्राम पंचायत के नेतृत्व में शासन, विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण में सुधार के प्रयास किए गए हैं। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- चयनित ग्राम पंचायत में स्थानीय प्रशासन संकेतकों और विकास एवं सशक्तिकरण संकेतकों में मजबूत संबंध है। चंदावली ग्राम पंचायत जहां सरपंच सक्रिय है, अपने फैसले खुद लेती है, ग्राम पंचायत नियमित रूप से ग्राम सभा का आयोजन करती है, ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, ग्राम पंचायत के विकास और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके विपरीत, धौज जीपी जहां महिला सरपंच जीपी से दूर रहती है, जीपी की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग नहीं लेती है, लोग ग्राम पंचायत के विकास और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। अपनी यात्रा के दौरान अध्ययन दल ने यह भी पाया कि जहां चंदावली काफी विकसित है, बुनियादी सेवाओं की प्रभावी रूप से सुपुर्दगी की जाती है और ग्राम पंचायत ने महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपाय किए हैं, धौज ग्राम पंचायत में इनका अभाव है।
- यह पाया गया कि धौज ग्राम पंचायत में वर्तमान महिला सरपंच के तहत ग्राम पंचायत के समग्र प्रदर्शन से 40% प्रत्यर्थी संतुष्ट हैं और 60% प्रत्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। इससे पता चलता है कि धौज ग्राम पंचायत में महिला सरपंच ने ग्रामीणों की अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है। चंदावली गांव में, कुल 99% प्रत्यर्थी महिला सरपंच के नेतृत्व वाले ग्राम पंचायत के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और केवल एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है।
- धौज ग्राम पंचायत में, 41% प्रत्यर्थियों ने कहा कि वे एक महिला के सरपंच बनने के बाद गांव के विकास में सकारात्मक अंतर पाते हैं, और 59% प्रत्यर्थीओं ने कहा कि उन्होंने कोई अंतर नहीं पाया। चंदावली ग्राम पंचायत में सभी (100%) प्रत्यर्थीओं ने कहा कि वे महिलाओं के सरपंच बनने के बाद गांव के विकास में सकारात्मक अंतर पाते हैं। यह आंकडे पहले की खोज की पुष्टि करते है कि चंदावली ग्राम पंचायत के ग्रामीण पूरी तरह से महिला सरपंच के नेतृत्व वाली ग्राम पंचायत के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं जबकि धौज ग्राम पंचायत के अधिकांश ग्रामीण महिला सरपंच के नेतृत्व वाली जीपी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं।
- धौज ग्राम पंचायत में चालीस प्रतिशत प्रत्यर्थीओं ने कहा कि वे महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायत द्वारा की गई पहल से संतुष्ट हैं और 59% प्रत्यर्थीओं ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं। चंदावली ग्राम पंचायत में, 99%

प्रत्यर्थीओं ने कहा कि वे महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायत की पहल से संतुष्ट हैं और केवल एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हैं।

- पारंपरिक सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, जाति और समुदाय राजनीतिक संस्थानों के कामकाज को प्रभावित करते रहते हैं। धौज गांव में, सरपंच के निर्णय लेने की क्षमता इस तथ्य से विवश है कि वह गांव से दूर रहती है और जीपी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन उसके ससुराल वाले करते हैं।

3.8.9. चौदहवें वित्त आयोग का सामाजिक लेखापरीक्षा (एफएफसी) अनुदान: झारखंड का मामला अध्ययन

मामला अध्ययन ने झारखंड में चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों के सामाजिक लेखापरीक्षा की संरचना और प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने और कठिनाईयो को समझने एवं सामाजिक लेखापरीक्षा अभ्यास को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीके सुझाने के लिए प्रयास किए है, अध्ययन ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- भारत सरकार, एमजीएनआरईजी ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 की तर्ज पर एफएफसी ग्रांट के सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार कर सकती है। सामाजिक लेखापरीक्षा का पता एफएफसी द्वारा सुझाई गई तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा में भी लग सकता है। एमओपीआर और एमओएफ संयुक्त रूप से एफएफसी अनुदानों के सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर सकते हैं, जिसका मसौदा सामाजिक लेखापरीक्षा केन्द्र एनआईआरडीपीआर द्वारा पहले से ही तैयार किया गया है।
- भारत सरकार एफएफसी अनुदान के लिए एक एमआईएस भी तैयार कर परिचालन कर सकता है ताकि स्रोत व्यक्तियों और समुदाय को एफएफसी अनुदानों के उपयोग की वित्तीय और भौतिक प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
- सामाजिक लेखा परीक्षा सुविधा शुल्क को सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा जीपी से एकत्र किया जाना है क्योंकि एफएफसी अनुदान सीधे ग्राम पंचायत में जाता है। एक ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जहां एसएयू को राज्य सरकार से सीधे सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए निधि प्राप्त है। इस तरह के तंत्र से वित्तीय स्वतंत्रता और निष्पक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अभ्यास और हाल ही में जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) के साथ कई राज्यों में एक सामाजिक निधि ग्राम पंचायत स्तर पर उभरी है। इस सामाजिक निधि का उपयोग एफएफसी अनुदानों के सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए भी किया जा सकता है।
- लोग एफएफसी को अलग-अलग नामों से जानते हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड में इसे मुखिया फंड कहा जाता है। एमजीएनआरईजीए की तरह, जीपीएस के लिए एफएफसी अनुदान और दीवार पर लिखने और सूचना बोर्डों के माध्यम से काम करने की जानकारी साझा करना अनिवार्य किया जा सकता है।
- झारखंड राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के माध्यम से एक कानून बनाकर सामाजिक लेखा परीक्षा के कानूनी आधार को सुदृढ कर सकती है। राज्य सरकार सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को अधिसूचित कर सकती है। इस तरह के नियमों में विचलन की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कार्य और जिम्मेदार प्राधिकरण हो सकते हैं। विचलन के लिए जुर्माना / जुर्माना लगाने के तरीके, निर्धारित जुर्माना / जुर्माना वसूलने के तरीके और इसके लिए जिला स्तर पर एक खाता होना चाहिए। राज्य पंचायती राज विभाग में एक सतर्कता प्रकोष्ठ के बारे में भी विचार हो सकता है जहां जिला स्तर की सुनवाई से

ग्राम पंचायत स्तर पर एफएफसी सामाजिक लेखापरीक्षा जन सुनवाई

सभी एटीआर भेजे गए कार्यों की समीक्षा के लिए भेजे जा सकते हैं।

- ❖ राज्य सरकार, सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के लिए उपायुक्तों, उप विकास आयुक्तों और बीपीआरओ के साथ नियमित बैठकें कर सकती है।
- ❖ झारखंड राज्य सरकार, सामाजिक लेखा परीक्षा अभ्यास की नियमित निगरानी और एसएयू को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर बाहरी निगरानी दल का गठन कर सकती है। राज्य में एफएफसी अनुदानों के सामाजिक लेखा परीक्षा के वार्षिक या द्विवार्षिक स्वतंत्र नमूना अध्ययन भी उपयोगी होंगे।

3.8.10. ग्राम पंचायतों में सफल मामला अध्ययन का प्रलेखन

एमओपीआर स्वीकृत परियोजना के घटकों में से एक: "एनआईआरडीपीआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रशिक्षण और ई-सक्षमता द्वारा पंचायती राज संस्थानों के सुदृढीकरण हेतु भारत का बदलता स्वरूप, अन्य पंचायतों में बड़े संचलन के लिए मामला अध्ययन / सफल कहानियों को संकलित और प्रकाशित करना है और उनका उपयोग भी करना है। ऑनलाइन प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों में शिक्षण सामग्री के रूप में इस जनादेश को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कवर करने वाले 9 विषयगत क्षेत्रों में पंचायती राज केंद्र द्वारा विभिन्न साझेदारी संस्थानों की मदद से 32 सफल मामला अध्ययन किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता प्रबंधन, पंचायतों में स्वयं के स्रोत राजस्व का सृजन करने, प्राकृतिक संसाधन शासन और सामुदायिक संपत्ति संसाधन (सीपीआर) की भूमिका, पंचायतों में महिला नेतृत्व, एसएचजी-पीआरआई अभिसरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में पंचायतों की भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक लेखा परीक्षा और नेतृत्व विकास पर मामला अध्ययन का प्रलेखन किया गया है। मामला अध्ययन के "वीडियो और पाठ संस्करण" दोनों को कई स्वरूपों में संदेश को संप्रेषित करने के लिए बनाया गया है। अंतिम मामला अध्ययन रिपोर्ट एनआईआरडीपीआर की वेबसाइट www.nirdpr.org पर सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया गया। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए मामला अध्ययन का उपयोग किया जाएगा और सफल मामलों के अनुकरण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा।

3.9 कार्य अनुसंधान

कार्य अनुसंधान और ग्राम अभिग्रहण ग्रामीण विकास प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अनुसंधानकर्ताओं को जमीनी स्तर की समस्याओं और संभावनाओं के बहुत करीब ले जाते हैं। कार्य अनुसंधान ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के मुद्दों को समझने के लिए अनुसंधानकर्ताओं के ज्ञान के आधार को समृद्ध करने का प्रयास करता है। संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों की नीति सिफारिशो के परिणाम का उपयोग कार्यान्वयन और मूल्यांकन की जॉच के लिए किया जाता है । इसलिए, एनआईआरडीपीआर द्वारा अनुसंधान अध्ययन की इस विशेष श्रेणी पर अधिक जोर दिया गया है।

संस्थान के कार्य अनुसंधान का बल, स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया के संचालन को सुविधाजनक बनाना और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित करना है। 'सुगमता' प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्य संवर्धन, प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से क्षमता निर्माण, स्थानीय संस्थानों की नेटवर्किंग, सामाजिक विकास, सहभागितापूर्ण निर्णय लेने आदि को शामिल करती है। कार्य अनुसंधान परियोजनाएं जन केन्द्रित है और प्रभावी भागीदारी को बढावा देने के लिए भागीदारी उपकरण और तकनीकों का उपयोग करते है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों द्वारा प्रभावी रूप से सीखने के लिए 'सामाजिक प्रयोगशालाओं' के रूप में परियोजना गांवों में कार्य अनुसंधान किया जाता है।

3.9.1 उद्देश्य

- एनआईआरडीपीआर अनुसंधान परियोजनाओं की नीति सिफारिशों की कार्यान्वयन क्षमता का परीक्षण करना और ऐसी सिफारिशों के परिणामों का आकलन करना;
- ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं के क्षेत्र स्तरीय समाधानों का पता लगाना ;
- अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे उत्पादकों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रभावी रणनीति सुझाना; तथा

- विकास उद्देश्यों की प्राप्ति और वैकल्पिक लागत प्रभावी कार्यक्रम के हस्तक्षेप के प्रस्ताव के लिए नवीन विचारों का अनुभव करना।

3.9.2 कार्य अनुसंधान के विषय और क्षेत्र

समकालीन अनुसंधान के निष्कर्षों और वर्तमान मुद्दों / समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए, एनआईआरडीपीआर कार्य अनुसंधान के लिए कई विषयों पर केंद्रित है। 2018-19 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर बल दिया गया :

- क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण
- गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) का मूल्यवर्धन
- डेयरी विकास
- मजदूरी रोजगार
- आपदा प्रबंधन
- सहभागी योजना
- भू-संसूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग
- जेंडर
- आजीविका को बढावा

शिनाख्त किए गए व्यापक विषयों में, विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को चुना जाता है। कार्य अनुसंधान के विशिष्ट केंद्रित क्षेत्र थे:

- एसएचजी सदस्यों का सशक्तिकरण
- मजदूरी मांग को संग्रहित करना और सशक्त बनाना
- लोगों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भागीदारी योजना का प्रचार
- सहभागी आपदा तैयारी और प्रबंधन
- एनटीएफपी के अतिरिक्त मूल्य पर क्षमता विकास द्वारा जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना।

3.9.3 कार्य अनुसंधान टूल और तकनीक

कार्य अनुसंधान के भाग के रूप में, व्यक्तिगत संपर्क, क्षमता-निर्माण और जागरूकता सृजन, उपयुक्त कौशल विकास और उन्नयन के माध्यम से लक्षित समुदाय को संवेदनशील बनाने के तरीके, भागीदारी कार्रवाई के लिए समुदाय को जुटाना, सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर सर्वेक्षण, भागीदारी ग्रामीण विकास (पीआरए) तकनीक आंकडा संग्रहण, फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आदि को अपनाया जाता है।

3.9.4 आयोजित कार्य अनुसंधान अध्ययन :

3.9.4.1 कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ प्रोसेस का उपयोग करके रूफ टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और पेवर ब्लॉक का डिजाइन और विकास

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी घर निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता रहा है। उनमें से कंप्रेस्ड मड ब्लॉक्स (सीएमबी) का उपयोग बहुत लोकप्रिय है। अब तक, कंप्रेस्ड मड ब्लॉक्स (सीएमबी) जो अपने व्यापक अभिग्रहण के कारण लोकप्रिय हो गए हैं, उन्हें बनाने के लिए मैनुअल कंप्रेशन की अपनी सीमा है। इस बाधा को दूर

करने के लिए, एक मशीनीकृत प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता होती है और मड़ ब्लॉकों, पेवर्स और टाइलों आदि की नवीन रेंज के उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आरटीपी भागीदारों के साथ मिलकर एक अनुसंधान परियोजना शुरू की गई, जिसमें कम्प्रेस्ड स्टेबिलाईज्ड अर्थ प्रोसेस का उपयोग किया गया।

परियोजना में मड़ ब्लॉक, पेवर्स और टाइलों की अभिनव श्रेणी का उत्पादन किया गया है, जिसका कम्प्रेस्ट स्टेबिलाईज्ड अर्थ प्रोसेस का उपयोग करके निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी के साथ 8-10% सीमेंट का उपयोग करके मड़ ब्लॉक, छत टाइल, फर्श टाइल और पेवर ब्लॉक बनाने में मदद करेगी और कम लागत पर लोगों के निर्माण स्थलों तक हाइड्रोलिक संपीड़न मशीनें सही ढंग से काम करेगी। परियोजना के प्रारंभिक परीक्षणों में घरों की दीवार, रास्ते के लिए पक्की सड़कें और टाइल्स के लिए मड़ के ब्लॉक विकसित करने में बहुत ही आशाजनक परिणाम सामने आए हैं, जिनका उपयोग फर्श टाइल के साथ-साथ कंक्रीट छत के स्लैब में छत भराव सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ग्रामीण उद्यमियों विशेषकर महिलाओं के न्यूनतम निवेश के साथ विकेन्द्रीकृत स्तर पर मिट्टी के ब्लॉक, पेवर्स और टाइल्स के संचालन और विपणन में मदद कर सकती है। निर्माण क्षेत्र में यह प्रयास सामान्य ईंटों और टाइलों के उपयोग से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने में भी योगदान देगा। कार्य अनुसंधान परियोजना के परिणाम नीचे सूचीबद्ध हैं:

- मड़ के ब्लॉक, पेवर्स और छत टाइलों के हाइड्रोलिक मशीन और मोल्ड्स के प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं और उनकी क्षमता और प्रक्रिया में सुधार के लिए परीक्षण किया जा रहा है।
- महिलाएँ अभिनव हाइड्रोलिक मशीन चला सकती है और मानव परिश्रम को कम कर सकती है तथा इकाइयों को स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजी लागत को भी कम कर सकती है।
- प्रारंभिक क्षेत्र परीक्षण से पता चलता है कि मिट्टी ब्लॉक के साथ पेवर्स और छत टाइल का उत्पादन करने के लिए स्टेबिलाईज्ड़ अर्थ प्रोसेस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।
- किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि हाइड्रोलिक कम्प्रेशन मशीन के उपयोग से उच्च गुणवत्ता की फ्लाई ऐश ईंटों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे यह दोहरी उद्देश्य वाली मशीन बन जाती है।

एक बार जब हाइड्रोलिक मशीन स्थापित हो जाती है और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रणालियों के लिए उनकी उपयुक्तता के संदर्भ में उत्पादों का परीक्षण करने के बाद, उसका व्यवसायीकरण किया जाएगा और देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा।

3.9.4.2 स्क्वाट शौचालय के यूजर इंटरफेस को अनुकूलन करने के लिए स्क्वाट टेस्ट

यूरोपीय प्रकार के यूरिन डाइवर्जन टॉयलेट पैन को स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी

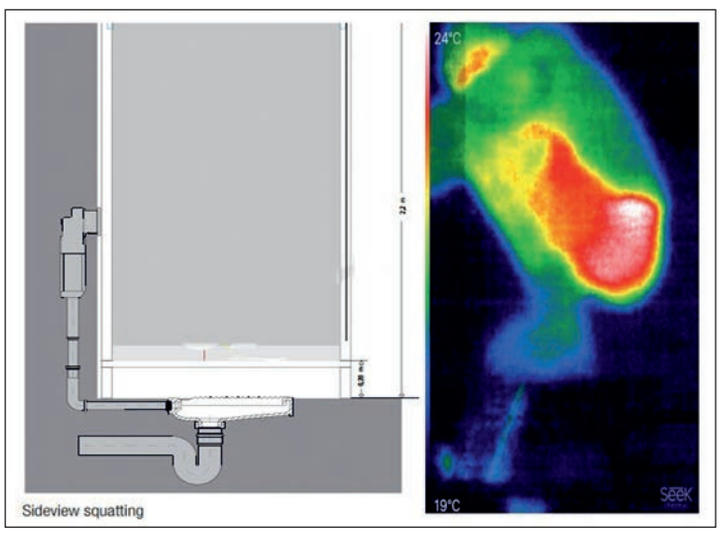

(ईवाग) द्वारा विकसित किया गया है ताकि यूरिन को अलग किया जा सके, मानव यूरिन से पोषक तत्वों को पुनर्प्राप्त किया जा सके, अपशिष्ट जल उपचार क्षमता में वृद्धि की जा सके और समग्र जल खपत को कम किया जा सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूरोप के विभिन्न भागों में यूरोपीय प्रकार के यूरिन डायवर्जन टॉयलेट पैन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, विकासशील देशों में इन प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए कोई स्क्वाटिंग प्रकार का टॉयलेट पैन उपलब्ध नहीं है, जहां अधिकांश लोग स्क्वाटिंग प्रकार के शौचालयों का उपयोग करते हैं। इसलिए, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दी गई एक परियोजना के तहत एवाग, स्विट्जरलैंड और ईओओएस डिजाइन ऑस्ट्रिया के समर्थन से बॉडी पोस्चर और शौचालय के उपयोग में संबंध को समझने पर एक औपचारिक शोध किया गया।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में, विभिन्न बीएमआई और आयु वर्ग के साथ उपयोगकर्ताओं के अज्ञात थर्मल इमेजिंग एकत्र करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि यूरिन करने की मुद्रा, उसके प्रवाह और धोने के पानी के संग्रह की एक व्यापक तस्वीर प्राप्त की जा सके। परीक्षण सेट-अप में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा शामिल है जिसमें एक तिपाई पर एक आईफोन और टॉयलेट पैन के बराबर खुला मंच और कैमरे के बीच गैर-पारदर्शी फिल्म का एक भौतिक अवरोध और एक सामान्य स्क्वाटिंग प्रकार में स्थापित स्क्वाटिंग पैन के साथ शौचालय प्लेटफॉर्म शामिल है। डेटा एकत्र करने के लिए एक महीने 20 स्वयंसेवकों के सहयोग से परीक्षण किए गए थे। कार्य अनुसंधान परियोजना के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- किए गए परीक्षणों से यूरिन करने की मुद्रा, स्क्वाटिंग पैन पर इसका प्रवाह और पैन में धोने के पानी के संग्रह को सक्षम किया गया।
- एकत्र आंकड़ों के आधार पर, ईओओएस डिज़ाइन द्वारा यूरिन पृथक्करण के साथ एक नया स्क्वाट टाइप टॉयलेट पैन विकसित किया गया है।
- इस नये यूरिन डायवर्ट स्क्वाट टाइप पैन का भारत में परीक्षण एन आई आर डी पी आर की सहायता से किया जाएगा।

3.9.4.3 स्कूल में लड़कियों के शौचालयो की स्थिति में सुधार के लिए एक जल रहित यूरिन प्रणाली का डिजाइन और विकास

स्कूलों में लड़कियों के लिए उपलब्ध शौचालयों की वर्तमान मानक डिजाइन में एक खुली नाली से जुड़ी एक स्क्वाटिंग प्लेट होती है, जो निपटान के लिए शौचालयों से एकत्र यूरिन को बाहर निकालती है। कुछ स्थानों पर, केवल एक खुले नाले से जुड़े एक सीमेंटेड प्लेटफार्म का उपयोग शौचालय के रूप में किया जा रहा है। कुछ मामलों में, महिलाओं के लिए एक शौचालय के उपयुक्त डिजाइन के अभाव में, उनके द्वारा यूरिन के लिए पारंपरिक शौचालय का उपयोग किया जाता है। एक उचित शौचालय पैन न होने से, यूरिन और खुले नालियों में मौजूद यूरिन से अमोनिया के कारण यूरिनल में हमेशा बहुत अधिक मात्रा में दुर्गंध होती है जिससे ये जुड़े होते हैं। इसके अलावा, इस प्रकार की व्यवस्था के कारण लड़कियों के शौचालय में बहुत सारा पानी बर्बाद हो रहा है।

रूरल टेक्नोलॉजी पार्क, एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए इस कार्य अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य एक नोवल अंडर ट्रैप से सज्जित एक प्रकार का यूरिनल पैन विकसित करना है जो लड़कियों के शौचालय में पानी रहित सुविधा और शौचालयों में लड़कियों को बदबू रहित वातावरण प्रदान करता है। इस परियोजना के तहत, उथले गहराई के साथ एक नोवल स्क्वाटिंग पैन यूरिन को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने और सामान्य शौचालयों के समान एक जल निकासी पाइप के माध्यम से बंद करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, लड़कियों के शौचालय में गंध को रोकने में सक्षम करने के लिए क्यूरटेल्ट झिल्ली तकनीक का उपयोग करके एक केन्द्रीकृत गंध जाल विकसित किया जा रहा है, जिसमें संभवतः यूरिन के साथ उच्च आकार के कण प्राप्त होते हैं। कार्य अनुसंधान परियोजना के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- उथले यूरिनल पैन डिज़ाइन का एक प्रोटो-प्रकार जो एक भूमिगत जल निकासी लाइन से जुड़ा हो सकता है और साथ ही एक गंध जाल के साथ तय किया गया है।
- नोवल कर्टेल्टेड मेम्ब्रेन प्रकार गंध जाल विकसित किया जा रहा है और इसकी क्षमता के लिए परीक्षण किया गया है।
- विकसित डिजाइन स्थापित किया जाएगा और गंध नियंत्रण, कण आकार के प्रवाह और उपयोगकर्ता की सुविधा के मामले में इसकी क्षमता के लिए परीक्षण किया जाएगा।
- शौचालय का यह डिज़ाइन लड़कियों के शौचालय में कम दुर्गंध को कम करेगा, फ्लश के लिए उपयोग किए जाने पानी की बचत, अपशिष्ट जल उपचार दक्षता में सुधार और मानव यूरिन से पोषक तत्वों का एकत्रित करेगा।

3.9.4.4 "ग्रामीण परिवारों के कृषि संकट को मापना और उसका समाधान करने की रिपोर्ट तैयार करने पर कार्य अनुसंधान परियोजना"

देश में कृषि संकट के लिए कृषि परिवारों में निश्चितता प्रमुख कारण है। हालांकि, कृषि घरों में संकट केवल तब दिखाई देता है जब संकट से संबंधित प्रकरणों की एक श्रृंखला जैसे कि जानवरों को बेचना, प्रवासन या चरम मामलों जैसे कि आत्महत्या करना दिखाई देते है। वर्तमान में राहत कार्यो का स्वरूप अस्थाई और कार्योत्तर मंजूरी देना है। यह कार्य अनुसंधान परियोजना, एसएचजी / वीओ जैसी पंचायत और स्थानीय संस्थाओं द्वारा एक गांव में संकटग्रस्त परिवारों की सक्रिय पहचान कर राहत प्रदान करने पर आधारित है। इसका

उद्देश्य गांव में संकटग्रस्त परिवारों की पहचान करने और उनको राहत पहुँचाने के लिए ग्राम संगठनों के लिए मानक प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं विकसित करना है। गाँव में एसएचजी सदस्यों को महीने में एक बार एक विशेष बैठक आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने सदस्यों की जरूरतों और पारिवारिक मुद्दों पर चर्चा कर सकें और परिवार संगठन में संकट के किसी भी चरम मामले के बारे में ग्राम संगठन सामाजिक कार्य समिति (वीओ-एसएसी) को सतर्क कर सकें। । वीओ सैक के सदस्य उन मुद्दों का समाधान कर रहे है जिनका वे अपने स्तर पर समाधान कर सकते थे और जिन मुद्दों का वे अपने स्तर पर समाधान नहीं कर सकते थे, उन्हें ग्राम पंचायत - सामाजिक कार्य समिति (जीपी-एसएसी) के सदस्यों के पास भेजा जा रहा है। रजिस्टर में एसएसी और जीपीपी - एसएसी दोनों बैठकों की मासिक कार्यवाही दर्ज की जा रही है। सामाजिक कार्य समितियाँ संकटग्रस्त परिवारों के लिए गाँवों में 'प्रथम उत्तरदाताओं' का कार्य कर रही हैं। इस परियोजना से संकटग्रस्त परिवारों की पहचान करने और समय पर राहत प्रदान करने के लिए गांवों में सामाजिक कार्य समितियों से दिशानिर्देश और प्रक्रिया तैयार करने की उम्मीद है। इस परियोजना में हर राज्य में सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी (एसईआरपी), ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से स्केलिंग की गुंजाइश है।

सामाजिक कार्य समिति की बैठक

3.9.4.5 100 + क्लस्टर विकास कार्यक्रम के माध्यम से कार्य अनुसंधान परियोजना

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन ने 11 वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के आधार पर पंचायतों को स्व शासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए इसे अनिवार्य बना दिया। लेकिन, इस तरह के प्रावधानों के बावजूद, देश भर में अधिकांश पंचायतों को अभी स्व-सरकार के संस्थानों के रूप में विकसित होने और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए गुणवत्तापूर्ण योजना तैयार और लागू करने में समय लगेगा। इस अक्षमता के पीछे मुख्य कारण उनकी संस्थागत क्षमता की कमी और मॉडल के रूप में अनुवर्ती उदाहरणों में कमी है। इसे देखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने पड़ोसी ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) को "अभ्यास स्कूलों" का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से देश भर में सफलता के उदाहरण हेतु एक "100+ क्लस्टर विकास कार्यक्रम" शुरू किया जिसे इस कार्य अनुसंधान परियोजना के तहत तयार किया गया है। यह पंचायती राज मंत्रालय और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए जन योजना अभियान का पूरक होगा, 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक सबकी योजना सबका विकास के तहत 2 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार्य अनुसंधान परियोजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य 19 महत्वकांक्षी जिलों में ज्यादातर मिशन अंत्योदय जीपी के 100+ क्लस्टर में सतत विकास के लिए पेशेवर जीपीडीपी को सक्षम करना था। यह तकनीकी मार्गदर्शन और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने और सच्ची भावना से उनकी योजनाओं को लागू करने में मदद करने, याचिका का पालन करने के लिए अन्य ग्राम पंचायत को प्रेरित करने के लिए हासिल किया जाता है।

परियोजना ने राज्य पंचायती राज विभागों के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना की है, जो जीपीडीपी और एमएसओ / एनजीओ / कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए एसआईआरडी और पीआर / नोडल संस्थानों को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम से (अपने सीएसआर कार्यों के माध्यम से) परियोजना को सक्षम बनाया जाएगा : स्व शासन का मजबूत संस्थानों के रूप में उभरने के लिए ग्राम पंचायत परियोजना को सक्षम बनाने तथा नियोजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण समर्थन के माध्यम से उनके विजन को व्यापक बनाना; पेशेवर जीपीडीपी तैयारी और प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में गुणवत्ता वाले जीपीडीपी के प्रदर्शनकारी उदाहरणों को "अभ्यास स्कूलों" के रूप में बनाने की सुविधा प्रदान करना; विभिन्न योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण की सच्ची भावना को प्राप्त करने के लिए और इस 3 वर्षों की परियोजना के माध्यम से बड़े सामाजिक / आर्थिक रिटर्न की सुविधाएं देना।

गुणवत्ता जीपीडीपी की सक्षमता के लिए कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए प्रारंभिक चरण

निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए वर्ष 2018-19 एक प्रारंभिक चरण था: (क) राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ कार्य अनुसंधान परियोजना के लिए गुणवत्ता वाले जीपीडीपी को सक्षम करने के लिए सहभागिता; (ख) युवा अध्येता के नौकरी के प्रोफाइल को अंतिम रूप देना - ग्राम पंचायत के क्लस्टर्स को अनुभव सहायता प्रदान करना, एक राज्य और प्रसिद्ध पंचायत नेताओं के बीच सभी हितधारकों की गतिविधियों के समन्वय के लिए कार्यक्रम समन्वयक; तथा चयनित क्लस्टर्स के तहत ग्राम पंचायत को प्रेरित करना (ग) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों सहित सभी संबंधितों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन, लेन-देन नियमावली और शिक्षण सामग्री सहित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना; (घ) कॉर्पोरेट तथा अन्य समानांतर क्षेत्र सहयोग के लिए परियोजना प्रस्तावों के विकास के लिए प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समेकन; आदि।

2018-19 के दौरान प्रमुख कार्यक्रम

कार्य अनुसंधान परियोजना के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में इस प्रकार रहे:

क) विचार भंडार सहित 06 अगस्त 2018 को एनआईआरडीपीआर में एक परामर्शी कार्यशाला आयोजन शामिल है जिसमें वरिष्ठ काम करने वाले और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, कॉर्पोरेट अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों और अन्य लोगों के साथ परोपकारी संगठनों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

ख) एनआईआरडीपीआर में मुख्य परियोजना प्रबंधन यूनिट की स्थापना, जिसमें एक परियोजना अग्रणी परामर्शदाता, एक एसोसिएट प्रोफेसर, तीन परियोजना सहयोगी, कुछ राज्यों में काम करने वाले दो कार्यक्रम समन्वयक और अन्य परामर्शदाता शामिल है।

ग) 2 अक्टूबर 2018 को ग्वालियर में कार्य अनुसंधान परियोजना का औपचारिक शुभारंभ।

घ) परियोजना के लिए साझेदार संस्थानों के रूप में कार्य करने वाले आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

ङ) परियोजना के लिए एक भागीदार संस्थान के रूप में कार्य करने वाले मिशन समृद्धि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

च) परियोजना के तहत सहयोगात्मक कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ।

छ) 22-23 अक्टूबर, 2018 को राज्य पंचायती राज विभागों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जीपीडीपी पर कार्य अनुसंधान परियोजना पर परामर्शी कार्यशाला।

ज) 26-27 अक्टूबर, 2018 को एनआईआरडी पीआर में आयोजित देश भर से आमंत्रित 160 प्रसिद्ध पंचायत नेताओं के साथ एक सेमिनारआयोजित।

झ) 31 अक्टूबर 2018 को पश्चिम बंगाल में परियोजना ग्राम पंचायत के साथ एक प्रत्यक्ष अभिमुखीकरण।

ञ) 11-12 दिसंबर 2018 को झारखंड में परियोजना ग्राम पंचायत के साथ एक प्रत्यक्ष अभिमुखीकरण।

ट) 17-18 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र में परियोजना ग्राम पंचायत के साथ एक प्रत्यक्ष अभिमुखीकरण।

ठ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, मिशन समृद्धि और कुछ अन्य संगठनों के साथ परियोजना के तहत सहयोगात्मक कार्यों के संबंध में बातचीत शुरू करना।

3.10 ग्राम अभिग्रहण

अनुसंधान और कार्य अनुसंधान के आधार पर मॉडल और कार्यान्वयन तंत्र के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, संस्थान ग्राम अभिग्रहण अध्ययन कर रहा है। इन अध्ययनों का उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संकाय सदस्यों की क्षमता को बढ़ावा देना ग्राम अभिग्रहण अध्ययन के माध्यम से तथा विशेष रूप से कार्य अनुसंधान पहल को किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता को समझने, सामूहिक कार्रवाई के लिए समुदाय को जोडने के मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना हैं; तथा विकास प्रशासन और गांवों के बीच की दूरी को कम करना; सतत विकास की सुविधा देना हैं। यह प्रयास भी संकाय सदस्यों को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को स्वयं समझने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में, संकाय सदस्यों को, विशेष रूप से देश भर के पिछड़े जिलों से गांवों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3.10.1 ग्राम अभिग्रहण की प्रक्रिया

संकाय सदस्यों को गाँव के आकार और प्रचलित विशिष्ट पिछड़ेपन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट गाँव / गाँव समूहों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गाँव / गॉवो के चयन पर, नामित संकाय सदस्य को गाँव की रूपरेखा और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों आदि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, गाँव को समझने की शक्ति के साथ संकाय सदस्य स्थानीय सरकारी एजेंसियों से आवश्यक हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बनाते हैं।

29 राज्यों से लगभग 150 गांवों को ग्राम अभिग्रहण योजना के तहत चुना गया था। विस्तृत सूची परिशिष्ट - V में संलग्न है।

3.11 परामर्शी अध्ययन

संकाय सदस्यों में उपलब्ध विशेषज्ञता और संस्थान द्वारा व्यापक ध्यान देने के कारण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट क्षेत्र के संगठन विशिष्ट उद्देश्य उन्मुख अनुसंधान अध्ययन, मूल्यांकन अध्ययन आदि करने के लिए एनआईआरडीपीआर से संपर्क करते हैं। इन अध्ययनों को परामर्शी अध्ययनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है इस संबंध में कुछ ग्राहक समूह पंचायती राज मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, आंध्र प्रदेश सरकार, केरल सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, एसएसी-इसरो, एनआरएससी / इसरो, वर्ल्ड विजन इंडिया, एससी, कल्याण निदेशालय, नाबार्ड, धन फाउंडेशन, आदि के कल्याण निदेशालय विभाग से हैं।

परामर्शी अध्ययन शुरू करने की प्रक्रिया संस्थान के प्रत्येक केंद्र के पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर आधारित है। अध्ययन की अनिवार्यता को देखते हुए, प्रत्येक केंद्र प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इन अध्ययनों को करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 2018-19 से पहले किए गए 31 प्रचलित अध्ययनों के काम को जारी रखने के अलावा 16 नए परामर्शी अध्ययन किए गए थे। कुल मिलाकर 47 अध्ययनों में से 12 पूर्ण हुए जबकि 35, अध्ययन अभी भी जारी हैं। सार को चित्र 2 में दिया गया है। अध्ययनों की विस्तृत जानकारी को परिशिष्ट - IV, VII से VIII में प्रस्तुत किया गया है। सभी 29 राज्य को विभिन्न अध्ययों में कवर किया गया हैं।

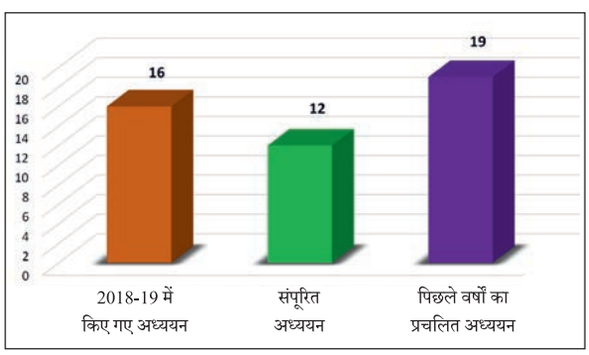

चित्र-2: परमार्शी अध्ययन 2018-19 की स्थिति

संपूरित परामर्शी अध्ययन के परिणामों का एक संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है:

3.11.1: कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या - स्थानिक राज्यों का एक ऐतिहासिक अध्ययन - मुद्दे और समस्यायें।

देश में विकास के पिछले सात दशकों में महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र में होने वाली एक दुखद घटना यह है कि कुछ कृषि विकसित राज्यों में किसान आत्महत्या की सबसे अधिक घटनाएँ हुई हैं। किसान आत्महत्याओं के लिए कई कारक उत्तरदायी है जैसे – मिट्टी में रासायनिक निवेशों

का अंधाधुंध उपयोग, वित्तीय बोझ, व्यक्तिगतता और किसानों का सीमान्तीकरण आदि कई कारक है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। इसलिए, कृषि क्षेत्र में कोई भी प्रतिकूलता ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं जैसे ग्रामीण सड़कों, मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों, ग्रामीण संस्थाओं आदि पर लागू होता है। किसान आत्महत्याएं एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक लागत है जिससे देश प्रभावित हो रहा है। देश में कृषि क्षेत्र की व्यापक प्रकृति को देखते हुए, इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सभी प्रणालियों की समझ के साथ कृषि संकट का एक समग्र परिप्रेक्ष्य संभव है। इस समझ को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) को एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

अध्ययन में पाया गया है कि कृषि में सार्वजनिक निवेश में गिरावट आई है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी कृषि के आधार पर कार्यबल में गिरावट की तुलना में तेजी से घट रही है। अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के साथ कम श्रम शक्ति उत्पादकता भी देखी गई। अध्ययन में प्रधानमंत्री बीमा योजना सहित फसल बीमा के तहत कम कवरेज का भी पता चला है। अध्ययन द्वारा पहचानी गई कुछ मुख्य समस्याएं है - i) आश्रित परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या; ii) अनौपचारिक किरायेदारी के साथ भूमि के आकार को बढ़ाने के प्रयास; iii) खराब परिसंपत्ति आधार; iv) कई आजीविका का अभाव और v) उच्च गैर-संस्थागत उधार शिनाख्त की गई दूसरे क्रम की समस्याएं है। i) सिंचाई पर सार्वजनिक निवेश में गिरावट ii) भूजल पर निजी निवेश में वृद्धि; iii) नीति, अभ्यास और विस्तार प्रणालियों के बीच लिंक गायब; iv) ग्रामीण परिवारों की खराब (सड़कें) और सामाजिक संपर्क में कभी और v) रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का सीमित उपयोग।

अध्ययन में पाया गया है कि सरकारी प्रयासों ने अब तक ऋण राहत योजनाओं के माध्यम से राहत देने की कोशिश की है जो पहले आदेश के तहत आते हैं और प्रकृति में अल्पावधि हैं। जैसा कि किसानों का संकट अकेले कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे विकास क्षेत्र के लिए है, दूसरे क्रम की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे भौतिक और मानव संसाधनों और कृषि क्षेत्र के सामाजिक पूंजी आधार को सुदृढ़ करें। । अध्ययन में कृषि, किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नाबार्ड और आरबीआई सहित विशिष्ट राज्यों, मंत्रालयों और विभागों के लिए कार्रवाई-विशिष्ट सिफारिशें दी गई हैं।

3.11.2: बिहार में कृषि-उद्यमशीलता पहल का मूल्यांकन

भारत में एग्रीबिजनेस की स्थितियां, उपभोक्ता वरीयताओं को बदलने और आय में वृद्धि परिवार के भोजन में बदलाव करना जैसे महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रही है। जबकि कृषि जीडीपी को उच्च मूल्य उत्पादन (एचवीपी) के पक्ष में मापा जाता है, श्रम की तीव्रता, त्वरित रिटर्न और महिलाओं की उच्च भागीदारी की प्रकृति वाला यह खंड छोटे और सीमांत किसानों द्वारा तेजी से संचालित होता है। सिन्जेंटा फाउंडेशन इंडिया (एसईएफआई) का एई कार्यक्रम - एसआरएलएम-एनआईआरडीपीआर सहयोगी पहल, ग्रामीण कृषि-उद्यमियों का एक कैडर विकसित करता है, जो 4-5 गांवों के क्लस्टर में न्यूनतम 150-200 किसानों के साथ काम करता है और "एक कदम पर संसाधन प्रदाता" छोटे किसानों की कृषि जरूरतों के लिए संसाधन प्रदाता के रूप में कार्य करता है कृषि-उद्यमी (एई) एक साथ किसानों के एक समूह के लिए ऋण और बाजार लिंकेज, उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंच और फसल सलाहकार जैसी सेवाएं देते हैं। देश भर के छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचने और छोटे और सीमांत किसानों की आय में सुधार के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की क्षमता को देखते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के कृषि अध्ययन केंद्र (एनआईआरडीपीआर) ने समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए एसएफआई के साथ सहयोग किया और फंडिंग एजेंसियों को फीड बैक प्रदान किया। इस संधर्भ में "बिहार में कृषि उद्यमिता के मूल्यांकन" पर अध्ययन किया गया।

ए ई के उद्देश्यपूर्ण स्तरीकृत रैंडम नमूने और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत ने कार्यक्रम के निष्पादन, लाभ, शक्ति और कार्यक्रम की चुनौतियों के प्रति 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य के विकास को सक्षम किया। अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि, ए ई जो अपनी खुद की खेती के साथ ग्राम स्त्रोत व्यक्तियों (वीआरपी) के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें दूसरों की तुलना में उद्यमशीलता पर तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है। गांवों में अच्छी संख्या में एई की स्थिति के अनुसार, अभिनव सेवा वितरण वास्तुकला में रोजगार की बहुत अच्छी गुंजाइश है। कृषि उपज की खरीद के दौरान किसानों के लिए समूह आधारित ऋण आयोजित किया जा सकता है। कार्यक्रम के विकास के लिए शिनाख्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योगदान कारक अन्य स्थानीय लाइन विभागों के साथ अभिसरण की सुविधा प्रदान कर रहा है जो एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। लाइसेंस और क्रेडिट प्राप्त करने में व्यावसायिक कार्यों के लिए सड़क ब्लॉक ए ई एक महत्वपूर्ण बाधा थी। क्रेडिट और लाइसेंस पर त्वरित सुविधा के लिए राज्य स्तर का समर्थन आवश्यक है। एई को अपनी सेवाएं जल्दी शुरू करने में मदद करने के लिए बीज धन को अग्रिम भुगतान बनाना। मॉडल अपने उद्देश्य की पहुंच में है और बड़े पैमाने पर है, स्केलिंग के लिए गुंजाइश है, बशर्ते कि प्रत्येक स्तर पर सही समर्थन सिस्टम उपलब्ध है जब तक कि वे अधिक निष्पादक की स्थिति तक पहुंच नहीं जाते।

बिहार में कृषि-उद्यमीकर्ताओं की बैठक

3.11.3: पुराने काले बक्से के लिए नई कुंजी: ऊर्जा व्यय को मापते हुए पोषण आकलन में सुधार करने के तरीके विकसित करना

कई दशकों से भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में ग्रामीण परिवर्तन प्रक्रियाएँ जारी हैं। हालाँकि, इस बात का थोड़ा सा अनुभव है कि इन प्रक्रियाओं ने ग्रामीण आजीविका में गतिविधियों के पैटर्न और तीव्रता को कैसे बदल दिया है। यद्यपि कृषि-पोषण संयोजन ने साहित्य में बहुत अधिक ध्यान दिया है, ग्रामीण विकास के हस्तक्षेप से पोषण की स्थिति में परिवर्तन के माध्यम से भौतिक क्रियाकलाप पर प्रभाव और मानवीय ऊर्जा व्यय का अधिक न होना है जिसका कारण संभवतः डेटा की कमी हो सकता है । इसके विपरीत वित्त पोषण में एनआईआरडीपीआर, के कृषि अध्ययन केन्द्र ने रीडिंग विश्वविद्यालय यूके के साथ मिलकर "पुराने काले बक्से के लिए नई कुंजी: नवोन्मेषी मेट्रिक्स एवं कृषि और पोषण कार्यो के लिए पद्धतियों के तहत ऊर्जा व्यय के मापते हुए पोषण मूल्यांकन में सुधार हेतु पद्धतियों का विकास पर एक अध्ययन किया है । इस अध्ययन ने तेलंगाना, भारत में

मामला अध्ययनों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, ग्रामीण विकास के ग्रामीण आजीविका की प्रक्रिया में अधिक गहन शारीरिक क्रियाकलापों के लिए कम गहनता के प्रतिस्थापन - की कमी के प्रभाव की जांच की। इस अध्ययन की एक अभिनव विशेषता यह है कि पहनने योग्य एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करके विश्वसनीय ऊर्जा व्यय प्रोफाइल को प्राप्त करना है, ऊर्जा व्यय, समय-उपयोग और भोजन ग्रहण पर एक साथ मजबूत डेटा लाना है, जो ग्रामीण आबादी के अवलोकन संबंधी अध्ययनों में संभव नहीं है। परिणामों से पता चलता है कि दुरूहता में कमी का मानव ऊर्जा (कैलोरी) आवश्यकताओं पर बड़ा प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों में पोषण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। शराबी की कमी के प्रभावों का एक महत्वपूर्ण जेंडर आयाम है और घरों की सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं और पुरुषों एवं महिलाओं की प्रारंभिक (अंडर / ओवर) पोषण की स्थिति में भिन्न होती है। परिणाम बताते हैं कि ग्रामीण विकास के हस्तक्षेप के डिजाइन को ऊर्जा व्यय मार्ग के माध्यम से पोषण पर पड़ने वाले प्रभावों पर स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए दुरूहता में कभी एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान कर सकता है।

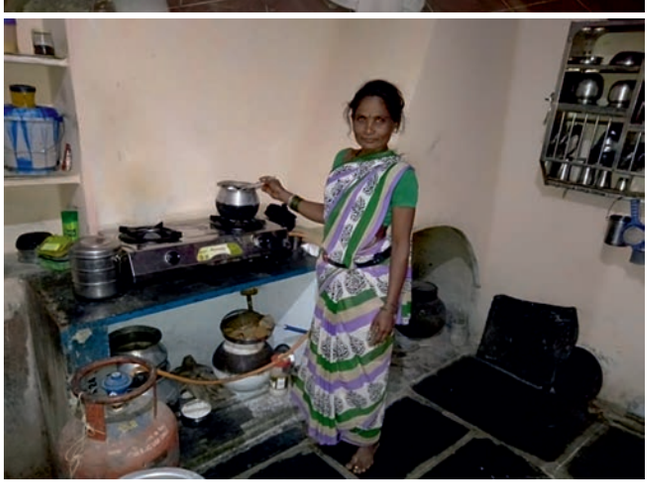

एक्सीलरोमीटर पहने हुए उत्तरदाता

3.11.4: आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा कार्यान्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में स्नातक मॉडल का प्रभाव

सबसे गरीब लोगों को लक्षित करना सबसे गरीब स्नातक कार्यक्रम के मिशन उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में सबसे पहला कदम है। गरीबों की सहायता के लिए परामर्शी समूह, अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने और स्थायी आजीविका में जुडने के उद्देश्य से स्नातक कार्यक्रमों को लागू करने वाले लोगों के वैश्विक समुदाय का हिस्सा है। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, 'बाल केंद्रित गरीबी' के विषय पर काम करने वाली सबसे बड़ी बहुपक्षीय दाता एजेंसियों में से एक है। यह सीजीएपी-बीडीआई - फोर्ड फाउंडेशन ग्रेजुएशन प्रयोगों से प्राप्त 3 महाद्वीपों के 34 देशों में ग्रेजुएशन मॉडल (जीएम) को लागू कर रहा है। वर्ल्ड विजन इंडिया, भारत में फ्रंट रैंकिंग एनजीओ (डब्ल्युवीआई) है, जिसने सीजीएपी- बीआरएसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और फोर्ड फाउंडेशन ग्रैजुएशन मॉडल के मूल मॉडल को सूक्ष्मता से लागू करते हुए देश भर में `` भारतीय परिस्थितियों का संदर्भ देते हुए पूरे देश में ग्रेजुएशन मॉडल लागू किया है। भारत में डब्ल्युवीआई ने 3 राज्यों में 10 एडीपी को कवर करते हुए अपकमिंग मोड में ग्रेजुएशन मॉडल को अपनाया है। क्षेत्र विकास कार्यक्रम डब्ल्युवीआई की क्षेत्र प्रशासनिक इकाई है और डब्ल्युवीआई द्वारा परिकल्पित सभी कार्यक्रमों को एडीपी के माध्यम से लागू किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि डब्ल्यूवीआई द्वारा लागू किए जा रहे जीएम मॉडल के हस्तक्षेप से उन उद्देश्यों का एहसास हो सकता है जिनके साथ जीएम मॉडल की कल्पना, योजना और क्रियान्वयन किया गया है। अध्ययन आंध्र प्रदेश राज्य के 3 अलग-अलग तटीय जिलों में स्थित 3 क्षेत्र विकास कार्यक्रमों (एडीपी) में आयोजित किया गया था। पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा का जयन उद्देश्य सहित किया गया । मूल्यांकन अध्ययन में कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें आजीविका गतिविधियाँ, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक और जंडर विकास और वित्तीय समावेशन एवं राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण शामिल हैं। अध्ययन

अति-गरीब स्नातक कार्यक्रम के लाभार्थी

कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विशिष्ट सिफारिशों के एक सेट के साथ संपन्न हुआ है। प्रमुख सिफारिशों में क्षमता निर्माण पर जोर देना, अधिक स्थायी गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान घरेलू स्तर पर गहन अनुभव पाना शामिल है।

3.11.5 स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विजयनगरम जिले के गुरलामंडल में चयनित जलाशयों का मूल्यांकन और परिवर्तन का पता लगाना

कृषि के प्रमुख क्षेत्र भूजल स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जो सतही जल की अपर्याप्तता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण, आवंटन और वितरण को बेसिन परिक्ष्य से देखना आवश्यक है। परंपरागत रूप से, जल क्षेत्र में, ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान व्यक्तिगत प्रणालियों या समुदायों पर केंद्रित किया गया है। इस फोकस को पानी के लिए प्रतिस्पर्धा के व्यापक मुद्दों से निपटने के लिए बदलना होगा, खासकर अच्छी गुणवत्ता वाले पानी के लिए। जल संसाधनों का समुचित उपयोग सतह और भूजल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करता है और इस प्रकार पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुरक्षित और बेहतर बनाता है। सतही जल और भूजल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है जो बढ़ती आबादी की कृषि, औद्योगिक, ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा में मदद करता है। सिंचाई की संभावित परियोजनाएँ 1956 से पहले विकसित की गई हैं और ये मामूली अयाकट्स हैं। ये तालाब खरीफ और रबी में सिंचाई सहायता प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से, तालाबों का निर्माण स्थानीय वर्षा और नदी के जल का संचय कृषि

क्षेत्र स्तरीय फ़ोटो

उपयोग के लिए तथा जल संग्रह क्षेत्र से ढलान से बहते पानी को एकत्र करने के लिए किया गया। यह वर्तमान अध्ययन धन फाउंडेशन के लिए हुआ है, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर विभिन्न जलाशयों के कैस्केड का कार्यान्वयन किया है और विजयनगरम जिले के गुरला मंडल में एमजीएनआरजीएस के तहत किए गए छिद्रीकरण को ठीक किया है। उन कैस्केड और गाद को हटाना, तालाबों की स्थानिक तकनीक का मूल्यांकन और परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, अर्थात्, दूर संवेदी और जीआईएस का उपयोग कार्य करने से पहले और बाद में भूमि उपयोग और भूमि कवर परिवर्तन को समझने के लिए किया गया है। विकास पद्धति ने उपग्रह-आधारित जल सूचकांक यानी संशोधित सामान्यीकृत अंतर जल सूचकांक (एमएनडीडब्ल्युआई) का उपयोग करके चयनित पानी के जलाशयों के आसपास पानी के प्रसार क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए प्रदान किया है। इसके अलावा, अध्ययन ने गाद हटाने से पहले और बाद में सामान्यीकृत अंतर जल सूचकांक

विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों और परियोजना कार्यान्वयन टीम के साथ विचार-विमर्श और सहभागिता सत्र।

धन फाऊण्डेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला जिसमें पदाधिकारी, प्रतिभागियों और विशेषज्ञों को कार्य स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं।

(एनडीवीआई) का उपयोग करके प्रत्येक तालाब कमांड क्षेत्र में वनस्पति परिवर्तन किया। ग्राम स्तर एनडीवीआई गणना कृषि में समग्र सुधार का आकलन करने के लिए एक उत्पादकता संकेतक के रूप में समर्थन करती है। अंत में गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करके चयनित झीलों के दृश्य और विश्लेषण के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित की गई। इस प्रकार के गाद हटाने के कार्य ने कृषि कार्य में भी वृद्धि की, कार्य दिवसों की संख्या के मामले में वृद्धि की, जिसने आय बढ़ाने में योगदान दिया है।

अध्ययन के आधार पर धन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला

3.11.6 आईडब्ल्युएमपी परियोजना, नागालैंड और त्रिपुरा का मूल्यांकन

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्युएमपी), नागालैंड और त्रिपुरा की राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) ने कार्य चरण (बैच - III) और समेकन चरण (बैच - I & II) आईडब्ल्युएमपी परियोजना के मूल्यांकन के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, (एनईआरसी), एनआईआरडीपीआर को सौंपा)

मूल्यांकन संभावना के दायरे में, उपलब्धि के लिए विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में निम्नलिखित बिन्दु निर्धारित किए गए हैं

- विभिन्न रणों के अनुपालन की जांच करने के लिए पूरा किया गया कार्य और समेकन चरणों के दौरान की गई गतिविधियों के विरूद्ध वाटरशेड परियोजनाओं, 2008/2011 के लिए सामान्य दिशानिर्देशों के विभिन्न अनुबंधों का परीक्षण और अनुपालन।
- परियोजना के कार्यान्वयन की जांच।
- विभिन्न परियोजना चरणों के दौरान उठाई गई प्रत्येक महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए रेटिंग और ग्रेडिंग की एक प्रणाली विकसित करना।

नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के समेकन चरण के मूल्यांकन के अभ्यास को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए), जलागम समिति (डब्ल्युसी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उपयोगकर्ता समूह (यूजी) और परियोजना लाभार्थियों सदस्यों के साथ की गई वार्ता तथा संकलित एकत्रित डाटा के माध्यम से उपयोग करके पूरी की गई है। मूल्यांकन की रूपरेखा 22 व्यापक

संकेतकों की परीक्षा में शामिल होती है और परियोजना के सामान्य दिशानिर्देश 2008/2011 और डीपीआर के विभिन्न अनुबंधों और प्रावधानों के संबंध में पूरी की गई गतिविधियों के मूल्यांकन प्रदर्शन की स्थिति बनाती है। मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में इंगित नमूना प्रक्रिया का पालन करके स्कोरिंग और ग्रेडिंग दोनों युक्त एक साधारण सांख्यिकीय प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रदर्शन की स्थिति आंकी गई है।

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले से ही एक स्कोरिंग प्रणाली अपनाई है जो पाँच मूल्य आधारित वर्गों के संदर्भ में प्रत्येक क्रिया के प्रदर्शन को व्यक्त करती है; बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और गरीब। इसी स्तर के स्कोर के रूप में जिम्मेदार मात्रात्मक मान 9.5, 8.5, 7.0, 5.5 और 4.0 हैं। प्रतिशत के संदर्भ में मापी गई प्रत्येक क्रिया का प्रदर्शन स्कोर के आवंटन का आधार है। प्रतिशत श्रेणियों का श्रेय वर्गों को दिया जाता है> उत्कृष्ट के लिए 90%, बहुत अच्छे के लिए 80 से 90%, अच्छे के लिए 60 से 80%, संतोषजनक के लिए 50 से 60% और बेकार <50%।

कार्य - प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ व्यापक संकेतकों को नीचे तालिका में दिया गया हैं

सारणी-5 : कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ व्यापक संकेतक

क्र. सं.	मुख्य संकेतक	कार्य - प्रदर्शन (ई/वीजी /जी/एस/पी)	
		नगालैंड	त्रिपुरा
क.	समेकन चरण के दौरान परियोजना प्रबंधन		
1	समेकन चरण के लिए योजना	वीजी	ई
2	समेकन चरण योजना की भौतिक उपलब्धि	जी	ई
3	समेकन चरण योजना की वित्तीय उपलब्धि	वीजी	ई
4	वित्तीय और सामाजिक लेखा परीक्षा	वीजी	ई
5	अभिसरण योजना का कार्यान्वयन	पी	पी
6	समेकन चरण के दौरान निगरानी	ई	वीजी
ख.	विकसित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन		
7	ओ एंड एम नियमों और संपत्ति / एनआर से संबंधित विनियमन को अपनाना	जी	ई
ग.	कृषि उत्पादन प्रणाली / गैर कृषि आजीविका को बढाना		
8	एसएचजी की संस्था के उन्नयन के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा	पी	पी
9	कृषि प्रक्रमण गतिविधियों को बढ़ावा देना	पी	पी
10	कृषि आधारित गतिविधियों के लिए बाजार आधारभूत संरचना और समर्थन गतिविधियों को बढ़ावा देना	पी	पी
11	ऑफ-फार्म / अनौपचारिक उद्यम को बढ़ाना	पी	पी
12	फार्म / अनौपचारिक गतिविधियों के उत्पादन के लिए विपणन व्यवस्था	पी	पी
13	जैविक खेती की स्थिति	पी	पी
घ.	पश्च परियोजना प्रबंधन (निकास नीति)		
14	डब्ल्यूसीडीसी और पीआईए में समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन	ई	ई
15	सामाजिक संस्थाओं का संवर्धन	वीजी	ई
16	जलागम विकास निधि का प्रबंधन (डब्लूडीएफ)	जी	जी
17	एसएचजी को सहायता और आजीविका कॉर्पस से आरएफ के रूप में संघ	जी	पी
18	स्थायी कार्यात्मक इकाई के रूप में डब्ल्यूसी की स्थिति	जी	वीजी
19	स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को सुदृढ करना	जी	ई
20	स्थायी कार्यात्मक इकाई के रूप में यूजी की स्थिति	जी	ई
ड.	परियोजना संपूरित रिपोर्ट और प्रलेखन		
21	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट तैयार करना	पी	पी
22	सफलता की कहानियों का प्रलेखन	पी	पी

समेकन चरण में निष्कर्ष: समेकन चरण के दौरान परियोजना प्रबंधन में नागालैंड की तुलना में त्रिपुरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विकसित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मामले में, दोनों राज्यों ने अच्छा काम किया है। कृषि उत्पादन प्रणाली / गैर-कृषि आजीविका की गहनता में दोनों राज्यों ने कोई प्रयास नहीं किया। निकास प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के लिए मूल्यांकन पूरे दो कमजोर तत्वों को दर्शाता है अर्थात डब्ल्युडीएस प्रबंधन के गैर संस्थागत और इसी तरह आजीविका कोष के तहत आरएफ की गैर-व्यवस्था स्पष्ट है। इसके विपरीत एमओयू के निष्पादन में और उपयोगकर्ता समूहों की स्थिति में मजबूत तत्व हैं जो स्थायी विकास के लिए निरंतर कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में स्थायी कार्यात्मक इकाईयां हैं। दो राज्यों में कमजोर कारक को परियोजना के पूरा होने की रिपोर्ट और प्रलेखन के घटक के रूप में देखा जाता है।

कार्य चरण मूल्यांकन: मूल्यांकन ढांचे में 10 व्यापक संकेतकों की जांच की जाती है और परियोजना के सामान्य दिशानिर्देश 2008/2011 और डीपीआर के विभिन्न प्रावधानों और प्रावधानों के संबंध में संपन्न गतिविधियों की प्रदर्शन स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य चरण की गतिविधियों के संबंध में प्रदर्शन (i) डीपीआर के अनुसार कार्यान्वित योजनाओं, ii) यदि आंशिक रूप से पालन किया जाता है या नहीं, तो परिवर्तन iii) गतिविधियां प्रस्तावित बनाम वास्तव में कार्यान्वित iv) जीपीएस निर्देशांक के साथ वाटरशेड कार्यों को स्थापित किया गया है जो बहुत अच्छा और संतोषजनक स्कोर पाया जाता है। एनआरएम घटक के तहत भूमि विकास कार्यों के संबंध में, भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ अच्छी पाई जाती हैं। बेंच प्रोजेक्ट रूफ (बहुत अच्छा), ii) हाफ - मून टैरेस (अच्छा), iii) कंटूर बंड (अच्छा), iv) प्राकृतिक पुन: सृजन (खराब)) और अन्य गतिविधियों का प्रदर्शन लक्ष्य के विपरीत अच्छा दिखा। 20 परियोजनाओं में 59 एमडब्ल्युएस के लक्ष्य के विपरीत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ औसत रूप से बहुत अच्छी पाई जाती हैं। इसके अलावा, संरचनाएं गुणात्मक रूप से अच्छी हैं और उद्देश्य के पूरा करती हैं।

डब्ल्युएचएस के तहत खेत तालाब

सूक्ष्म उद्यम

एनआरएम के तहत प्याज का रोपण

3.11.7: जोरहट जिला, असम में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर एमजीएनआरईजीएस कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संपर्क पहल का प्रभाव

ग्रामीण संयोजकता एमजीएनआरईजीएस के अनुमत कार्यों में से एक है। असम राज्य, देश में कार्यक्रम के तहत सड़क संपर्क पहल के प्रभावी कार्यान्वयन में अग्रणी होने का दावा करता है। पिछले दस वर्षों के दौरान 10,000 से अधिक ग्रामीण सड़क संपर्क पहल की गई हैं, जिनमें से 500 किमी से अधिक पक्की ब्लॉक सड़कों का निर्माण किया गया है। जोरहाट जिले में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर कार्यक्रम की सड़क संयोजकता पहल के प्रभाव का मूल्यांकन करने का कार्य असम सरकार ने एनईआरसी, एनआईआरडीपीआर को सौंपा है अध्ययन मुख्य रूप से 72 नमूना सड़क योजनाओं और 720 सड़क उपयोगकर्ताओं (उत्तरदाताओं) से एकत्र प्राथमिक डेटा पर आधारित है जो जोरहाट जिले के छह ब्लॉकों के 18 नमूना ग्राम पंचायत से लिया गया है। द्वितीयक डेटा का भी उपयोग किया जाता है जो कि वेबसाइट यानि एमजीएनआरईजीएस सॉफ्ट और डीआरडीए, जोरहाट और ब्लॉक कार्यालयों और सैंपल ग्राम पंचायत के कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

यह अध्ययन नौ व्यापक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीएस सड़क कार्यों की जांच पड़ताल करता है; 1) सामाजिक, 2) सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों में भाग लेना 3) शिक्षा सुविधाओं का लाभ 4) स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ 5) सरकारी कार्यक्रम लाभ, बैंकिंग और विपणन का लाभ 6) कृषि में किसानों का समर्थन 7) गैर-कृषि गतिविधियों में गैर कृषकों का समर्थन 8) कार्यालयों और श्रम बाजार में काम करने वाले लोगों का समर्थन और 9) सूचना और संचार तक पहुंच बनाना।

सभी नौ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में, शैक्षिक गतिविधियों पर एमजीएनआरईजीएस सड़कों का प्रभाव सबसे अच्छा पाया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर प्रभाव शिक्षा के समान है। चिकित्सा उपचार / जांच में ग्रामीणों की भागीदारी के साथ-साथ आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को अंजाम देने वाले ग्रामीणों के जीपी में 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कार्यक्रम का लाभ और आवश्यक सेवाओं के लिए बैंकों और बाजारों के लिए सरकारी कार्यालयों का दौरा करने के लिए एमजीएनआरईजीएस सड़कों का जिले और जीपी स्तर पर भी पता लगाने की संभावना है। गैर-किसानों की गतिविधियों पर एमजीआरईजीएस सड़कों का प्रभाव सबसे कम पाया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि यात्री माल ले जाने और विभिन्न वस्तुओं को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों की लंबित आवृत्ति में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि जिले के समग्र स्तर पर क्रमशः 48.89, 66.81 और 55.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पक्ष में राय है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ग्रामीणों के संबंध में समग्र प्रभाव परिदृश्य से पता चलता है कि एमजीएनआरईजीएस सड़कों के कारण, इस तरह के आयोजनों में भागीदारी 70.69 प्रतिशत के अनुसार बढ़ी है, ऐसा करने में यात्रा का समय 68.08 प्रतिशत और श्रम के उपयोग में कमी आई है। उत्तरदाताओं के 46.53 प्रतिशत के अनुसार व्यक्ति घंटे कम हो गए हैं।

एमजीएनआरईजीएस सड़कों के कारण उद्यम विकास और कृषि प्रथाओं पर परिणाम संबंधी लाभों की घटना बहुत कम पाई जाती है। कृषि में परिणाम अभी भी खराब है। फसल विविधता में वृद्धि, खराब होने वाली वस्तुओं के उत्पादन और उत्तरदाताओं के क्रमश: 21.53, 5,42 और 36.70 प्रतिशत के लिए अग्रिम कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के पक्ष में राय समर्थन करती है नौ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीएस सड़कों का प्रभाव सकारात्मक दिशा में कई संकेत प्रदान करता है।

3.11.8 डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए "स्तनपान सप्ताह" को बढ़ावा देने के लिए एसबीसीसी कार्य योजना

1-7 अगस्त, 2018 तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। सीआरयू ने तेलंगाना सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के लिए एक अस्थायी कार्य योजना विकसित की है। यह योजना बताती है कि स्तनपान के दौरान माताओं, गर्भवती महिलाओं और देखभाल करने वालों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचार गतिविधियों पर जोर देते हुए विभाग इस कार्यक्रम को

कैसे प्रारंभ करता हैं। इसका उद्देश्य 0-6 महीने के बीच बच्चों के माता-पिता एएनसी माताओं के व्यवहार को प्रभावित करना है, और अपने बच्चों को पोषण प्रदान करने में पुरुषों की

भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह योजना स्तनपान की पद्धतियों में जेंडर असमानताओं को दूर करने का भी प्रयास करती है।

पहल के भाग के रूप में, सीआरयू ने विभाग को निम्नलिखित संचार पैकेजों का विकास और समर्थन किया:

- **जीआईएफ वीडियो:** स्तनपान का आरंभिक प्रवर्तन 6 महीने तक अखंडित स्तनपान, स्वच्छता एवं हाथ साफ-सुथरे धोना, पूरक भोजन पर चार जीआईएफ वीडियो दिखाए गए।
- **ऑडियो स्पॉट:** स्तनपान का आरंभिक प्रवर्तन 6 महीने तक अखंडित स्तनपान, स्वच्छता एवं हाथ साफ-सुथरे धोना, पूरक भोजन पर चार आडिओ स्पाट्स दिखाए गये।

डब्ल्युसीडी, तेलंगाना को पोषण माह अभियान के लिए तकनीकी सहायता

पोषण अभियान के तहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए, सितंबर 2018 को देश में पोषण माह (पोषण माह) के रूप में घोषित किया गया था। सीआरयू ने तेलंगाना के डब्ल्युडीसीडब्ल्यु को समुदाय में जन आन्दोलन का समर्थन प्रदान करके इस अभियान को मनाने में तकनीकी सहायता प्रदान की। इसके भाग के रूप में, सीआरयु ने विभिन्न गतिविधियों पर एक

महीने की योजना विकसित की, जिनका उपयोग पोषण संबंधी व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सामुदाय संगठन के लिए किया जा सकता हैं। सीआरयु ने ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) राज्य नेटवर्क और एफएम रेडियो पर 30-दिवसीय गहन अभियान चलाने में विभाग का समर्थन किया। इस अभियान ने पूरक आहार, आहार विविधता और पोषण, बालिका पोषण और शिक्षा के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। संदेशों को राज्य के प्रमुख एफएम चैनलों पर प्रसारित किया गया था। सीआरयू ने तेलुगू में राष्ट्रीय सामग्री के अनुवाद और अनुकूलन को भी अंजाम दिया और राज्य में पोषण माह के भाग के रूप में किए गए विभिन्न गतिविधियों का प्रलेखन किया। एक अंतिम रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

मातृपूर्ण स्कीम पर कर्नाटक के लिए आईईसी / एसबीसीसी सामग्री

सीआरयू ने राज्य में मातृपूर्ण और आंगनवाड़ी केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूसीडी, कर्नाटक में एक एसबीसीसी पैकेज विकसित किया। पैकेज में पाँच जिफ वीडियो, 5 लघु फ़िल्में, 6 पोस्टर और विभिन्न विषयों पर 2 हैंडआउट्स शामिल हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामान्य जानकारी, डब्ल्युडब्ल्युसी की सकारात्मक स्थिति, एडब्ल्युडब्ल्युकी सकारात्मक स्थिति, मातृपूर्ण (एक पूर्ण कार्य योजना), दूध और अंडा योजना , और एडब्ल्युसी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समुदाय संगठन के लिए सामुदायिक भागीदारी आदि।

पोषण पखवाड़ा समारोह के दौरान डब्ल्यूसीडी, आंध्र प्रदेश को सोशल मीडिया सहायता प्रदान की

पोषण पखवाड़ा के दौरान सीआरयु ने डीडब्ल्युसीडी, आंध्र प्रदेश में सोशल-मीडिया-हैंडहोल्डिंग समर्थन बढ़ाया। अनुयायियों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समर्थन प्रदान किया गया था।

क्षमता निर्माण

डब्ल्युएएसएच के लिए एसबीसीसी पर प्रशिक्षकों का स्रोत समूह

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम और तेलंगाना के महबूबनगर और करीमनगर जिलों और कर्नाटक

के रायचुर और यादगीर जिलों से डब्ल्युएएसएच के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद पर जिला एसबीएम टीम के लिए 12 और 13 दिसंबर, 2018 को दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।। कार्यशाला का उद्देश्य जिला स्तर पर एक स्रोत समूह का निर्माण करना था ताकि वे एसबीसीसी योजना बनाने के लिए ब्लॉक / ग्राम स्तर के हितधारकों के प्रशिक्षण, एसबीसीसी योजना लागू कर सकें ।

3.11.9 पोषण अभियान के लिए कार्य योजना विकसित करने के लिए लाइन विभागों के साथ एक दिवसीय परामर्शी कार्यशाला

पोषण अभियान की रणनीति और दिशा-निर्देशों पर डिज़ाइन और एसबीसीसी कार्य योजना विकसित करने के लिए सीआरयु ने 25 जुलाई, 2018 को एक दिवसीय परामर्श

कार्यशाला का आयोजन किया। सरकार के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञों और संबंधित क्षेत्रों के पेशेवरों ने परामर्श में भाग लिया। परामर्श ने पोषण अभियान और इसके तहत 10 विषयों को उजागर करके इससे संबंधित सामाजिक आंदोलन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। प्रतिभागियों द्वारा साझा किए गए विशेषज्ञों और विचारों द्वारा प्रस्तुतियां विचार-विमर्श में शामिल हुईं; जिसके तहत पोषण अभियान और एसबीसीसी घटक के बारे में व्यापक समझ पैदा हुई।

बाल विवाह के सकारात्मक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद पर लाइन विभागों के साथ दो दिवसीय परामर्शी कार्यशाला

सीआरयु ने बाल विवाह के संबंध में सकारात्मक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए "सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संवाद" नामक विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का

आयोजन किया जिसे 27-28, सितंबर 2018 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित किया गया। सरकार, गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक समूह से कुल 30 प्रतिभागी थे। कार्यशाला के उद्देश्यों में बाल विवाह करने वाले संचालकों की पहचान; उन संचालकों के समर्थन में आचरण और आदर्श कारक; और संवाद सामग्री के लिए पुनरीक्षण और समेकित आदानो की पहचान करना था।

इस कार्यशाला ने किशोर लड़कियों और उनके परिवारों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं, और लड़कों और आवासीय स्कूलों तक पहुंचने के लिए युवा नेटवर्क को समझाया, जिन्हें संवेदीकरण और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों के रूप में पहचाना गया।

पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी निष्कर्षों को बेहतर बनाने के लिए पीआरआई सदस्यों को कार्यरत करना

7 और 8 फरवरी 2019 को दो दिवसीय राइट-शॉप का आयोजन किया गया और विभिन्न मॉडल विकसित करने के

लिए और पोकरण अभियान के लिए जन आन्दोलन में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और एसएचजी की भागीदारी की योजना तैयार की गई। राईट-शॉप में महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नीति आयोग, एनआईआरडीपीआर, एनआईआरडीपीआर का एनआरएलएम सेल, महिला और बाल विकास विभाग, तेलंगाना, एसआईआरडी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि (एपीएमएएस) और यूनिसेफ रायपुर और हैदराबाद के कार्यालयों से प्रतिनिधित्व करने वाले 19 प्रतिभागियों ने राइट-शाप में सहभाग लिया। प्रतिभागियों ने समग्र रूप में और समूहों में, अवसरों, सीमाओं, चुनौतियों और समाधानों पर विचार-विमर्श किया और दो दिवसीय राइट-शॉप के अंत में, पीआरआई और एसएचजी की भागीदारी के लिए सुझाई गई रणनीति, मॉडल और अनुमानित लागत को व्यवस्थित तरीके से विकसित और प्रस्तुत किया।

राइट-शॉप से मिले इनपुट के आधार पर पोषण अभियान के लिए जन आंदोलन में पंचायती राज संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों कि सहभागिता के विशयम में नीति आयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव और कर्य योजना प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और ग्राम स्तरों से शुरू होने वाले दृष्टिकोण सोपान पद्धती में 5,06,224 पीआरआई सदस्यों और वीओ-एसएसी के 8.27 लाख सदस्यों का प्रशिक्षण शामिल है।

अध्याय - 4 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

नवोन्मेषण को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकियों का प्रसार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार लाने, जीवन स्तर को बढाने और आय सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए प्रासंगिक नवाचारों एवं प्रौद्योगिकियों को बढावा देने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) नामक एक नवोन्मेषी संकल्पना शुरू की है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए सफल उद्यमियों की सहायता से आरटीपी संचालित है । लगभग 65 एकड़ भूमि के क्षेत्र में स्थापित, आरटीपी प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण या कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शन और प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

उत्पादकता में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता को बढाते हुए समुदाय को सतत विकास की दिशा में सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण गरीबों को उचित और किफायती प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना आरटीपी का उद्देश्य है। आरटीपी में सृजित प्रशिक्षण-सह-उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से विभिन्न तकनीकों पर 40 प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं। हर वर्ष विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर आयोजित प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बडी संख्या में ग्रामीण युवक और एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है । एनआईआरडीपीआर एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, वास्तव में इंटरफ़ेस को बढ़ा सकता है और उपयुक्त संस्थानों के साथ जुड सकता है जो ऐसे युवाओं के उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और नवीन विचारों और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप शुरू करने की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं।

आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण निर्माण केंद्र (एनआरबीसी) 40 विभिन्न प्रौद्योगिकियों के साथ लागत प्रभावी ग्रामीण घरों के मॉडल को दर्शाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालयों के कई मॉडलों के साथ एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया है जो ग्रामीण जनता के लिए किफायती हैं। महानिदेशक का बंगला उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थायी आवास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी आवास पहल है।

एनआईआरडीपीआर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर, समारोह के भाग के रूप में हर वर्ष नवंबर माह में ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। इसमें देश के विभिन्न भागों से 300 से अधिक ग्रामीण नवोन्मेषक, ग्रामीण कारीगर, महिला/ लघु-उद्यमी, सरकारी संस्थान आदि शामिल होते हैं । यह कार्यक्रम "भारत निर्माण" और "अभिनव भारत अभियान" के मुख्य विचार को बढ़ावा देने में बहुत योगदान देता है, जो जमीनी स्तर पर नवप्रवर्तकों/ स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, ग्रामीण नवप्रवर्तकों स्टार्ट-अप सम्मेलन (आरआईएससी) के दूसरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है । इस मंच ने कई नवप्रवर्तक और स्टार्ट-अप को अपने विचार को मूर्त रूप देने और लाभान्वित होने में सक्षम बनाया है । यह कार्यक्रम ग्रामीण नवाचारों को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण मंच के रूप में तैयार हो रहा है।

4.1 आरटीपी, सीआईएटी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.1.1 ग्रामीण आवास एवं आवास परियोजनाओं की योजना और प्रबंधन

आईटीईसी और एससीएएपी के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 27 अगस्त, 2018 से 23 सितंबर, 2018 तक किया गया। सात देशों अर्थात नाइजीरिया, मॉरीशस, बांग्लादेश, बोत्सवाना, श्रीलंका, जॉर्डन और सूडान से दस प्रतिभागियों ने एक माह लंबे कार्यक्रम में भाग लिया।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की योजना और प्रबंधन आवास रणनीतियों को साझा करना था । यह पाठ्यक्रम भारत के साथ ही अन्य देशों में आवास पर नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों पर जोर देता है। प्रतिभागियों को स्थायी और ग्रीन बिल्डिंग प्रौद्योगिकियों से भी अवगत कराया गया जिसे उनके विशिष्ट देशों के अंदर और बाहर सम्मिलित किया गया हैं।

एमईए, भारत सरकार के प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

पीएमएवाई-जी कार्यक्रम, भारत में गरीबों के लिए आवास का राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है, प्रतिभागियों को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आवास कार्यक्रम के विवरण को समझने में मदद मिली।

अपनाए गए प्रशिक्षण पद्धतियों में सहभागी दृष्टिकोण, क्लासरूम व्याख्यान, अध्ययन दौरे, क्षेत्र दौरे, कार्यशालाएं, वीडियो प्रस्तुतियां, वाद-विवाद चर्चाएं, रोल प्ले और सीएसई ब्लॉक, आर्च, रैट-ट्रैप बॉन्ड, मिट्टी प्लस्टरिंग आदि जैसे टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों को समझने के व्यावहारिक अनुभव सम्मिलित है।

कर्नूल के लिए आयोजित अध्ययन दौरे से प्रतिभागियों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए गृह निर्माण को समझने में मदद मिली। आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अनंतपुर के साथ बातचीत करते हुए अधिकारियों से उन्हें आवास योजनाओं के प्रचार में सूक्ष्म वित्त और एसएचजी की भूमिका को समझने में मदद की । अन्य अध्ययन दौरों में अर्थ संस्थान, औरोविल्ली, सुनामी पुनर्वास परियोजनाएं, समथुवापुरम आवास परियोजनाएं और डब्ल्यूटीएन, पांडिचेरी की जल और स्वच्छता परियोजनाएं शामिल हैं।

4.1.2 जलवायु अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईटीईसी और एससीएएपी के तहत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 18 मार्च, 2019 में आयोजित किया गया और 14 अप्रैल, 2019 को समाप्त किया गया । ग्यारह देशों अर्थात अफगानिस्तान, इथियोपिया, ईरान, मॉरीशस, सिचेल्लेस, श्रीलंका, तंजानिय, त्रिनिदाड एण्ड टोबैगो, युगांडा, उज्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे से बीस प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जलवायु अनुकूल आवास रणनीतियों को साझा करना था जिसे लोगों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को घटाने और कम करने के लिए अपनाया जा सकता है। प्रतिभागियों को स्थायी और ग्रीन बिल्डिंग प्रौद्योगिकियों से भी अवगत कराया गया जिसे उनके देशों के अंदर और बाहर सम्मिलित किया गया।

महानिदेशक के बंगले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी

डॉ. एन.गोपाल कृष्णन, निदेशक, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुडकी द्वारा पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया गया । प्रशिक्षण मॉड्यूल में, प्रतिभागियों को जलवायु परिवर्तन और आवास क्षेत्र पर इसके प्रभाव, आवास क्षेत्र में नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों का विवरण, आपदा प्रबंधन और निवास विकास, जलवायु एवं आपदा व्यवहार्य आवास के लिए डिजाइन, जल, स्वच्छता एवं सौर ऊर्जा संचयन तथा संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना, सहभागी दृष्टिकोण और आपदा जोखिम विश्लेषण जैसे अल्पीकरण नीतियां, निवास स्थान विकास हेतु जीआईएस अनुप्रयोग, जलवायु अनुकूल आवास कार्यक्रम में जानकारी प्रबंधन जैसे पहलुओं से परिचित कराया गया।

अध्ययन दौरे में चेन्नई का दौरा शामिल था, जहां प्रतिभागियों ने सीएसआईआर-संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, आईआईटी-मद्रास, द रेन सेंटर, सेंटर फॉर कोस्टल जोन मैनेजमेंट और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का दौरा किया। हैदराबाद के स्थानीय दौरे में सीआईआई-ग्रीन बिल्डिंग सेंटर और एसआरसीएम आश्रम का दौरा शामिल था।

4.2 सीआईएटी द्वारा आयोजित कार्यशालाएं और सेमिनार

4.2.1 महिला मछुआरों के लिए कार्यशाला (टीएस)

"राष्ट्रीय महिला किसान दिवस" के अवसर पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के सहयोग से महिला मछुआरों के लिए 15 अक्तूबर, 2018 को एक सहयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मत्स्योद्योग समुदाय के आर्थिक विकास तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के महिला मछुआरों के लिए मछली डिबोनिंग मशीन का लाईव प्रदर्शन के लिए सौर निर्जलीकरण, कूलिंग टेक्नोलॉजी, इको हैचरी और मछली की डिबोनिंग जैसी तकनीकों पर जानकारी दी गई। तेलंगाना राज्य से लगभग 100 मछुआरों ने भाग लिया

कार्यशाला में जल कृषि पर आधारित लोगो और मछुआरों में आरटीपी की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के अवसरों पर चर्चा की गई । प्रतिभागियों ने मछली डिबोनिंग और सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक प्रदर्शन का अनुभव किया । सभी प्रतिभागियों ने आरटीपी के लिए आयोजित प्रदर्शनी दौरे की सराहना की और उन्होंने उन तकनीकों पर गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिन्हें एनएफडीबी, हैदराबाद की "नील क्रान्ति" स्कीम के तहत समर्थित किया जा सकता है।

4.2.2 "ग्रामीण उत्पादों की पैकेजिंग" पर कार्यशाला

आरआईएससी के फैलोशिप कार्यक्रम घटक के भाग के रूप में, ग्रामीण इनोवेटर्स स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव 2018 के पुरस्कार विजेताओं को भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), हैदराबाद के सहयोग से 6 -8 मार्च, 2019 तक "एथनिक फूड्स के पैकेजिंग और ग्रामीण पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग

सिद्धांत और कार्यप्रणाली" पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । पैकेजिंग उत्पाद की दिखावट को बढ़ाता है और उत्पाद को बढ़ावा देने में लेबल मदद करता है। इसके अलावा, लेबलिंग संभावित ग्राहक को किसी उत्पाद के बारे में सही जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग से अवगत कराया गया और उन्हें उत्पादों की मौजूदा पैकेजिंग को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। कार्यशाला के दौरान उत्पादों की शेल्फ-लाईफ को बढाने के लिए पैकेजिंग के विभिन्न तरीकों पर सामान्य जागरूकता और परिवहन पैकेजिंग के महत्व पर चर्चा की गई।

4.2. 3 स्थायी आवास पर कार्यशाला:

स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों से जुड़े वास्तुशिल्प कला की एक टीम ने 6 – 8 फरवरी, 2019 के दौरान "स्थायी आवास प्रौद्योगिकियाँ" पर आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में भाग लिया। प्रतिभागियों को स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों के लाभों से परिचित कराया गया।

आवास तकनोलाजी पर सुलभ प्रशिक्षण

4.3 आरटीपी, सीआईएटी में महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

श्री चार्ल्स बैस्टिएन, मत्स्य और कृषि मंत्री, सिचेल्लेस ने 25.10.2018 को आरटीपी का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीण भवन केंद्र के सभी प्रौद्योगिकी इकाईयों का दौरा किया । उन्होंने कहा कि इस संबंध में आरटीपी द्वारा की जा रही पहल उल्लेखनीय हैं।

तेलंगाना के डॉ. मर्री चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (एमसीएचआरडी), हैदराबाद ने पूरे भारत के आईपीएस, आईएएस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में उन्होंने दिनांक 19.12.2018 को आरटीपी का दौरा किया । उन्होंने सभी प्रौद्योगिकी इकाईयों और ग्रामीण भवन केंद्र का दौरा किया।

माननीय तेलंगाना विधान सभा अध्यक्ष, श्री सिरिकोंडा माधुसूधना चारी ने दिनांक 08.05.2018 को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा किया। उन्होंने आरटीपी में स्थित विभिन्न प्रौद्योगिकी इकाईयों का दौरा किया। उन्होंने सराहना की कि ये प्रौद्योगिकियां अद्भुत हैं, और हमें गांवों तक इन्हें ले जाने के प्रयास करने की आवश्यकता है।

4.4 कौशल विकास: आरटीपी - सीआईएटी प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण लोगों में आजीविका और उद्यमशीलता अवसरों को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता का विकास करना, आरटीपी के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2018-19 के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगभग 1,441 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 42 नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम और 94 स्व-वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

"सौर उत्पादों का संयोजन और रखरखाव" पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

"आदिवासी और फैशन ज्वैलरी बनाने" पर प्रशिक्षण

"गृह-आधारित उत्पाद बनाना" पर प्रशिक्षण

इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों में विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयं सहायता समूह और बेरोजगार युवा शामिल हैं। वे तकनीक जिन पर अनुभवपरक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, उनमें गृह-आधारित उत्पाद, मशरूम की खेती और प्रसंस्करण, संपीड़ित स्थिर मिट्टी के ब्लॉक बनाना, सोलार लाइट्स का संयोजन, सोलार होम लाइटिंग सिस्टम की स्थापना और रखरखाव, लीफ प्लेट बनाना, कृमि खाद, वर्मीवॉश, नीम तेल और नीम केक बनाना, मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज बनाना / रूपांतरण, सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी, सोया उत्पादों का प्रसंस्करण, प्राकृतिक रंगाई, आदि शामिल है। उत्पादों को बनाने में प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की खरीद और तैयार उत्पादों के विपणन की भी जानकारी दी गई। जहाँ भी आवश्यक हो इकाइयों की स्थापना में प्रशिक्षुओं को समर्थन दिया जा रहा है।

विशेष पहल :

एसईआरपी एसएचजी महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंद्रह सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें 600 से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था, इसे सोसायटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरलपावर्टी तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गृह-आधारित उत्पादों (साबुन, सर्फ, फिनाईल, आदि), सौर लाइट संयोजन, हस्तनिर्मित कागज रूपांतरण, पर्ल ज्वैलरी मेकिंग, लीफ प्लेट मेकिंग आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। एक विशेष प्रयास के रूप में, प्रत्येक ब्लॉक से शिनाख्त की गई महिला एसएचजी को एक विशेष उत्पाद पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे उस पर विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें। यह नीति उन्हें एक बेहतर स्थिति में रखती है क्योंकि वे अपने उत्पाद का अन्य एसएचजी समूहों के साथ-साथ खुले बाजार में मांग के आधार पर विपणन कर सकते हैं। इस रणनीति से महिलाओं को आत्मविश्वास से अपने उत्पादों को तैयार करने में मदद मिली है। प्रशिक्षित 70% से अधिक समूहों ने अपनी उत्पादन इकाई को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

4.5 सहयोगी कार्यक्रम

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न संगठनों जैसे कि एनआईएसई, मत्स्य विभाग, मैनेज, नाबार्ड, एसईआरपी आदि के सहयोग से निम्न कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए;

i. **सूर्य मित्रा:** तीन माह की अवधि के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) का सूर्य मित्रा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रीन ऊर्जा टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों के तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ii. **मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण:** तेलंगाना राज्य में मछली पालन विभाग और मत्स्य समाज के अध्यक्षों के लिए मछली संरक्षण और निर्जलीकरण तकनीक।

iii. **कृषि-उद्यमी प्रशिक्षण :** एग्री क्लीनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के तहत कार्यक्रम, मैनेज, हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया।

iv. **एसईआरपी के सहयोग से एसएचजी महिलाओं का प्रशिक्षण :** गृह -आधारित उत्पाद, हस्तनिर्मित कागज रूपांतरण, हर्बल उत्पाद, सोया और बाजरा प्रसंस्करण, पत्तों से प्लेट बनाना, आदिवासी और मोती के आभूषण, आदि जैसी प्रौद्योगिकी पर एसईआरपी तेलंगाना सरकार के माध्यम से 600 से अधिक महिला एसएचजी सदस्यों के लिए तेरह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

v. **नाबार्ड कर्मचारियों के लिए अभिमुखीकरण :** एपी नाबार्ड कर्मचारी, जो विभिन्न जिलों से आये थे उनके लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर, संबंधित जिलो से शिनाख्त किए गए भावी प्रशिक्षार्थियों को उध्यमशील प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा।

vi. **गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ सहयोग:** आगा खान फाउंडेशन, सेव द चिल्ड्रन एंड पॉपुलेशन काउंसिल के सहयोग से आरटीपी ने विभिन्न लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अनंतपुर के सेक्स वर्कर, हैदराबाद में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों और गुजरात के एकेएफ कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए गृह आधारित उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

vii. **सोलार डिहाइड्रेटर असेंबलिंग पर प्रशिक्षण:** मेघालय के एसएचजी के लिए सौर सोलार डिहाइड्रेटर असेंबलिंग और डिहाइड्रेटरों की तैयारी पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। उन्हें डिहाइड्रेटरों को असेंबल करना सिखाया गया जिसे वे हल्दी, मछली और अन्य उत्पादों को सुखाने के लिए स्थानीय बाजार में बेचेंगे।

ग्राफ-3 : प्रौद्योगिकी-वार प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण का विवरण

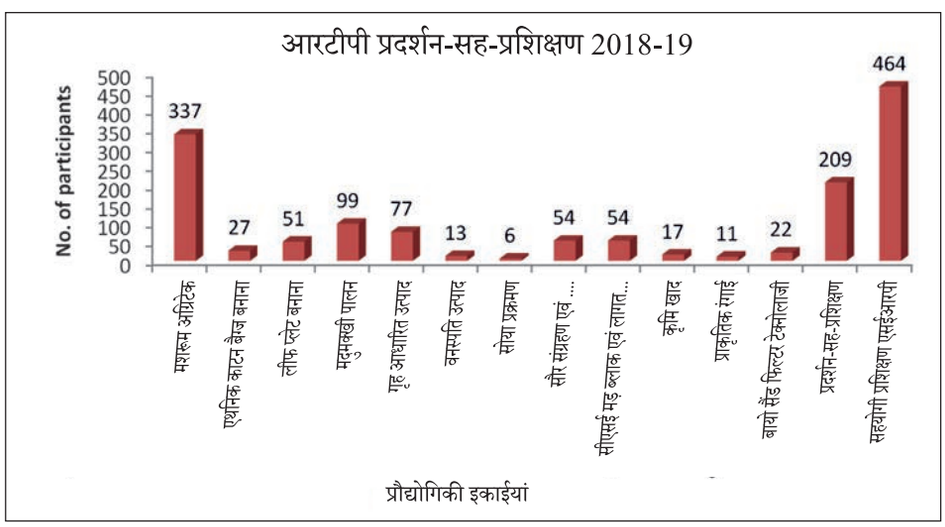

बॉयो सैंड फिल्टर (जलकल्प)

सहगल फाउंडेशन के वाटर एंड वेस्ट वाटर रिसोर्स सेंटर और सेंटर फॉर अफोर्डेबल वाटर एंड सेनिटेशन टेक्नोलॉजी (सीएडब्ल्यूएसटी), कनाडा के सहयोग से आरटीपी ने 20 से 22 फरवरी, 2019 को जलकल्प बॉयो सैंड फ़िल्टर टेक्नोलॉजी पर व्यवसायियों का प्रशिक्षण आयोजित किया। सुरक्षित पेयजल पर प्रशिक्षण में तकनीकी जानकारी दी गई और आठ राज्यों के व्यवसायियों को पानी के उपचार के लिए स्थायी समाधान को जानने का मौका दिया गया। बॉयो सैंड फिल्टर एक प्रभावी और टिकाऊ घरेलू स्तर का सुरक्षित पेयजल समाधान है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी के प्रभावी विकास के लिए प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग और रखरखाव पहलुओं को जानना महत्वपूर्ण है।

4.6 आरटीपी, सीआईएटी के लिए अध्ययन और औद्योगिक दौरा

छात्र जीवन की शुरुआती दौर में ही उनमें उपयुक्त और टिकाऊ प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देने के लिए आरटीपी द्वारा नियमित रूप से देश भर के कॉलेज और स्कूलों के छात्रों के लिए प्रदर्शनी दौरा, अध्ययन दौरा और इंटर्नशिप आयोजित की जाती हैं। आरटीपी आने वाले छात्र, टिकाऊ आवास, सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों, जैविक खेती, प्राकृतिक रंगाई, हस्तनिर्मित कागज प्रसंस्करण, आदि प्रौद्योगिकियों के लाइव प्रदर्शन से अच्छी तरह परिचित होते हैं।

छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत से सरपंचों का आरटीपी दौरा

संस्थागत प्रशिक्षुओं द्वारा आरटीपी का दौरा

एनआईआरडीपीआर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के साथ-साथ विभिन्न संस्थान भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीपी का दौरा करते हैं।

एक विशेष व्यवस्था के रूप में, आरटीपी ने स्कूलों के छात्रों में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ट्रिप्पको जो कि एक निजी स्कूल ट्रिप आयोजक पार्टनर है के साथ सहयोग किया है। ट्रिप्पको आरटीपी के लिए स्कूली छात्रों को क्षेत्र दौरे के लिए जुटाने की भूमिका निभाता है। वर्ष 2018-2019 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत आरटीपी के लिए विभिन्न स्कूलों के कुल 800 छात्रों के लिए 12 दौरे आयोजित किए

आरटीपी में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन दौरा

गए। वर्ष के दौरान, वीआईपी के अलावा, विभिन्न गांवों, कॉलेजों, स्कूलों (ट्रिप्पको दौरे सहित) संस्थानों और अन्य संगठनों से 13,000 से अधिक व्यक्तियों ने आरटीपी का दौरा किया।

4.7 परामर्शी और तकनीकी सहायता सेवाएं

सोलार विंड हाइब्रिड सिस्टम

एनआईआरडीपीआर एक हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, अर्थात, मॉड्यूलर और मापनीय, वितरित अक्षय ऊर्जा प्रणाली के आधार पर सौर मिल (सौर + मिल), ऑन और ऑफ-ग्रिड स्थापना के लिए अनुकूलित है। यह अवधारणा मूल रूप से एक इकाई में ऊर्जा उत्पादन के लिए हवा का उपयोग कर रही है, जो निस्संदेह उन स्थानों पर एक प्रभावी समाधान है जहां बिजली उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के सहयोग से मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित और प्रचारित किया जा रहा है और अब तक एनएफएफबीबी, भुवनेश्वर, चांडिल डैम, झारखंड और कवारट्टी, लक्षद्वीप में स्थापित किया जा चुका है।

आरटीपी निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं / तकनीकी सहायता का विस्तार कर रहा है:

i. एनएफडीबी परियोजना, भारत सरकार के तहत सौर पवन हाइब्रीड पावर जेनरेटर की स्थापना।

- एनएफएफबीबी, भुवनेश्वर में 12.5 किलोवाट हाइब्रीड सौर - पवन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना।

- एमएफवी ब्ल्यूफिन और मात्स्यिकी नौकाओं पर कवराटी लक्षद्वीप में सौर पवन हाइब्रीड संयंत्र।

- चांडिल डैम झारखंड में केज पर सोलर विंड हाइब्रीड प्लांट

ii. मात्स्यिकी विभाग, तेलंगाना के लिए ब्रीडिंग पूल के साथ इको हैचरी की आपूर्ति और स्थापना।

iii. पश्चिम बंगाल एसआरएलएम और पश्चिम बंगाल व्यापक क्षेत्र विकास निगम, कोलकता के लिए सोलर डिहाइड्रेटर्स, आइस ब्लॉक बनाने की मशीन, इको हैचरी, 50 किलो क्षमता की डेबोनिंग मशीन, मोबाइल कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की आपूर्ति।

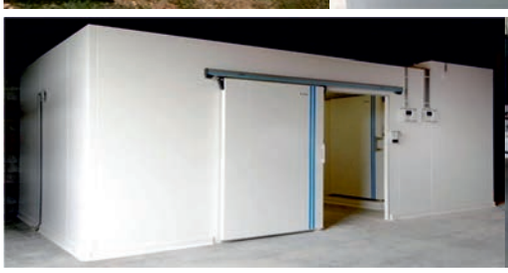

iv. स्कूलों में सौर प्रतिष्ठापन: ग्रीन उर्जा प्रौद्योगिकी और सिस्टमस (जीयूटीएस), जो कि पद्म भूषण श्री टी.एल. शंकर आईएएस द्वारा प्रवर्तित एक गैर-लाभकारी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) है, के सहयोग से 26 स्कूलों में प्रकाश और शीतलन सुविधा के लिए 0.3 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित किए गए। ये स्कूल महबूबनगर जिले के तालकोंडापल्ली मंडल और तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के करताल मंडल में स्थित हैं। 2018 को लागू की गई इस पहल को यूएसए में स्थित एक एनआरआई श्री मल्ली वारनाशी द्वारा वित्त पोषित किया गया । इनमें से कई स्कूलों ने नियमित रूप से बिजली कनेक्शन समाप्त कर दिया है और सौर ऊर्जा की मदद से वे अपनी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का प्रबंधन कर रहे हैं। इन स्कूलों में अपनी कक्षाओं में रोशनी और पंखे देखकर बच्चे बहुत खुश है । बातचीत के दौरान, उन्होंने इन सुविधाओं के अभाव में सर्दियों और गर्मियों के दौरान आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया। बच्चों और शिक्षकों को मिलने वाले लाभों को देखते हुए इस पहल को देश भर के आंगनवाड़ी और स्कूलों में दोहराया जा सकता है।

v. सतत आवास को बढ़ावा देना:

आंगनवाड़ी भवन: नॉटको फाउंडेशन ने तेलंगाना राज्य में स्थायी निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सात आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए आरटीपी से मदद ली है।

कम लागत डिजाइन निर्माण, पोलावरम, पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश:

आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला के कमलमपालेम गांव, पोलावरम बांध पुनर्वास के तहत घरों को दी जाने वाली सुविधाएं सुनियोजित थी । आरटीपी ने घर के मॉडल के नए डिजाइन दिए, जो रु .3,50,000 / - की लागत पर 400 वर्ग फुट में बनाया जाना हैं । भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

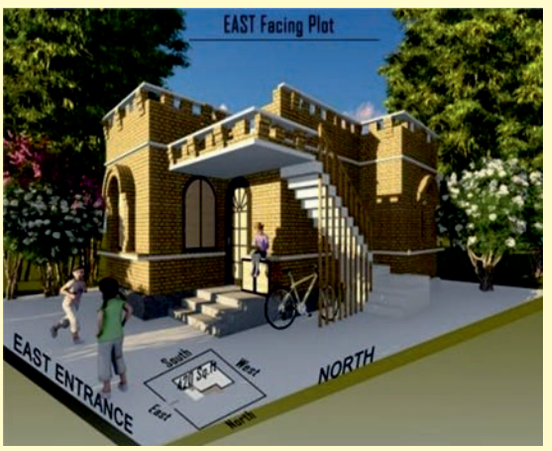

सीएसईबी ब्लॉक्स : स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में जागरूकता बढाने के लिए आरटीपी हैदराबाद और आसपास में स्थित परियोजनाओं के लिए संपीड़ित मिट्टी ब्लॉक की आपूर्ति कर रहा है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 40,000 से अधिक मड ब्लॉक्स की आपूर्ति की गई है।

4.8 आरटीपी, सीआईएटी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम

क. ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला – 2018

16 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले का आयोजन 29 नवंबर से 3 दिसंबर, 2018 के दौरान किया गया। ग्रामीण नवप्रवर्तकों एसएचजी उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, प्रौद्योगिकी संस्थान, निजी संस्थान और स्टार्ट-अप ने विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, शिल्प और अन्य उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए "16 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी" में भाग लिया। 2018 मेला का विषय "जन योजना: सतत विकास के लिए एक विकेन्द्रीकृत रणनीति" था।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से आयोजन के भाग के रूप में **"राष्ट्रीय मछली उत्सव"** आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य देश में मछली की खपत को लोकप्रिय बनाना और मछली के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना था। इस उद्देश्य के लिए लगाए गए फिश स्टॉल में विभिन्न विदेशी मछली के व्यंजन परोसे गए। इसके अलावा, स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता बढाने के लिए, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा पर्यावरण- अनुकूल टिकाऊ आवास निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक विशेष मंडप भी प्रदर्शित किया गया।

ग्रामीण शिल्प और मेला 2018 के दैरान मड़ ब्लाक आर्क का उद्घाटन

बीस (20) राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन, प्रचार और बिक्री के लिए लगभग 220 स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शित की गई प्रौद्योगिकियां में - सौर, बांस, जैविक, कृषि, चमड़ा, स्वच्छता, हथकरघा, आयुर्वेदिक, बाजरा, जूट, रेशम, कृत्रिम आभूषण, लकड़ी की कटलरी, पेपर पेंसिल, कश्मीरी शॉल, सजावटी सामान, बनाना फाइबर, हस्तशिल्प, मिट्टी के सामान, कढ़ाई काम, लकड़ी के शिल्प, सूखे सजावटी फूल आदि शामिल थे।

आरटीसीएम 2018 के दौरान ग्रामीण नवप्रवर्तक का सम्मान

आरटीसीएम 2018 के दौरन प्रतिनिधियों द्वारा पुस्तक का विमोचन

हैदराबाद और आसपास के इलाकों से हजारों लोगों ने पांच दिवसीय मेले का दौरा किया। इसके अलावा, स्कूली और कॉलेज के छात्र भी मेला देखने आए और आयोजित कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए। मेले के दौरान हर दिन शाम 6.30 बजे से रात 10.00 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। सरकारी एजेंसियों और पेशेवर नृत्य समूहों की मदद से पेशेवर नर्तकियों द्वारा पारंपरिक और लोक नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय स्टेट बैंक, आन्ध्र प्रदेश रोजगार सृजन एवं उद्यम विकास सोसाईटी (सीडैप) और ट्राइलाजिक लिमिटेड (डीडीयूजीकेवाई - पीआईए) के साथ साझेदारी में आरटीपी मेला 2018 का आयोजन किया गया।

ख. ग्रामीण नवोन्मेषण एवं स्टार्ट-अप सम्मेलन - 2018

30-31 अगस्त 2018 के दौरान आयोजित "ग्रामीण नवोन्मेषण एवं स्टार्ट-अप सम्मेलन (आरआईएससी-2018)" का दूसरा संस्करण ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान करने हेतु ध्यान केन्द्रित नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है । एनआईआरडीपीआर नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को स्केलिंग-अप में सहायता के लिए उपयुक्त संस्थानों और निवेशकों को जोड़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्री एम. वेंकय्या नायुडू, माननीय भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आरआईएससी 2018 का उद्घाटन

कार्यक्रम को सात विषयों पर आयोजित किया गया जैसे कि कृषि और संबद्ध गतिविधियां, हरित ऊर्जा, अपशिष्ट से संपत्ति, स्थायी आवास, स्वास्थ्य और बुजुर्ग देखभाल, पेयजल और स्वच्छता एवं सतत आजीविका। इस वर्ष के आरआईएससी में, स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों और आम जनता के लिए "ग्रामीण नवाचार और डिजाइन (आरआईडीई) चैलेंज" नामक एक नये मंच का आयोजन किया गया। पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ-साथ इन समस्याओं के संभावित समाधानों का पता लगाना है।

30 अगस्त 2018 को आरआईएससी 2018 का उद्घाटन श्री ईएसएल नरसिम्हन, माननीय राज्यपाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, श्री राम कृपाल यादव, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री महमूद अली, माननीय उप-मुख्यमंत्री, तेलंगाना, श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा, डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और डॉ. फ्रैंकलिन लल्तिखुंमा, आईएएस, रजिस्ट्रार, एनआईआरडीपीआर की उपस्थिति में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैय्या नायडू द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में शैक्षणिक, सरकारी संस्थानों, और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, मुख्यत: उद्यमियों, उद्यम पूंजीपतियों, निवेशकों और उद्यम पारिस्थितिकी के अन्य लोगों ने भाग लिया। देश के 23 राज्यों से 200 से अधिक नवप्रवर्तक, स्टार्ट-अप और छात्रों ने अपने विचारों का प्रदर्शन किया। आउटरीच, व्यावहारिक कार्यान्वयन, लागत प्रभावशीलता, स्थिरता और मापनीयता के लिए ग्रामीण व्यवहार्यता के आधार पर नवाचारों और डिज़ाइन को सूचीबद्ध किया गया।

नवाचार और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और प्रदर्शनी

4.9. आरटीपी, सीआईएटी द्वारा अन्य उल्लेखनीय कार्य

क. सीजीसी-वैशाली, बिहार में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुन: आरंभ

कॅपार्ट के कैरियर सह मार्गदर्शन केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए आरटीपी-एनआईआरडीपीआर और कपार्ट में 15 फरवरी, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले 10 वर्षों से कार्यात्मक नहीं है। बुनियादी नवीकरण कार्यों को शुरू करने के बाद, जीविका, बिहार के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए अपने एसएचजी को प्रायोजित किया है। अब तक, लगभग 200 प्रशिक्षुओं ने तीन अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोग, सिलाई एवं गारमेंट डिजाइन और सौर उत्पादों के संयोजन के लिए नामांकन किया है। 30 प्रतिभागियों के पहले बैच ने 28 मार्च, 2019 को प्रशिक्षण पूरा किया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री का उद्घाटन

कंप्यूटर अनुप्रयोग और गारमेंट डिजाइन एवं सिलाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. एनआईआरडीपीआर महानिदेशक बंगले में स्थायी आवास प्रौद्योगिकी

लॉरी बेकर्स एवं अन्यों के लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से प्रेरित होकर, एनआईआरडीपीआर में महानिदेशक का बंगला बनाया गया है, जिसे ज्यादातर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग और मड हाऊज टाईपोलॉजी के पारंपरिक रूप से निर्माण किया गया है। इमारत के पर्यावरण अनुकूल निर्माण के कारण आगंतुकों द्वारा इसकी सराहना की जाती है। हाल ही में, भवन को हुडको डिजाइन अवार्ड्स 2018 भी मिला है। इस भवन का डिजाइन पद्मश्री जी शंकर, हैबिटेट टेक्नोलॉजीज ग्रुप (एचटीजी) द्वारा तैयार किया गया है।

एनआईआरडीपीआर महानिदेशक का बंगला

संस्थानों में ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने से आम जनता में इन प्रौद्योगिकियों पर विश्वास बढता है। भवन का उद्देश्य स्थायी आवास प्रौद्योगिकियों के पक्ष में एक 'बोल्ड स्टेटमेंट' बनाना है। इमारत में अपनाई गई कुछ प्रौद्योगिकियां हैं; संपीडित मड ब्लॉक्स (सीएमबी), फिलर स्लैब रूफिंग, रैट-ट्रैप बॉन्ड ब्रिक वर्क, मड प्लास्तरिंग, तंदूर और टेराकोटा टाइल फ्लोरिंग, बांस रेलिंग और पार्टिशन, पेर्गोलस, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल उपचार और रीसाइक्लिंग, सौर

पहली मंजिल का बरामदा भूतल बरामदा

ऊर्जा संचयन, आदि। भवन निर्माण की पूंजीगत लागत को 40% तक कम किया गया है और टिकाऊ निर्माण तकनीकों को अपनाने के कारण भवन की आवर्ती लागत में भी काफी कमी आई। देश भर में इन प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार को अपनाने से पारंपरिक इमारतों की तुलना में जलवायु परिवर्तन का सामना करने और कई अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का अनुभव करने में मदद मिल सकती है।

4.10 आरटीपी, सीआईएटी द्वारा प्रकाशन

I. "ग्रामीण नवोन्मेषण एवं स्टार्ट-अप सम्मेलन के कार्यवृत्त (आरआईएससी)" - 31 अगस्त 2018 को आयोजित आरआईएससी कार्यक्रम में प्राप्त प्रविष्टियों के सार पर आधारित एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया। पुस्तक में पूरे भारत के नवोन्मेषकों, स्टार्ट-अप और छात्रों द्वारा विकसित नवीन विचारों और उत्पादों की जानकारी है।

ii. "ग्राम पंचायत एण्ड आंगनवाड़ी बिल्डिंग डिजाइन" - वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सामुदायिक भवन के लिए डिजाइन विकास पर एक कार्यशाला सह डिजाइन के निष्कर्षों पर आधारित एक प्रकाशन है। ये डिजाइन सरकारी विभागों के लिए उपयोगी होंगे।

iii. "उपयुक्त भवन तकनोलॉजी का उपयोग करते हुए एक मास्टर पीस का सृजन करना" - लागत प्रभावी भवन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए महानिदेशक बंगले की कॉपी टेबल बुक का प्रकाशन इन प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

iv. "द मड मैटर्स" – नामक वीडियो को सीएसईबी तैयारी के प्रदर्शन के आधार पर 2018 को संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक बनाने पर रिलीज किया गया।

4.11 आरटीपी में नई प्रौद्योगिकी इकाईयाँ शुरू की गईः

I. जल और अपशिष्ट जल संसाधन केंद्र: सहगल फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित जल और अपशिष्ट जल संसाधन केंद्र को आरटीपी में प्रारंभ किया गया। 6 जनवरी 2019 को श्री जुएल ओराम, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा केंद्र का उद्घाटन किया गया।

ii. चिकनी मिट्टी प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी इकाई: हाई एण्ड प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, आरटीपी में चिकनी मिट्टी प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई। यह इकाई कुम्हारों और अन्य इच्छुक लोगों को चिकनी मिट्टी प्रसंस्करण तकनीकों को समझने में और हाई एण्ड उत्पादों जैसे कि क्ले आभूषण और टेराकोटा वस्तुओं को बनाने में मदद करेगी।

iii. जैव कीटनाशक और उर्वरक इकाई: प्रमुख जैव कीटनाशक और उर्वरक उत्पादक, के.एन. बॉयो साइन्सेस, हैदराबाद ने आरटीपी में एक प्रशिक्षण इकाई की स्थापना की है। यह इकाई जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैव कीटनाशक और उर्वरक तैयार करने पर किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित करेगी।

iv. सुगंधित और आवश्यक तेल इकाई: सुगंधित पौधों की खेती और आवश्यक तेलों की निकासी पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए मेसर्स एसआरआईवी आरएआईएन के सहयोग से इस इकाई की स्थापना की गई है।

v. ई-वाहन इकाई: ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आरटीपी में ई-वाहन रखरखाव इकाई की स्थापना की गई है। प्रशिक्षित युवा ग्रामीण क्षेत्रों में ई-वाहनों के ओ एंड एम की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।

गैलरी - प्रदर्शनियों में आरटीपी की सहभागिता

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में आरटीपी की सहभागिता

प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में "अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2018'' में आरटीपी स्टाल

मणिपुर में "भारतीय विज्ञान सम्मेलन 2018" में आरटीपी-एनईआरसी-एनआईआरडीपीआर की भागीदारी

ग्रामीण विकास योजना में आरटीपी स्टॉल, ग्वालियर में कार्य अनुसंधान परियोजना का उद्घाटन

अध्याय - 5 नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

1.3 बिलियन जनसंख्या के साथ भारत की 62 प्रतिशत से अधिक आबादी जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा रही है। कार्यरत आयु वर्ग में 25 वर्ष से कम उम्र की 54% से अधिक आबादी है। वर्तमान में, 55 मिलियन मजबूत ग्रामीण आबादी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और एक अनुभवात्मक पारंपरिक कृषि कौशल के कारण काम के अवसरों तक पहुँचने में असमर्थ हैं, जिन्हें अधिक कृषि उत्पादकता के लिए प्रोन्नत करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण भारत के लिए स्थायी आजीविका विकल्प उत्पन्न करने के लिए सक्रिय रूप से नवीन कौशल अवसरों की खोज कर रहा है। नवोन्मेषी कौशल और आजीविका एक उभरती प्रक्रिया है और बाजार की स्थितियों, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रवासन में परिवर्तन के कारण गतिशील है। ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए आजीविका के दृष्टिकोण को पहले स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अनुभव के आधार पर अपनाया गया था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे 1999 से एक दशक से भी अधिक समय से लागू किया गया है और इसका पुनर्गठन कर वर्ष 2010-11 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। एसजीएसवाई का उद्देश्य ग्रामीण बीपीएल परिवारों में आय पैदा करने वाली संपत्ति / आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आय प्रदान करना है ताकि उन्हें गरीबी से ऊपर उठाया जा सके।

5.1 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं (एसजीएसवाई (एसपी))

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की कौशल और रोजगार प्रदान करने की पहल है। यह ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने और अपने युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता से विकसित हुआ। कौशल विकास विशेष परियोजनाओं को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के ग्रामीण युवाओं के रोजगार से जोड़ा गया ताकि संगठित क्षेत्र में मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल हासिल कर सके।

5.1.1 एसजीएसवाई (एसपी) परियोजनाओं की स्थिति

2007 से, मंत्रालय ने 87 एसजीएसवाई (एसपी) परियोजनाओं को समन्वय और निगरानी एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर को सौंपा। 87 परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं औपचारिक रूप से बंद हो गई हैं। मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर 71 लंबित परियोजनाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए प्रयास कर रहे है।

एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सीख में अन्य बातों के साथ, वितरण में अनुवादित स्पष्ट संचालन प्रोटोकॉल की अपर्याप्तता या कमी देखी गयी। इससे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को बहुत असुविधा हुई, जिनकी परियोजना के लिए नकदी-निर्गम अक्सर बाधित नहीं हुआ। इस तरह के विशिष्ट अंतराल को भरने के लिए इसके स्थान पर एक नया कार्यक्रम दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को सुचारू ढंग से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ शुरू की गई।

5.2 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) देश के विशेषाधिकार प्राप्त ग्रामीण युवाओं के लिए एक रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार के साथ परियोजना पद्धति में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। डीडीयू-जीकेवाई देश में या विदेशों में कैरियर की प्रगति की गुंजाइश के साथ ग्रामीण युवाओं को एक सम्माननीय नौकरी के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने में विश्वास रखता है।

कौशल और रोजगार केन्द्र, डीडीयू-जीकेवाई कक्ष, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। एक सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के 18 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन की देखरेख

करता है, जो रोशनी (वामपंथी उग्रवादी जिलों में), हिमायत (जम्मू और कश्मीर में) के बैनर तले मंत्रालय की आंख और कान के रूप में है और देश बाकी में डीडीयू-जीकेवाई के रूप में कार्यरत है।

5.2.1 निगरानी और मूल्यांकन

कार्यक्रम और नीति की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए डीडीयू-जीकेवाई में निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) महत्वपूर्ण है, विशेषकर परिणामों की उपलब्धि पर केंद्रित वातावरण में सतत निगरानी, एक प्रभावी निगरानी रेजिमेंट के माध्यम से, यह सत्यापित कर सकती है कि क्या योजना के अनुसार और एक कुशल तरीके से गतिविधियाँ आरंभ की जाती हैं। एक उपयुक्त निगरानी पद्धति वांछित परिणामों की उपलब्धि के संदर्भ में अपने कार्यक्रमों के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन करने में नीति निर्माताओं के लिए निगरानी और मूल्यांकन पद्धतियों से जानकारी भी प्रदान करती है।

सीटीएसए की भूमिका में एनआईआरडीपीआर द्वारा निम्नलिखित निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियाँ की जाती हैं:

- राज्यों को देय परिश्रम समर्थन का विस्तार
- एक वर्ष में प्रत्येक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र के कम से कम 3 निरीक्षण
- मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार लगाए गए उम्मीदवारों के भौतिक सत्यापन और राज्यों से अनुरोध।
- राज्यों / एमओआरडी के साथ परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा
- हितधारकों की क्षमता निर्माण
- एमओआरडी की ओर से एसआरएलएम / एसडीएम से आवश्यक डेटा / जानकारी एकत्र करें
- राज्य के लिए निष्पादन / गैर-निष्पादन और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डालना और एमओआरडी में भी वृद्धि करना
- देश भर के सभी हितधारकों को ईआरपी (कौशल भारत) का कार्यान्वयन और अनुभव देना

इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर के साथ उपलब्ध अनुभव और ज्ञान के आधार पर, यह क्षेत्रों में एमओआरडी और राज्यों का समर्थन करता है, जैसे:

- एसओपी और दिशानिर्देश संशोधन
- शिकायत / शिकायत की जांच और निवारण
- डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्यों का अनुभव और परामर्श
- प्रभाव अनुसंधान परियोजनाओं में भाग लेना और कार्यान्वित करना
- राज्य में समग्र कार्यक्रम की प्रगति को सूचित करने वाले राज्यों को मासिक निष्पादन पत्र

इनमें से कुछ क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 के दौरान निगरानी और मूल्यांकन उपलब्धि का एक स्नैपशॉट निम्नलिखित अनुभागों और निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रस्तुत किया गया है:

सारणी-6 : वर्ष 2018-19 के दौरान निगरानी और मूल्यांकन उपलब्धि

क्र. सं.	क्रियाकलाप का क्षेत्र	प्राप्त आंकडे
1	प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण	1,302
2	भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन	638
3	निगरानी और मूल्यांकन द्वारा भाषण दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	74
4	राज्यों की / पीआईए के निष्पादन की समीक्षा में भाग लिया / आयोजित किया गया	160

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1) कर्नाटक (43) और मेघालय (8) जैसे राज्यों के अनुरोध पर डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों के 51 देय परिश्रम को आयोजित किया गया।
2) डीडीयू-जीकेवाई एसओपी का संशोधन । संशोधित संस्करण को एमओआरडी द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है
3) आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) के लगभग 300 प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता लेखा परीक्षा
4) पीजीडीआरडीएम के रोजगार, रोजगार क्षमता और उद्यमिता पर एक पाठ्यक्रम सिखाना
5) डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में निगरानी और योजना केंद्र (सीपीएमई) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे डीडीयू-

जीकेवाई कार्यक्रम के लिए कारणों पर एक शोध परियोजना के लिए कई राज्यों से डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना।

6) कर्नाटक राज्य के लिए 2 किस्तें जारी करने के लिए सिफारिश - 6 परियोजनाएं

7) मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण : मानव संसाधन किसी भी कार्यक्रम के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनआईआरडीपीआर ने डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों के हैंडहोल्डिंग के लिए अपने संसाधनों को चित्रित करके आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, और कर्नाटक जैसे राज्यों का समर्थन किया । एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की निगरानी और मूल्यांकन टीम नियत-परिश्रम, निरीक्षण, किस्तों के प्रसंस्करण आदि जैसे कार्यों को करने में राज्यों की मदद कर रही है।

8) कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का अनुकूलन: देश भर में कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीडीयू-जीकेवाई में एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देश हैं। हालाँकि, कुछ स्थानीय आवश्यकताओं, राज्य की प्राथमिकताओं, आदि के आधार पर, कुछ राज्यों ने कुछ प्रक्रियाएँ भी बदली हैं जैसे कि किश्तें जारी करना, बैंक गारंटी की आवश्यकता, प्लेसमेंट प्रमाण, बुनियादी ढाँचे के विनिर्देश इत्यादि। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की निगरानी और मूल्यांकन टीम, अपने व्यापक अनुभव के आधार पर राज्यों को कई क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद कर रही है।

9) कार्यरत तकनीकी सहायता एजेंसियॉं (टीएसए) :
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में राज्य के लिए एक तकनीकी सहायता एजेंसी की सेवाओं को संलग्न करने का प्रावधान है, ताकि वे विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि देय-परिश्रम, निरीक्षण, प्लेसमेंट, सत्यापन, पीआईए निष्पादन प्रदर्शन, आदि को पूरा करने के मामले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद कर सकें। एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की निगरानी एवं मूल्यांकन टीम टीएसए चयन प्रक्रियाओं में कई राज्यों की मदद कर रही है।

10) परियोजना निष्पादन की निगरानी:
एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की निगरानी एवं मूल्यांकन टीमें कार्यक्रम की निरंतर निगरानी में राज्यों का समर्थन कर रही हैं।

v. निष्पादन सांख्यिकी
एनआईआरडीपीआर में निगरानी एवं मूल्यांकन, डीडीयू-जीकेवाई की गतिविधियों से संबंधित कुछ प्रमुख निष्पादन आँकड़े निम्नलिखित अनुभागों में विस्तृत रुप से दिये गये:

5.2.2 प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण

मूल्यांकन एवं निगरानी की गतिविधियाँ समय-समय पर उन सरकारी घोषणाओं को सामने लाती हैं जो राज्यों के कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

सारणी-7 : सीटीएसए द्वारा जारी एड्वाईजरी और आयोजित निरीक्षण की स्थिति और राज्यों द्वारा भाग लेने की स्थिति

राज्य	निरीक्षणों की संख्या					
	शेष	पूरे किए गए	%	एड्वाईजरी की संख्या		
				उठाई गई	समाधान की गई	%
आन्ध्र प्रदेश	203	208	102%	2,201	732	33%
असम	144	144	100%	1,333	751	56%
बिहार	122	114	93%	1,532	747	48%
गुजरात	59	59	100%	940	736	78%
हरियाणा	25	29	116%	519	305	58%
जम्मू और कश्मीर	19	47	247%	292	162	55%
झारखंड	121	121	100%	1,572	1,096	69%
कर्नाटक	101	107	105%	880	556	63%
केरल	195	195	100%	2,233	1,968	88%
मेघालय	11	11	100%	90	21	23%
पंजाब	179	172	96%	2,729	1,813	66%
राजस्थान	74	74	100%	914	209	22%
सिक्किम	3	3	100%	5	5	100%
तमिलनाडु	40	30	75%	192	167	86%
तेलंगाना	110	125	113%	1,457	0	0%
पश्चिम बंगाल	104	104	100%	1,302	825	63%
कुल	1,326	1,302	98%	15,474	8,427	54%

5.2.3 प्रशिक्षण और विकास

डीडीयू-जीकेवाई के हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एनआईआरडीपीआर के लिए एक महत्वपूर्ण अधिदेश है ताकी परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

i. निर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई कक्ष ने डीडीयू-जीकेवाई के हितधारकों के लिए विषयगत कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का आयोजन किया, जिसमें पीआईए और एसआरएलएम में विभिन्न भूमिका धारक शामिल हैं जो योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं । केंद्र द्वारा पेश किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 29 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्ष के दौरान दिए गए कार्यक्रमों की संख्या और प्रतिभागियों की संख्या नीचे दी गई है:

सारणी-8 : आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या

क्रम सं.	कार्यक्रमों का शीर्षक	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	डीडीयू-जीकेवाई पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम: पश्च पीआरएन	14	407
2	डीडीयू-जीकेवाई पर आगमन कार्यक्रम: परियोजनाओं के साथ	4	202
3	एसआरएलएम के लिए डीडीयू-जीकेवाई पर आगमन और पुनश्चर्या कार्यक्रम	8	210
4	कौशल प्रवीण: प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	31	606
5	आईटी मंच पर विषयगत कार्यशाला: पीएफएमएस	7	225
6	एमपीआर पर आभासी प्रशिक्षण	12	226
7	एसओपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	33	964
8	गुणवत्ता प्रबंधन पर कार्यशाला	2	133
9	केंद्र प्रबंधन पर विषयगत कार्यशाला	4	130
10	किस्त रिलीज पर प्रशिक्षण	3	46
11	अन्य प्रशिक्षण	19	584
	कुल	137	3733

ग्राफ-4 : 2018-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यों और संघ राज्यों की सहभागिता

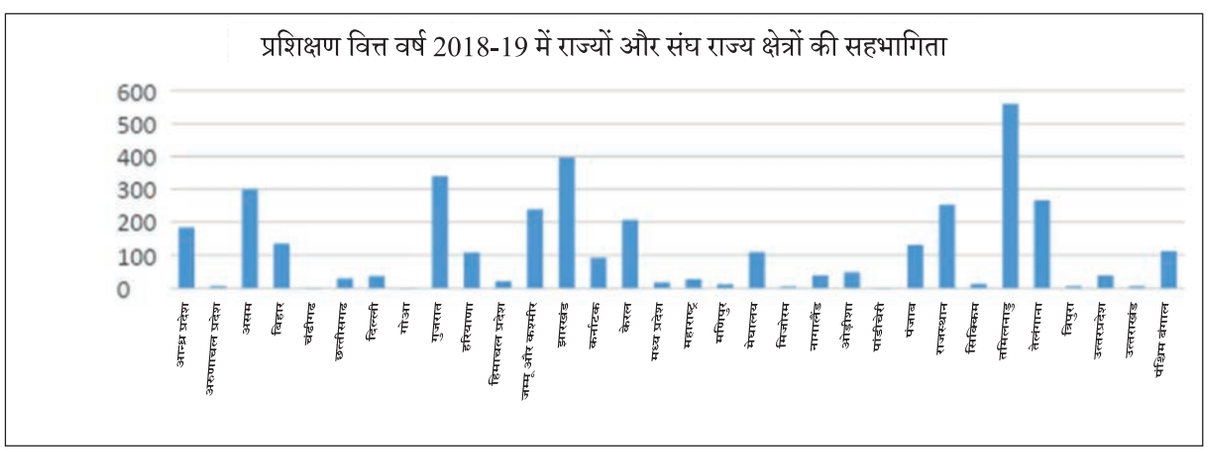

ii. प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए)

वर्ष 2019 की पहली तिमाही के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने के लिए नवंबर 2018 में 360 डिग्री प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण आरंभ की गई। संभावित ज्ञान और कौशल अंतराल प्राप्त करने के लिए पहले पीआईए, एसआरएलएम, टीएसए और सीटीएसए को एक विश्लेषण प्रश्नावली की आवश्यकता थी, इसके बाद राज्यों के साथ एक परामर्शदायी बैठक हुई, जिसमें प्रश्नावली के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। देश में 411 में से 219 पीआईए ने टीएनए में भाग लिया। प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने और राज्य स्तरीय प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद, वर्ष 2019 में पहले 6 महीनों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एनआईआरडीपीआर में एक परामर्शी कार्यशाला के लिए राज्य एसपीएम को आमंत्रित किया गया।

क. शीर्ष टीएनए निष्कर्ष:

ख. प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण

- उन राज्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दें जिन्हें पूरा करने का लक्ष्य है।
- अधिक आंचलिक और राज्य-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करें।
- केन्द्र प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और जिला तथा ब्लॉक अधिकारी आगमन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण का आयोजन करें।
- उत्तर पूर्वी राज्यों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दें।

ग. शीर्ष प्रशिक्षण आवश्यकताएँ

1. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
2. किश्त जारी करने पर प्रशिक्षण
3. पीएफएमएस
4. वित्तीय पद्धतियॉ
5. गुणवत्ता प्रबंधन

iii. मुख्य प्रस्ताव:

क. कौशल प्रवीण - कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौशल प्रवीण को कौशल और नौकरी केंद्र, डीडीयू-जीकेवाई, एनआईआरडीपीआर द्वारा दिसंबर 2017 में आरंभ किया गया। यह प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण पद्धति में सुधार के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और प्रशिक्षण केंद्रों में अपनाई गई प्रशिक्षण क्रियाविधियों की गुणवत्ता को मापने के लिए एक उद्योग-आधारित मापदंड को अपनाता है।

कौशल प्रवीण टीओटी (2018-19)

16 बैचेस
606 प्रशिक्षित
13 राज्य
108% सुधार

ख. डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों के लिए सोशल मीडिया आधारित सहकर्मी शिक्षण और परामर्श

एनआईआरडीपीआर द्वारा संचालित, एक सोशल मीडिया आधारित डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण और परामर्श जो टीओटी में भाग लेने वाले को टेलीग्राम ऐप का उपयोग करने की पहल की गई। ऐप 200 डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों का समुदाय है, और प्रशिक्षण प्रभाग के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है, जहां प्रशिक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया जाता है।

ग. कौशल प्रशिक्षण में कौशल प्रवीण का प्रभाव: वाइब्रेंट डोमेन लैब

टीओटी के बाद डोमेन लैब और प्रशिक्षण सत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों ने हाथ मिलाया। प्रशिक्षकों ने चित्रों और वीडियो के साथ कौशल क्रियाविधि में अपने शिक्षण के अनुप्रयोग को दिखाने की सूचना दी।

घ. कौशल प्रवीण - एक बेंचमार्किंग अध्ययन

एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण दल ने कौशल प्रवीण टीओटी की तुलना कौशल अंतराल में संगठनों द्वारा दिए गए अन्य टीओटी के साथ करने के लिए एक बेंचमार्किंग अध्ययन किया। चूंकि कौशल प्रवीण टीओटी का उद्देश्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजन किया गया है, तुलना मापदंड केवल कार्यप्रणाली पर हैं।

इस बेंचमार्किंग अध्ययन का उद्देश्य प्रशिक्षण पद्धति पर डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों के लिए टीओटी के वितरण में उद्योग पद्धतियों के साथ एनआईआरडीपीआर कितनी दूर या निकट है को जानना है। इस वर्ष कौशल प्रवीण को आईटीएसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के आकलनकर्ताओं का पाठ्यक्रम (आईटीएसी) के साथ बेंचमार्क किया गया।

इ. बेंचमार्किंग का सारांश

मापदंड	आईटीएसी टीओटी	कौशल प्रवीण टीओटी
प्रशिक्षण की अवधि (आमने सामने)	5 दिवस	3 दिवस
सीधी टिप्पणियों का पालन करें	☑	☑
प्रति प्रशिक्षक शुल्क	₹ 10,000/-	₹ 1500/-
कार्यकलाप आधारित कक्षाएं	☑	☑
प्रमाणीकरण	आईटीएसी एवं	एनआईआरडी पीआर
डोमेन प्रशिक्षण	☑	-

एनआईआरडीपीआर ने आईटीएसी और एनआईआरडीपीआर टीओटी में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के कक्षा व्यवहार का तुलनात्मक अवलोकन भी किया। यह देखा गया कि एनआईआरडीपीआर टीओटी प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को अक्सर आईटीएसी प्रशिक्षित कक्षाओं की तुलना में कक्षा में विभिन्न कुशल तरीकों और सहयोगी प्रशिक्षण विधियों को लागू करते हुए देखा जाता है। एनआईआरडीपीआर टीओटी में कौशल विधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। एनआईआरडीपीआर, आईटीएसी की तरह, अवलोकन रूब्रिक, शिक्षक अवलोकन, मान्यता के लिए 80% बेंचमार्क, और चल रहे मेंटरिंग का अनुसरण करता है जो प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में उद्योग पद्धतियों के अनुरूप हैं।

च. मिश्रित शिक्षण के माध्यम से सॉफ्टस्किल

एनआईआरडीपीआर ने 18 अगस्त 2018 को साफ्टस्किल प्रदान करने के लिए मिश्रित शिक्षण के दृष्टिकोण का उपयोग करने पर डीडीयू-जीकेवाई के चुनिंदा प्रशिक्षण भागीदारों से प्रशिक्षकों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सॉफ्टस्किल, जीवन कौशल और रोजगार कौशल पर अनुकूलित इंटरैक्टिव वीडियो को कुजा प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया हैं जो आजीविका मिशन के लिए माइक्रो-लर्निंग वीडियो बनाने में माहिर हैं।

iv. नई पहल

निम्नलिखित नये कार्यों को प्रारंभ किया गया है।

क. ई-लर्निंग: प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल के लिए वास्तविक तरीका अपनाना

सतत शिक्षण और क्षमता निर्माण सफल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे कई हितधारकों के लिए स्वायत्त सीखने की सुविधा प्रदान करने और कहीं भी, कभी भी ऑनलाइन सीखने की पेशकश करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने एसओपी सहित डीडीयू-जीकेवाई कार्यान्वयन से जुड़े ई-लर्निंग मॉड्यूल की एक श्रृंखला के विकास की शुरुआत की है; परियोजना चक्र और भूमिका-आधारित लर्निंग के हर चरण में विषयगत विषय ई-लर्निंग को विकसित करने के लिए आकर्षित, स्टोरी लाइन का सामंजस्य, व्योंड और ओपन स्रोत उपकरण जैसे अधिकृत उपकरण का उपयोग किया गया है। ई-लर्निंग मॉड्यूल को एक मॉड्यूल-आधारित लर्निंग प्रबंधन पद्धति (एलएमएस) पर स्थापित किया जाएगा। एलएमएस द्वारा समर्थित लर्निंग के अन्य चैनलों में मिश्रित वर्ग, आभासी वर्ग और प्रशिक्षक के नेतृत्व वाली कक्षा शामिल हैं।

ख. पीआरएन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ई-लर्निंग

पीआरएन पंजीकरण प्रक्रिया वीडियो के अंत की समाप्ति व्योन्ड, आकर्षित, आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन को समान बनाने और वीडियो संपादन उपकरण का उपयोग करके विकसित की गई।

ग. डीडीयूजीकेवाई उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधार पर ई-सामग्री

मानक संचालित प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, डीडीयूजीकेवाई प्रशिक्षकों को 80 घंटे का कंप्यूटर

फंडामेंटल्स प्रशिक्षण दिया जाता है। नए विषयों को शुरू करने के लिए गतिविधियाँ, नए विषयों और इंटरैक्टिव सामग्री को सीखने के लिए उम्मीदवारों में जिज्ञासा प्रज्वलित करें ताकि पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के लिए नवसिखुओं को कार्यरत किया जा सके। इसके साथ, आईटी घटक वितरण के लिए अब पीआईए के लिए मानकीकृत सामग्री उपलब्ध है।

घ. कौशल सलाह के लिए मिश्रित शिक्षण: प्रत्याशित पीआईए के लिए अभिमुखीकरण

डीडीयू जीकेवाई प्रशिक्षण दल ने "कौशल सलाह", प्रत्याशित पीआईए के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए मिश्रित शिक्षण और फ़्लिप क्लास रूम का परिचय दिया। सीखने की प्रगति की जांच करने के लिए सुविधाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रश्नमंच तैयार करने के साथ-साथ पूर्व-पठन सामग्री भी प्रदान की जा रही है।

ङ. डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए ई-लर्निंग

खुदरा बिक्री सहयोगी भूमिका के लिए निम्नलिखित ई-लर्निंग को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर विकसित किया गया :

- खुदरा बिक्री के भविष्य पर एक इंटरैक्टिव लर्निंग वीडियो
- कार्यस्थल पर बुनियादी शिष्टाचार पर एक एनीमेशन वीडियो
- बिक्री को अधिकतम करने के लिए मूल्यांकन के साथ इंटरएक्टिव लर्निंग वीडियो

च.डीडीयू-जीकेवाई कार्यकर्ताओं के लिए योग्यता मैट्रिक्स

जिस तरह हम डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए व्यवहार, कौशल और ज्ञान (एएसके) कार्यसूची को परिभाषित करते हैं, ठीक उसी तरह, डीडीयू-जीकेवाई कार्यकताओं के व्यवहार, कौशल और ज्ञान को दूसरे शब्दों में परिभाषित करना आवश्यक है। जनवरी 2019 में, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण अभ्यास के परिणाम के रूप में, एनआईआरडीपीआर के डीडीयू-जीकेवाई कक्ष ने नौ दक्षताओं के एक सूट की पहचान की है और आधार से उन्नत तक की दक्षता विकसित करने के लिए 4 चरणों का आयोजन किया है। कुशलता से अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए एक डीडीयू-जीकेवाई अधिकारी के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को परिभाषित करने में मदद कर सकता है। यह विकास पथ पीआईए, एसआरएलएम और सीटीएसए पर लागू होता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सक्षमता और योग्यता विकास के चरण से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक कार्यकर्त्ता को एक सीखने का मार्ग प्रदान करता है। टी एंड सीबी को लर्निंग प्रबंधन पद्धति के साथ एकीकृत करने पर यह लागू होगा। डीडीयू-जीकेवाई कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के लिए मैप की गई दक्षताओं का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

योग्यता सुइट	1. ऑनबोर्ड	2. मूल	3. वृद्धि	4. विशेषज्ञ
स्वयं के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करना	खुद के निष्पादन में सुधार करता है	गुणवत्ता देने के लिए स्वामित्व लेता है	सफलता प्राप्त करता है और सफलता की कहानियां प्रस्तुत करता है	परियोजना निष्पादन और रोल मॉडल संचालन करता है
हितधारक फोकस	हितधारक की जरूरतों को समझता है, अच्छा उद्धार करता है हितधारक अनुभव: उम्मीदवारों / पीआईए / एसआरएलएम / सीटीएसए / एमओआरडी	हितधारक संबंधों को विकसित करता है और उन्हें कार्यरत करता है, हितधारक अनुभव में सुधार करता है	हितधारक प्रतिक्रिया पर सलाह देता है, प्रदान करता है और तलाशता है और प्रतिक्रिया पर कार्य करता है; हितधारक संबंध बनाता है	हितधारक केंद्रित संस्कृति का नेतृत्व करता है, हितधारक वकालत के लिए चैंपियन की पहल, प्रमुख रिश्तों को बढ़ाता है
जोखिम का प्रबंधन	प्रक्रियाओं का अनुपालन	सक्रिय रूप से जोखिम और अनुपालन का प्रबंधन करता है	वास्तव में जोखिम का प्रबंधन करता है और अनुपालन	जिम्मेदार रूप से जोखिम को नियंत्रित करता है
सहयोग	एक टीम के सदस्य के रूप में सहयोग करता है	एक टीम के खिलाड़ी के रूप में कार्य करता है	नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है टीम का नेतृत्व करता है और प्रेरित करता है	नेटवर्क बनाता है
प्रोजेक्ट डेटा का प्रबंधन	मूल डेटा को समझता है और दस्तावेज़ तैयार करता है	भूमिका के साथ जुड़े डेटा का प्रबंधन करता है और दस्तावेजों को बनाए रखता है	सुधार के लिए प्रबंधन और परियोजना डेटा और दस्तावेजों का लाभ उठाता है	डेटा अखंडता को बढ़ावा देता है तथा प्रबंधन डेटा प्रबंधन नीति वकालत के लिए अनुसंधान करता है
डीडीयू-जीकेवाई परियोजना का प्रबंधन	मार्गदर्शन में परियोजना प्रबंधन का समर्थन करता है	सक्रिय रूप से परियोजना शासन और वितरण का समर्थन करता है	डीडीयू-जीकेवाई परियोजना संचालन करता है	डीडीयू-जीकेवाई परियोजना का नेतृत्व करता है
टीम के निष्पादन का प्रबंधन	भूमिका में खुद के प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध	टीम के प्रदर्शन को अधिकतम करता है टीम में अन्य लोगों को कोचिंग देता है	उच्च प्रदर्शन की मांग करता है बड़ी टीम उपदेशक बनता है	प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है दूसरों का मार्गदर्शन करता है
डीडीयू-जीकेवाई प्रक्रिया और पद्धति का उपयोग करना	प्रक्रियाओं का पालन करता है। सही ढंग से पद्धति का उपयोग करता है (जैसे कि एमपीआर / ईआरपी / एलएमएस / पीएफएमएस)	प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। पद्धतियों की आलोचना को समझता है और स्वामित्व लेता है।	प्रक्रिया और पद्धति में सुधार को दर्शाता है ।	प्रक्रिया और पद्धति में सुधार का संचालन करता है।
आवश्यकताएँ	विषय वस्तु विशेषज्ञ	एसओपी ज्ञान एसओपी ज्ञान लागू करता है	एसओपी पर आधारित परियोजना के निष्पादन का विश्लेषण करता है परियोजना के निष्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति और पहल विकसित करता है	परियोजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है सोच को प्रभावित करता है और आर एंड डी क्षमता का निर्माण करता है नई खोज करता है परियोजना कार्यान्वयन में सहायता के लिए संसाधन बनाता है

उपरोक्त योग्यता मानचित्रण के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

छ. ज्ञान बैंक

डीडीयू-जीकेवाई में प्रशिक्षण दल, एनआईआरडीपीआर ने एक चयनित ज्ञान बैंक शुरू किया जहां लेख, रिपोर्ट, शोध अध्ययन और कौशल विकास से संबंधित नवीनतम समाचार मदें एक्सेस किए जा सकते हैं। यह डीडीयू-जीकेवाई सूचना पोर्टल http://ddugky.info/kbank.php पर लोगों के लिए उपलब्ध है। दस्तावेजों को डीडीयू-जीकेवाई सूचना पोर्टल पर लॉगिन किए बिना देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण दल द्वारा किए गए माध्यमिक खोज के बाद दस्तावेजों का संकलन किया जाता है।

iv. आयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम

क. सीईओ सम्मेलन 28-29 अप्रैल, 2018

डीडीयू-जीकेवाई प्रभाग ने एसआरएलएम के सीईओ के एक सम्मेलन को एक निष्पक्ष मंच पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया, इस तरह के सुधारों को कार्यक्रम की दक्षता बढ़ाने के लिए अगले कुछ महीनों में लाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल एसआरएलएम के प्रमुख सचिव, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड राज्य के सीईओ और अन्य राज्यों के सीओओ और एसपीएम शामिल हुए और डीडीयू-जीकेवाई कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों और मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

पहचान किए गए कुछ प्रमुख कार्य बिंदु हैं:

1. एक एसओपी आज्ञाकारी ईआरपी प्रणाली की आवश्यकता
2. प्रशिक्षकों की गुणवत्ता और वेतन को मानकीकृत किया जाना
3. उचित काम के लिए सही उम्मीदवार का चयन करने के लिए उचित संग्रहण पर जोर
4. प्रशिक्षकों का प्रमाणन
5. गैर निष्पादन पीआईए से निधि की वसूली

ख. प्रशिक्षक रेसीडेंसी कार्यक्रम: फुटकर

डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण सुपुर्दगी की गुणवत्ता में योगदान के लिए प्रशिक्षक रेसीडेंसी मुख्य रूप से पीआईए प्रशिक्षकों के लिए एक सम्मान और पुरस्कार है। यह देश भर में प्रत्येक क्षेत्रीय डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण के प्रशिक्षण वितरण और क्रियाविधि की गुणवत्ता को बनाए रखने और मानकीकरण करने की दिशा में भी एक कदम है।

आवश्यकता: वर्तमान में, प्रत्येक व्यापार के तहत डोमेन के लिए कोई मानकीकृत सामग्री नहीं है, हालांकि एसएससी ने एक सामान्य सुविधा मार्गदर्शक और प्रशिक्षार्थी पुस्तिका को प्रकाशित किया है। पीआईए केंद्रों में, नियमावली अलग-अलग होते हैं और तद्नुसार प्रत्येक विषय के उपचार के साथ-साथ वितरण भी। यह एक कारक हो सकता है जो डीडीयू-जीकेवाई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

समाधान: उद्योग आधारित मानकीकृत सामग्री और सूत्रधार मार्गदर्शिका प्रस्तुत करें जो पीआईए प्रशिक्षकों के लिए सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश देती है जो डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। यह सब कुछ सबसे अच्छे पीआईए प्रशिक्षकों, एसएससी और उद्योगों को शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें एक सामान्य मंच पर लाया जा सकता है। उनके मार्गदर्शन में, प्रशिक्षक सुविधा मार्गदर्शक के लेखक हैं, अपने केंद्रों में इसका परीक्षण करते हैं और फिर एनआईआरडी और पीआर इसे प्रचार प्रसार करता है और इसके उपयोग को कौशल प्रवीण टीओटी के माध्यम से और एनआईआरडी और पीआर के एक केंद्रीय पोर्टल में डालकर इसे पुन: स्थापित करते हैं। फुटकर के लिए एक प्रशिक्षक रेसीडेंसी को अप्रैल 2018 में एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित किया गया, जहां फ1टकर प्रशिक्षकों ने डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुकूल एक इंटरैक्टिव प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की।

v. राज्यों के साथ भागीदारी:

क.हिमायत : संग्रहण और परामर्श देना

वर्ष 2018-2019 में संग्रहण और परामर्श पर जम्मू और कश्मीर पीआईए के लिए विशेष रूप से दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन क्षेत्रों के चिकित्सकों और विशेषज्ञों को दिसंबर 2018 में आयोजित कार्यशाला में और जनवरी 2019 में आमंत्रित वक्ताओं और एनआईआरडीपीआर दल के साथ परामर्श पर रणनीति और तकनीकों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

ख. झारखंड: कौशल दस्तावेज - आकांक्षी कौशल विकास विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण

झारखंड आजीविका उन्नयन समिति (जेएसएलपीएस) ने नए स्नातकों और युवा विशेषज्ञों के लिए कौशल में नौकरी के लिए एक उभरता सुझाव दिया जो नौकरी के अवसरों और कैरियर की प्रगति की तलाश कर रहे हैं। इसका उद्देश्य डीडीयू-जीकेवाई परियोजना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में कुशल और नौकरी के लिए तैयार जनशक्ति सृजन करना है।

- भारत और अन्य देशों में कौशल विकास के बारे में महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच विकसित करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक दक्षताओं (ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण) का निर्माण करना और उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण विकास क्षेत्र में कुशल पारिस्थितिकीय-तंत्र के लिए नौकरी हेतु तैयार पेशेवरों के रुप में बदलना।

प्रमाणन: पाठ्यक्रम पूरा करने और मूल्यांकन योग्यता के बाद उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

एनआईआरडी एवं पीआर, जेएसएलपीएस और प्रशिक्षण भागीदारों की उपस्थिति में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास द्वारा रांची में 8 अक्टूबर 2018 को कौशल दस्तावेज का शुभारंभ किया गया।

कौशल दस्तावेज पाठ्यक्रम के उद्घाटन पर श्री रघुबर दास (माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड) डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी, महानिदेशक – एनआईआरडी पीआर समूह को कौशल विकास, कौशल दस्तावेज पाठ्यक्रम उद्घाटन के दौरान एक वीडियो संदेश पर संबोधित करते हुए

5.2.4 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

डीडीयू-जीकेवाई के लिए एम आई एस को एमओआरडी के डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम की आईटी आवश्यकताओं के मंच की कल्पना की गई। प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं

- डीडीयूजीकेवाई योजनाओं की निगरानी के लिए अनुप्रयोगों का विकास
- डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट
- क्षमता निर्माण
- अनुप्रयोगों का रखरखाव
- आईटी अवसंरचना का रखरखाव
- ई-ऑफिस तकनीकी सहायता
- वीपीएन
- आईएमएपी
- डीएससी स्थापना और विन्यास

एमआईएस प्रभाग का प्राथमिक उद्देश्य डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। विकास और अनुप्रयोगों के रखरखाव जैसे "कौशल भारत", "मूल्यांकन प्रणाली", "ई-एसओपी लर्निंग पोर्टल", "रूरल कनेक्ट", "मॉनिटर्स एप्लीकेशन", "डीडीयूजीकेवाई. इनफो पोर्टल" और " लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस)" जैसी विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन कर आवश्यकताओं को पूरा करने में दल लगी हुई है।

दल अपने विश्लेषण के लिए डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं से संबंधित डेटा और रिपोर्ट के साथ विभिन्न हितधारकों का समर्थन करती है। अधिकतर ये रिपोर्ट राष्ट्रीय / राज्य / परियोजना स्तर पर जानकारी को दर्शाती हैं।

वर्तमान युग में, जब प्रौद्योगिकी और संचार समानार्थी हैं, किसी भी गतिविधि, प्रक्रिया या एक कार्यक्रम को चलाने के लिए आईटी का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि हितधारकों के बीच संचार का सामान्य तरीका इंटरनेट पर है, इसलिए यह आईटी अनुप्रयोगों को किसी भी सामाजिक संगठन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है और ग्रामीण समुदायों के विकास में भी ऐसा ही होता है। यह एक संगठन में एक एप्लिकेशन डेवलपमेंट ग्रुप की आवश्यकता को पूरा करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाले तालमेल का लाभ उठाना चाहते हैं।

i. अनुप्रयोग विकास

एमआईएस टीम उन मुख्य घटकों के विकास में शामिल रही है जो मानक संचालन प्रक्रियाओं के कठिन पालन में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम को शामिल करते हैं। जिसका मुख्य आशय कार्यक्रम के सभी हितधारकों को दीक्षा चरण से मूल्यांकन चरण तक उलझाकर एक मंच पर लाना है। टीम ने निम्नलिखित चार एप्लिकेशन विकसित किए हैं जो लाइव हो गए हैं और हितधारकों द्वारा उपयोग में हैं:

1. मूल्यांकन प्रणाली
2. कौशल भारत ई.आर.पी.
3. डीडीयूजीकेवाई.इन्फो
4. इन-हाउस प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए अनुप्रयोग

ii. मूल्यांकन प्रणाली

यह अनुप्रयोग परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को उलझाने के लिए एक अग्रदूत है। भावी पीआईए द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग परियोजना मूल्यांकन एजेंसियों (पीएए) द्वारा किया जाता है। परियोजनाएं जो मूल्यांकन प्रणाली में गुणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को योग्य बनाती हैं, अनुमोदन के आगे के चरणों के लिए विचार किया जाता है। यह अनुप्रयोग

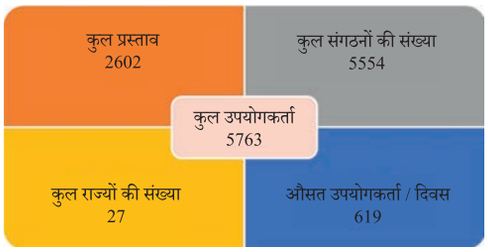

विभिन्न हितधारकों (पीआईए / पीएए / एसआरएलएम / सीटीएसए / एमओआरडी) में परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सहज बनाता है। पोर्टल लाइव विडियो अधिसूचना सं. 17/2018 को एमओआरडी द्वारा 10 जुलाई 2018 को जारी किया गया। पद्धति को निम्नलिखित आंकड़ों में परिलक्षित किया गया है:

iii. कौशल भारत

ईआरपी पर कौशल भारत डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रमों के प्रशासन की सुविधा देता है। एक बार जब पीआईए परियोजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं और उसके बाद की सभी गतिविधियाँ कौशल भारत पर की जाती हैं। यह अनुप्रयोग डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन चरणों के सभी हितधारकों के लिए अनंतिम समाधान प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं:

1. परियोजना की पहल
2. केंद्र प्रबंधन
3. उम्मीदवार प्रबंधन
4. बैच प्रबंधन
5. प्रशिक्षण प्रबंधन
6. निरीक्षण प्रबंधन

क. स्थल पर निरीक्षण के लिए मोबाइल अनुप्रयोग भी विकसित किया गया

7. प्लेसमेंट प्रबंधन

ग्राफ-5 : राज्यों द्वारा परियोजनाओं की स्थिति

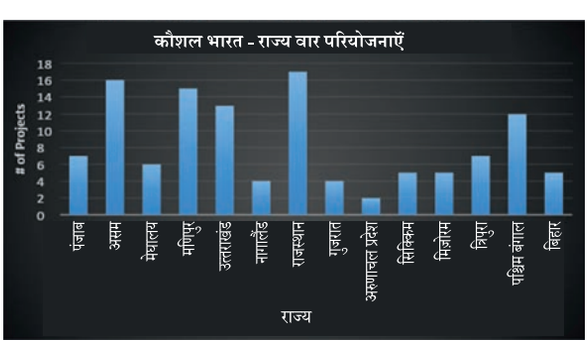

iv. डीडीयूजीकेवाई.इन्फो

इस प्रणाली का उपयोग वर्तमान में (कौशल भारत से पहले) परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा किया जाता है

- वित्तीय सत्यापन
- डेस्क सत्यापन
- भौतिक सत्यापन

असम, कर्नाटक, पंजाब, मेघालय, आंध्र प्रदेश मौजूदा परियोजनाओं के लिए प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

परियोजनाओं की संख्या	106
औसत उपयोगकर्ता /दिवस	491

v. अनुप्रयोगों का रखरखाव

ईएसओपी लर्निंग पोर्टल

एमओआरडी द्वारा जारी अधिसूचना सं. 63/2015 के अनुसार, यह माना जाता है कि परियोजना के निष्पादन में सीधे तौर पर शामिल सभी हितधारकों को डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसओपी की सामग्री से अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। डीडीयूजीकेवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सीधे तौर पर शामिल सभी साझेदारों को एसओपी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षित, एक्सेस और प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।

5.2.5 मूल्यांकन और वित्त

डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाएं सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जहां केंद्र सरकार परियोजना लागत का 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% योगदान करती है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में 100% और पूर्वोत्तर राज्यों में 90% योगदान देती है। कार्यक्रम का स्वामित्व हाल ही में संबंधित राज्यों में राज्य सरकार की नोडल एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों और अच्छी तरह से परिभाषित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) द्वारा संचालित है।

डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक मूल्यांकन एजेंसी के रूप में एनआईआरडीपीआर पूरे देश में सही पीआईए और सही समवर्ती निगरानी के चयन पर जोर देता है। ग्यारह राज्यों के डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं (रोशनी, हिमायत और

सागरमाला सहित) के लिए अनुप्रयोग एमओआरडी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार हैं। कार्यक्रम के लिए पीआईए को व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 राउंड के माध्यम से चुना जाता है, जिसके बाद संबंधित राज्य की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की मंजूरी होती है । डीडीयूजीकेवाई में परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया संसाधनों के प्रतिबद्ध होने से पहले, एक संरचित तरीके से आवेदन का आकलन और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है।

एनआईआरडीपीआर तिमाही आधार पर पीआईए द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के क्रॉस सत्यापन से संबंधित समवर्ती निगरानी करता है। इसे पूरा करने के लिए, वित्त टीम एएपी राज्यों में परियोजनाओं के त्रैमासिक यादृच्छिक सत्यापन का संचालन करने के लिए एसआरएलएम के लिए आवधिक रुप से दौरा करती है।

हिमायत, जम्मू-कश्मीर से एक लाख युवाओं के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास पहल है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत 21 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और इन सभी परियोजनाओं की वित्तीय निगरानी किस्त की सिफारिशों सहित और उनके निष्पादन के आधार पर परियोजना को बंद करना एनआईआरडीपीआर के दायरे में आता है।

i. परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया:

एनआईआरडीपीआर द्वारा डीडीयू-जीकेवाई में निम्नलिखित परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया निम्नानुसार वर्णित है । यह वित्तीय मूल्यांकन, संगठन और संरचनात्मक मूल्यांकन, क्षेत्र, व्यापार और भौगोलिक मूल्यांकन और पिछले प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सत्यापन की एक उचित परिश्रम प्रक्रिया है । मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया को नीचे दिए गए चार प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया है:

क. परियोजना आवेदन प्रस्तुति: डीडीयू-जीकेवाई परियोजना के लिए हिमायत, रोशनी और सागरमाला सहित एक परियोजना आवेदन को केवल निर्दिष्ट पोर्टल (ईआरपी.डीडीयूजीकेवाई.इन्फो) पर दर्ज करना होगा।

ख. प्रारंभिक स्क्रीनिंग: प्रारंभिक स्क्रीनिंग में एक आवेदन की जांच करना शामिल है, जिसने तकनीकी स्कोर पर न्यूनतम 10 अंक हासिल किए हैं: (क) 5000 रुपये के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए लेनदेन आईडी का सत्यापन। (ख) प्राथमिकता स्कोर और तकनीकी स्कोर के सत्यापन में एक पीआईए द्वारा सुसज्जित दस्तावेज; (ग) दिशानिर्देशों के संदर्भ में पीआईए की पात्रता मानदंड; (घ) पीआईए को ब्लैकलिस्ट करना।

- निष्कर्ष: गुणात्मक मूल्यांकन के लिए सफल आवेदनों की सिफारिश की जाएगी। अन्य सभी मामलों में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, पीआईए ने सूचित किया और पीएसी के सामने जानकारी रखी गई।
- क्रियाकलाप के पूरा होने की समय-सीमा: पीआईए आवेदन दर्ज करने के बाद 10 दिनों के भीतर पीआईए को सूचित करने का निर्णय।

ग. गुणात्मक मूल्यांकन: प्रक्रिया में 5 मापदंडों-वित्तीय के आधार पर पीआईए और परियोजना आवेदन का विस्तृत मूल्यांकन शामिल है; संगठन; पद-स्थापना; गुणवत्ता आश्वासन और प्रशिक्षण संरचना और वितरण। नीचे दिए गए निर्धारित उपकरण किट के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है: (i) जिन आवेदकों ने कम से कम 1 वर्ष के लिए एमईएस / क्यूपीएनओएस / एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम संचालित किया है, उनका मूल्यांकन स्कोरकार्ड 1 का उपयोग करके किया जाएगा। (ii) जिन आवेदकों ने कम से कम 1 वर्ष के लिए एमईएस / क्यूपी-एनओएस / एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रम का संचालन नहीं किया है, उनका मूल्यांकन स्कोर कार्ड 2 का उपयोग करके किया जाएगा। डीडीयू-जीकेवाई पीआईए के मामले में, एसआरएलएम मंत्रालय नामित प्रणाली के माध्यम से पीआईए के निष्पादन पर प्रतिक्रिया लेगा (जब तक कि ऐसी प्रणाली उपलब्ध नहीं होती है, एसआरएलएम संबंधित सीटीएस से इनपुट लेगा)। चैंपियन नियोक्ता और औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए परियोजनाओं द्वारा दायर की जाने वाली परियोजनाओं के मामले में, गुणात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, और केवल पीआईए (जो पूर्व में डीडीयू-जीकेवाई परियोजना शुरू कर चुके हैं) पर एक प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन से गुजरने वाले एक पीआईए को राज्य द्वारा अधिसूचित गैर-वापसी योग्य मूल्यांकन शुल्क का भुगतान करना होगा।

- परिणाम: निपटान पर निर्णय के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पीएसी के समक्ष रखी जाएगी । चैंपियन नियोक्ता और औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए दायर परियोजनाओं के मामले में, केवल पीआईए (यदि पीआईए ने डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाएं शुरू की हैं) पर एक फीडबैक तैयार किया जाएगा।

- गतिविधि को पूरा करने के लिए समय सीमा: प्रारंभिक स्क्रीनिंग में 30 दिनों तक आवेदन की सिफारिश की गई है।

घ. परियोजना के आवेदन का निपटान: आवेदन के निपटान का मतलब परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा परियोजना की अस्वीकृति या अनुमोदन है

प्रारंभ में गुणात्मक मूल्यांकन को बाहरी एजेंसियों को दिया गया था, बाद में दिसंबर, 2016 के दौरान एनआईआरडी और पीआर टीम ने गुणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से संभाल लिया है और अब मूल्यांकन शुल्क सत्यापन सहित मूल्यांकन की अनंतिम प्रक्रिया आयोजित करता है।

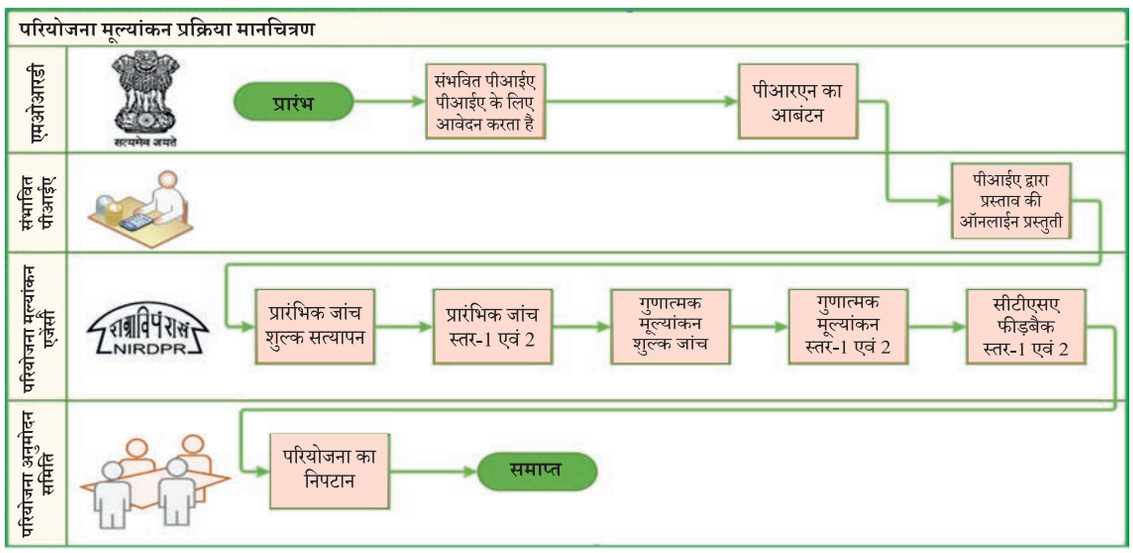

चित्र-3 : परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया मान चित्रण

ii. प्रारंभिक जांच और गुणात्मक मूल्यांकन की स्थिति:

प्रारंभिक जांच और गुणात्मक मूल्यांकन स्थिति की चित्रात्मक प्रस्तुति के बाद मूल्यांकन स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है:

सारणी-9 : 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यांकन स्थिति

क्र. सं.	परियोजना राज्य	प्राप्त कुल प्रस्ताव	अतिरिक्त लक्ष्य	प्रारंभिक जांच			गुणात्मक मूल्यांकन	
				अनुशंसित (चैंपियन नियोक्ता)	अनुशंसित (गैर-चैंपियन नियोक्ता)	सिफारिश नहीं की गई	सिफारिश की गई	सिफारिश नहीं की गई
1	आन्ध्र प्रदेश	69	9	0	24	36	9	8
2	असम	83	3	2	51	27	31	10
3	बिहार	138	0	1	74	63	50	9
4	हरियाणा	7	0	1	6	0	4	1
5	जम्मू एवं कश्मीर	217	2	0	121	94	67	28
6	झारखंड	39	1	0	20	18	12	3
7	कर्नाटक	22	3	0	10	9	9	0
8	मेघालय	27	0	1	16	10	11	2
9	सिक्किम	13	1	0	9	3	7	0
10	तेलंगाना	42	3	0	19	20	8	4
11	उत्तराखंड	15	0	0	9	6	6	1
	कुल योग	672	22	5	359	286	214	66

iii. मूल्यांकन सहायता डेस्क और टिकट प्रस्ताव:

हेल्प डेस्क पर प्राप्त मूल्यांकन संबंधी कॉल का जवाब देने में वित्त टीम सक्रिय रूप से स्वयं को संलग्न कर सहायता करना जारी रखा है। टीम समय-समय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित टिकटों के ईमेल प्रस्तावों पर भी काम करती है।

iv. डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं की समवर्ती वित्तीय निगरानी:

डीडीयूजीकेवाई के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) में से एक के रूप में, एनआईआरडी एवं पीआर , डीडीयूजीकेवाई के मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में परिसीमन के रूप में परियोजना कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करता है।

तिमाही सत्यापन के माध्यम से डीडीयूजीकेवाई दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुपालन में स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं के पालन को सुनिश्चित करने में वित्त टीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एसओपी भाग- II अध्याय 8 खंड 8.10.2 के अनुसार, एनआईआरडी और पीआर को एएपी राज्यों में परियोजनाओं का त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा किया जाना है। 18 एएपी राज्यों के त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा सत्यापन के माध्यम से वित्तीय समवर्ती निगरानी आयोजित करता है । इन लेखापरीक्षाओं का उद्देश्य निर्धारित व्यय के तहत उल्लिखित पात्रता का समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करना और एसओपी में उल्लिखित अन्य अनिवार्य जांचों का सत्यापन करना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनआईआरडी एवं पीआर ने 17 एपी राज्यों में कुल 1000 तक सत्यापन किए हैं, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ-6 : त्रैमासिक यादृच्छिक लेखापरीक्षा

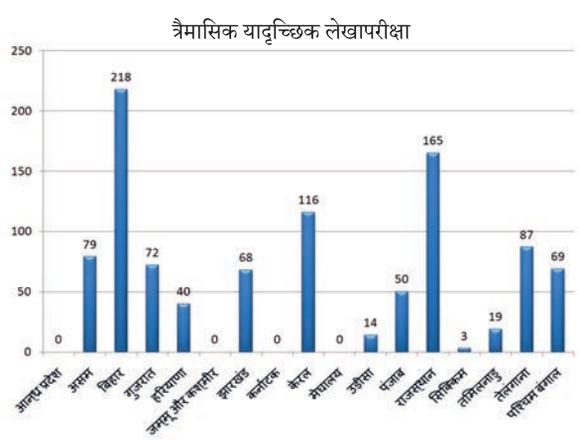

vi. हिमायत परियोजनाएँ:

हिमायत जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसे हिमायत मिशन प्रबंधन यूनिट, जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम), जम्मू-कश्मीर सरकार के राज्य के भीतर लागू किया जा रहा है। युवाओं को कौशल की एक श्रेणी में 3 से 12 महीने की अवधि के लिए नि: शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के अंत में, युवाओं को नौकरी का आश्वासन दिया जाता है और यह देखने के लिए एक वर्ष के बाद प्लेसमेंट पर नज़र रखी जाती है कि वे किस तरह से काम कर रहे हैं।

मंत्रालय ने इस योजना के तहत 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्त टीम इन सभी परियोजनाओं की वित्तीय निगरानी का आयोजन करती है जिसमें किस्त की सिफारिशें, उनके निष्पादन के आधार पर परियोजना को बंद करना शामिल है।

ix. परियोजना के निष्पादन पर प्रतिक्रिया का प्रावधान:

एसआरएलएम को आवेदक पीआईए को परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं में पीआईए के निष्पादन पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए । इसलिए, डीडीयूजीकेवाई की मौजूदा परियोजनाओं में पीआईए के प्रदर्शन पर एसआरएलएम की प्रतिक्रिया का प्रावधान सीटीएसए के निर्णायक कार्य में से एक है। सीटीएस सुनिश्चित करता है कि पीआईए की नवीनतम प्रतिक्रिया, जो पूर्व में डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं का संचालन कर चुकी है, परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) की बैठकों के संचालन के समय एसआरएलएम को उपलब्ध कराई जाती है। हमारे सीटीएसए फ़ीडबैक में कैप्चर किए गए महत्वपूर्ण तत्व हैं:

क. निधि पात्रता: आवेदक पीआईए की निधि पात्रता हमारे फीडबैक फॉर्म में दर्शाई गई है और इसकी गणना कारोबार , श्रेणी और मौजूदा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं की कुल लागत के आधार पर की जाती है।

ख. डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं की स्थिति: राज्यवार, परियोजनाओं की स्थिति आवेदक पीआईए को मंजूर की जा रही है जो सूचित करता है कि क्या परियोजनाएँ चल रही हैं, समाप्त या बंद हैं।

ग. भौतिक प्रगति: आवेदक पीआईए को स्वीकृत मौजूदा डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाएँ की भौतिक उपलब्धियों की तुलना प्रत्याशित परियोजना कार्य अनुसूची के विरूद्ध की जाती है और भौतिक निष्पादन पर टिप्पणी की जाती है।

घ. सतर्क और कारण बताओ नोटिस: किसी भी अलर्ट (लाल / पीला) या कारण बताओ नोटिस जो कि चालू डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के लिए आवेदक पीआईए को जारी किए जाते हैं और फीडबैक में एक योग्य विवरण दिया जाता है।

ड़. कवर किए गए जिले: वर्तमान आवेदन बनाम उन जिलों में जो आवेदन पहले से ही स्वीकृत हैं, उन जिलों में डीडीयूजीकेवाई परियोजनाओं के तहत आवेदन किए गए हैं।

च. कवर किए गए व्यापार: डीडीयूजीकेवाई के तहत उन प्रस्तावित राज्यों में पहले से स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार वर्तमान आवेदन में लगाए गए व्यापारों को भी सूचित किया गया है।

छ. लागू परियोजनाओं का स्नैपशॉट: परियोजना मूल्यांकन के लिए विभिन्न राज्यों में लागू परियोजनाओं के विवरण पर एक सार भी दिया गया है (सूची में सभी परियोजनाएं शामिल हैं यानी अनुशंसित, अनुशंसित नहीं और कालातीत)।

ज. एसजीएसवाई, हिमायत परियोजनाओं में परियोजना का निष्पादन: भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति और एसजीएसवाई तथा हिमायत जैसी पिछली कौशल परियोजनाओं में आवेदक पीआईए के वित्तीय अनुपालन को भी प्रतिक्रिया में कहा गया है।

झ. कोई अन्य जोखिम की पहचान: कोई अन्य जोखिम जिन्हें गुणात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन मूल्यांकन के बाद के स्थिति में पहचान की जाएगी, प्रतिक्रिया में ध्यान दिया जाएगा।

5.3 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार (जीओआई) दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) लागू कर रहा है – जबकि जून 2011 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की साझेदारी में एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य "सतत् आधार पर ग्रामीण गरीबों की आय में प्रशंसनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप विविध और लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के माध्यम से गरीबी को कम करना"। मिशन चार प्रमुख घटकों को कार्यान्वित करने के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। (क) ग्रामीण गरीबों (एसएचजी, वीओ, सीएलएफ आदि) के स्थायी सामुदायिक संस्थानों की सामाजिक गतिशीलता और संवर्धन; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेश; (ग) स्थायी आजीविका; और (घ) अभिसरण और पात्रता।

5 . 3 . 1 एनआरएलएम संसाधन कक्ष, एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य

1. एसआरएलएम की क्षमता निर्माण के माध्यम से एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत करना और एनआरएलएम संसाधन कक्ष (एनआरएलएम आरसी) से कार्यान्वयन समर्थन की व्यवस्था करना।
2. प्रशिक्षित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्र पेशेवरों के निरंतर प्रवाह को एनआरएलएम संसाधन कक्ष से आवश्यकता के अनुसार सभी एसआरएलएम और एमओआरडी को सुविधाजनक बनाना।

5.3.2 वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर द्वारा निष्पादित मुख्य क्रियाकलाप

1. एसआरएलएम की सीबी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाएं।
2. क्षेत्र में अध्ययन का आयोजन किया
3. एसएचजी-बैंक लिंकेज पर बैंक के अधिकारियों का उन्मुखीकरण
4. वार्षिक राष्ट्रीय राईटशॉप
5. प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास
6. राष्ट्रीय स्तर के सामुदायिक मास्टर प्रशिक्षक (एनसीआरपी) का विकास
7. एनआईआरडी और पीआर की अन्य इकाईयों को सहायता

5.3.3 वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य उपलब्धियां

क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरएलएम (आरसी) ने परिसर और परिसर के बाहर 210 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया और साथ ही एसआरएलएम अधिकारियों, एसआईआरडी संकाय सदस्यों, क्षमता निर्माण एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों और सीबीओ आदि के लिए भी एमओआरडी कार्यक्रमों का समन्वय किया । सीबी कार्यक्रम के विवरण निम्नानुसार हैं।

सारणी-10 : एनआरएलएम आरसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी

क्र. सं.	विवरण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागीगण	ग्राहकगण
1	एनआईआरडीपीआर कैंपस प्रशिक्षण	15	673	एनआरएलएम फैलो, एसपीएम, डीपीएम, बीबीएम, बीपीएफटी, सीसी, सीआरपी और अन्य विभागीय कर्मचारी
2	एनआरएलएम (आरसी) द्वारा आयोजित ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम	162	7499	डीपीएम, बीपीएम, एनजीओ, बीसीसी सीएमटी, सीआरपी और अन्य विभागीय कर्मचारी
3	एनआईआरडी और पीआर द्वारा समर्थित ऑफ कैंपस कार्यशाला	18	755	सीसी, सीटी, सीएम, बीपीएम, डीपीएम, एसपीएम, एसएपीएस, थीमैटिक विशेषज्ञ, वीओ और सीएलएफ ईसी सदस्य, एमडी, सीईओ
4	एनआईआरडीपीआर कैंपस कार्यशालाएं एनएमएमयू, एमओआरडी के साथ समन्वय	15	408	सीईओ, एसपीएम, एनजीओ वरिष्ठ अधिकारी, समुदाय
	कुल	210	9335	

ख) अध्ययन संचालित एनआरएलएम आरसी ने इस वर्ष कुछ अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया । विवरण निम्नानुसार हैं:

1. ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला (आरटीसीएम) की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन
2. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी के लिए ब्याज निवारण योजना पर एक अध्ययन
3. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत व्यावसायिक संवाददाताओं के रूप में एसएचजी सदस्य पर एक अध्ययन
4. एम के एस पी पर एक अध्ययन

5.3.4 राष्ट्रीय स्त्रोत व्यक्ति (एनआरपी)

एसआरएलएम एनआरएलएम संसाधन कक्ष को जरूरत आधारित और समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद ने एमओआरडी के सहयोग से राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति (एनआरपी) नामक अनुभवी और उच्च योग्य पेशेवरों का एक पूल बनाया है । वर्तमान में 461 एनआरपी हैं जिन्हें पूरे देश में एसआरएलएम के लिए आवश्यकता आधारित पेशेवर सहायता प्रदान कर रहा है।

मॉडल सीएलएफ विकास प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए, एनआरएलएम-आरसी ने राष्ट्रीय सामुदायिक मास्टर प्रशिक्षकों (एनसीएमटी) का एक पूल विकसित किया है जिनमें पर्याप्त निम्न स्तर का अनुभव है । वर्तमान में 69 एनसीएमटी पांच राज्यों के एनआरएलएम-आरसी द्वारा सूचीबद्ध हैं जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश।

5.4 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) परियोजना

आरएसईटीआई परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को कम करना है । एमओआरडी का दृष्टिकोण और मिशन ग्रामीण बेरोजगार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई स्थापित करना है, जो उन्हें स्वरोजगार के उपक्रम बनाकर उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत आरएसईटीआई इमारतों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को विभिन्न प्रायोजक बैंकों से अनुदान सहायता अनुरोध प्रस्तावों को प्राप्त करने और संसाधित करने की जिम्मेदारी दी

जाती है, अनुमोदन के लिए एमओआरडी को सिफारिश करना प्रतिबंधों से अवगत कराना और आरएसईटीआई भवन निर्माण के लिए बैंकों को प्रायोजित करने के लिए निधि जारी करना। एनआईआरडीपीआर राज्य सरकार द्वारा भूमि के आवंटन से संबंधित विभिन्न जिलों और राज्य प्राधिकरणों के साथ मुद्दों को उठाती है, प्रायोजक बैंकों के लिए भूमि का निर्विवाद प्राप्त करना, भवन निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करना और मुद्दों को हल करने में प्रायोजक बैंकों को मदद करना। एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आरएसईटीआई भवनों के निर्माण को पूरा करने में बैंकों को सहायता और मार्गदर्शन करता है । एनआईआरडीपीआर आरएसईटीआई के पिछले प्रशिक्षणार्थियों की सफलता की कहानियों का प्रकाशन भी करती है। इसके अलावा, एनआईअरडीपीआर प्रायोजक बैंकों के नोडल अधिकारियों और राज्यों के संपर्क अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने में सम्मिलित है।

5.4.1 उपलब्धि की प्रगति

दिनांक 31.3.2019 तक, देश में विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित 582 कार्यात्मक आरएसईटीआई हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 32 आरएसईटीआई को रु.13.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। दिनांक 31.03.2019 को, एनआईआरडीपीआर ने कुल मिलाकर 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 488 आरएसईटीआई को रू. 361.24 करोड़ की राशि जारी की है। कुल 232 जिलों में आरएसईटीआई भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष जिलों / स्थानों में निर्माण कार्य जारी है।

अध्याय - 6 शैक्षणिक कार्यक्रम

देश में युवा ग्रामीण विकास प्रबंधन व्यवसायियों का एक प्रतिबद्ध और सक्षम संवर्ग विकसित करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया हैं। इन कार्यक्रमों की सुविधा के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई) की स्थापना की गई। इसके भाग के रूप में, संस्थान ने वर्ष 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीआरडीएम) नामक एक-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरूआत की जिसके प्रत्येक बैच की क्षमता 50 छात्र है। वर्ष 2018 में संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुमोदन से दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम प्रारंभ किया।

ग्रामीण विकास में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कार्यबल की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर ने सतत ग्रामीण विकास में एक-वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-एसआरडी) कार्यक्रम के साथ 2010 में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तदनंतर, वर्ष 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) कार्यक्रम और अगस्त 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-गार्ड) कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने वर्ष 2018 में हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के सहयोग से पंचायती राज शासन एवं ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारंभ किया। राष्ट्रीय प्रौद्यागिकी संस्थान (एनआईटी), अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से संस्थान ने एम.टेक, समुचित प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता (एम.टेक – एटीई) पर एक संयुक्त कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम में छात्रों ने ग्रामीण विकास में तकनोलॉजी अनुप्रयोग को सीखने और परियोजना कार्य करने के लिए एनआईआरडीपीआर में कार्यक्रम का दूसरा वर्ष बिताया। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

6.1 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (नियमित)

6.1. 1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम)

वर्ष 2018-19 में, ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के दो कार्यक्रम आयोजित किए है। पीजीडीआरडीएम बैच – 15, जनवरी, 2018 से आरंभ होकर जनवारी 2019 को समाप्त हुआ। बैच- 16, 20 अगस्त, 2018 से शुरू हुआ और अभी चल रहा है। पीजीडीआरडीएम : 2018 - बैच -15 में देश के विभिन्न भागों से छियालीस छात्रों ने प्रवेश लिया है जिसमें मध्य भारत से 6, दक्षिणी भारत से 22, उत्तरी भारत से 3, पूर्वी भारत से 11 और पश्चिमी भारत से 4 है।

पीजीडीआरडीएम : 2018-19 (बैच -16) में भारत के विभिन्न भागों से अर्थात् मध्य भारत से 5, दक्षिण भारत से 9, उत्तर-पूर्वी से 2, उत्तरी भारत से 4, पूर्वी भारत से 7 और सिर्डाप एवं आर्डो जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय सेवाकालीन छात्रों को मिलाकर कुल बत्तीस छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इनमें से 9 महिला छात्र हैं। 5 अंतरराष्ट्रीय छात्र घाना, फिजी, म्यामार, सूडान और ईरान से हैं।

दोनों ही बैचों में, लगभग 13 प्रतिशत छात्र विज्ञान से संबंधित हैं (जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान) 11 प्रतिशत विज्ञान शाखा से जबकि 24 प्रतिशत छात्र कला से और शेष 52 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कामर्स इत्यादि से संबंधित है। प्रवेश प्रक्रिया एनआईआरडीपीआर, सीएटी, एमएटी, एक्सएटी एवं एटीएमए द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक, तत्पश्चात् समूह परिचर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर की गयी।

6.1. 2 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ग्रामीण प्रबंधन)

वर्ष 2018 में, संस्थान ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एआईसीटीई, नई दिल्ली के अनुमोदन से दो पूर्ण वर्षीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ग्रामीण प्रबंधन) शुरू किया। कार्यक्रम में बीस छात्र भर्ती हुए। छात्रों का चयन सीएटी, एमएटी, एक्सएटी एवं एटीएमए जैसे अखिल भारतीय योग्यता परीक्षा, तत्पश्चात् समूह परिचर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया गया। 20 प्रतिशत छात्र विज्ञान से संबंधित हैं (जैसे कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान) जबकि 20 प्रतिशत छात्र कला से और शेष 60 प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कामर्स आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से हैं।

6.1.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम

पीजीडीआरडीएम /पीजीडीएम -आरएम का ट्रायमेस्टर आधारित कार्यक्रम में क्लासरूम शिक्षण घटक, क्षेत्र परिचय, प्रायोगिक शिक्षा, आवधिक परीक्षांए, गृह कार्य, परियोजना रिपोर्ट और अंतिम परीक्षा शामिल है। क्लासरूम घटक में तीन ट्रायमेस्टर होते है और साथ ही साथ ट्रायमेस्टर - II, ट्रायमेस्टर - III के बीच छह सप्ताह के लिए क्षेत्र दौरे पर ले जाया जाता है।

6.1.4 ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप

पीजीडीआरडीएम: बैच -15 के छात्रों के लिए 10 सितंबर से 16 अक्तूबर 2018 तक छह सप्ताह के लिए ग्रामीण संगठनात्मक इंटर्नशिप आयोजित किया गया ताकि छात्रों को ग्रामीण समाज की गहन समस्याओं और उसकी सक्रियता से अवगत कराया जा सके। क्षेत्र संबद्ध घटक संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणाली, एचआरडी, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्यसंवर्धन इत्यादि पर ध्यान देता है। क्षेत्र कार्यों के संगठनों में : (i) सिर्डाप - ढ़ाका, बांग्लादेश (ii) ग्राम श्री (iii) आईसीआईसीआई फाउंडेशन (iv) रूरबन मिशन – मध्य प्रदेश (v) एमवाईआरएडीए (vi) ओडिशा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (v i i) राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (viii) आरवाईएसएस (ix) एसईआरपी - एपी (x) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर (xi) उत्तरांचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (xii) श्रीजन (xiii) पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं।

6.1.5 पीजीडीआरडीएम: पीजीडीआरडीएम बैच - 14 एवं 15 का कैंपस पदस्थापन

पीजीडीआरडीएम –बैच– 14 का पदस्थापना कार्य जून 2018 के दौरान आयोजित किया गया था। कैंपस पदस्थापना कार्य में प्रतिष्ठित संगठनों ने भाग लिया। पीजीडीआरडीएम बैच -14 में प्रवेश लेने वाले कुल 44 छात्रों में से 41 छात्रों को पदस्थापित किया गया है। (i) रूरबन – मध्य प्रदेश (ii) ओडिशा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (iii) मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (i v) बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाईटी (v) रूरबन – हिमाचल प्रदेश (vi) एसईआरपी – तेलंगाना (vii) एसईआरपी – आन्ध्र प्रदेश (v i i i) आरवाईएसएस (i x) राजीविका (x) एनआरएलएम, एनआईआरडीपीआर (x i) अक्षरा नेटवर्कस।

बैच– 15 के लिए पदस्थापना कार्य नवम्बर 2018 के दौरान आयोजित किया गया। कैंपस पदस्थापना कार्य में प्रतिष्ठित संगठनों ने भाग लिया। पीजीडीआरडीएम बैच -15 में प्रवेश लेने वाले कुल 46 छात्रों में से 42 छात्रों को पदस्थापित किया गया है। (i) टाटा ट्रस्ट – छत्तीसगढ (ii) राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (iii) ओडिशा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (iv) बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाईटी (v) एसईईडीएपी (vi) एनआईआरडीपीआर डीडीयूजीकेवाई (vii) जेएसएलपीएस (viii) हरियाणा एसआरएलएम (i x) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर (x) रूरबन मिशन – मध्य प्रदेश (xi) अक्शरा नेटवर्कस और (x i i) एसवाईएनसीएचआरओएसईआरवीई (SYNCHROSERVE)।

6.1.6 पीजीडीआरडीएम : बैच -14 और बैच -15 के लिए डिप्लोमा अवार्ड समारोह

एनआईआरडीपीआर के पीजीडीआरडीएम : 2017-18 बैच -14 के डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह का आयोजन 4 अगस्त 2018 को किया गया। श्री पी.एच. कुरियन, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एवं अध्यक्ष, शैक्षणिक समिति, एनआईआरडीपीआर पीजीडीआरडीएम ने डिप्लोमा अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की।

पीजीडीआरडीएम बैच -14 के डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह में छात्रों को डिप्लोमा अवार्ड पुरस्कार देते हुए डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर

एनआईआरडीपीआर के पीजीडीआरडीएम बैच -15 2018 के डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह का आयोजन 12 जनवरी 2019 को किया गया। श्री प्रविन कुमार टोप्पो, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं एनआरईपी (विशेष प्रभाग) ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एवं अध्यक्ष, शैक्षणिक समिति, एनआईआरडीपीआर पीजीडीआरडीएम ने डिप्लोमा अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की।

पीजीडीआरडीएम बैच -14 के डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह में सभा को संभोधित करते हुए श्री पी.एच. कुरियन, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, केरल सरकार

पीजीडीआरडीएम बैच -15 के डिप्लोमा अवॉर्ड समारोह में छात्रों को डिप्लोमा प्रदान करते हुए डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर और श्री प्रविन कुमार टोप्पो, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं एनआरईपी (विशेष प्रभाग) ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार

6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

ग्रामीण विकास क्षेत्र को आदिवासी विकास के मुद्दों, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए, ग्रामीण विकास प्रबंधकों के रूप में कार्य करने के लिए विषय क्षेत्र विशेषज्ञों / पेशेवरों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संस्थान विभिन्न विषय क्षेत्रों में दूरस्थ मोड में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करता है।

6.2.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

सरकारी, गैर-सरकारी और सीएसआर संगठनों के ग्रामीण विकास विभागों की जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में सक्षम ग्रामीण विकास पेशेवरों को तैयार करने के लिए दूरस्थ मोड में सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया था।

पीजीडीएसआरडी कार्यक्रम के बैच -10 में कुल 294 छात्र पंजीकृत हुए, जिनमें अफगानिस्तान ग्रामीण विकास संस्थान (एआईआरडी), काबुल के लिए नामांकित 24 छात्र शामिल हैं। प्रथम सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं और परीक्षाएं 2 से 10 जुलाई 2018 के महीने में आयोजित की गई और दूसरे सेमेस्टर की कक्षाएं और परीक्षाएं 21 से 30 दिसंबर 2018 में आयोजित की गई । कुल 110 छात्रों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। पीजीडीएसआरडी बैच -11 जनवरी, 2019 में शुरू हुआ जिसमें 256 छात्रों ने पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है।

6.2.2 आदिवासी विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीटीडीएम)

आदिवासी विकास व्यवसायियों का एक प्रशिक्षित समूह, जो सकारात्मक बदलाव ला सकता है उसे तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आदिवासियों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, संस्थान ने पीजीटीडीएम कार्यक्रम आरम्भ किया। यह कार्यक्रम छात्रों, आदिवासी विकास एवं अन्य संबद्ध विभागों में काम करने वाले विकास अधिकारियों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के लिए आदिवासी से संबंधित मुद्दों और बेहतर रोजगार के अवसरों को सीखने का अवसर प्रदान करता है।

पीजीडीटीडीएम कार्यक्रम के बैच -7 में अड़तालीस (48) छात्र पंजीकृत हुए। प्रथम सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं सह प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 से 10 जुलाई 2018 के महीने में और दूसरे सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं सह सेमेस्टर अंत परीक्षाएं 21 से 30 दिसंबर 2018 में आयोजित की गई। शैक्षणिक वर्ष के दौरान कुल 21 छात्रों ने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। पीजीडीटीडीएम बैच -8 जनवरी 2019 से शुरू हुआ और इस बैच में 33 छात्रों ने पंजीकरण कराया है।

6.2.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

ग्रामीण विकास में जीआईएस अनुप्रयोग, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और वास्तविक समय में निर्णय लेने के लिए ई-शासन एक किफायती साधन है। ग्रामीण विकास अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वानिकी, कृषि, सड़क, आधारभूत संरचना, आईसीटी, सिंचाई, पेयजल, आपदा प्रबंधन आदि जैसी क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन से सीधे संबंधित सभी वर्गों के विकास अधिकारियों के लिए ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी) को डिज़ाइन किया गया है।

पीजीडीगार्ड कार्यक्रम के बैच -3 में एक सौ अट्ठाइस (128) छात्र पंजीकृत हुए। प्रथम सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं सह प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 30 जून, 2018 तक और द्वितीय सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं सह सेमेस्टर अंतिम परीक्षाएं 26 दिसंबर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक आयोजित की गईं। पीजीडीगार्ड बैच -3 के कुल 27 छात्रों ने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। पीजीडीगार्ड बैच - 4 प्रगति पर है। वर्तमान बैच में 98 छात्र हैं।

6.2.4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम

निरंतर प्रशिक्षण द्वारा पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करते हुए भारत के बदलते स्वरूप के तहत पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपीपीआरजीएआरडी) शुरू किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायती राज पदाधिकारियों और अन्य को ग्रामीण शासन पर अतिरिक्त ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।

6.2.5 सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी और उपयुक्तता (एटीई) पर दो साल का एम.टेक कार्यक्रम

केंद्र ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमिता (एटीई) पर दो वर्षीय एम टेक कार्यक्रम का आयोजन किया। पांचवें बैच के सात छात्रों ने कार्यक्रम के तीसरा और चौथा सेमेस्टर आरंभ किया, जो मई 2017 में समाप्त होगा। एनआईआरडीपीआर में अपने प्रवास के दौरान, छात्रों ने विषय और उत्पादों पर काम किया जिसमें बाइक रेंटल सेवा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टु फेसलिफ्ट टूरिस्ट्स, पावेर (इंटरलाक्ड) ब्लॉक का विनिर्माण और विपणन, अनानास जूस प्रोसेसिंग, गृह आधारित सौर लैंप निर्माण इकाई और हाउसिंग कंसल्टेंसी सेवाओं की स्थापना शामिल है।

अध्याय - 7 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष फोकस

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी परिसर

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी) का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र जुलाई 1983 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षमताओं के लिए अपने प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को कार्योन्मुख करना था।।

7.1 अधिदेश

क्षेत्रीय केंद्र का अधिदेश निम्नानुसार है:

- वरिष्ठ विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- अपने स्तर पर या अन्य एजेंसियों के माध्यम से अनुसंधान आरंभ करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना।
- ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, विकेंद्रीकृत शासन, आईटी अनुप्रयोग, पंचायती राज और उनसे संबंधित मुद्दों के लिए कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करना।
- संस्थान के मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में समय-समय पर पत्रिकाओं, रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार करना।

7.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं / सेमिनार

एनईआरसी सम्मेलन कक्ष में कार्यशाला के प्रतिभागी

सारणी-11 : प्रशिक्षण / कार्यशालाएं / सेमिनारों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या :

क्र. सं.	प्रतिभागियों की श्रेणियाँ	प्रत्येक श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या
1	सरकारी अधिकारी	823
2	जेड पी / पीआरआई / वीडीबी / वीसी कार्यकर्ता	14
3	राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों के विद्वान	170
4	विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के संकाय / अधिकारी	10
5	अन्य: पीएसयु / वीओ / बैंकर / व्यक्ति	114
	कुल	1131

7.2.1 प्रशिक्षण / कार्यशाला / सेमिनार के मुख्य क्षेत्र

केंद्र की गतिविधियों के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र निम्नलिखित कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करेंगे।

- ग्रामीण आजीविका
- डिजिटल भुगतान प्रणाली
- प्रशिक्षण के तरीके और संचार कौशल
- इको टूरिज्म
- वाटरशेड कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन
- भू-स्थानिक टेक्नोलोजी
- ई-गवर्नेंस और ओपन सोर्स आईसीटी अनुप्रयोग
- फार्म सेक्टर में कौशल विकास
- व्यवहार कौशल
- प्रबंधन सूचना प्रणाली
- आरडी कार्यक्रमों की सहभागी योजना और अभिसरण
- ग्रामीण अनुसंधान पद्धति

7.2.2 प्रशिक्षण की विशेषताएं

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी द्वारा 2018-19 के दौरान कुल 38 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1131 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें हर कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों की औसत भागीदारी थी। कार्यक्रमों में 29 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 7 कार्यशालाएं और दो सेमिनार / सम्मेलन शामिल थे। प्रति कार्यक्रम औसत महिला भागीदारी लगभग सात थी। 27 कार्यक्रम परिसर के कार्यक्रम थे, जबकि सात ऑफ-कैंपस कार्यक्रम एसआईआरडी और क्षेत्र के अन्य संस्थानों और संगठनों में आयोजित किए गए थे।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, एनआईआरडीपीआर एनईआरसी के एनआरएलएम-आरसी ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 1402 प्रतिभागियों से संबंधित 44 कार्यक्रम आयोजित किए।

एनईआरसी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समूह अभ्यास

सारणी-12: एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी के प्रशिक्षण और उपस्थित प्रतिभागियों (राज्य-वार) की संख्या

I) उत्तर पूर्वी

क्र. सं.	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	128
2	असम	325
3	मणिपुर	65
4	मेघालय	194
5	मिजोरम	79
6	नागालैंड	77
7	सिक्किम	53
8	त्रिपुरा	82
9	अन्य राज्य	124
	कुल	1127

ii) अंतर्राष्ट्रीय - नेपाल से 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया

7.3 परामर्श सहित अनुसंधान

एनईआरसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं पर अनुसंधान करता है। अनुसंधान इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में नैदानिक और कार्यक्रम उन्मुख अनुसंधान अध्ययन दोनों को शामिल करता है।

7.3.1 अनुसंधान के फोकस क्षेत्र

फोकस क्षेत्रों में आईडब्ल्युएमपी मूल्यांकन अध्ययन, वन ग्राम, किसान की आय, पोषण सुरक्षा और सतत आर्थिक विकास, आईडब्ल्युएमपी पर मूल्यांकन अध्ययन, जीआईएस आधारित संसाधन मानचित्रण, खेती के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समय और कार्य अध्ययन, ग्राम अभिग्रहण पीएमएजीवाई के तहत अध्ययन और ग्राम विकास योजना शामिल है।

7.3.2 अनुसंधान हस्तक्षेप की विशेषताएं

कुल मिलाकर परामर्शी सहित कार्य अनुसंधान के 18 अनुसंधान अध्ययन 2018-19 के दौरान आरंभ किए गए, जिनमें से छह पूरे हो चुके हैं और 12 पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं। एनईआरसी अपनी पहुंच के साथ परामर्श और विवरण के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या जुटा सकता है जो निम्न लिखित है:

सारणी - 13 : एनआईआरडीपीआर - एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा आरंभ की गई अनुसंधान परियोजनाएँ

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	प्रायोजन एजेंसी	स्थिति
1	मिसिंग स्वायत्त परिषद के कामकाज का एक मामला अध्ययन: असम राज्य में जनजातीय (सादा जनजाति) विकास का एक साधन	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	संपूरित
2	असम के वन ग्राम का एक मामला अध्ययन: पंचायती राज के विस्तार के मुद्दे और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	संपूरित
3	बिहार के बोधगया में बकरोर ग्राम पंचायत पर ग्राम अभिग्रहण अध्ययन	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	संपूरित
4	बिहार में महिला प्रधान ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन पर अनुसंधान अध्ययन: शक्ति, प्रतिरोध, वार्ता और परिवर्तन पर विश्लेषण	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद	प्रगति पर

सारणी - 14 : एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा आरंभ किए गए परामर्शी अध्ययन

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजनाओं का नाम	प्रायोजन एजेंसी	प्रगति पर
1	एससीए से एससीएसपी का मूल्यांकन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	संपूरित
2	पीएमएजीवाई के तहत 75 गांवों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार करना	अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय, असम सरकार	संपूरित (चरण -1, भाग 1)
3	इंफोसिस के तहत एनआईआरएएमएवाईए (निरमाया) परियोजना के लिए परामर्शी सेवाएं परियोजना सलाहकार	एफआईएसएस एवं सेवा भारती पूर्वांचल	प्रगति पर
4	उत्तर पूर्व भारत में किसान की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा और सतत आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक और नए उच्च मूल्य वाली फसलों की भूमिका पर अध्ययन	आईसीएसएसआर	प्रगति पर
5	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चक्रावर्तन द्वारा शिफ्ट कल्टीवेशन पर जिओ डेटाबेस का सृजन, मानचित्रण और वेब प्रकाशन: उत्तर पूर्व भारत के सात जिलों का एक अध्ययन	एनईसी, शिलांग	प्रगति पर
6	19 आईडब्ल्युएमपी बैच- II परियोजना (2010-11), नागालैंड का समेकित चरण मूल्यांकन	एसएलएनए, आईडब्ल्यूएमपी, नागालैंड	प्रगति पर
7	20 आईडब्ल्युएमपी बैच III (2009-10) परियोजनाओं नागालैंड का कार्य चरण मूल्यांकन	एसएलएनए, आईडब्ल्यूएमपी, नागालैंड	प्रगति पर
8	पूर्वी सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में मत्स्य विकास के लिए जीआईएस आधारित संसाधन मानचित्रण	मत्स्य निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार	प्रगति पर
9	पीएमएजीवाई के तहत 75 गांवों के लिए ग्राम विकास योजना तैयार करना	अनुसूचित जाति का कल्याण निदेशालय, असम सरकार	संपूरित (चरण -1, भाग 1)
10	वाटरशेड विकास घटक, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, त्रिपुरा	त्रिपुरा सरकार	प्रगति पर
11	आरजीएसए के तहत आरंभ किए गए "क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन" पर अध्ययन	एसआईआरडी, असम	प्रगति पर
12	मनरेगा का एक दशक: भागीदारी का आकलन और भविष्य	-	प्रगति पर
13	समय और कार्य पर अध्ययन	-	प्रगति पर
14	त्रिपुरा राज्य में पर्यावरण बहाली और स्मार्ट जलवायु दृष्टिकोण पर जागरूकता और क्षमता निर्माण	जीबीपीएनआईएचईडी (जीबीपीएनआईएचईडी)	प्रगति पर

एनईआरसी में ऐरेका लीफ प्लेट बनाने का प्रशिक्षण

7.4 नई पहल

7.4.1 उत्तर-पूर्वी राज्यों में जीपीडीपी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर कार्यशाला

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी करना अनिवार्य किया गया है। जीपीडीपी नियोजन प्रक्रिया को व्यापक और भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए जिसमें सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के साथ पूर्ण अभिसरण शामिल हो । पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 2 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2018 तक जीपीडीपी (सबकी योजना सबका विकास) के लिए जन योजना अभियान शुरू किया था। इस अभियान के एक भाग के रूप में एमओपीआर ने एनआईआरडीपीआर के सहयोग से कार्यशालाओं और प्रशिक्षण की श्रृंखला का आयोजन किया ताकि अभियान के सफल आयोजन के लिए राज्यों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को समर्थन दिया जा सके।

अभियान के एक भाग के रूप में, पूर्वोत्तर राज्यों में जीपीडीपी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर दो दिवसीय विशेष कार्यशाला 16 और 17 नवंबर, 2018 को एनईआरसी, गुवाहाटी में आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के आठ राज्यों के सभी हितधारकों द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई थी और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी में अभिसरण की आवश्यकता पर उन्हें अभिमुख किया गया। आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के ग्रा.वि. एवं पं.रा अधिकारी, क्षेत्र भर के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक, एमओपीआर, एमओआरडी, एसआईआरडी, एसआरएलएम और लाइन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित कुल 111 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

7.4.2 ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे संचालन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उनके जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा सके। ग्रामीण पर्यटन के महत्व को महसूस करते हुए, सरकार ने ग्रामीण घरों में बेहतर आजीविका प्रदान करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने में बहुत जोर दिया है। इसने भावी ग्रामीण पर्यटन स्थलों की क्षमता के आधार पर ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास को आगे बढ़ाया है। इसमें

श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, एमओआरडी एवं एमओपीआर - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद् घाटन भाषण प्रस्तुत करते हुए

डॉ. डब्ल्यु.आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (बाएं से तीसरे) ग्रामीण होमस्टे ऑपरेटरों के लिए हस्तपुस्तिका का विमोचन करते हुए

कोई संदेह नहीं है कि, सही दृष्टिकोण के साथ किए गए ये प्रयास देश के पूरे ग्रामीण परिदृश्य को बदल सकते हैं और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बदल सकते हैं।

उद्योग अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से पर्यटन एक है, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त योगदान देता है और रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। भारत में, यह सबसे तेजी से बढ़ते सेवा उद्योगों में से एक है, जिसमें आगे विस्तार की संभावनाएं हैं।

होमस्टे ऑपरेटर / उद्यमी पर्यटन व्यवसाय के सर्जक होने के नाते ग्रामीण पर्यटन को बनाए रखने और स्थानीय विकास के लिए स्थायी रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, ग्रामीण पर्यटन क्षमता के दोहन के लिए होमस्टे के माध्यम से उद्यमशीलता की गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल गांवों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए आय के नए स्रोत खोलने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास की प्रक्रिया भी उलट जाएगी।

शुरुआत करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश को ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे ऑपरेशंन पर पहला कार्यक्रम शुरू करने के लिए चुना गया था। यह कार्यक्रम अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एआरएसआरएलएम) के सहयोग से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। एआरएसआरएलएम को कार्यक्रम के सलाहकार निकाय द्वारा निर्धारित बुनियादी मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कहा गया था और तदनुसार एआरएसआरएलएम ने अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय विभिन्न, एसएचजी का प्रतिनिधित्व करने वाली 21 महिलाओं का चयन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ 18 मार्च, 2019 को श्री ओ.पी. ढौंढियाल, जीएम, नाबार्ड, गुवाहाटी के उद्घाटन भाषण से हुआ। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के दौरान प्रशिक्षुओं को होमस्टे से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया गया।

22 मार्च, 2019 को श्री एम.पी. बेजबरुआ, आईएएस (सेवानिवृत्त) और सदस्य डब्ल्यूटीओ, डॉ. डब्ल्यू.आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर और

ग्रामीण होमस्टे ऑपरेटरों के लिए प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागीगण

एनईआरसी में डिजिटल भुगतान पर प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के तकनीकी विशेषज्ञ

निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रशंसा पुरस्कार प्रदान करते हुए

श्री एन. रामी रेड्डी, प्रमोटर, गोलकुंडा हेरिटैग रिसॉर्ट ने एनआईआरडीपीआर द्वारा तैयार मैनुअल के दो संस्करणों और एक पुस्तक 'ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट रूरल टूरिजम' का विमोचन किया। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ विस्तार से चर्चा की और बाद में एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों के साथ अलग-अलग बातचीत की और उन्हें कार्यक्रम के बाद के हस्तक्षेप संबंधी जानकारी दी।

7.4.3. पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए हिमालय के मामलों पर कार्यशाला सह विचार मंथन

भूमि उपयोग से लेकर जलवायु परिवर्तन, आपदा से लेकर भूमंडलीकरण और शहरीकरण की अभूतपूर्व वृद्धि से लेकर कचरे ने हिमालय के शीघ्र बदलावों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इन परिवर्तनों के परिणाम न केवल हिमालय में, बल्कि इसकी भौतिक सीमाओं से परे जीवन को

"पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए हिमालय मुद्दे" पर कार्यशाला का उद् घाटन सत्र

भी प्रभावित कर रहे हैं। यह स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यों का आह्वान करता है ताकि इस वैश्विक संपत्ति को बनाए रखा जा सके और क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनी सेवाओं का उपयोग किया जा सके।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और आईएनएसए नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस (11 दिसंबर, 2018) को चिह्नित करने के लिए आयोजित समान कार्यक्रम की सिफारिशों के अनुवर्ती के रूप में, जी.बी. पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (जीबीपीएनआईएचईएसडी) और एनआईआरटीडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी ने संयुक्त रूप से "पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए हिमालय के मामलों" पर एक दिवसीय कार्यशाला-सह-मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रतिभागियों में कुछ प्रमुख संगठनों / क्षेत्रीय संस्थानों जैसे एनईआरआईएसटी, ईटानगर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण डब्ल्युडब्ल्युएफ - भारत, मणिपुर विश्वविद्यालय, एनईआरसीओआरएमपी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, एनईएचयु, शिलानंद फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन, अगरतला के प्रतिनिधि शामिल थे।।

7.4.4 "एक्ट ईस्ट पॉलिसी : उत्तर पूर्व भारत के लिए संभावना और चुनौती" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, खानापारा, गुवाहाटी, असम, भारत द्वारा 15-16 मार्च 2019 को "एक्ट ईस्ट पॉलिसी: उत्तर-पूर्व भारत के लिए संभावना और चुनौती" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया । दो दिन के सम्मेलन में प्लेनरी और पैनल चर्चा सत्र शामिल थे । इस सम्मेलन में पांच सत्रों में आयाम और कानून, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के निहितार्थ और प्रभाव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संभावनाएँ और चुनौतियाँ, रणनीतियाँ और तंत्र, सामाजिक अर्थव्यवस्था, आजीविका और एक्ट ईस्ट पॉलिसी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सत्रह विद्वानों ने अपने प्रपत्र प्रस्तुत किए।

"एक्ट ईस्ट पॉलिसी: उत्तर-पूर्व भारत के लिए संभावना और चुनौती'' पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का तकनीकी सत्र

7.4.5 भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष बल के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सततता और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पिछले कुछ दशकों के दौरान मानव आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि और उपभोक्तावाद की बढ़ती संस्कृति ने पृथ्वी पर जबरदस्त दबाव डाला है। इससे बड़े पैमाने पर गिरावट और जीवन समर्थन प्रणालियों का ह्रास हुआ है। विशेष रूप से, जंगलों, जल निकायों और कृषि भूमि सभी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और इन परिदृश्य तत्वों से प्राप्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में काफी खराब हो गई हैं। सतत विकास लक्ष्य 15 का संबंध भूमि पर जीवन से है और मानव के भविष्य के लिए इन पारिस्थितिक तंत्रों की गुणवत्ता को बचाने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। एसडीजी 13 जोर देता है कि इन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के क्षरण के लिए जलवायु क्रिया आवश्यक है। शिक्षाविदों और विकास योजनाकारों द्वारा यह महसूस किया जा रहा है कि दो एसडीजी के बीच सहक्रियता से मामंजस्य लाने की आवश्यकता है।

7.5 एनआरएलएम-संसाधन सेल, एनआईआरडीपीआर- एनईआरसी, गुवाहाटी की गतिविधियाँ

एनआरएलएम संसाधन सेल, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अगस्त, 2015 में की थी। एनआरएलएम आरसी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के हितधारकों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों में शामिल रही है।

7.5.1 संसाधन सेल के उद्देश्य

- उत्तर-पूर्वी राज्य एसआरएलएम (8) असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षमता निर्माण द्वारा एनआरएलएम उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।
- एनआरएलएम संसाधन सेल से सभी एसआरएलएम और एमओआरडी को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्र व्यवसायी के निरंतर समर्थन की सुविधा प्रदान करना।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के एसआरएलएम के लिए मांग आधारित गतिविधियों की योजना और डिजाइन।
- एनईआर और प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्रियों के विकास की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना।

एनआरएलएम प्रोटोकॉल और उत्तर पूर्वी एसआरएलएम की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। वित्त

एनआरएलएम आरसी, गुवाहाटी द्वारा आयोजित रॉइटशॉट के प्रतिभागी

वर्ष 2018-19 के दौरान 1402 प्रतिभागियों सहित कुल 44 प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गई।

वत्त वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न स्टेकहोल्डरों जैसे एसआरएलएम स्टाफ, बैंकर, समुदाय और पंचायती राज संस्थानों / ग्राम परिषद सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। स्टाफ इंडक्शन, विलेज ऑर्गनाइजेशन (वीओ) कॉन्सेप्ट सीडिंग एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इन्क्लूजन, लाइवलीहुड्स, ट्रांजेक्शन आधारित एसएचजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (टीबीएमआईएस) और बैंक लिंकेज पोर्टल पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गई। एनआरएलएम के संदर्भ में एनआरएल राज्यों की आजीविका पद्धतियों, अभिसरण और संघ संरचनाओं पर उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए एनआरएलएम आरसी टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया गया था।

7.5.2 उत्तर पूर्वी एसआरएलएम पर राईटशॉप

भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक नॉर्थ ईस्ट एसआरएलएम के लिए 5 वाँ वार्षिक क्षेत्रीय राईटशॉप आयोजित किया गया। यह एनआरएलएम आरसी, एनआईआरडीपीआर एनईआरसी, गुवाहाटी द्वारा आयोजित 4 दिनों का कार्यक्रम था। सात पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 127 प्रतिभागियों और एनएमएमयू, एनआरओ (कुदुमश्री), झारखंड एसआरएलएम, एनईआरएलपी और रोशनी, बिग बास्केट, एमओवीसीडी-एनईआर, आरोहण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों में सुश्री लीना जौहरी, आईएएस, संयुक्त सचिव (आरएल), एमओआरडी, सुश्री. नीता केजरीवाल, संयुक्त

सुश्री. नीता केजरीवाल, संयुक्त सचिव, (इनसिटू) राइटशॉप के दौरान अपना भाषण देते हुए

सचिव श्री राम मुइवा, आईएएस, सचिव, एनईसी; श्री एच.के. हजोंग, पीडी, एनईआरएलपी और सात उत्तर-पूर्वी राज्यों के एसएमडी (राज्य मिशन निदेशक) थे।

7.5.3 नागालैंड और असम के एसआरएलएमएस के लिए बैंकरों का उन्मुखीकरण

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 22-23 फरवरी 2019 को एनआईआरडीपीआर- एनईआरसी गुवाहाटी में बैंक ऑफ असम और नागालैंड के लिए एनआरएलएम पर दो दिनों का बैंकर्स उन्मुखीकरण आयोजित किया गया था:

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और शेष भारत के एसएचजी क्रेडिट लिंकेज की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देना।

सोनपुर क्लस्टर, डिमोरिया ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक, एएसआरएलएम के तहत, सोनापुर की फील्ड यात्रा के दौरान एसएचजी महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए

- बैंकरों को एनआरएलएम घटकों के बारे में जानकारी देना।
- एनआरएलएम के तहत एसएचजी के वित्तीय समावेशन की मूल अवधारणा को समझना।
- एनआरएलएम के तहत ब्याज निवारण योजना को विस्तार से जानना।
- बैंक सखी और समुदाय आधारित पुनर्प्राप्ति तंत्र की विभिन्न भूमिका पर चर्चा करना।

कार्यक्रम में असम के कुल 19 बैंकर, असम के 14 और नागालैंड के पांच प्रतिनिधि और एसआरएलएम के दो कर्मचारी शामिल हुए। श्री. दिलीप मित्रा, एनआरपी एफआई प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक थे। श्री. संजय शर्मा, उप परियोजना निदेशक; एन. थॉमस, जेएमई और वाई अतान, जेएमई ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

7.5.4 एसआरएलएम के कैडर के लिए आजीविका प्रदर्शन सह प्रशिक्षण

29 - 31 जनवरी 2019 और 19 - 22 फरवरी 2019 तक समुदाय कैडर के लिए दो आजीविका प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षणों का उद्देश्य

प्रतिभागियों को एकीकृत कृषि प्रणाली और स्थायी कृषि के बारे में जागरूक करना था। एएसआरएलएम और एनएसआरएलएम दोनों से कुल 36 और 24 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। कार्यक्रम ग्रामीण संसाधन प्रशिक्षण केंद्र, उमरान मेघालय में आयोजित किया गया था।

कृमिखाद और नर्सरी वृक्षारोपण का प्रदर्शन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री में समन्वित कृषि प्रणाली (आईएफएस) और स्थायी कृषि, कृषि, जैविक खेती और कृमिखाद, पशुधन प्रबंधन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। एनआरएलएम आरसी के मिशन मैनेजर श्री ध्रूबजीत सर्मा ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

7.6 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 2018-19

एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी राजभाषा के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रयास किए है। इस संबंध में, 2018-19 के दौरान किए गए कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं:

7.6.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक

निदेशक, एनआईआरडी-एनईआरसी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) गठित है। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित सुझाव देती है। 2018-19 के दौरान 20/04/2018, 24/08/2018, 09/11/2018 & और 10/01/2019 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठके आयोजित की गई।

7.6.2 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

सरकारी कार्य को हिंदी में करने के लिए संस्थान के प्रयास के एक भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी में नियमित अंतराल पर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। एनईआरसी में 05/06/2018 और 30/11/2018 को हिंदी भाषा कार्यान्वयन, यूनिकोड, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। सभी एनईआरसी कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। श्री मोहन कोइराला, सहायक निदेशक, राजभाषा, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी को बाहरी स्त्रोत व्यक्ति के रूप में

आमंत्रित किया गया, जिन्होंने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। ये कार्यशालाएँ सरल हिन्दी में रहीं और हिंदी में काम करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों का भी समाधान इस कार्यशाला में किया गया।

7.6.3 हिन्दी सप्ताह का आयोजन

एनआईआरडीपीआर- एनईआरसी ने 24 सितंबर से 28 सितंबर, 2018 तक हिंदी सप्ताह मनाया। हिंदी सप्ताह कार्यक्रम के दौरान सुश्री. बिनीता ब्रम्हा, सेवानिवृत्त प्रबंधक, ओआईएल, गुवाहाटी ने 24 सितंबर, 2018 को यूनिकोड पर व्याख्यान दिया । इसके अलावा, हिंदी में डिक्टेशन और टाइपिंग, पिक्चर एक्सप्रेशन, हिंदी प्रश्नावली, हिंदी में एक्सटैम्पोर भाषण, कर्मचारियों के लिए हिंदी क्विज़ और हिंदी लिखावट और एनईआरसी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। 28 सितंबर 2018 को समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। श्री. बद्री यादव, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) और प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (एनई), गुवाहाटी ने इस समारोह में भाग लिया और भाषण दिया।

हिन्दी सप्ताह समारोह का समापन कार्यक्रम

अध्याय - 8 नीति समर्थन

एनआईआरडीपीआर, एक शीर्ष संस्थान होने के नाते इसकी परिकल्पना ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में विचार-भंडार के रूप में की गई है। इसके भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएं, सेमिनार, आदि का आयोजन करता है और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नीति निर्माण तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए फीडबैक प्रदान करता है। ये गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य सरकारों को एक अच्छी प्रतिक्रिया प्रदान करेंगी। दूसरा, अनुसंधान संकाय सदस्यों की क्षमता में सुधार करने में मदद करेगा क्योंकि अनुसंधान निष्कर्ष, प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी के लिए इनपुट बनेंगे। उपरोक्त क्रियाकलापों से उत्पन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र और जिनके आधार पर नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रतिकृति के लिए मॉडल विचारों को बदलने की परिकल्पना की है ताकि ग्रामीण आबादी के स्थायी जीवन में निम्नानुसार सुधार किया जा सके।

8.1 एक्सीलरोमीटर उपकरणों का उपयोग करके कृषि और ग्रामीण आजीविका में ऊर्जा व्यय दिशायें, समय का उपयोग, और भोजन की मात्रा का मापन

प्रसंग

ग्रामीण परिवर्तन, जिसमें समुचित रूप से गरीबी में कमी सम्मिलित है, कई दशकों से भारत जैसे विकासशील देशों में जारी है। हालांकि, इस बात का बहुत कम अनुभव है कि इन प्रक्रियाओं ने ग्रामीण आजीविका में श्रम गहन गतिविधियों के पैटर्न और तीव्रता को कैसे प्रभावित किया है। हालांकि कृषि-से पोषण संबंधी श्रृंखला में हाल ही में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, पोषण गतिविधियों पर विकास के हस्तक्षेपों का प्रभाव शारीरिक गतिविधि में परिवर्तन और मानव ऊर्जा व्यय पर काफी हद तक अस्पष्ट रहा।

सी ए एस, एनआईआरडीपीआर ने युनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूके के सहयोग से "न्यू कीज् फॉर ओल्ड ब्लैक बॉक्सेस : डेवलपिंग मेथड्स टू इम्प्रू न्यूट्रीशन एसेसमेंट बाई मेजरिंग एनर्जी एक्सपेंडीचर" अध्ययन का आयोजन किया ताकि उत्पादकता को बढ़ाने वाले कृषि नवप्रवर्तन के अभिग्रहण से जुड़े इंट्रा हाऊजहोल्ड लेबर एवं फिजीकल एलोकेशन डिसीजन को समझा जा सके। इसके अलावा, तेलंगाना, भारत में ग्रामीण परिवारों के श्रम आवंटन निर्णयों में सुधार, कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने और जेंडर भेदभाव से जुड़ी महिलाओं की श्रम सघनता को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

2 गांवों में 20 पत्नी-पति दिवसों के द्वारा पूरे कृषि मौसम (भूमि की तैयारी, बीजारोपण और बुवाई, भूमि रखरखाव, और फसल) में लगातार चार हफ्तों के लिए एक्सेलेरोमीटर डेटा एकत्र किया गया था। शारीरिक गतिविधि डेटा को आहार सेवन और समय उपयोग डेटा पर दैनिक जानकारी के साथ पूरक किया गया था। 40 व्यक्तियों के नमूने में 1,120 व्यक्ति / दिन और 26,880 घंटे सहित डेटासेट मिला। एक्सेलेरोमीटर उपकरणों से ऊर्जा व्यय डेटा को स्वयं रिपोर्ट किए गए समय-उपयोग डेटा के साथ संयोजित करने से कृषि और ग्रामीण आजीविका क्रियाकलाप उजागर होते हैं जो कि उपलब्ध नहीं थे।

अध्ययन के परिणामों से पता चलता है कि पुरुषों द्वारा किए गए क्रियाकलापो में अधिक ऊर्जा की मांग (ग्राफ 1) थीं, लेकिन महिलाएं इन क्रियाकलापों के प्रदर्शन में शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय थीं क्योंकि उन्हें अपने बीएमआर के संबंध में अधिक से अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन किए गए नमूने में महिलाओं के लिए शारीरिक गतिविधि स्तर (पाल) के समग्र उच्च स्तरों में योगदान देता है (ग्राफ़ 2)।

कुल मिलाकर, अध्ययन में देखा गया है कि संपूर्ण कृषि मौसम में महिलाओं के लिए उच्च शारीरिक क्रियाकलाप स्तर (पीएएल) होता है। बीजारोपण, बुवाई और भूमि रखरखाव के दौरान महिलाओं की पीएएल उच्च और भूमि तैयारी के दौरान पुरुषों की पीएएल उच्च स्थिति पर होता है।

अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए

- ग्रामीण आजीविका में शारीरिक क्रियाकलापों के बदलते पैटर्न कैलोरी पर्याप्तता और पोषण परिणामों पर

व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, और इस तरह के प्रभावों को जेंडर, घरेलू विशेषताओं और संपत्ति के रखरखाव में अंतर देखा जा सकता है

- ऊर्जा व्यय आयाम का स्पष्ट विचार उत्पादकता-वृद्धि से पोषण तक के मार्ग की बेहतर समझ प्रदान कर सकता है
- ग्रामीण परिवारों में पुरुषों और महिलाओं की ऊर्जा व्यय प्रोफ़ाइल में परिवर्तन द्वारा पोषण सुधार हो सकता है

नीति की प्रासंगिकता

पोषण सुधार और निर्धनता उन्मूलन में कृषि और कृषि हस्तक्षेप भूमिका निभाते हैं। हालांकि, घरेलू सामाजिक गतिविधियों और आराम करने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा के साथ कृषि कार्य प्रतिस्पर्धा करता है। नीतिगत डिजाइन विभिन्न ग्रामीण आजीविका गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में समय और ऊर्जा की अदला-बदली को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण भारत में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट नीतियों को मदद कर सकते हैं।

8.2 बिहार में कृषि उद्यमिता कार्यक्रम का मूल्यांकन

किसानों की आय को बढ़ाने में खंडित कृषि मूल्य चैन, बड़ी संख्या में बिचौलिए और फसल के बाद होने वाले नुकसान आदि कुछ बाधक तत्व हैं। इसके अलावा, इन बाधाओं को किसानों के कम साक्षरता स्तर और किसानों की सार्वजनिक विस्तार प्रणाली तक सीमित पहुंच के साथ जोड़ा जाता है।

सिनजेंटा फाउंडेशन इंडिया (एसएफआई) का एग्री एंटरप्रेन्योर मॉडल किसानों द्वारा स्वयं के लिए राजस्व सृजन करते हुए प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। इस मॉडल में, ग्रामीण युवाओं के एक संवर्ग को कृषि उद्यमियों के रूप में विकसित किया गया था, जो 4 - 5 गांवों के समूह में कम से कम 150-200 किसानों के साथ काम करते हैं और छोटे किसानों की कृषि जरूरतों के लिए वन स्टॉप रिसोर्स सपोर्ट प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। वे किसानों और किसानों के समूह के लिए क्रेडिट और मार्केट लिंकेज, उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट और फसल सलाहकार जैसी सेवाएँ जुटाते है। देश भर के छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचने और छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में सुधार के बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम की क्षमता को देखते हुए, तथा समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन, एई प्रमाणन के साथ कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने एसएफआई के साथ सहयोग किया है। बिहार में एई कार्यक्रम का अध्ययन एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य खेत में एई के प्रदर्शन का आकलन और बिहार में एई द्वारा दी गई सेवाएँ किसानों को किस हद तक लाभ दे रही है, का पता लगाना था।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- केवल एकड़ भूमि के आकार वाले कम निष्पादन की तुलना में अधिक निष्पादन और मध्यम निष्पादन की औसत भूमि का आकार क्रमशः 2.66 और 3 एकड़ से अधिक था।
- अधिकतम कम निष्पादन (42 प्रतिशत) केवल मसाले के माल के व्यवसाय से जुड़े थे। जबकि, अधिक निष्पादन 60 प्रतिशत ने उनकी गतिविधियों को निवेश व्यवसाय और मसाले के माल के व्यवसाय में बदल दिया है। कुछ अधिक निष्पादन ने मसाले के माल के व्यवसाय और निवेश व्यवसाय के अलावा बाजार और बैंक व्यवसाय करना भी शुरू किया है। अधिक और मध्यम निष्पादन श्रेणी में चयनित कृषि उद्यमियों में से प्रत्येक ने उर्वरक की दुकानें शुरू की हैं।
- अधिकतम और मध्यम निष्पादन के लिए ज्ञान एवं तकनीकी आदानों का मुख्य स्रोत उनके स्वयं का कृषि उद्यमी प्रशिक्षण था। जबकि, कम निष्पादन का 42 एवं प्रतिशत, जो जीविका के वीआरपी भी थे, यह देखा गया कि उनके ज्ञान एवं तकनीकी आदान का मुख्य स्रोत जीविका ही था इसके अलावा 42 प्रतिशत कम निष्पादन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि जो यह दर्शाता है की उन्हें 45 दिनों का कृषि उद्यम प्रशिक्षण जिसे उन्होंने पहले से लिया है, के अतिरिक्त निरंतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।
- 60 प्रतिशत मध्यम और कम निष्पादन वाले एई द्वारा दी जा रही मुख्य सेवाएं, फसल सलाह और इनपुट सेवाएं थीं जबकि, लगभग सभी उच्च कार्य निष्पादन एई किसानों को फसल सलाहकार के अलावा विपणन, इनपुट सेवाएं जैसे कई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- ❖ अधिक, मध्यम और कम निष्पादन वालों का औसत कारोबार रु.8,25,000, रु.96,666, रू. 94,285 का होता है । अंतर विस्तृत श्रृंखला के कारण है जिनमें अधिक निष्पादन वाले शामिल है।
- ❖ यह भी देखा गया है कि अधिकांश पंजीकृत किसानों ने फसल सलाहकार (97%) से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाया है, इसके बाद इनपुट सेवाएँ (57%), वित्तीय सेवाओं (56%) और विपणन (48%) सेवाओं का उपयोग किया गया है। नर्सरी से पौधे लेना वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सेवा है, जिसे चयनित एई द्वारा प्रदान किया जाता है। किसानों के लिए धन संवितरण करना महत्वपूर्ण कार्य है। घर तक धन की वापसी ने पंजीकृत किसानों के लिए समय और धन दोनों की महत्वपूर्ण बचत की है।
- ❖ यह भी देखा गया है कि इनपुट दुकानों (26.6 प्रतिशत) के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और उद्यम चलाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी (33.3 प्रतिशत) आदि एई उद्यम को जारी रखने में प्रमुख बाधाएं हैं।

नीति निहितार्थ

कुल मिलाकर मॉडल अपने उद्देश्य की पहुंच के भीतर है और बड़े पैमाने पर है और स्केलिंग की गुंजाइश है, जब तक कि वे तेजी से आगे बढने की स्थिति तक नहीं पहुंचते, तब तक एई परिवर्तन के हर चरण में सही प्रकार के समर्थन सिस्टम को सक्षम किया जा सकता है।

चूंकि बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन देश में बड़े पैमाने पर पंजीकरण कर रहे हैं, एई को किसानों के नए कार्यक्रम के लिए एफपीओ प्रबंधक या सेवा प्रदाता के रूप में एफपीओ के लिए तैयार किया जाना चाहिए जो कि अधिक व्यापक रूप से आधारित है और उसके बेहतर राजस्व और अपने उत्पादों के लिए अधिक विकसित मूल्य श्रृंखला के साथ कृषक समुदाय की मदद करता है।

8.3 कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या - स्थानिक राज्यों का एक अनुभवजन्य अध्ययन - मुद्दे और समस्याएँ

देश में विकास के पिछले सात दशकों में महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में किसानों की आत्महत्याओं की सबसे बड़ी घटना है, जो मिट्टी में रासायनिक आदानों के अंधाधुंध उपयोग, वित्तीय बहिष्करण, व्यक्तिगतकरण और किसानों को समाज के साथ-साथ संस्थानों के रूप में अलग-थलग रखते है । कृषि अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। इसलिए, कृषि क्षेत्र में कोई भी प्रतिकूलता ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं जैसे ग्रामीण सड़कें, मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों, ग्रामीण संस्थानों आदि पर थोपती है। किसान आत्महत्याएं एक बहुत बड़ी पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान है जिसे देश वहन कर रहा है।

देश में कृषि क्षेत्र के व्यापक स्वरूप को देखते हुए, कृषि असंतुष्टि का एक समग्र परिप्रेक्ष्य इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सभी प्रणालियों की समझ से ही संभव होगा। इस जानकारी को प्राप्त करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा एक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) का चयन किया गया था। इस अध्ययन ने मोटे तौर पर भारत में अधिक संख्या में किसान की आत्महत्याओं के सामाजिक-आर्थिक, कृषि और मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया और इनका समाधान करने के लिए विशिष्ट उपायों का सुझाव दिया।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न रूप में इस प्रकार हैं:

निष्कर्षों के आधार पर अध्ययन ने निम्नलिखित मुख्य संदेश प्रस्तुत किए :

- ❖ भूमि (एक छोटे आकार में) एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिस पर इन किसानों को अपनी आजीविका जारी रखनी थी।
- ❖ कृषि ही आजीविका का एकमात्र साधन है जो स्वास्थ्य और शिक्षा के खर्च में वृद्धि को पूरा करने में असमर्थ है।
- ❖ एक आजीविका के रूप में खेती करने से गांवों में युवा लोगों की उपयुक्त साझेदार होने की संभावना कम हो रही है।
- ❖ सामाजिक दबावों के कारण विवाह संबंधी खर्चों के परिणाम स्वरूप लगातार कर्ज में डूब रहे है।
- ❖ आर्थिक और सामाजिक कारकों के कारण ग्रामीण परिवारों में सामाजिक अलगाव और उदासीनता बढ़ी।
- ❖ कृषि में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी कृषि के आधार पर कार्यबल में गिरावट की तुलना में तेजी से घट रही है।

- अपर्याप्त ग्रामीण आधारभूत संरचना के साथ-साथ एक कम श्रम शक्ति उत्पादकता भी देखी गई।
- प्रधानमंत्री बीमा योजना सहित फसल बीमा के तहत कम कवरेज।
- अध्ययन में किसानों और कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले कुछ सुसंगत मुद्दों में प्रथम आदेश की समस्याएं जैसे आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होना; अनौपचारिक किरायेदारी के साथ भूमि के आकार को बढ़ाने के प्रयास; खराब परिसंपत्ति का आधार; कई आजीविका आधार की अनुपस्थिति; उच्च गैर-संस्थागत ऋण, और इसी तरह दूसरे आदेश के मुद्दों में सिंचाई पर सार्वजनिक निवेश में गिरावट शामिल है; भूजल पर निजी निवेश में वृद्धि; नीति, अभ्यास और विस्तार प्रणालियों के बीच मिसिंग लिंक; ग्रामीण परिवारों की खराब भौतिक (सड़कें) और सामाजिक संपर्क; रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को सीमित करना और अधिक करना शामिल है।
- अध्ययन में पाया गया है कि सरकारी प्रयासों ने अब तक ऋण राहत योजनाओं के माध्यम से राहत देने की कोशिश की है जो पहले आदेश के तहत आते हैं और अल्पावधि स्वरूप के हैं।
- किसानों का संकट मात्र कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे विकास क्षेत्र से है, दूसरे क्रम की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे भौतिक और मानव संसाधनों और कृषि क्षेत्र की सामाजिक पूंजी आधार को सुदृढ़ कर सकें।

नीति निहितार्थ

अध्ययन में कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायत प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास क्षेत्रों के बीच तालमेल के माध्यम से व्यापक रूप से क्षेत्रीय सहयोग की सिफारिश की गई है। कृषि संकट के मुद्दों का समाधान करने के लिए अध्ययन द्वारा की गई कुछ विशिष्ट सिफारिशें नीचे सूचीबद्ध हैं:

- लघु सिंचाई प्रणालियों पर जोर देने के साथ सिंचाई में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा देना
- प्रत्येक पंचायत में सामान्य पूल संसाधन (सीपीआर) को बढ़ावा देना
- प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को राज्य में बढ़ावा देना
- किरायेदारी के लिए समर्थन प्रणालियों को बढ़ावा देना
- .संस्थागत वित्त को सुदृढ़ करना
- बड़े पैमाने पर कृषि विपणन को बढ़ावा देना
- संतृप्ति दृष्टिकोण से देश भर में एसएचजी संस्थानों को बढ़ावा देना
- ग्रामीण परिवारों में एक मंत्र के रूप में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना
- संकटग्रस्त परिवारों के लिए उचित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना

8.4 स्केलेबल मॉडल के रूप में अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन को रोल आउट करना

अत्यधिक गरीबी, सामान्य गरीबी और सांख्यिकीय गरीबी में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की संख्या बढ़ रही हैं। जमीनी स्तर पर अधिक निर्धनता है दिन में दो वक्त की रोटी व्यस्त होने के कारण अत्यधिक गरीब राज्य द्वारा किए गए लाभों से वंचित हैं । निर्धनों में जिनकी स्थिति अच्छी है वे लाभ ले लेते है और जो अत्यधिक निर्धन है वो बिना लाभ के रह जाते है।

सीजीएपी और फोर्ड फाउंडेशन एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के तीन सबसे गरीब महाद्वीपों में आरसीटी अध्ययनों के स्नातक पायलटों को कर रहे हैं, सतत आजीविका के लिए अत्यधिक निर्धनों के आजीविका सुअवसर को राज्यों को स्थानांतरित कर रहे है। एनआईआरडीपीआर ने अपने सेंटर फॉर एग्रेरियन स्टडीज के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश राज्य में वर्ल्ड विज़न इंडिया द्वारा कार्यान्वित ग्रेजुएशन पायलट का मूल्यांकन अध्ययन किया है।

स्नातक संकेतक

1. मजदूरी सहित स्थायी आजीविका के एक से अधिक स्रोत
2. 1000 रुपये से अधिक की संचयी सूक्ष्म बचत
3. कम से कम 4 हफ्तों के लिए घर के लिए खाद्य सुरक्षा

4. राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के बारे में न्यूनतम जागरूकता स्तर
5. स्वास्थ्य, लिंग और सामाजिक जागरूकता न्यूनतम सीमा तक संभव

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- ❖ बड़े पैमाने पर, लाभार्थी स्थायी आजीविका के लिए सतत आजीविका की ओर बढ रहे है।
- ❖ लक्षित औसतन 78.5% लाभार्थी अनुसूचित जाति / जनजाति समुदायों के थे। यह विरोधाभास है लेकिन सच है कि अत्यधिक गरीबी समुदायों के सामाजिक पिछड़ेपन से जुडी है, क्योंकि अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय ज्यादातर भूमि हीन और संपत्ति हीन है और मुख्य श्रम के रूप में मजदूरी पर निर्भर हैं।
- ❖ जेंडर गरीबी और सामाजिक आर्थिक गरीबी आपस में जुड़ी हुई है जैसा कि अध्ययन में पाया गया है, लक्षित लाभार्थियों में से 87% महिलाएं हैं जो घर की मुखिया है।

आजीविका परिसंपत्ति मूल्य:

- ❖ उनकी संपत्ति का मूल्य न्यूनतम 100% से गुणा किया गया है। बचत प्रमुख स्नातक संकेतकों में से एक है और जैसा कि देखा जा सकता है कि 71% लक्षित लाभार्थी साक्षात्कार के समय रू.1000 की संचयी बचत का अंकन कर सकते हैं। वे बचा सकते थे और बरसात के दिन के लिए बचाने की प्रवृत्ति बहुत दृढ थी (नमूना अध्ययन में प्रति घर रू.1000)
- ❖ 1 से 10 की निरंतरता में, 76% लाभार्थी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार में 3 से 4.22 प्रतिशत तक स्थित थे। उनमें से 22 प्रतिशत 6 से 7 पदों के बीच स्थित हो सकते हैं। अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनके जीवन की गुणवत्ता में ठोस परिवर्तन हो रहा है।
- ❖ अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम में परिकल्पित किए गए स्नातक संकेतक को साकार करने के संदर्भ में कुल लाभार्थियों में से 60% सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं।
- ❖ यह पाया गया है कि पशुधन आधारित परिसंपत्तियों की तुलना में गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में निवेश पर बेहतर रिटर्न> 15% है। निष्कर्ष स्नातक कार्यक्रम पर जोर देता है आर्थिक रूप से सक्रिय लेकिन अत्यधिक गरीब हैं जो अवसर की तलाश में बहुत मददगार हैं और उन्हें उद्यम की अगले स्तर के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में अति गरीब के लिए ग्रेजुएशन मॉडल को सबसे बेहतर बनाने के लिए परामर्शी रणनीतियाँ

गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय और राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों में मद होना चाहिए कि अत्यधिक गरीबी एक अलग प्रतिमान है और इसे सामान्य गरीबी कार्यक्रमों से जोड़ा नहीं जा सकता है। जगह में गुणवत्ता लक्ष्यीकरण प्रोटोकॉल के साथ अत्यधिक गरीबों के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा निर्धारित किया जाना चाहिए। सही लक्ष्य स्नातक कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु है।

स्नातक कार्यक्रम के नीति निहितार्थ

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में राज्य की प्रतिबद्धता में अपव्यय को कम करने के लिए सही लाभार्थी का लक्ष्य रखना चाहिए। आर्थिक रूप से सक्रिय चरम गरीब शीघ्र ही स्नातक की प्रक्रिया से जुडेंगे और एंटरप्राईज ट्राजेक्टरी के लिए आगे बढ सकते है । खाद्य सुरक्षा, आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का समाधान करते हुए व्यापक स्नातक दृष्टिकोण इस तरह की प्रतिबद्धता के लिए भविष्य के कार्यक्रमों पर राज्य के बोझ को कम कर सकते हैं। निचले स्तर के गरीबों के लिए बढ़ती आय सामान्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। इस तरह के कार्यक्रम में लाभ की लागत राज्य को मॉडल बनाने के लिए अत्यधिक उत्साहजनक है।

8.5 सुरक्षित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति:

सात राज्यों में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट और जल एटीएम (हमेशा पानी) पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में एक अध्ययन किया गया था । मुख्य अनुसंधान प्रश्न थे: क्या यह वास्तव में पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं हैं जिन्होंने आरओ प्लांट की स्थापना के लिए इन जीपी को प्रेरित किया है? यदि हाँ, तो आरओ प्लांट किस हद तक अध्ययन गांवों में पानी की गुणवत्ता की समस्या का समाधान करता है? आरओ प्लांट से पानी को अस्वीकार करने की मात्रा क्या है, और आरओ प्लांट परिचालक पानी को कैसे अस्वीकार करते हैं?

अध्ययन का निष्कर्ष है कि आरओ प्लांट्स को एक फैशनेबल बुनियादी ढाँचे के रूप में स्थापित करने की हमारी मांग आंशिक रूप से सही है। 21 अध्ययनों में से केवल 13 आरओ प्लांट के लिए गए हैं ताकि पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। शेष 8 ग्राम पंचायतों ने आरओ प्लांट स्थापित किया है न कि तथ्य-आधारित आवश्यकता पर। दूसरे शब्दों में, 21 ग्राम पंचायतों से प्राप्त जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि ग्राम पंचायतों में से आठ में पानी की गुणवत्ता की कोई समस्या नहीं थी। फिर भी, उन आठ गांवों में भी आरओ प्लांट स्थापित किए गए हैं। इसे एक वीरतापूर्ण गाँव के प्रदर्शन प्रभाव के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें आरओ प्लांट है (प्रवृत्ति / फैशन से प्रभावित है), या कुछ संस्था जैसे एनजीओ / सीएसआर उन ग्राम पंचायतों को मुफ्त में आरओ प्लांट दान करना चाहते थे।।

इस अध्ययन से प्राप्त होने वाली मुख्य नीति निष्कर्ष यह पता चला कि उन जगहों पर आरओ प्लांट स्थापित कर रहे हैं, जहां स्वीकार्य मानकों के साथ पानी की गुणवत्ता सही है और जिससे ग्राम पंचायतों को रखरखाव खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरे, आरओ तकनीक आवश्यक खनिजों को फ़िल्टर करने / निकालने की अनुमति देती है, तब भी जब वे अनुमेय सीमा में सही होते है। यह पानी के उपयोगकर्ताओं को, आवश्यक खनिजों से वंचित करता है जो उन्हें पीने के पानी से मिलना चाहिए। इसलिए, आरओ प्लांट केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पानी की गुणवत्ता की समस्याएँ हैं, जैसा कि जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित है। इसे फैशनेबल बुनियादी ढांचा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8.6 पीएमएवाई-जी का प्रभाव आकलन

तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में (छह जिलों में 24 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए, 1382 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का साक्षात्कार) पीएमएवाई-जी के प्रभाव पर एक अध्ययन किया गया। इस प्रकार है : (i) लक्षित जनसंख्या के जीवन की भौतिक स्थितियों में सुधार के संबंध में कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस हद तक पूरा किया गया था; और (ii) लक्षित आबादी द्वारा सामाजिक आर्थिक सुधार का अनुभव हुआ, जिससे वे नए घर के मालिक बने। उपयोग की गई किया विधि आरसीटी (रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल) थी, जहां लाभार्थी जो पहले से ही 'घर का लाभ उठा चुके हैं और पिछले 6 महीने से एक साल तक उस घर में रह रहे हैं, को उपचार समूह के रूप में लिया जाता है; और जिन्हें चुना गया था और उन्हें 'प्रतीक्षा सूची' में डाल दिया गया था '(जो कि वे आगामी वर्षों में घर प्राप्त करेंगे) उन्हें तुलनात्मक समूह के रूप में लिया गया है।

निष्कर्ष यह है कि भौतिक सुविधाओं जैसे कि घर के प्रकार, बिजली कनेक्शन, रसोई, शौचालय और बाथरूम, प्राकृतिक वेंटिलेशन, प्राकृतिक प्रकाश, आजीविका गतिविधियों के लिए जगह आदि को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि पीएमएवाई-जी लाभार्थी उन लोगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं जो अभी तक योजना के तहत एक घर का लाभ उठा रहे हैं। पीएमएवाई-जी ने दो या अधिक कमरे प्रदान करके घरों में भीड़भाड़ को कम कर दिया है। लगभग 68 प्रतिशत परिवारों ने इन-डोर आजीविका गतिविधियों के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने का उल्लेख किया है। हालाँकि, पीएमएवाई-जी के अन्य कार्यक्रमों, जैसे कि पीने के पानी का कनेक्शन, गैस कनेक्शन आदि के साथ अभिसरण ने इसे अच्छी तरह से संचालित नहीं किया है।

इस अध्ययन से प्राप्त कुछ नीतिगत निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (1) अन्य कार्यक्रमों के साथ पीएमएवाई अभिसरण के संबंध में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पीएमएवाई-जी के तहत एक बार लाभार्थियों के एक सेट का चयन किया गया है, अन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, सोलार लाईट, एलपीजी, अन्य कार्यक्रमों से पेयजल प्रावधान के लिए यार्ड कनेक्शन, आदि (जैसे एसबीएम-जी, एनआरडीडब्ल्यूपी, पीएमयूवाई, आदि) को पैकेज में दिया जाना चाहिए और वितरित किया जाना चाहिए। इससे लाभार्थी सरकार के प्रत्येक कार्यालय में कदम रखने से बचा जा सकता है जो इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम को लागू करता है। दूसरा हम पाते हैं कि आवास बंधु (पीएमएवाई-जी स्थानीय प्रेरक) कई स्थानों पर स्थानीय समन्वय में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे वास्तव में, प्रगति को गति देने में मदद करते हैं। लेकिन, वे अभिसरण संभावनाओं से अनभिज्ञ हैं। उन्हें विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षित किया जा सकता है जो पीएमएवाई-जी लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं। संभवतः, यह अभिसरण को गति प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।

अध्याय - 9 प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासनिक विंग संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी गतिविधियों को करने और दिन-प्रतिदिन कार्य से संबंधित सभी मामलों को पूरा करने में संकाय सदस्यों को समर्थन और सहायता प्रदान करता है। नीति, कार्यान्वयन और अकादमिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संस्थान में महापरिषद, कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक समिति गठित है। संस्थान की नीतियों और रणनीतियों को महापरिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महापरिषद की अध्यक्षता करते हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन का कार्य कार्यकारी परिषद में निहित होता है, सचिव, ग्रामीण विकास इसके अध्यक्ष और महानिदेशक सदस्य सचिव होते हैं।

संस्थान की अध्यक्षता महानिदेशक करते हैं, जो अपने सचिव / उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्केल / एपेक्स स्केल वाले सचिव के पद में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। महानिदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद की दिशा और मार्गदर्शन के तहत अधिकार का प्रयोग करेंगे। महानिदेशक, उप-महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधक) सह वित्तीय सलाहकार एवं रजिस्ट्रार सह निदेशक (प्रशासन) की सहायता सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना और प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार और वेतन एवं लेखा अधिकारी आदि करते हैं। संगठन के गठन को निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

ग्राफ 7 : एनआईआरडीपीआर का संगठनात्मक चार्ट

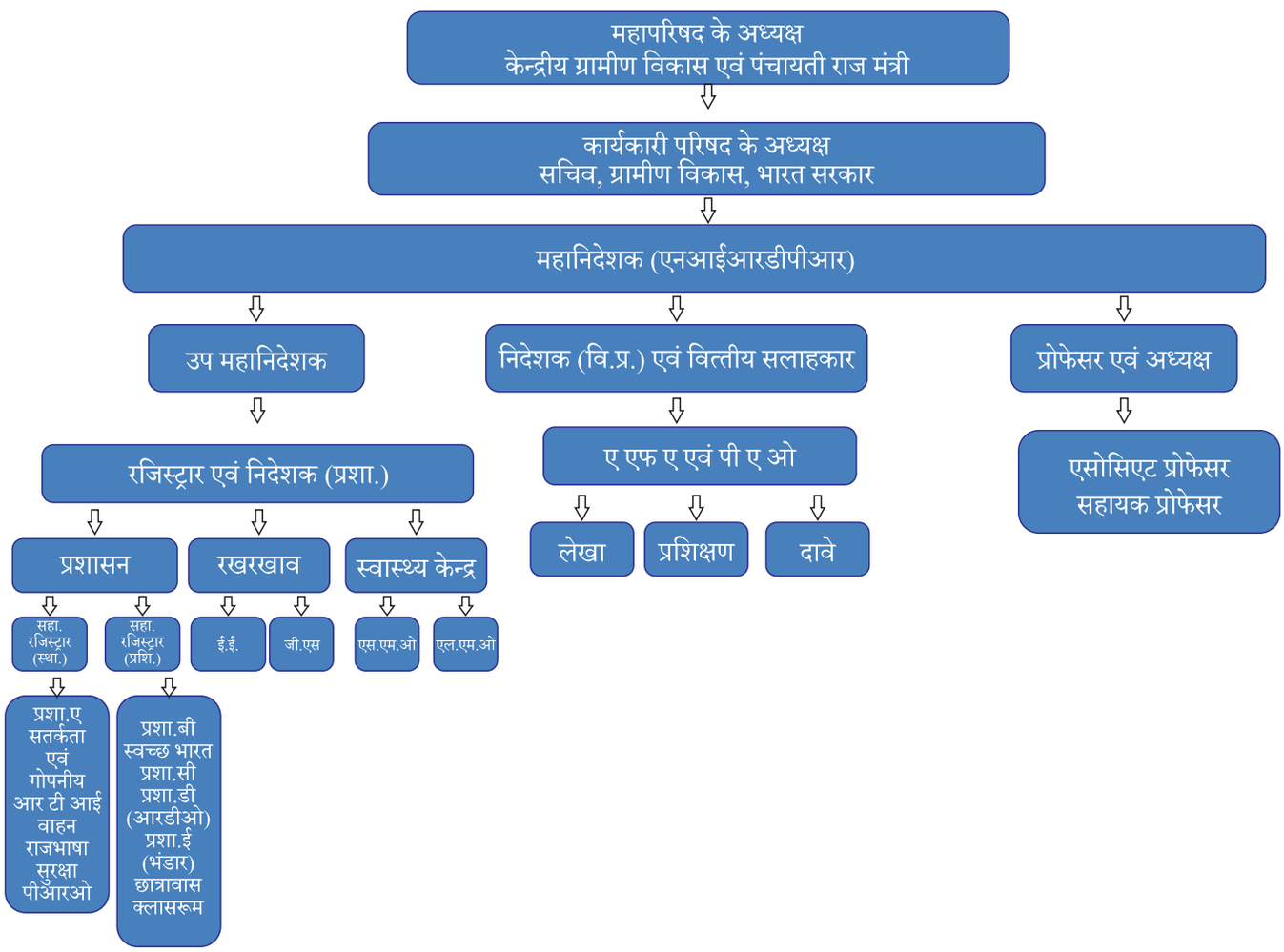

9.1 महापरिषद

माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार महापरिषद की अध्यक्षता करते हैं। संस्थान के प्रबंधन और सामान्य नियंत्रण के लिए महापरिषद जिम्मेदार है। 31 मार्च 2019 तक वर्ष 2018-19 के लिए गठित महापरिषद को परिशिष्ट - IX में दिया गया है।

9.2 कार्यकारी परिषद

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। महापरिषद के सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अनुसार कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है। कार्यकारी परिषद के गठन को परिशिष्ट – X में दिया गया है।

9.3 शैक्षणिक समिति

महानिदेशक की अध्यक्षता में शैक्षणिक समिति संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों का निपटान करती है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देना भी शामिल है। समिति की संरचना को परिशिष्ट-XI में दर्शाया है।

9.4 एनआईआरडीपीआर के कार्यरत केंद्र

ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों को पूरा करने के उद्देश्य से डॉ. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

अधिकांश निर्णयों को लागू किया गया है। अलघ समिति के निर्णय के अनुसार, संस्थान को उनके विकल्पों, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर संकाय के आबंटन के साथ प्रत्येक स्कूल में केंद्र सहित स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है। विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी - 15 : एनआईआरडीपीआर के प्रस्तावित स्कूल तथा केन्द्र

क्र.सं.	प्रस्तावित स्कूल	स्कूल के अंतर्गत प्रस्तावित केन्द्र
1.	विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय	मानव संसाधन विकास केन्द्र (सीएचआरडी) जेंडर एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी) समता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएस डी) भू-संबंधी अध्ययन केन्द्र (सीएएस) स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई)
2.	ग्रामीण आजीविका और आधारभूत संरचना	मजदूरी एवं रोजगार केन्द्र (सीडब्ल्यूई) कौशल एवं कार्य केन्द्र (सीएमजे) वित्त समावेशन एवं उद्यमशीलता केन्द्र (सीएफआईई) ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र (सीआरआई) उद्यमशीलता विकास केन्द्र (सीईडी) आजीविका केन्द्र (सी एफ एल)
3.	सततयोग्य विकास	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केन्द्र (सीएनआरएम) जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन केन्द्र (सीसीसीडीएम)
4.	लोक नीति एवं सु-शासन	योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन केन्द्र (सीपीएमई) सी एस आर, सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं जन कार्रवाई केन्द्र (सीसी, पीपीपी एवं पीए) सुशासन एवं नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजी एवं पीए)
5.	स्थानीय शासन	पंचायती राज केंद्र (सीपीआर) विकेंद्रीकृत योजना केन्द्र (सीडीपी) सामाजिक सेवा वितरण केन्द्र (सीएसएसडी) सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए)
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान प्रणाली स्कूल	ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीजीएआरडी) अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईएटी) व्यावसायिक समर्थन केंद्र विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र (सीडीसी) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वयन एवं नेटवर्किंग केंद्र (सीआरटीसीएन)

9.5 सामान्य प्रशासन

महानिदेशक, संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं जो संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कार्यकारी परिषद के अनुदेशों एवं मार्गदर्शन के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हैं। संस्थान का प्रशासन समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, व्यवस्था एवं कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृह का प्रबंधन, परिसर सहायक सेवा, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होते है।

9.5.1 सांविधिक बैठकें

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित सांविधिक बैठकें आयोजित की गई:

सारणी - 16 : वर्ष 2018-19 में आयोजित सांविधिक बैठक

बैठक	दिनांक	स्थान
125वीं कार्यकारी परिषद	17.07.2018	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
126वीं कार्यकारी परिषद	27.11.2018	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
61वीं महापरिषद	08.12.2018	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

9.5.2 आधारभूत संरचना सुविधाएं

संस्थान 174.21 एकड़ क्षेत्र में स्थित है जिसमें आधारभूत संरचना सुविधाएं जैसे संकाय भवन, प्रशासनिक भवन, सुसज्जित पुस्तकालय, 223 अतिथि कमरे वाले चार वातानुकूलित अतिथि गृह, 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाले 11 सम्मेलन कक्ष, समुदाय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 219 आवासीय क्वार्टर्स, स्टाफ कैंटीन, शिशु सदन, महिला मंडली, युवा क्लब, योग और जिमनेजियम सुविधाएं इत्यादि है। अत्याधुनिक नए सम्मेलन कक्ष के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया है।

9.5.3 आईटी आधारभूत संरचना

एनआईआरडीपीआर में इंटरनेट और इंट्रानेट की समर्पित संयोजकता के साथ नवीनतम तकनीकी सुविधाओं सहित एक उत्कृष्ट अत्याधुनिक कंप्यूटर केंद्र है । एनआईआरडीपीआर को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है । एनआईआरडीपीआर नेटवर्क प्रभावी शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों, ई-ऑफीस, ई-जर्नल, एनआईआरडीपीआर ई-जेआरडी, राज्य, जिलों, एसआईआरडी / ईटीसी, राष्ट्रीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों आदि के साथ आईपीकेएन के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, और इसमें भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिंक के साथ 1000 अलग-अलग नेटवर्क रेंज है।

एनआईआरडीपीआर को अपने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) संयोजकता से 100 एमबीपीएस और मैसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अतिरिक्त 33 एमबीपीएस समर्पित लिंक की उपलब्धता के माध्यम से निरंतर इंटरनेट सेवाएं मिलती हैं । एनआईआरडीपीआर का नेटवर्क प्रौद्योगिकी-सघन है और एनआईसी, द्वारा mail.gov.in डोमेन, ई-ऑफिस और कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों को सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

सम्पूर्ण परिसर, कार्यालय भवनों और अतिथि गृहों में वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध हैं । संस्थान में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण, मूल्यांकन, हैण्ड होल्डिंग आदि के लिए दो सुसज्जित सीआईसीटी कंप्यूटर लैब और अत्याधुनिक सी-गार्ड जीआईएस लैब उपलब्ध है। ये प्रयोगशालाएं कार्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं और संस्थान की प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करती हैं, संस्थान की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती हैं। सी-गार्ड लैब ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए आंतरिक जीआईएस अनुप्रयोगों के डिजाइन और काम में लगा हुआ है।

वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की सूची नीचे दी गई हैं:

इन-हाउस एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम विकसित करना जो कि संगठन को प्रभावी निर्णय लेने में सुधार करने के उद्देश्य से संगठन के सभी प्रमुख क्षेत्रों से जानकारी का प्रबंधन करने और कनेक्ट करने

में सहायता करता है। ईआरपी सिस्टम उद्यम के सभी पहलुओं को एक व्यापक सूचना प्रणाली में एकीकृत करते हैं। ईआरपी को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

चरण-I: निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और रोल आऊट किए गए:

i) पे रोल प्रबंधन प्रणाली
ii) स्टोर प्रबंधन प्रणाली
iii) आगंतुक निगरानी प्रणाली
iv) स्मार्ट मीटिंग सिस्टम
v) स्मार्ट रिसर्च मॉनिटरिंग सिस्टम
vi) परियोजना कर्मचारी भर्ती पोर्टल
vii)स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन प्रणाली

चरण-II: विकसित अनुप्रयोग मॉड्यूल

i) छुट्टी प्रबंधन प्रणाली
ii) टूर प्रबंधन
iii) बायो-मेट्रिक अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम
iv) डीडीयू-जीकेवाई हेल्पडेस्क
v) फिल्म फेस्टिवल पोर्टल
vi) आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टिकटिंग सिस्टम

स्थापना और कार्यान्वयन के लिए समर्थित:

i) कोहा (केओएचए)
ii) ओडीके
iii) लाइब्रेरी का डिजिटलीकरन

रखरखाव के तहत एनआईसी विकसित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन

I) ई-ऑफिस
ii) प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल
iii)आधार सक्षम बायो-मेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम
iv)ईमेल सेवाएँ

9.5.4 पुस्तकालय का डिजिटाइजेशन–- ग्रामीण विकास डिजिटल लाइब्रेरी (आरडीडीएल)

एनआईआरडीपीआर लाइब्रेरी ने संस्थागत प्रकाशनों जैसे अनुसन्धान विशिष्टताएँ, प्रशिक्षण/पाठ्य सामग्री और ग्रामीण विकास पर संकाय सदस्यों के प्रकाशनों के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

डिजिटलीकरण के क्षेत्र में 11809 दस्तावेज शामिल हैं जिनमें एनआईआरडीपीआर के प्रकाशन, भारत की जनगणना, एनआईआरडीपीआर ऑडियो विजुअल सामग्री और सरकारी प्रकाशन शामिल हैं।

चित्र-4: ग्रामीण विकास डिजिटल लाइब्रेरी मुख पृष्ठ URL: http://library.nirdpr.in:8080

कोई भी उपयोगकर्ता इस वेबसाइट को एनआईआरडीपीआर होमपेज के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। वर्तमान में कुल 35 उपयोगकर्ता इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

9.6 नियुक्तियाँ

इस वर्ष प्रमुख भर्तियां की गई। संस्थान ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रतिनियुक्ति पर सहायक प्रोफेसर, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी), डाटा प्रोसेसिंग सहायक (डीपीए) आदि जैसे कई शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्तियां की है। उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे और

सारणी - 17 : वर्ष 2018-19 के दौरान की गई नियुक्तियॉं / भरे गए पदों का विवरण :

क्र. सं	पद का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	जारी नियुक्तियों का प्रस्ताव पत्र	भरे गए पदों की संख्या
1.	प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर)	02	01	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर)	04	04	04
3.	सहायक प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर)	09	04	03
4.	उच्च श्रेणी लिपिक (यू डी सी)	04	04	03
5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (डी पी ए)	03	03	03

स्क्रूटनी, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया को कम लोगों को शामिल करके पूरा किया गया।

9.7 संकाय विकास

संस्थान के संकाय और गैर-संकाय दोनों सदस्यों को देश और विदेशों में विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियमित आधार पर प्रतिनियुक्त किया जाता है। 2018-19 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में संकाय और गैर-संकाय सहभागिता का विवरण परिशिष्ट - XII में दिया गया है।

9.8 कर्मचारी कल्याण

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

सारणी - 18 : शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या

शैक्षणिक कर्मचारी							
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	भूतपूर्व सैनिक	कॉलम 5 से बाहर महिलाएं
समूह-ए	8	3	14	36	61	--	15
समूह-बी	--	--	2	1	3	--	–
कुल	8	3	16	37	64	--	15
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी							
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	भूतपूर्व सैनिक	कॉलम 5 से बाहर महिलाएं
समूह-ए	1	1	--	7	9	–	4
समूह-बी	4	1	5	12	22	–	7
समूह-सी	12	4	41	56	113	5	26
ग्रुप-सी (पुन: वर्गीकृत)	35	7	19	18	79	0	11
कुल	52	13	65	93	223	5	48

संस्थान ने पूर्व की भांति कल्याण क्रियाकलापों के भाग के रूप में कैम्पस में स्थित भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल को अपनी सहायता का समर्थन जारी रखा। एनआईआरडीपीआर, ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों के अधिकांश बच्चों को भी कई अन्य लाभ दिए गए जैसे बच्चों के विवाह के लिए पुनर्देय ऋण, बच्चों की उच्च शिक्षा आदि के लिए संस्थान की हितकारी निधि से कम ब्याज पर पुनर्देय ऋण।

9.9 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन

संस्थान ने भारत सरकार के अनुमोदन के आधार पर, संस्थान के कर्मचारियों के लिए 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। संस्थान ने सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए प्रयास किए और यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों को भी इस अवधि के दौरान भुगतान किया जाए।

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, वेतनभोगियों और सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर आदि के लिए कुल बकाया राशि 11.68 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था। इस खर्च को पूरा करने के लिए, संस्थान ने 2018-19 के दौरान आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों से 7 वें सीपीसी के 30% का भुगतान किया।

9.10 71 वां स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2018) और 69 वां गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2019) समारोह:

संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया। महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी ने स्वतंत्रता दिवस पर एनआईआरडीपीआर परिसर में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उप-महानिदेशक श्रीमती राधिका रस्तोगी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह के एक भाग के रूप में, बीवीबीवी स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पॉट गेम्स और पुरस्कारों का वितरण किया गया।

9.11 स्थापना दिवस समारोह (नवंबर 09, 2018)

एनआईआरडीपीआर ने 'स्वच्छता' विषय के साथ 29 नवंबर, 2018 से 3 दिसंबर, 2018 तक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया है।

9.12 ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

ग्रामीण प्रलेखन केंद्र ने 19 और 20 नवंबर, 2018 को संस्थान में ग्रामीण विकास पर तीसरे राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा फिल्मकारों द्वारा सफल कहानियों के प्रचार में ग्रामीण विकास के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए एक मंच के रूप में किया गया था, लघु फिल्मों के रूप में समस्याओं आदि पर प्रकाश डालना, फिल्मों और वृत्तचित्रों को विकसित करना, कलाकारों और युवाओं को विकास या सामाजिक मुद्दों पर फिल्मों का दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण विकास क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं के योगदान के प्रयासों की सराहना करना था।

फिल्म महोत्सव में प्रविष्टियों चार श्रेणियों में आमंत्रित की गई थी, अर्थात् ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी नीतियां, ग्रामीण विकास विषय से संबंधित सामाजिक मुद्दे, ग्रामीण विकास उप-विषयों से संबंधित विभिन्न विधाओं के तहत फिल्में और ग्रामीण विकास में नए नवाचार और तकनीकी विकास। प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दो फिल्मों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, छात्रों के लिए 3 मिनट की मोबाइल फिल्म निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई और तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

श्री भूपेंद्र कनथोला, निदेशक, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के करकमलों से ग्रामीण विकास पर तीसरे राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

कुल मिलाकर, 94 प्रविष्टियां प्राप्त हुई और 27 प्रविष्टियों को अंतिम दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर होने के नाते, लोक सभा टीवी ने फिल्म महोत्सव पर एक विशेष रिपोर्ट प्रसारित की। इसके अलावा, पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों को लोकसभा टीवी पर दिखाया गया। चयनित प्रविष्टियों को एनआईआरडीपीआर यू ट्यूब चैनल, https://www.youtube.com/user/NIRDLectures/videos पर भी अपलोड किया गया था।

उद्घाटन के दिन फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा पैनल चर्चा में भाग लेना एक प्रमुख आकर्षण था , जो उभरते हुए फिल्म निर्माताओं को ग्रामीण मुद्दों के दृष्टिकोण और दस्तावेज के लिए एक नई सोच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था । श्री भूपेंद्र कनथोला, निदेशक, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, श्री अभिजीत दासगुप्ता, डीन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, श्रीमती सी वनजा, पत्रकार और फिल्म निर्माता, हैदराबाद, डॉ. उषा रमन, प्रोफेसर, संचार विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय और श्री शिवा कोरटाला, फिल्म निर्माता, हैदराबाद ने दो विषयों पर विचार-विमर्श में भाग लिया - 'मूवीज़ इन द कैटरिंग ब्रिजिंग द अर्बन-रूरल डिवाइड तथा 'डिपिक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ फिमेल लीड्स इन कान्टेपररी मूवीस – ट्रूथ एंड रिएलिटी'।

9.13 बाल दिवस समारोह का आयोजन

एनआईआरडीपीआर के प्रलेखन और संचार केंद्र ने 13 नवंबर, 2018 को पुस्तकालय में बाल दिवस मनाया। समारोह के भाग के रूप में, सीडीसी ने संस्थान परिसर में स्थित भारतीय विद्या भवन के विद्याश्रम के छात्रों के लिए अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में क्विंटडल्स का आयोजन किया। समारोह का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पुस्तकालय संसाधनों को पढ़ने और उपयोग करने की आदत को विकसित करना था।

भारतीय विद्या भवन के विद्याश्रम में कक्षा पांचवीं से लेकर नौवीं कक्षा तक के कुल 55 छात्रों ने क्विंटडल्स में भाग लिया, जिसमें किताबों को पढ़ना, मेमोरी टेस्ट ,तस्वीरों द्वारा प्रख्यात व्यक्तियों को पहचानना और किसी दिए गए विषय पर संक्षिप्त भाषण देना शामिल था। प्रतियोगियों के अलावा, विभिन्न बैचों में लगभग 500 छात्रों ने दर्शकों के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

9.14 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 127 वीं जयंती समारोह

14 अप्रैल, 2018 को एनआईआरडीपीआर में अम्बेडकर ब्लॉक में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 127 वीं जयंती मनाई गयी।

9.15 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

8 मार्च, 2019 को हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जेंडर अध्ययन और विकास केन्द्र ने महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया।

महिला दिवस किशोर और युवा महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य की स्वच्छता को समर्पित था।

इस अवसर पर, एनआईआरडीपीआर ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए एक सीएसआर परियोजना शुरू की। यह कार्यक्रम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत एनआईआरडीपीआर और बीडीएल (भारत डायनामिक्स लिमिटेड) के बीच एक समझौता ज्ञापन का हिस्सा था जिस पर 05 फरवरी, 2019 को हस्ताक्षर किया गया। भारत डायनमिक्स लिमिटेड से श्री एस. पिरमानयागम, निदेशक (वित्त), और श्री एसनारायणन , महाप्रबंधक इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री के सत्यनारायण रेड्डी, जिला शिक्षा अधिकारी, रंगा रेड्डी जिला भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पास के सरकारी स्कूलों से 200 किशोरी छात्राओं को आमंत्रित किया गया था।

अकादमी पुरस्कार जीतने वाली लघु निर्देशन "पीरियड एण्ड ऑफ़ सेंटेंस" रेका ज़ेताबाची की फिल्म को दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया । फिल्म स्क्रीनिंग के बाद तीन प्रतिष्ठित पैनलिस्ट डॉ. अनीता रेगो, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, हैदराबाद, प्रोफेसर वाई रमा पद्मा अनुभवी जनसांख्यिकी विशेषज्ञ,भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और श्रीमती के सुरेखा रेड्डी, तेलंगाना वेलस्पन ग्रुप के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विभाग के प्रमुख उपस्थित थे।

डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया । एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक ने संस्थान के बच्चों, कर्मचारियों और संकाय को संबोधित किया। महानिदेशक के संबोधन के बाद, चयनित स्कूलों के बच्चों को सैनिटरी नैपकिन के पैकेट वितरित करके बीडीएल-एनआईआरडीपीआर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री एस. नारायणन, महाप्रबंधक (पी एंड ए), बीडीएल ने दर्शकों को संबोधित किया, जिसका शीर्षक "रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की छात्राओं में जागरूकता सृजन और सेनीटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण" था।

बीडीएल परियोजना शुरू करने के बाद, मासिक धर्म स्वच्छता पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। स्क्रीनिंग के बाद तीन अनुभवी पैनलिस्ट द्वारा एक विस्तृत पैनल चर्चा की गई। पैनलिस्टों ने बताया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित कमजोरियां बहुआयामी हैं और किशोर महिलाओं को एक सजातीय समूह नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि लिंग के साथ अंतर-सामाजिक पहचान है। उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच के साथ मासिक धर्म के दौरान निपटान और स्वच्छता के बारे में अधिक से अधिक चर्चा की आवश्यकता की ओर इशारा किया। कार्यक्रम आयोजकों ने सभी को धन्यवाद दिया और बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम समाप्त हुआ।

9.16 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

एनआईआरडीपीआर द्वारा 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बच्चों एवं परिवार सदस्यों सहित कर्मचारियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

9.17 एनआईआरडीपीआर भवन, हैदराबाद के रूफ टॉप पर 250 केडब्ल्यूपी के सोलर प्लांट का निर्माण

पारिस्थितिक स्थायी विकास को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा को बढावा देने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के मंत्रालय/ विभाग द्वारा 1000 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर पीवी बिजली परियोजना की स्थापना के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला किया। एमएनआरई द्वारा एनआईआरडीपीआर के लिए संभावित रूप से काम किया गया, जिसमें एनआईआरडीपीआर के लिए उपलब्ध क्षमता 0.51 मिलियन यूनिट की अनुमानित वार्षिक जनरेशन के साथ 0.51 मेगावाट और 0.07 करोड़ रुपये की अपेक्षित वार्षिक बचत इंगित की गई है।

तदनुसार, नियत प्रक्रिया के साथ निविदाएं मंगाई गई थीं और पहले चरण में 250 संयंत्र का काम पूरा किया गया था और 18.01.2019 को 1.13 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य के साथ आरंभ किया गया था। 260 करोड़ रुपए के दूसरे चरण के लिए सोलर प्लांट के लिए 1.38 करोड़ रुपये के अनुमानित टेंडर की प्रक्रिया जारी है।

9.18 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। अवधि के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

9.19 प्रलेखन एवं प्रचार –प्रसार

संस्थान में ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी प्रसारित करने का एक जनादेश है। जनादेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका, एक मासिक समाचार पत्र, अनुसंधान विशिष्टताएँ और ग्रामीण विकास सांख्यिकी का प्रकाशन करता है। भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक प्रमुख प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने नियमित प्रकाशनों, सामयिक पत्रों, आदि के माध्यम से नीति नियोजकों, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के साथ वर्तमान सामयिक महत्व के मुद्दों पर अपने शोध निष्कर्षों, क्षेत्र वास्तविकताओं और विचारों को साझा करने का प्रयास करता है। एनआईआरडीपीआर जमीनी स्तर की वास्तविकताओं की प्रतिक्रिया प्रदान करने, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन और प्रबंधन के लिए नीति निर्माताओं को सुझाव और दिशानिर्देश प्रदान करता है।

संस्थान ने तिमाही जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (JRD), एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र 'प्रगति' का प्रकाशन

किया है, जो एक मासिक प्रकाशन है और संस्थान द्वारा नियमित रूप से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सिफारिशों पर प्रकाश डालता है। संस्थान ने 101 भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं की सदस्यता ली है। विनिमय और मानार्थ आधार पर 16 पत्रिकाएँ और लगभग 30 समाचार पत्र विभिन्न ग्रामीण विकास संस्थानों से प्राप्त किए जाते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने 1,23,198 पुस्तकों का कुल संग्रह किया। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं समाचार पत्र के अलावा, संस्थान ने लेख, पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें और पुस्तक समीक्षा आदि के रूप में 29 से अधिक प्रकाशन किए।

9.19.1 प्रलेखन प्रबंधन प्रणाली

आधिकारिक रिकॉर्ड के डिजिटल प्रारूप में दस्तावेजों के उचित प्रबंधन को लागू करने और सूचना सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने एक वेब-आधारित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) की स्थापना की। दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) का उपयोग दस्तावेजों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और संग्रहित करने तथा कागज के उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। अधिकांश विभिन्न उपयोगकर्ताओं (के वृत्त लेखनों) द्वारा निर्मित और संशोधित विभिन्न संस्करणों का रिकॉर्ड रखने में सक्षम हैं। इसका उपयोग व्यवस्थित एवं सुरक्षित करने, कैप्चरिंग, डिजिटलीकरण, टैगिंग, अनुमोदन करने और कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और यह केवल क्लाउड स्टोरेज से कहीं अधिक है। डीएमएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से मानक भौतिक दस्तावेज़ दाखिल पद्धतियों को शामिल करने का एक साधन प्रदान करता है।

स्कूलों, विभागों और समितियों को आधिकारिक और गोपनीय रिकॉर्ड रखने के लिए http://dms.nirdpr.in पर डीएमएस का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। डीएमएस, सिस्टम के सभी दस्तावेज़ों को स्वचालित रूप से अनुक्रमित करता है और उपयोगकर्ता समान कीवर्ड द्वारा दस्तावेज़ खोज सकते हैं। सीडीसी अपनी उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों के प्रबंधन और समर्थन के लिए सीआईसीटी का समर्थन लेगा।

9.19.2 सूचना संसाधन और सेवाएँ

एनआईआरडीपीआर में प्रिंट और नॉन-प्रिंट में सूचना संसाधन उपलब्ध हैं जैसे कि किताबें, जर्नल, सीडी / डीवीडी, ई-बुक्स, ग्रामीण विकास पर ई-डेटाबेस और वर्षों से एकत्र संबद्ध पहलू एनआईआरडीपीआर की शक्ति है, जो प्रसार के लिए एक मजबूत सूचना भंडार का निर्माण करती है।

प्रिंट फॉर्म में किताबें, दस्तावेज, रिपोर्ट, कागजात, शोध पत्र, संकाय प्रकाशन आदि शामिल होते हैं।

ई-संसाधन

ई-संसाधनों के लिए रिमोट एक्सेस:

सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन दूरस्थ रूप से एनआईआरडीपीआर लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं (छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों) द्वारा सर्वर के माध्यम से सुलभ हैं। उपयोगकर्ता एनआईआरडीपीआर पोर्टल के माध्यम से ई-संसाधनों के विभिन्न रूपों जैसे ई-बुक्स, ई-जर्नल, डेटाबेस और पॉडकास्ट आदि का उपयोग करते हैं। ई-संसाधनों में प्रोक्वेस्ट (ProQuest) सोशल साइंस डेटाबेस और ई-बुक्स सेंट्रल, जस्टर और इंडियास्टैट शामिल हैं। रिमोट एक्स एक ऐसा उपकरण है जिसे दुनिया में कहीं से भी, कभी भी, सभी ई-संसाधनों को संस्थान में एक्सेस किया जा सकता है। 160 उपयोगकर्ता इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

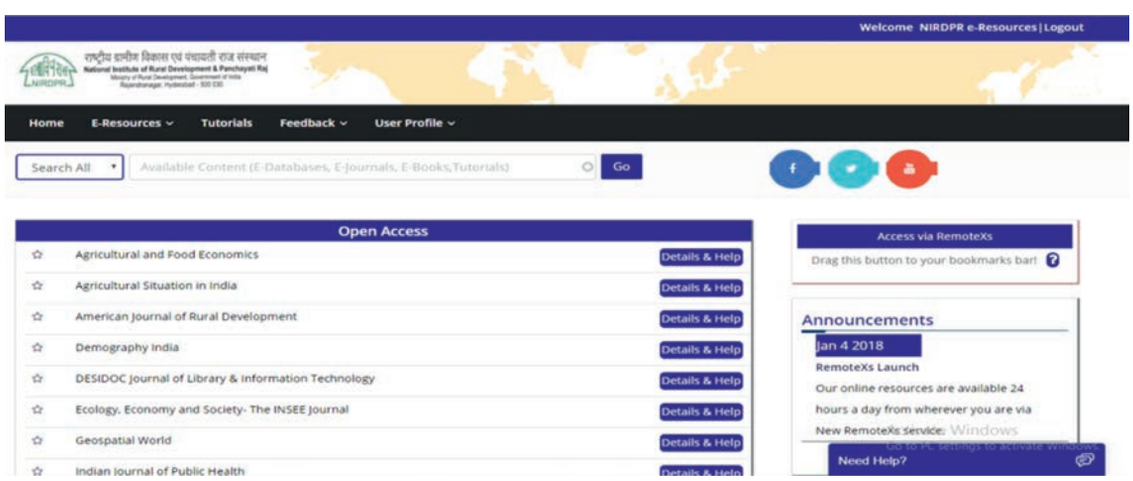

चित्र - 5 रिमोटएक्स होमपेज का स्क्रीन शॉट URL: https://nirdprlib.remotexs.in/

ग्राफ - 7 ई-संसाधनों का उपयोग: सांख्यिकीय प्रस्तुति

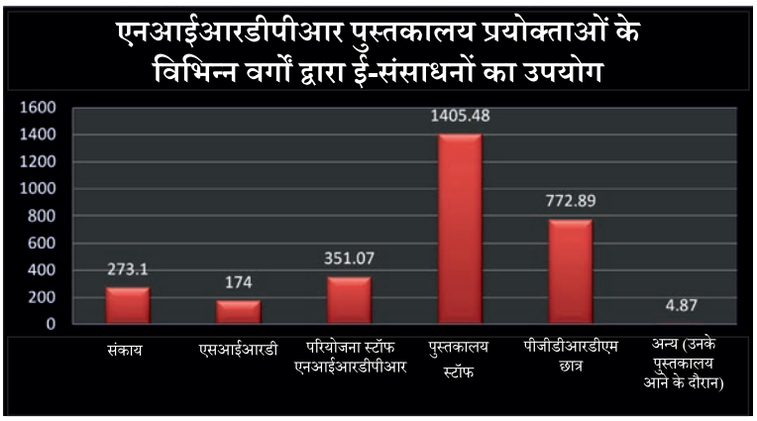

सारणी - 19 : विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा ई-संसाधनों का उपयोग

श्रेणी	उपयोगकर्ता की संख्या	लॉग इन करने की संख्या	एमबी में लोड किया गया
संकाय	12	43	273.1
एसआईआरडी	5	23	174
एनआईआरडीपीआर के परियोजना कर्मचारी	9	101	351.07
पुस्तकालय कर्मचारी	4	266	1405.48
पीजीडीआरडीएमय छात्र	22	77	772.89
अन्य (उनके पुस्तकालय आने के दौरान)	1	2	4.87
कुल	53	512	2981.41

9.19.3 मांग पर ग्रंथ-सूची सेवा

सीडीसी सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए उनके शोध कार्य हेतु एक विशेष ग्रंथ सूची सेवा प्रदान करता है। ग्रंथ सूची प्रकाशित (पुस्तकों, आवधिक लेख आदि) के साथ-साथ संदर्भ और अध्ययन के लिए एक विशिष्ट विषय से संबंधित अप्रकाशित सामग्री की एक व्यवस्थित वर्णनात्मक सूची होती है। यह सेवा दो स्वरूपों में प्रदान की जाती है: ग्रंथों के बिना ग्रंथ सूची (पुस्तकों के लिए - लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशन का वर्ष, पृष्ठ, और जर्नल लेख-लेखक, शीर्षक, जर्नल का नाम, पृष्ठों के लिए) ग्रंथ सूची (उपर्युक्त के अनुसार) और मुद्रित दस्तावेज़ की विचार सामग्री का सार या विवरण।

9.19.4 पुस्तकालय वार्ता

शैक्षणिक चर्चा और बहस के लिए एक मंच बनाने के उद्देश्य से, विकास प्रलेखन और संचार केन्द्र ने एक नई पहल 'पुस्तकालय वार्ता' आरम्भ की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और बहस करने तथा प्रक्रिया में प्राप्त नये विचारों का पता लगाने में एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को एक साथ लाना है। इस पहल में वार्ता की श्रृंखला हर महीने आयोजित की जाएगी। प्रत्येक वार्ता में विभिन्न केन्द्र के संकाय प्रस्तुति देंगे।

9.19.5 ब्रांडिंग और जन संपर्क:

मेसर्स फुट प्रिंट ग्लोबल कम्युनिकेशंस, नई दिल्ली की श्रीमती भवानी गिद्दू को ब्रांड छवि निर्माण और एनआईआरडीपीआर गतिविधियों और घटनाओं के व्यापक प्रसार का कार्य सौंपा गया था।

9.20 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य खुलासे का विवरण प्रदान करती है। संस्थान ने आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी, दो सहायक लोक सूचना अधिकारियों और ट्रांसपरेंसी अधिकारी को नामित किया है और उनके नाम भी एनआईआरडीपीआर वेबसाइट में दिए गए हैं। संस्थान में गुवाहाटी में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकारी और सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर 104 आरटीआई आवेदन और अपील नागरिकों से प्राप्त हुई और प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया गया। संस्थान ने प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य ऑनलाइन तिमाही रिटर्न भी जमा किया। आरटीआई आवेदन परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, अदालती मामलों, भर्ती, प्रकाशन और अपील आदि से संबंधित हैं।

9.21. राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रगामी प्रयोग 2018-19

राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में संस्थान का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। संस्थान समय-समय पर भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करता रहा है। वर्ष के दौरान संस्थान में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन इस प्रकार है:

9.21.1 राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन

संस्थान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन कर रहा है। संस्थान के सभी नाम-पत्र, साइन बोर्ड और संकेत बोर्ड और नाम द्वि-भाषी (हिंदी + अंग्रेजी) में हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत आधिकारिक दस्तावेज और रिपोर्ट द्वि-भाषी रूप में जारी किए गए।

9.21.2 संस्थान के हिंदी प्रकाशन

उपरोक्त अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रकाशन सामने आए:

1. एनआईआरडीपीआर समाचार पत्र (प्रगति)
2. वार्षिक रिपोर्ट - 2017-18
3. वार्षिक लेखा - 2017-18
4. एनआईआरडी प्रशिक्षण कैलेंडर- 2018-19
5. आरसेटी समाचार पत्र
6. सामर्थ्य भाग - I और भाग - II - 2018
7. मानक संचालन प्रक्रिया –2018

9.21.3 हिंदी कार्यशाला

वर्ष 2018-19 के लिए राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की वार्षिक कार्य योजना के निर्देशानुसार, संस्थान ने समूह "ग" के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन 29 जून, 2018 को किया। उन्हें व्यावहारिक हिंदी में प्रशिक्षित किया गया।

9.21.4 हिंदी पखवाड़ा / हिंदी दिवस का आयोजन

संस्थान में 14 से 28 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) कवि सम्मेलन

17 सितंबर, 2018 को संस्थान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हैदराबाद शहर के सात प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया और अपनी कविताओं का पाठ किया। इस अवसर पर डॉ. डब्ल्यू.आर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक और डॉ. आकाँक्षा शुक्ला उपस्थित थे।

(ख) वाद-विवाद प्रतियोगिता

पीजीडीआरडीएम के छात्रों के लिए 18 सितंबर, 2018 को संस्थान के पुस्तकालय भवन में एक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तीन छात्रों को महानिदेशक द्वारा नकद पुरस्कार दिए गए।

(ग) गीत और नाटक प्रभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम

हिंदी पखवाड़े के दौरान, गीत और नाटक प्रभाग, हैदराबाद द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 19 सितंबर, 2018 को संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया था जिसमें श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक ने कलाकारों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए।

(घ) पुस्तकालय व्याख्यान

पुस्तकालय भवन में 8 जून, 2018 को मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास "गोदान" पर हिंदी पुस्तकालय व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें संस्थान के कर्मचारी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

9.21.5 नराकास (टालिक) के तहत आयोजित प्रतियोगिताएं:

(i) जस्ट ए मिनट टाक प्रतियोगिता:

3 अक्टूबर, 2018 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के मार्गदर्शन में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई), हैदराबाद कार्यालय ने नराकास सदस्यों के लिए "जस्ट ए मिनट टॉक" प्रतियोगिता आयोजित की। 10 कार्यालयों के कुल 15 सदस्यों ने भाग लिया।

(ii) वाद-विवाद प्रतियोगिता

एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के मार्गदर्शन में नराकास सदस्यों के लिए एक वाद विवाद प्रतियोगिता एनआईपीएचएम, हैदराबाद कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें 13 नराकास सदस्यों ने भाग लिया।

(iii) नराकास (टालिक) सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के मार्गदर्शन में नराकास सदस्यों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आईआईओआर कार्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद में आयोजित की गई। निबंध का विषय "स्वच्छ भारत अभियान" था जिसमें विभिन्न कार्यालयों के 15 नराकास सदस्यों ने भाग लिया।

9.21.6 एनआईआरडीपीआर , हैदराबाद में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक का आयोजन

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - 2 का आयोजन 10 दिसंबर, 2018 को एनआईआरडीपीआर के विकास सभागार में किया गया। नराकास के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तीन कार्यालयों को शील्ड प्रदान किए।

9.21.7 तकनीकी सेमिनार

क) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के मार्गदर्शन में, 13 अप्रैल, 2018 को भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), सिकंदराबाद में एक तकनीकी हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 35 नराकास सदस्य उपस्थित थे। हिंदी तकनीकी सेमिनार में राजभाषा नियमों, यूनिकोड टाइपिंग और गूगल वॉयस, आदि पर व्याख्यान थे।

ख) एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद में 19 अगस्त, 2018 को एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला एक दिन के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती रानी कुमुदिनी, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, एनएफडीबी और डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (सीडीसी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा किया गया था।

ग) श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में सिल्क बोर्ड, शादनगर ने एक दिवसीय हिन्दी तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया । डॉ. प्रवीण कुमार ने हिंदी में एक तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (सीडीसी) ने संगोष्ठी का संयोजन किया।

9.21.8 हिंदी अनुवाद कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिंदी में अनुवाद के लगभग 5000 पृष्ठ पूरे हुए। इसमें अनुसूची, आरटीआई पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा, सीपीआर पाठ्यक्रम सामग्री, संकाय पुस्तकें अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामर्थ्य, भाग - I और भाग - II, प्रश्नावली, मंत्री का भाषण आदि शामिल हैं।

9.21.9 प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखिए

संस्थान के हिंदी अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए संस्थान में "एक हिंदी शब्द सीखें" योजना को लागू किया जा रहा है। संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी की रुचि पैदा करने के लिए हिंदी उद्धरण भी प्रदर्शित किए गए।

9.21.10 सभी कंप्यूटरों में द्विभाषा की सुविधा

संस्थान के सभी 560 कंप्यूटरों में द्विभाषा यूनिकोड और एपीएस लोड किया गया।

अध्याय - 10 वित्त और लेखा

एनआईआरडीपीआर एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जो सभी क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। प्रत्येक वर्ष, अनुमोदित बजट के अनुसार मंत्रालय, राजस्व शीर्ष के तहत अनुदान रिलीज करता है। एनआईआरडीपीआर के प्रस्ताव तथा आवश्यकता के आधार पर विशिष्ट पूंजी व्यय के लिए भी अनुदान रिलीज करता है। संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजटिंग, वेतन एवं निधि का लेखाकरण, वार्षिक लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ तथा 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष सहित दुहरी प्रविष्टि प्रणाली को अपना रहा है। संस्थान के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक करते हैं। संस्थान के लेखा को केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए सी ए जी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संस्थान के लेखा में सी ए जी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल किया जाता है और संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्व शीर्ष के तहत रिलीज किए गए अनुदान का उपयोग संस्थान के मुख्य क्रियाकलाप के व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान विकास, सेमिनार एवं सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन, जर्नल की खरीद, पुस्तकालय, रखरखाव तथा अन्य आवर्ती एवं आवर्ती व्यय। उपरोक्त के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से भी एनआईआरडीपीआर को निधि प्राप्त होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), रूरबल मिशन, इंदिरा आवास योजना, आईएसाई, एमजी नरेगा, सामाजिक लेखा परीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम, आरसेटी आदि के लिए खर्च किया जा सके। अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन, क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, यूनाईटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय निकाय से प्राप्त निधि-प्राप्त होती है जो वित्त पोषित एजेंसियों की आवश्यकताओं के लिए सीमित है

वित्तीय वर्ष 2018-19के लिए, संस्थान द्वारा 72.12 करोड़ रू. की कुल अनुदान राशि की तुलना में 79.32 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों से 7.14 करोड़ रूपये की राशि जुटाई गई।

सारणी - 20 : पिछले 5 वर्षों के अनुदान और व्यय के संबंध में ग्राफिकल प्रस्तुति निम्नलिखित है

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कुल अनुदान रु.	व्यय रु.
2014 - 15	52.04	57.79
2015 - 16	57.23	67.64
2016 - 17	58.83	62.25
2017 – 18	50.00	70.88
2018– 19	72.17	79.32

एनआईआरडीपीआर संचित निधि

महापरिषद की 21 अगस्त, 2008 को संपन्न 105 वीं बैठक की मंजूरी के पश्चात 2008-09 में एनआईआरडीपीआर संचित निधि स्थापित की गई। निधि के संचालन और प्रबंधन के लिए संचित निधि नियम उद्देश्यों, स्रोतों, अनुप्रयोगों को निर्दिष्ट करता है। निधि के प्रबंधन आदि को उक्त बैठक में महापरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। निधि का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। 31 मार्च 2019 तक, संचित निधि में रु.217.72 करोड़ थे। जो कि 31 मार्च 2018 तक रू.195.33 करोड़ थे। यह संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आत्म निर्भरता के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए सकल अपर्याप्त है, यह देखते हुए कि संस्थान ने 2018-19 के दौरान लगभग रू.79 करोड़ का व्यय किया है (संस्थान के क्रियाकलापों में अधिक भर्तियॉ और घातीय (असाधारण) वृद्धि के कारण इसके बढने की उम्मीद है।

एनआईआरडीपीआर द्वारा अन्य निधि का रखरखाव

इसके अलावा, संस्थान ने विकास निधि, हितकारी निधि, भविष्य निधि, भवन निधि और चिकित्सा संचित निधि की भी स्थापना की, जिसका विशिष्ट उद्देश्य हैं। निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

उच्च शिक्षा के लिए एनआईआरडीपीआर स्टाफ / अधिकारियों के मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थान के वित्त विशिष्ट विकासात्मक परियोजना आदि के लिए अस्सी के दशक में विकास निधि की स्थापना की गई थी। बच्चों को शिक्षा ऋण और ग्रूप सी कर्मचारियों के लिए विवाह ऋण, मृतक कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता आदि प्रदान करने के लिए इसी अवधी में हितकारी निधि की भी स्थापना की गई। उपरोक्त दो निधियों का मुख्य स्रोत संस्थान की शुद्ध बचत / आय का एक निश्चित हिस्सा है, जो परामर्शी परियोजना और निधि पर अर्जित ब्याज से प्राप्त होता है। 31 मार्च 2019 को निधि का शेष रू. 9.38 करोड़ और क्रमशः रु. 5.41 करोड़ था।

भवन निधि का गठन 1989-90 में किया गया था, जो मुख्य रूप से उसी के लिए निर्धारित कोष से संस्थान के ढांचागत विकास के लिए किया गया था। 31 मार्च 2019 तक निधि का शेष रु. 26.76 करोड़ था।

भविष्य निधि संस्थान के कर्मचारियों के सभी पीएफ से संबंधित लेनदेन के लिए स्थापित की गयी थी। 31 मार्च 2019 तक निधि का शेष 17.49 करोड़ रू. था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए चिकित्सा संचित निधि की स्थापना की गई थी। इस निधि का स्रोत कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों और निधि पर अर्जित ब्याज से होता हैं। 31 मार्च 2019 तक निधि का शेष रु. .1.34 करोड़ रू. था।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए आबंटित राशि का विवरण नीचे दिया गया :

क्र. सं.	के लिए निधि पोषण	राशि (रूपये में)
1.	एनआईआरडीपीआर शिशु सदन	1,32,315
2.	एनआईआरडीपीआर उपाहार गृह	1,50,000
	कुल	2,82,315

परिशिष्ट - I

वर्ष 2018-19 के दौरान एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रतिभागियों का श्रेणी-वार, महीने-वार वितरण

महीना	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थाएं	जेडपीसी और पीआर आई	एनजीओ	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय	अंतर्राष्ट्रीय	अन्य (एसएचजी, कृषक, बीएफटी, बेरोजगार युवक)	कुल	महिला	आयोजित कुल कार्यक्रम
क) हैदराबाद											
अप्रैल	343	0	92	44	24	1	0	12	516	171	15
मई	460	2	316	32	12	14	18	9	863	309	25
जून	517	0	166	5	2	12	1	774	1477	557	22
जुलाई	628	0	30	82	18	1	12	7	778	118	25
अगस्त	276	19	719	46	25	1	46	114	1246	502	23
सितंबर	789	18	308	76	21	0	66	27	1305	402	38
अक्तूबर	565	11	77	14	69	4	56	215	1011	226	22
नवंबर	442	14	6	21	101	7	20	35	646	121	16
दिसंबर	1040	2	135	119	57	99	7	47	1506	329	35
जनवरी	1323	2	113	122	19	84	89	38	1790	266	40
फरवरी	798	83	195	525	2	225	24	19	1871	311	37
मार्च	347	0	1	21	7	0	75	9	460	65	13
कुल	7528	151	2158	1107	357	448	414	1306	13469	3377	311
नेटवर्किंग											
एनआर एलएम					9395				9395	3636	212
एमजीएनआरईजीए	648							25039	25687	1430	934
डीडीयू-जीकेवाई								3733	3733	687	137
कुल	8176	151	2158	1107	9752	448	414	30078	52284	9130	1594

महीना	सरकारी अधिकारी	वित्तीय संस्थाए	जेडपीसी और पीआर आई	एनजीओ	अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय / राज्य संस्थान	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय	अंतर्राष्ट्रीय	अन्य (एसएचजी, कृषक, बीएफटी, बेरोजगार युवक)	कुल	महिला	आयोजित कुल कार्यक्रम
ख) एनईआरसी											
अप्रैल	95	0	0	0	1	0	0	0	96	37	4
मई	168	0	0	22	1	7	0	37	235	89	8
जून	242	63	0	7	0	0	0	51	363	110	11
जुलाई	162	20	0	0	0	0	0	0	182	39	6
अगस्त	159	0	0	0	0	0	0	29	188	63	6
सितंबर	198	0	0	0	30	0	0	22	250	60	7
अक्तूबर	190	52	0	0	19	1	0	0	262	86	9
नवंबर	150	21	0	0	26	0	0	19	216	74	5
दिसंबर	76	39	0	0	0	0	0	41	156	59	6
जनवरी	181	0	14	26	32	1	0	37	291	104	8
फरवरी	109	19	0	0	9	1	0	24	162	61	6
मार्च	68	1	0	9	52	0	0	2	132	50	6
कुल	1798	215	14	64	170	10	0	262	2533	832	82
कुल योग (क+ख)	9974	366	2172	1171	9922	458	414	30340	54817	9962	1676
प्रतिशतता में भागीदारी	18.20	0.67	3.96	2.14	18.10	0.84	0.76	55.35	100.00	18.17	

परिशिष्ट - II

वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
क.	**अनुसंधान अध्ययन**		
1.	विकास हेतु डिजिटल मीडिया : दूरस्थ ग्रामीण तेलंगाना में एक संप्रेषण अध्ययन	डॉ. सी. कतिरेसन डॉ. आकांक्षा शुक्ला	जून, 2018
2.	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के नेताओं से लेकर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) तक: पीआरआई में जेंडर जवाबदेही शासन का अध्ययन	डॉ. एन.वी.माधुरी डॉ. एस.के. सत्यप्रभा डॉ. रूचिरा भट्टाचार्य एवं दल	नवम्बर, 2018
3.	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों में प्रचलनो का अध्ययन और राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और उसका प्रभाव	डॉ. सी.धीरजा डॉ. एस.श्रीनिवास श्री. करूणा मुत्तय्या	नवम्बर, 2018
4.	विकास की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा अभिग्रहित गॉंव बुरगुला में मानचित्रण	डॉ.सोनल मोबर राय डॉ. एन.वी.माधुरी डॉ एनएसआर प्रसाद सुश्री के. सुरेखा	अक्तूबर, 2018
5.	ग्रामीण भारत में खाद्य उत्पादन के लिए महिलाओं की पहुंच के संबंध में पोषण में जेंडर के अंतर को समझना	डॉ. रूचिरा भट्टाचार्य डॉ. एन.वी.माधुरी	नवम्बर, 2018
6.	प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	डॉ. श्रीनिवास सज्जा डॉ. सी.धीरजा श्री. करूणा एम	नवम्बर, 2018
7.	ग्रामीण और पेरी-शहरी क्षेत्रों में कृषि संबंधी परिवर्तन और भूमि बाजार में परिवर्तन तथा गरीबों की आजीविका पर इन परिवर्तनों का प्रभाव: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सीएच. राधिका रानी	नवम्बर, 2018
8.	उपयोग और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ ओडीएफ स्थिति का पुन: सत्यापन: एक आनुभविक जांच	डॉ. आर. रमेश डॉ. पी. शिवराम	नवम्बर, 2018
9.	पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना: पीआरआई-एसएचजी अभिसरण पर एक अध्ययन	डॉ. प्रत्यूसना पटनायक	नवम्बर, 2018
10.	ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व जुटाने पर चौदहवें वित्त आयोग के प्रदर्शन अनुदान का प्रभाव आकलन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा डॉ. वानिश्री जोसेफ	नवम्बर, 2018
11.	पंचायत चुनाव में धन का प्रभाव: तेलंगाना का एक मामला अध्ययन	डॉ. वानिश्री जोसेफ	जनवरी, 2019
ख.	**मामला अध्ययन**		
12.	सफल ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोत राजस्व - चयनित ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन	डॉ. आर. चिन्नदुरै	जुलाई, 2018
13.	महिला प्रधान ग्राम पंचायत की उपलब्धियां: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में धौज और चंदावली का मामला अध्ययन	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा	जुलाई, 2018
14.	चैंपियन ऑफ चेंज: पंजाब के सबसे युवा सरपंच का एक मामला अध्ययन	डॉ.सी. कतिरेसन	जुलाई, 2018

क्र.स	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
15.	जीपीडीपी के कार्यान्वयन में सरपंच का प्रदर्शन	डॉ. अंजन कुमार भंज	जुलाई, 2018
16.	यूनेस्को की "दुलार" पहल के लिए कार्य और मांग	डॉ. रूचिरा भट्टाचार्य डॉ. एन.वी.माधुरी	जुलाई, 2018
17.	पंचायत सशक्तिकरण से सम्मानित फेटरी ग्राम पंचायत - सीखे जाने वाले सबक	डॉ. प्रत्यूसना पटनायक	जुलाई, 2018
18.	एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सतर्कता प्रणाली की भूमिका- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मामला	डॉ. सी.धीरजा डॉ. एस. श्रीनिवास श्री. करूणा मुत्तय्या	जुलाई, 2018
19.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की सामाजिक लेखापरीक्षा - आंध्र प्रदेश का मामला अध्ययन	डॉ. सज्जा श्रीनिवास डॉ. राजेश कुमार सिन्हा डॉ. सी.धीरजा	जुलाई, 2018
सी.	**सहयोगी अध्ययन**		
20.	बिहार में जीविका और एसएफआई द्वारा संवर्धित कृषि उद्यमियों का प्रदर्शन	डॉ. सीएच. राधिका रानी डॉ. नित्या वीजी और सिनजेंटा फाउंडेशन, भारत	अक्तूबर, 2018
21.	केन्द्र शासित प्रदेश अंडमॉन-निकोबार द्वीपसमूह में पीआरआई में जनशक्ति के वास्तविक आवश्यकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. सी.कतिरेसन डॉ. प्रत्यूसना पटनायक मोह.तकीउद्दीनऔरआरडीविभाग, अंडमॉन-निकोबार द्वीप समूह	अक्तूबर, 2018
22.	अट्टापड्डी में अनुसूचित जनजातियों के बीच बहु-आयामी गरीबी मूल्यांकन	केआईएलए-सीएचआरडी, कोट्टारक्कारा, केरल	अप्रैल, 2018
23.	पंचायती राज प्रणाली - केरल में महिला प्रधान पंचायतों का एक अध्ययन	केआईएलए-सीएचआरडी, कोट्टारक्कारा, केरल	अप्रैल, 2018
24.	मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यों के संबंध में मानसिकता और संस्थागत संरचनात्मक परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
25.	ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के स्थानांतरण को रोकने में मनरेगा योजना की भूमिका	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
26.	एमजीएनआरईजीएस योजना के कुल कम्प्यूटरीकरण का प्रभाव (कुंदम ब्लॉक, जबलपुर, एमपी में 2 जनपद पंचायतें)	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
27.	पंचायत दरपन में की जा रही ऑनलाइन प्रविष्टियों में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
28.	ग्राम सभा का संस्थानीकरण और कार्य का आकलन तथा ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
29.	कुंदम ब्लॉक, जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश	फरवरी, 2019
30.	मेघालय की गारो जनजाति के बीच ग्रामीण परिवारों की बचत व्यवहार का अध्ययन करना	ईटीसी, डाकोपग्रे, तुरा मेघालय	अप्रैल, 2018

परिशिष्ट - III

वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	के दौरान दल
क.	**अनुसंधान अध्ययन**	
1.	दो राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कार्य, कार्यकर्ता और वित्त का हस्तांतरण: झारखंड और तमिलनाडु	डॉ.वाई. भास्कर राव
2.	लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वशासन: दो राज्यों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन का एक अध्ययन	डॉ. प्रत्यूसना पटनायक
3.	ग्रामीण पेयजल की वितरण समानता: समावेशी सेवा वितरण का एक अध्ययन	डॉ. पी. शिवराम डॉ. आर. रमेश
4.	किशोर के स्वास्थ्य, पोषण और विकास पर किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना का प्रभाव मूल्यांकन (एसएबीएलए)	डॉ. सुचरिता पुजारी डॉ. टी.विजय कुमार
5.	ग्रामीण विकास में बेहतर पद्धतियों और मामला-शिक्षण सामग्री पर मामला अध्ययन का सारांश तैयार करना	डॉ. सोनल मोबर रॉय डॉ. जी.रवि कुमार
6.	सुरक्षित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति - चयनित राज्यों में रिवर्स ओस्मोसिस संयंत्र और जल एटीएम पर एक अध्ययन	डॉ. पी. शिवराम डॉ. आर. रमेश
7.	ओडीएफ के रूप में घोषित ग्राम पंचायतों में परिवारों का स्वच्छता व्यवहार मूल्यांकन	डॉ. पी. शिवराम डॉ. आर. रमेश
8.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार लेखा परीक्षा योजना नियम 2011 के अनुपालन में अध्ययन	डॉ. सी.धीरजा
9.	तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियां और कार्यक्रम	डॉ. के प्रताप रेड्डी
10.	महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक योगदान: एक आकलन	डॉ. एन.वी.माधुरी डॉ. वानिश्री जोसेफ एनआईआरडी-एनईआरसी के संकाय
11.	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ओपन गवर्नमेंट सिस्टम की प्रक्रिया और अभ्यास का प्रभाव - एक प्रायोगिक अध्ययन	डॉ. आर.अरूणा जयमनी
12.	किसान क्रेडिट कार्ड - उपयोग और प्रभावशीलता	श्री आर.एन.दास श्री वी. राम मोहन राव डॉ. एम. श्रीकांत
13.	पंचायत विकास योजना और क्षमता अंतराल में जीपीडीपी सिद्धांतों का पालन - चयनित राज्यों में विश्लेषण	डॉ आर चिन्नदुरै और एसआईआरडी संकाय
14.	भारत में स्वच्छता के लिए माँग के निर्धारक	डॉ. ज्ञानमुद्रा प्रो. सास्वत नारायण बिस्वास डॉ.इंद्रनील डे, आईआरएमए
15.	पीएमएवाई-जी का प्रभाव आकलन	डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी डॉ. पी. शिवराम, डॉ. आर. रमेश
16.	पंचायत चुनाव में धन का प्रभाव: तेलंगाना का एक मामला अध्ययन	डॉ. वानिश्री जोसेफ

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	के दौरान दल
ख.	**मामला अध्ययन**	
17.	स्मार्ट विलेज, लखपति किसान – खुंति जिला, झारखंड में ग्राम पंचायतों का मामला अध्ययन	डॉ.प्रत्यूसना पटनायक
18.	मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल के कामकाज पर एक मामला अध्ययन: असम राज्य में जनजातीय (समतल जनजाति) विकास का एक साधन	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव
19.	असम में वन ग्राम: पंचायती राज विस्तार के मुद्दे और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव
20.	चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान की सामाजिक लेखा परीक्षा: झारखंड का मामला अध्ययन	डॉ.राजेश कुमार सिन्हा डॉ. एस. श्रीनिवास
21.	महिला प्रधान ग्राम पंचायत की उपलब्धियां: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में धौज और चंदावली का मामला अध्ययन	डॉ.राजेश कुमार सिन्हा
	32 मामला अध्ययन (पीआरआई के सुदृढीकरण द्वारा भारत का बदलता स्वरूप)	
22-28	पंचायत में वंचित समुदाय द्वारा सशक्त महिला नेतृत्व से परिवर्तन	सामाजिक कार्य के लिए चर्च का सहायक (सीएएसए), नई दिल्ली (7 मामला अध्ययन)
29-30	लाबपुर और बिरभूम, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत का सफल नेतृत्व विकास	स्व-रोजगार को प्रेरित करने वाला संस्थान कोलकता, पश्चिम बंगाल (2 मामला अध्ययन)
31-32	सार्वजनिक उपयोगिता सेवा का प्रभाव अध्ययन: हरियाणा में ग्रामीण विकास में सामुदायिक संपत्ति संसाधन	आर पी एजुकेशन सोसायटी, रोहतक, हरियाणा (2 मामला अध्ययन)
33-34	मध्यप्रदेश की महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सफल कहानियों का दस्तावेजीकरण: ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग	मानवता विकास के लिए शोध सोसाईटी, जबलपुर, मध्य प्रदेश (2 मामला अध्ययन)
35-39	महिला नेतृत्व के तहत पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से सामुदायिक विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, एच.पी. (5 मामला अध्ययन)
40-44	स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने में पंचायत भूमिका की सफल कहानी का दस्तावेजीकरण	श्रमजीवी उन्नयन, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड (5 मामला अध्ययन)
45.	पीआरआई में महिला नेतृत्व	ग्रामीण विकास के लिए चिन्मय संगठन, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
46.	ग्रामीण जलापूर्ति में ग्राम पंचायत की भूमिका	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
47.	ग्राम पंचायत में स्वयं के स्रोत से राजस्व सृजन	हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद
48.	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के कार्यान्वयन में पीआरआई की भूमिका	हैदराबाद विश्वविद्यालय
49-53	पंजाब और हरियाणा के चुनिंदा पंचायतों में ग्रामीण स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण	ग्रामीण और औद्योगिक विकास में अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ (5 मामला अध्ययन)

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	के दौरान दल
सी.	सहभागी अध्ययन	
54.	आदर्श ग्राम का गठन	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश
55.	त्रिपुरा के ग्रामीण लोगों पर इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का प्रभाव	सिपार्ड, त्रिपुरा
56.	बिलखावथलिर आरडी ब्लॉक, कोलासिब जिले में स्वच्छता के विशेष संदर्भ में एमजीएनआरईजीएस का सामाजिक प्रभाव : मिजोरम	एसआईआरडी, मिजोरम
57.	गोवा राज्य में वृद्धों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना / दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना पर प्रभाव	जीआईपीएआरडी, गोआ
58.	गोआ में इंदिरा आवास योजना के प्रदर्शन पर एक अध्ययन	जीआईपीएआरडी, गोआ
59.	गोआ में महिला निर्वाचित प्रतिनिधि नेतृत्व कौशल	जीआईपीएआरडी, गोआ
60.	किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर मनरेगा और उसकी उप-योजनाओं यथा ‘कपिलधारा, भूमिशिल्पी, रेशमकीट पालन, बागवानी का प्रभाव और रोजगार के अवसर	एमजीएसआईआरडी, मध्य प्रदेश
61.	एमजीएनआरईजीएस में महिला श्रमिकों की बचत और क्रेडिट पैटर्न का विश्लेषण - अलाप्पुजा और कोल्लम जिला	एसआईआरडी, केरल
62.	स्वच्छता का स्वरूप - केरल के अलप्पुजा और तिरुवनंतपुरम जिलों के मछुआरा समुदायों का एक अध्ययन	एसआईआरडी, केरल
63.	त्रिपुरा में अपर्याप्त स्वच्छता के स्वास्थ्य जोखिम	एसआईआरडी, त्रिपुरा
64.	मिज़ोरम में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई : एक प्रक्रिया अध्ययन	एसआईआरडी, मिज़ोरम
65.	अंगूर के बाग में बयोगैस स्लरी के प्रभाव पर अध्ययन (मिट्टी जैविक कार्बन और उत्पादकता में परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ प्रयोग)	ईटीसी, जीटीसी, जालना, जे.ई.एस कॉलेज के सामने, जालना जिला, जालना
66.	ग्रामीण गरीबों के आधारभूत संरचना विकास पर ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का प्रभाव - कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, भवानीपटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
67.	ग्राम पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का प्रदर्शन: हैलाकांडी जिले के हैलाकांडी ब्लॉक में एक अध्ययन	ईसी, एसआईपीआरडी, हैलाकांडी, पीओ-बोयालीपार बाजार, असम
68.	हरियाणा में ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड के रखरखाव का प्रदर्शन और स्थिति (वित्तीय वर्ष 2015-16)	पीआर एवं सीडी का क्षेत्रीय संस्थान, भिवानी, हरियाणा
69.	प्रतापगढ़ जिले के डेयरी किसानों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल और ज्ञान स्तर एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन का अध्ययन	आरआईआरडी, प्रतापगढ़, यूपी

परिशिष्ट - IV

वर्ष 2018-19 के दौरान चल रहे अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ
क.	**अनुसंधान अध्ययन**		
1.	जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से सहभागी सिंचाई प्रबंधन: कुछ चयनित सिंचित कमांड क्षेत्रों का आकलन	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. के. प्रभाकर डॉ. पी. राजकुमार	2015-16
2.	भू-संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली (एसडीएसएस) विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण आजीविका पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव का अध्ययन	डॉ.पी.केशव राव ईआर. एच.के. सोलांकी श्री डी.एस.आर.मूर्ति डॉ.राज कुमार पम्मी	2015-16
3.	एससीएसपी / टीएसपी का मूल्यांकन - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक अध्ययन	डॉ. एस.एन.राव	2016-17
4.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस परिसंपत्ति: इसका व्यापक मूल्यांकन	डॉ. पी. अनुराधा	2016-17
5.	महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत संभावित मजदूरी रोजगार तक पहुंच बनाने की सुविधा प्रदान करने की मांग: नलगोंडा जिला, तेलंगाना का एक व्याख्यात्मक अध्ययन	डॉ.दिगंबर अबाजी चिमनकर	2016-17
6.	विभिन्न भूमि वितरण कार्यक्रमों के तहत गरीबों को आबंटित भूमि की स्थिति: चयनित राज्यों में एक मूल्यांकन	डॉ. जी.वी.कृष्ण लोहि दास	2016-17
7.	एमजीएनआरईजीएस और इसके निहितार्थों के साथ आईडब्ल्यूएमपी के अभिसरण पर एक अध्ययन	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. के. प्रभाकर डॉ. कृष्ण लोहिदास	2016-17
8.	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय पद्धति और तौर-तरीके: एनएलसी और डीआरएल पर एक अध्ययन	डॉ. आर. मुरुगेसन एवं दल	2016-17
9.	जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना - समस्याएं और अवसर - चयनित राज्यों में एक अध्ययन	डॉ.वाई. भास्कर राव डॉ. आर. चिन्नदुरै	2016-17
10.	ग्रामीण भारत में उत्पादक रोजगार अवसरों के विस्तार में सेवा क्षेत्र की भूमिका	डॉ.पार्था प्रतिम साहू	2017-18
11.	कृषि पर सतत और अनुकरणीय मॉडल विकसित करना - बेहतर पोषण परिणामों के लिए पोषण लिंकेज	डॉ. सुरजीत विक्रमन डॉ. आर. मुरुगेसन	2017-18
12.	कृषि बाजार बाधाओं के जवाब में संस्थागत नवाचार: एक सामूहिक मामला अध्ययन	डॉ. सुरजीत विक्रमन डॉ. आर. मुरुगेसन	2017-18
13.	सतत आजीविका और वंचित समुदाय: कर्नाटक के चुनिंदा जिले में वाडी (डब्ल्यूएडीआई) कार्यक्रम का एक अध्ययन	डॉ. राजकुमार पम्मी	2017-18
14.	भारत में मैनुअल स्कैवेजिंग प्रथा से मुक्त और गैर-मुक्त महिलाओं का मनोसामाजिक स्वास्थ्य	डॉ. लखन सिंह	2017-18
15.	भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. टी. विजय कुमार डॉ. लखन सिंह डॉ. सोनल मोबर रॉय	2017-18

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ
16.	ग्रामीण स्व सहायता समूह महिलाओं का स्वास्थ्य मांग व्यवहार	डॉ. सुचरिता पुजारी डॉ. टी. विजय कुमार	2017-18
17.	जिला योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने में विफलता के कारणों की जांच - नीति निर्माण के लिए सीख	डॉ. आर. अरुणा जयमनी डॉ.वाई.भास्कर राव	2017-18
18.	भारत में विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवा: बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यान्वयन	डॉ.वाई.भास्कर राव	2017-18
19.	एनएसएपी और राज्य पेंशन योजनाएँ और डीबीटी का विस्तार- 8 राज्यों में अध्ययन	डॉ. एस.एन.राव	2017-18
20.	किन्नरों का समाजार्थिक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन और उन्हें मुख्यधारा से जोडने के लिए रणनीतियाँ (2 राज्यों का अध्ययन)	डॉ. एस.एन.राव	2017-18
21.	एमजीएनआरईजीएस के तहत आजीविका संवर्धन और स्थिरता (प्रभाव)	डॉ. यू. हेमंत कुमार डॉ. जी.वी.के. लोहिदास डॉ. राजकुमार पम्मी डॉ. पी. शिवराम	2017-18
22.	बिहार में महिला नेतृत्ववाले ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन: बिजली, प्रतिरोध, बातचीत और परिवर्तन पर विश्लेषण	डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव श्रीमती स्मिता सिन्हा सहायक निदेशक, बिपार्ड	2017-18
23.	भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा की जांच (यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मामला अध्ययन)	प्रो. पी. शिवराम प्रो. ई.वी.प्रकाश राव डॉ. आर. रमेश	2017-18
24.	वित्त के विशेष संदर्भ के साथ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएल) के निर्माण के लिए अपनाया गया सुविधा तंत्र: चार राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (जी) पर अध्ययन	डॉ. आर. रमेश प्रो. पी. शिवराम	2017-18
25.	नोट बंदी और कृषि पर इसके पश्च प्रभाव का अध्ययन: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण	डॉ. के. कृष्ण रेड्डी डॉ. रविंद्र एस. गवली	2017-18
ख.	**मामला अध्ययन**		
26.	मध्यप्रदेश में आजीविका पहल और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के जीवन स्तर पर एक मामला अध्ययन	डॉ. आर. मुरुगेसन	2015-16
सी.	**सहयोगी अध्ययन**		
27.	मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल निकायों के जीर्णोद्धार (रिवर्स सहित) का आकलन: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सीख	भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, उत्तराखंड	2016-17
28.	एनआरईजीए और उसकी संपत्ति: झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा एनआरईजीए परिसंपत्तियों का व्यापक मूल्यांकन	मानव विकास संस्थान (आईएचडी), नई दिल्ली	2017-18
	i) एसआईआरडी एवं पीआर		
29.	चेन्चुओं (पीटीजी) में प्रमुख आजीविका स्रोत - महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	एसआईआरडी, आन्ध्र प्रदेश	2012-13

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ
30.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की आजीविका पर एमजीएनआरईजीएस का प्रभाव आकलन: महबूब नगर जिला, आंध्र प्रदेश का एक मामला अध्ययन	एसआईआरडी, आन्ध्र प्रदेश	2012-13
31.	पापुमपरे जिले के अंतर्गत रागा सीडी ब्लॉक और एसआईआरडी के आसपास के गांवों में एसएचजी के माध्यम से आजीविका परियोजनाएं / सूक्ष्म उद्यम	एसआईआरडी, अरूणाचल प्रदेश	2014-15
32.	तमिलनाडू के कुड्डलोर जिले के रासापेट्टई गांव में ग्राम आपदा जोखिम प्रबंधन योजना (वीडीआरएमपी) पर कार्य अनुसंधान परियोजना	एसआईआरडी, तमिलनाडू	2015-16
33.	त्रिपुरा में महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन पर स्वच्छता अभियान का प्रभाव	एसआईआरडी, त्रिपुरा	2016-17
34.	तेलंगाना राज्य में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और छात्रों की प्रतिधारणा को प्रभावित करने वाले कारक (एससी और एसटी के संदर्भ में)	टीएसआईपीएआरडी, तेलंगाना	2016-17
35.	शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एवं जेंडर न्याय के बीच संबंध की खोज: पश्चिम बंगाल, केरल और मिजोरम के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण	बीआरएआईपीआरडी, पश्चिम बंगाल	2016-17
36.	"झारखंड में आदिवासी महिला पीआरआई सदस्यों को सशक्त बनाना लेकिन क्या यह पीईएसए के संदर्भ में है ? - झारखंड के दस (10) पीईएसए जिलों में एक अध्ययन "	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
37.	झारखंड में ई-पंचायत - चुनौतियां और प्रस्तावित समाधान	एसआईआरडी, झारखंड	2016-17
38.	सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर जलागम विकास कार्यक्रम का प्रभाव और आजीविका, आय स्तर एवं हितधारकों के व्यवहार संबंधी पहलू पर इसका प्रभाव	डीडीयू-एसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	2016-17
39.	महिला सशक्तिकरण के लिए एसएचजी का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन	डीडीयू-एसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	2016-17
40.	कोलासिब जिला, मिज़ोरम राज्य, भारत में शिफ्टिंग खेती और खेती (नदी तट पर मौसमी खेती) की उत्पादकता के बीच तुलनात्मक अध्ययन	एसआईआरडी, मिज़ोरम	2016-17
41.	कोलासिब जिले के विशेष संदर्भ में मिजोरम में पाम तेल उत्पादन की समस्याएं और संभावनाएं	एसआईआरडी एवं पीआर, मिज़ोरम	2017-18
42.	पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और अली के कमजोर आदिवासी समूहों (लोधा, बिरहोर और टोटो) बच्चों के पोषण और शैक्षिक स्थिति पर पकाया हुआ मिड डे मील कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक क्रास अनुभागीय अध्ययन	एसआईआरडी, पश्चिम बंगाल	2017-18
43.	एमजीएनआरईजीए में अभिसरण पहल : राजौरी जिले (जम्मू- कश्मीर) का मामला अध्ययन	जेकेआईपीए एवं आरडी, जम्मू- कश्मीर	2017-18
	ii) ईटीसी		
44.	हथकरघा गतिविधि के माध्यम से स्व-रोजगार: मुख्यमंत्री जीवन ज्योति स्वनियोजन का मामला अध्ययन	ईटीसी, कहिकुची, कामरूप (एम), गुवाहाटी	2016-17

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान आरंभ
45.	महात्मा गांधी नरेगा: माऊर ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन	ईटीसी, तलिपराम्बा, करिंबम, कन्नूर जिला, केरल	2016-17
46.	सामुदायिक स्वच्छता और स्वच्छता में पुकपुई ग्राम अभिग्रहण के लिए कार्य अनुसंधान	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, पुकपुई, लुंगलेई, मिज़ोरम	2016-17
47.	भारत में मिजोरम के लुंगलेई जिले में ढलान वाली कृषि भूमि तकनोलॉजी (एसएएलटी) और गैर-ढलान वाली कृषि भूमि तकनोलॉजी के बीच तुलनात्मक अध्ययन	ईटीसी, पुकपुई, लुंगलेई, मिज़ोरम	2016-17
48.	स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव - मेघालय के रिबोई जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, नांग्सडर, मेघालय	2017-18
49.	पेसा क्षेत्रों में रीति-रिवाजों और परंपराओं का अभ्यास	पीआरटीआई/ईटीसी, मशोब्रा, शिमला, हिमाचल प्रदेश	2017-18
50.	स्वच्छ भारत'के कार्यान्वयन और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण- ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक मामला अध्ययन	ईटीसी, भवानीपटना, कालाहांडी, ओडिशा	2017-18

परिशिष्ट - V

वर्ष 2018-19 चल रहे ग्राम अभिग्रहण अध्ययन

क्र.सं	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्राम समूह
1	आंध्र प्रदेश	करनूल	नंदवरम मंडल	नगला दिन्ने गुरूजाला रायचोटे
		अनंतपुर	लेपाक्षी	कोंडूर ग्राम पंचायत
2	अरुणाचल प्रदेश	जिला - पश्चिम कामेंग	सर्किल-दिरांग	गाँव- चंदर, पंगमा और पंचवटी। दूसरे चरण में दो और गाँव यानी चेरॉन्ग और सेमनाक को भी शामिल किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत- थेम्बांग
3	असम	नलबारी	बोरिगॉग बनभांग और पब नलबारी विकास खंड	गुवाकुची, तंत्रसंकारा बालिकुची, बजाली उदयपुर, कथोरा
4	बिहार	गया	बोध गया ब्लॉक	बकरौर एवं बसरही ग्राम पंचायत समूह
5	छत्तीसगढ़	धमतरी	कुरूद	मुल्ले, अनवारी, कंजरपुरी
6	गोआ	दक्षिण गोआ	संगुएम	उगुएम, भाटी, कुरडी, नेतुरलीम, कलायेकलीम
7	गुजरात	गांधीनगर पटान	देहगाम ब्लॉक हारिज ब्लॉक	बादापुर जी.पी. बुडा जी.पी.
8	हरियाणा	करनाल	निलोखेरी	मंचुरी, पस्ताना, बीरबदलवा
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	मशोबरा	ग्राम पंचायत कोट
10	जम्मू - कश्मीर			
11	झारखंड	रामगढ़	मांडू	गर्गली समूह
12	कर्नाटक	मैसूर	तिरुमा कूडलु नरसिपुरा	मादापुरा जी.पी.
13	केरल	इदुक्की	ग्राम पंचायत: मुन्नूर और चिन्नाकनाल	कन्नन देवन हिल्स, वट्टवाडा, गुंडुमलाई, चिन्नकानल
14	मध्य प्रदेश	जबलपुर	कुंडम ब्लॉक	जुजहारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 गाँव
15	महाराष्ट्र	पुणे	पुरन्दर	सोनारी ग्राम पंचायत
16	मणिपुर			
17	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	गाम्बेग्रे ब्लॉक	अमिंडा रंगसा, दिलनिग्रे, सुरिंगग्रे, अमिंडा अडिंग, अमिंडा सिमसंग्रे, गैमबग्रे

क्र.सं	राज्य	जिला	ब्लॉक	ग्राम समूह
18	मिजोरम	ऐजवाल	ऐबक आर.डी.ब्लॉक	सुमसुई, चामरिंग, हमुइफांग
19	नगालैंड			दोशेही, बमुनपुखुरी ए, दरोगाजन, तोलुवी, बामुनपुखुरी बी, सुगरमिल एरिया विलेज
20	ओडिशा	कटक	नरसिंहपुर ब्लॉक	शारदापुर जी.पी.
21	पंजाब	अमृतसर	अटारी	रोडनवालाकलान रोडनवालाकुरूड मोद्दे, धनोईकालन धनोईखुर्द, रत्तन
22	राजस्थान	जयपुर	शाहपुरा	हनुतिया, मरखी, बिशनगढ़
23	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	जोरथंग	देंचुंग, डोंग, नंदगाँव, समतार, समसेबोंग, पोकलोक-देंचुंग-ग्राम पंचायत
24	तमिलनाडु			
25	तेलंगाना	महबूब-नगर	फारूक नगर	ग्राम पंचायत: बरगुला
26	त्रिपुरा	धलाई	सलेमा	कलचेरी ग्राम पंचायत
27	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	लालगंज	बेहता, बुंदई, नरसिंहपुर मालपुरा
28	उत्तराखंड	पिथौडागढ़	गंगोलीहाट	खारिक, सुनोली, पिपलेट, जाजुत और उपराडा ग्राम पंचायत: उपराडा एवं जाजू
29	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	गोलपोखर- II ब्लॉक का कंकी जी.पी.	सिमुलिया, नयानगर, मतियारी, सुईया, बसतपुर

परिशिष्ट - VI

वर्ष 2018-19 के दौरान आरंभ किए गए परामर्शी अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1.	आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. पी केशव राव ईआर. एच.के. सोलंकी	अप्रैल, 2018
2.	गुजरात, ओडिशा, और उत्तराखंड राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. एम.वी. रविबाबु डॉ. एन एस आर प्रसाद	अप्रैल, 2018
3.	हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. पी केशव राव ईआर. एच.के. सोलंकी	अप्रैल, 2018
4.	त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	डॉ. एन एस आर प्रसाद डॉ. एम.वी. रविबाबु	अप्रैल, 2018
5.	अरुणाचल प्रदेश, और असम राज्यों में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं में भू-संसूचना का उपयोग	श्री ए. सिम्हाचलम डॉ. एन एस आर प्रसाद	अप्रैल, 2018
6.	स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी का सृजन और कर्नूल, आंध्र प्रदेश में हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर का उपयोग करके विभिन्न चावल फसलों की तुलना	डॉ. एम.वी. रविबाबु डॉ. के सुरेश	अप्रैल, 2018
7.	टिहरी गढवाल जिला, उत्तराखंड में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)	डॉ. पी केशव राव डॉ. एन एस आर प्रसाद डॉ. एम.वी. रविबाबु ईआर. एच के सोलंकी	मई, 2018
8.	एमजीएनआरईजीएस आस्तियों की भू-टैगिंग का तीसरा पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी केशव राव डॉ. एन एस आर प्रसाद ईआर. एच के सोलंकी डॉ. एम.वी. रविबाबु	अप्रैल, 2018
9.	आंध्र प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्यकताओं का प्रदर्शन - एक अध्ययन	डॉ. एस.वी.रंगचार्युलु डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ.जी.रजनीकांत डॉ.पी.अनुराधा डॉ.के.जयश्री	अप्रैल, 2018
10.	ग्रामीण सामाजिक परिदृश्य पर एमजीएनआरईजीएस के तहत अभिसरण गतिविधियों पर प्रभाव	डॉ.पी.अनुराधा डॉ. ज्योतिस सत्यपालन	अप्रैल, 2018
11.	मणिपुर के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	डॉ. प्रत्युषना पटनायक	मार्च 2018
12.	तेलंगाना में पोषण माह	डॉ. ज्ञानमुद्रा श्री बी.वी.सुब्बा रेड्डी श्री एस.श्रीनिवास	अगस्त 2018
13.	अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) का मूल्यांकन	डॉ. जी.वेंकट राजू	2017-18
14.	मिशन अंत्योदया ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन - प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक त्वरित मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. जी.वेंकट राजू डॉ. वानीश्री जोसेफ	2017-18
15.	महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी) परियोजनाएं - कार्यान्वयन की प्रगति पर एक अध्ययन	डॉ. जी.वेंकट राजू	2017-18
16.	बिहार में कृषि उद्यमिता का मूल्यांकन	डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सीएच. राधिका रानी	2018-19

परिशिष्ट - VII

वर्ष 2018-19 के दौरान संपूरित परामर्शी अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल
1.	आंध्र प्रदेश गैर-सरकारी संगठन गठबंधन (एपीएनए) के प्रदर्शन का प्रभाव मूल्यांकन	डॉ. जी. रजनीकांत डॉ. एस.वी.रंगाचार्युलु ईआर.एच.कुर्मा राव डॉ.पी.अनुराधा
2.	कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या - स्थानिक राज्यों का एक आनुभाविक अध्ययन - मुद्दे और चिंताएं	डॉ. सीएच. राधिका रानी डॉ. सुरजीत विक्रमन डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सिद्धय्या
3.	आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा कार्यान्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में स्नातक मॉडल का प्रभाव	डॉ. सीएच. राधिका रानी डॉ. दिवाकर
4.	न्यू कीज फॉर ओल्ड ब्लैक बाक्सस : ऊर्जा व्यय को मापने के द्वारा पोषण आकलन में सुधार करने के तरीके विकसित करना	डॉ. सीएच. राधिका रानी डॉ. नित्या वी.जी.
5.	बिहार में कृषि उद्यमिता का मूल्यांकन	डॉ. नित्या वी.जी. डॉ. सीएच. राधिका रानी
6.	स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विजयनगरम जिले के गुरला मंडल में चयनित टैंकों का आकलन और परिवर्तन का पता लगाना	डॉ. एम.वी. रविबाबु डॉ. एनएसआर प्रसाद
7.	बैच -II आईडब्ल्यूएमपी परियोजना, नागालैंड के समेकित चरण का मूल्यांकन	डॉ. के. हलोई डॉ. एनएसआर प्रसाद श्री ए. सिम्हाचलम
8.	त्रिपुरा राज्य में आईडब्ल्यूएमपी बैच I परियोजनाओं का समेकित चरण मूल्यांकन	डॉ. के. हलोई डॉ. एनएसआर प्रसाद श्री ए. सिम्हाचलम
9.	बैच -III आईडब्ल्यूएमपी परियोजना, नागालैंड का कार्य चरण, - नागालैंड राज्य परियोजना का मामला - IV, V और VI	डॉ. के. हलोई डॉ. एनएसआर प्रसाद श्री ए. सिम्हाचलम
10.	जोरहाट जिले, असम में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र पर एमजीएनआरईजीएस कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संपर्क पहल का प्रभाव	डॉ. के. हलोई डॉ. एनएसआर प्रसाद श्री ए. सिम्हाचलम एवं अन्य
11.	आंध्र प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्यकताओं का प्रदर्शन - एक अध्ययन	डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु डॉ. ज्योतिस सत्यपालन डॉ. जी.रजनीकांत डॉ.पी.अनुराधा डॉ. के. जयश्री
12.	तेलंगाना में पोषण माह	डॉ. ज्ञानमुद्रा श्री बी.वी. सुब्बा रेड्डी श्री एस. श्रीनिवास

परिशिष्ट - VIII

वर्ष 2018-19 के दौरान चल रहे परामर्शी अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
1.	5 अफ्रीकी देशों में ग्रामीण विकास के लिए भू-संसूचना केंद्रों की स्थापना	डॉ. पी. केशव राव, ईआर. एच.के. सोलंकी, डॉ. एन एस आर प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबू	2015-16
2.	छह राज्यों में एमजीएनआरईजीएस के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-छह राज्यों में दीर्घावधि अध्ययन	डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु, डॉ. जी.रजनीकांत	2015-16
3.	कमजोर समुदायों में मजबूरी के कारण स्थानांतरण पर मनरेगा का प्रभाव- 4 राज्यों में समूह मध्यावधि दोहराए गए उपायों का अध्ययन	डॉ. प्रत्युष्ना पटनायक एवं दल	2015-16
4.	एपीआईबी देहरादून डेटा आधारित परियोजना की मान्यता	डॉ.पी.केशव राव, ईआर.एच.के. सोलांकी, श्री डी.एस.आर.मूर्ति, डॉ.राज कुमार पम्मी	2015-16
5.	पीएमकेएसवाई के जलागम घटक के तहत ऑनलाइन जलागम आकलन, ई-डीपीआर और भू-हाइड्रोजियॉलजी मॉडल तैयारी के लिए प्रशिक्षण विस्तार और समर्थन	डॉ.पी.केशव राव, ईआर.एच.के. सोलांकी, श्री डी.एस.आर.मूर्ति	2015-16
6.	ग्रामीण तेलंगाना में मजदूरी मांगकर्ताओं के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर महात्मा गांधी एनआरईजीएस प्रभाव पर अध्ययन	डॉ. जी. रजनीकांत, डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु	2016-17
7.	एकीकृत कार्य योजना पर मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. ए. देबप्रिया, डॉ. वी.माधव राव, डॉ. सुचरिता पुजारी	2016-17
8.	भारत में एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन	डॉ. एम. श्रीकांत	2017-18
9.	भारत में पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	डॉ. वाई.भास्कर राव	2017-18
10.	ग्राम पंचायतों और ग्राम परिषदों के लिए सेवा वितरण मानक विकसित करना, मानव संसाधन का मूल्यांकन, कार्य भार और सेवा की लागत	डॉ. के.जयलक्ष्मी, डॉ. वाई.भास्कर राव	2017-18
11.	क्षमता के अवसर "जेंडर उत्तरदायी शासन को बढ़ाने के लिए एक बहु - क्षेत्रीय दृष्टिकोण"	डॉ. एन.वी.माधुरी डॉ. वानिश्री जोसेफ	2017-18
12.	आंध्र प्रदेश राज्य के एमजीएनआरईजीएस के तहत सीसी सड़कों का अन्य पक्ष मूल्यांकन	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एम.वी. रविबाबु, डॉ. एन एस आर प्रसाद, ईआर.एच.के. सोलांकी	2017-18
13.	मडगास्कर में सीगार्ड प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना	डॉ. पी. केशव राव, डॉ. एन एस आर प्रसाद, डॉ. एम.वी. रविबाबु, ईआर.एच.के. सोलांकी	2017-18

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	दल	के दौरान प्रारंभ
14.	आरएलटीएपी के तहत विशेष मूल्यांकन एसीए (आरएलटीएपी), 314 एमडब्ल्यूएस का टर्मिनल मूल्यांकन,	डॉ. ए. देबप्रिय, डॉ. पी. केशव राव, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. अरुणा जयमनी	2017-18
15.	विशेष योजना (150 एमडब्ल्यूएस) केबीके के विशेष मूल्यांकन का अंतिम मूल्यांकन	डॉ. ए. देबप्रिय, डॉ. पी. केशव राव, डॉ. सोनल मोबर रॉय, डॉ. अरुणा जयमनी	2017-18
16.	महात्मा गांधी नरेगा का एक दशक: सहभागी मूल्यांकन और आगे का मार्ग	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन एवं दल	2017-18
17.	"निरंतर प्रशिक्षण और ई-सक्षमता" द्वारा पंचायती राज संस्थानों के सुदृढीकरण द्वारा भारत का बदलता स्वरूप	डॉ. प्रत्युष्ना पटनायक, डॉ. सी. कथिरेसन	2017-18
18.	पीएमएजीवाई के तहत बेसलाईन सर्वेक्षण का आयोजन और वीडीपी की तैयारी	डॉ. के. हलोई, दल	2017-18
19.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चक्रावर्तन द्वारा झूम कृषि पर भू-डेटाबेस का सृजन, मानचित्रण और वेब प्रकाशन: उत्तर पूर्वी भारत के सात जिलों का एक अध्ययन	डॉ. के. हलोई, डॉ. एनएसआर प्रसाद, श्री ए. सिम्हाचलम,	2017-18

परिशिष्ट - IX

महापरिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पते
1.	श्री नरेंद्र सिंह तोमर माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2.	श्री राम कृपाल यादव माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
3.	श्री पुरुषोत्तम रूपाला माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री, कमरा नंबर 322, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
4.	श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
5.	अध्यक्ष कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमूल डेयरी, आनंद-388001 गुजरात
6.	अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली - 110002
7.	अध्यक्ष भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), 16 कामरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आई.टी.ओ. के समीप नई दिल्ली - 110002
8.	सचिव (डीडब्ल्युएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
9.	सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
10.	सचिव पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली -110 001

क्र.सं.	नाम एवं पते
11.	सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा नंबर 115, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
12.	सचिव उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 127-सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13.	सचिव नीति आयोग, सी -8, टॉवर- I, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली- 110 021
14.	सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001
15.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मत्रांलय, 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001
16.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
17.	अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
18.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
19.	संयुक्त सचिव जनजातीय मामला मंत्रालय, 218, दूसरी मंजिल, डी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001
20.	संयुक्त सचिव (एसडी और मीडिया) सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, शास्त्री भवन, सी विंग, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 011
21.	कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली -110 067

क्र.सं.	नाम एवं पते
22.	कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सीआर राव रोड, पी ओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय, गच्चीबावली, हैदराबाद -500046 तेलंगाना
23.	डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030
24.	सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक, आईसीएआर, ए -1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली -110 012
25.	निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, नं.1210, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, 80 फीट रोड, 560 104, चंद्रा लेआउट, बेंगलुरु - 560040 कर्नाटक
26.	वरिष्ठ सलाहकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कमरा न. 322, बी-विंग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
27.	संयुक्त सचिव, आरएल और मिशन निदेशक (एनआरएलएम) 7 वीं मंजिल, एनडीसीसी- II, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
28.	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी), 10 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी.10014, मुंबई - 400 001
29.	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, 1-1-61, आरटीसी 'एक्स' रोड, पीबी नंबर .863, मुशीराबाद, हैदराबाद - 500020 तेलंगाना
30.	निदेशक ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 60, आनंद - 388001 गुजरात, भारत
31.	निदेशक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वी.एन. पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई - 400088
32.	निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद – 380 015 गुजरात
33.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर - 721 302 पश्चिम बंगाल
34.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी - 221005. उत्तर प्रदेश
35.	निदेशक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), पोस्ट बॉक्स नंबर 357, नेहरू नगर, भोपाल - 462003
36.	महानिदेशक मैनेज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030
37.	निदेशक (प्रभारी) महिला विकास अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्युडीएस), 25, भाई वीर सिंह मार्ग (गोल मार्केट), नई दिल्ली - 110001, भारत
38.	चेतना - सचिव रौरा सेक्टर, बिलासपुर - 174001 हिमाचल प्रदेश
39.	प्रशासनिक प्रबंधक आरोग्यधाम दीनदयाल अनुसंधान संस्थान सियाराम कुटीर, चित्रकूट, सतना - 485331 मध्य प्रदेश
40.	सचिव विकास भारती, ब्लॉक - बिष्णुपुर, पीएस - बिशुनपुर, जिला - गुमला, झारखंड
41.	महानिदेशक रामभाऊ महलगी प्रबोधिनी, 17, चंचल स्मृति, जी.डी. अम्बेडकर मार्ग, वडाला, मुंबई - 400031
42.	संपादक (ग्रामीण मामले) इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बी -1 / बी, सेक्टर -10, नोएडा- 201 301 उत्तर प्रदेश, भारत
43.	निदेशक आर्थिक विकास संस्थान, यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, दिल्ली विश्वविद्यालय (नॉर्थ कैंपस), नई दिल्ली - 110 007

क्र.सं.	नाम एवं पते
44.	श्री पाशा पटेल विठ्ठल हाउसिंग सोसाइटी, चर्च रोड, लातूर - 412 512 महाराष्ट्र
45.	प्रमुख सचिव, पीआर एवं आरडी ग्रामीण विकास विभाग, कमरा नंबर 607, साची भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ - 266 001 उत्तर प्रदेश
46.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार, जनता भवन, 'ई'- ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, दिसपुर, गुवाहाटी -781006 असम
47.	प्रमुख सचिव ओडिशा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, भुवनेश्वर, पिन - 751 001. ओडिशा
48.	सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004 मध्य प्रदेश
49.	सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 7 वीं मंजिल, बांधकाम भवन, 25-मरज़बान रोड, मुंबई - 400001, महाराष्ट्र
50.	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर - 302005 राजस्थान

क्र.सं.	नाम एवं पते
51.	अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज, मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, कमरा नंबर 30, पहली मंजिल, नया सचिवालय, इंफाल -795001
52.	कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनिटो जुआरेज़ रोड, दक्षिण मोती बाग, साउथ कैंपस, दिल्ली - 110021
53.	डॉ. आर.एम. पंत निदेशक, एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी, गुवाहाटी 781022
54.	डॉ. पी. शिवराम प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीआरआई), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 500030
55.	डॉ. सी. कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 50 030
56.	श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 50 030
57.	महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन और आरडी संस्थान, वाल्मी कैम्पस, फुलवारी शरीफ़, पटना - 801505, बिहार
58.	उप आयुक्त, करनाल और निदेशक सह प्राचार्य हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, ईटीसी कॉम्प्लेक्स, जिला - करनाल, नीलोखेड़ी - 132117 हरियाणा
59.	प्राचार्य क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र, वन विभाग के बगल में, संजय नगर, धमतरी जिला, कुरूद - 493663, छत्तीसगढ़

परिशिष्ट - X

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्यों के नाम
1.	श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
2.	डॉ. डब्ल्यू.आर रेड्डी, आईएएस महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर , राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500030
3.	सचिव पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001
4.	सचिव (डीडब्ल्युएस) - सचिव का कार्यालय (डीडब्ल्युएस) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	सचिव भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
6.	अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
7.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
8.	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
9.	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीडब्ल्युई, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद - 500030
10.	निदेशक - केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए), मुलमकुन्नतुकाऊ पी.ओ. त्रिस्सूर (केरल)
11.	डॉ. उदय बी. देसाई, निदेशक, आईआईटी, हैदराबाद, कंडी, संगारेड्डी - 502285 (तेलंगाना)
12.	निदेशक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - भारत, ग्रामभारती, अमरापुर, गांधीनगर - महुदी रोड, गांधीनगर - 382650 (गुजरात)
13.	सचिव (एफएस) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मत्रांलय, 6ए, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

परिशिष्ट - XI

शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	
1	उच्च शैक्षणिक महत्व और ग्रामीण विकास क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद के अध्यक्ष अंशकालिक होंगे। संस्थान के महानिदेशक सह-अध्यक्ष होंगे
2	कार्मिक विभाग, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, ईएंडएफ, पंचायती राज, आदि में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव
3	एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम सहायक)-सदस्य सचिव
4	एनआईआरडीपीआर के स्कूलों के डीन
5	आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए, आदि जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से एक व्यक्ति का नामांकन
6	कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की मंजूरी से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, लेकिन दो साल से अधिक नहीं
7	राज्यों के पांच एसआईआरडी के अध्यक्ष जो महापरिषद के सदस्य हैं (हर दो वर्षों में चक्रावर्तन आधार पर)

परिशिष्ट - XII

वर्ष 2018 - 19 के दौरान संकाय और गैर संकाय सदस्यों द्वारा उपस्थित संकाय विकास कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय (शैक्षिक)

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	डॉ. एस. सिद्धय्या एसोसिएट प्रोफेसर (सीएनआरडी)	सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट (एसएआरडी) पर फेलोशिप कार्यक्रम सियाग्नाम और अंसन, कोरिया गणराज्य 29 अप्रैल - 12 मई 2018 के दौरान
2.	डॉ. जी.वी.के. लोहिदास, सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	- वही -
3.	डॉ. सी. प्रमोद, संकाय एसआईआरडी, मैसूर	- वही -
4.	श्री अतुल कुमार तिवारी, आईएएस संयुक्त सचिव (पीपीएम) एमओआरडी	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम), चाइना शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
5.	श्री अनुराग श्रीवास्तव, आईएएस प्रधान सचिव, उत्तर प्रदश सरकार	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण श्यामा यप्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम), चाइना शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
6.	डॉ. सोनल मोबार रॉय सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई	19, 21 सितंबर 2018 के दौरान लंदन, यू.के. में स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर आठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
7.	डॉ. जी वी राजू प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीपीएमई)	3-7 सितंबर, 2018 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में परियोजना प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.	डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीएफआईई)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन दौरा
9.	डॉ.लखन सिंह सहायक प्रोफेसर (सीएचआरडी)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन दौरा
10.	डॉ. राज कुमार पम्मी सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन दौरा
11.	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन दौरा
12.	डॉ. एस के सत्यप्रभा सहायक प्रोफेसर (सीजीजी एवं पीए)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन दौरा
13.	डॉ. ज्ञानमुद्रा प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीएचआरडी)	31 अक्टूबर - 03 नवंबर, 2018 के दौरान गुआम, यूएसए में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: एशिया पैसिफिक कंसोर्टियम ऑफ रिसर्चर्स एंड एजुकेटर्स (एपीसीओआरई) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
14.	डॉ.अंजन कुमार भंज एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर)	22 - 31 अक्टूबर 2018 के दौरान संपर्क सत्र-सह-प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए एआईआरडी, काबुल, अफगानिस्तान का दौरा करने के लिए संकायों की प्रतिनियुक्ति

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
15.	डॉ. राज कुमार पम्मी सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	22 - 31 अक्टूबर 2018 के दौरान संपर्क सत्र-सह-प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए एआईआरडी, काबुल, अफगानिस्तान का दौरा करने के लिए संकायों की प्रतिनियुक्ति
16.	श्री एच के सोलंकी वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर (सी-गार्ड)	2-5 दिसंबर, 2018 के दौरान श्रीलंका में भू-स्थानिक के लिए नि: शुल्क और मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएसजी) पर एफओएसएस4जी एशिया 2018 सम्मेलन
17.	डॉ. पी. शिव राम प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीआरआई)	27 - 29 नवंबर, 2018 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
18.	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडब्ल्युई)	बीजिंग, चीन में 20 - 23 जनवरी, 2019 के दौरान जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवा परिदृश्यों के डिजाइन पर कार्यशाला
19.	डॉ. वी जी नित्या सहायक प्रोफेसर (सीएएस)	24 मार्च से 6 अप्रैल, 2019 के दौरान जर्मनी में विकासशील देशों में मूल्य चेन में नवीकरणीय ऊर्जा के स्मार्ट एकीकरण के लिए एप्लाइड इंजीनियरिंग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
20.	डॉ. ज्योतिस सत्यपालन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (सीडब्ल्युई)	25 से 29 मार्च, 2019 के दौरान कनाडा में 21 वीं सदी के लोगों के लिए प्रकृति और प्रकृति का योगदान के लिए दृष्टिकोण से दृश्य तक पर कार्यशाला
21.	डॉ. आर मुरुगेसन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सीएसआर, पीपीपी एवं पीए	31-03-2019 से 09-04-2019 के दौरान अफगानिस्तान में पीजीडीएसआरडी 11 वे बैच के संपर्क सत्र-सह-प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में काबुल, अफगानिस्तान का दौरा करने के लिए संकायों की प्रतिनियुक्ति
22.	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर (सीआरआई)	31-03-2019 से 09-04-2019 के दौरान अफगानिस्तान में पीजीडीएसआरडी 11 वे बैच के संपर्क सत्र-सह-प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में काबुल, अफगानिस्तान का दौरा करने के लिए संकायों की प्रतिनियुक्ति
अंतर्राष्ट्रीय (गैर-शैक्षिक)		
1.	श्री कामरान रिज़वी, आईएएस संयुक्त सचिव (ग्रामीण कौशल) एमओआरडी	"प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जीरूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)" शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
2.	श्री पी सी मिश्रा, आईएफएस प्रमुख सचिव, आरडी छत्तीसगढ़ सरकार	"प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जीरूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)" शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
3.	श्री विकास राज, आईएएस प्रमुख सचिव तेलंगाना सरकार	"प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जीरूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)" शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
4.	सुश्री विनीता हरिहरन मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक रुरबन मिशन, नई दिल्ली	"प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जीरूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)" शीर्षक एनआईआरडीपीआर परियोजना के तहत आईपीआरसीसी के लिए अध्ययन दौरा
5.	डॉ. फ्रैंकलिन लल्तिखुंमा, आईएएस रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.)	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग से बांग्लादेश का प्रदर्शन दौरा
6.	श्री डी प्राणेश राव निदेशक एएनएसएसआईआरडीएवंपीआर, मैसूर	कोलंबो में 23- 27 सितंबर, 2018 के दौरान सिर्डाप के सहयोग से बांग्लादेश का प्रदर्शन दौरा

राष्ट्रीय (शैक्षिक)

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
1.	डॉ. अंजन कुमार भंज एसोसिएट प्रोफेसर	(सीपीआर)राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
2.	डॉ. अरुणा जयमणि सहायक प्रोफेसर	(सीपीएमई)राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
3.	डॉ. चिन्नदुरै एसोसिएट प्रोफेसर (सीडीपी)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
4.	डॉ. प्रत्यूषना पटनायक सहायक प्रोफेसर (सीपीआर)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
5.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (सीआरसीटीएन)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
6.	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
7.	डॉ. सी कथिरेसण एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
8.	श्री के राजेश्वर सहायक प्रोफेसर (सीआईटी)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
9.	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर (सीआरआई)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
10.	डॉ. सत्य प्रभा सहायक प्रोफेसर (सीजीजी एवं पीए)	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 पर परिचर्चा 22 - 24 अप्रैल, 2018
11.	डॉ. सरोज कुमार दास ओएसडी (सीपीआर)	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात में 28 -30 मई, 2018 के दौरान टीम बिल्डिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	डॉ. जी. वेलेंटीना, एसोसिएट प्रोफेसर (सीईएसडी)	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात में 28 -30 मई, 2018 के दौरान टीम बिल्डिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
13.	डॉ. आर. रमेश एसोसिएट प्रोफेसर (सीआरआई)	03-18 जुलाई, 2018 के दौरान बेंगलुरु में नीति विश्लेषण और कार्यक्रम मूल्यांकन (पीए एवं पीई) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
14.	डॉ. अंजन कुमार भंज एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीसीआर)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
15.	डॉ. आकांक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी (सीडीसी)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षण कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
16.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (सीगार्ड)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षण कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
17.	डॉ. एच के सोलंकी वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर (सीगार्ड)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षण कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
18.	डॉ. सज्ज श्रीनिवास सहायक प्रोफेसर (सीएसए)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षण कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
19.	डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	17 - 21 जुलाई, 2018 के दौरान हैदराबाद में निदेशक प्रशिक्षण कौशल (डीटीएस) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
20.	डॉ. राज कुमार पम्मी सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	27-31 अगस्त, 2018 के दौरान नई दिल्ली में "एमटी विकास-प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
21.	डॉ. वी जी नित्या सहायक प्रोफेसर (सीएएस)	4 से 6 सितंबर, 2018 के दौरान आनंद, गुजरात में राज्य और केंद्र सरकारों में वरिष्ठ नीति निर्माताओं के लिए स्पॉट मार्केट्स, मार्केट रिफॉर्म्स और ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स को समझना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
22.	डॉ. ए. देबप्रिय एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीजीएस और डीई)	03 -05 अक्तूबर, 2018 के दौरान मैनेज, हैदराबाद में एग्रीबिजनेस में केस मेथड टीचिंग और केस राइटिंग" पर संकाय विकास कार्यक्रम
23.	डॉ. सोनल मोबार रॉय सहायक प्रोफेसर (सीपीजीएस एवं डीई)	03 -05 अक्तूबर, 2018 के दौरान मैनेज, हैदराबाद में एग्रीबिजनेस में केस मेथड टीचिंग और केस राइटिंग" पर संकाय विकास कार्यक्रम
24.	डॉ. वी जी नित्या सहायक प्रोफेसर (सीएएस)	03 -05 अक्तूबर, 2018 के दौरान मैनेज, हैदराबाद में एग्रीबिजनेस में केस मेथड टीचिंग और केस राइटिंग" पर संकाय विकास कार्यक्रम
25.	डॉ. पी. अनुराधा सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्यूई	26-30 नवंबर, 2018 के दौरान जयपुर में निदेशक प्रशिक्षक कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
26.	डॉ. सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर सीजीएसडी	26-30 नवंबर, 2018 के दौरान जयपुर में निदेशक प्रशिक्षक कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
27.	डॉ. सज्जा श्रीनिवास सहायक प्रोफेसर (सीएसए)	30-10-2018 से 03-11-2018 के दौरान जुबली हिल्स हैदराबाद में डिज़ाईन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
28.	डॉ. पी. अनुराधा सहायक प्रोफेसर (सीडब्ल्युई)	10-12-2018 से 14-12-2018 के दौरान जयपुर में डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी) पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
29.	डॉ. सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	30-10-2018 से 03-11-2018 के दौरान जुबली हिल्स हैदराबाद में डिज़ाईन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
30.	श्री एच के सोलंकी सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	30-10-2018 से 03-11-2018 के दौरान जुबली हिल्स हैदराबाद में डिज़ाईन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
31.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (सीआरटीसीएन)	30-10-2018 से 03-11-2018 के दौरान जुबली हिल्स हैदराबाद में डिज़ाईन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी) पर राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम
32.	डॉ. सोनल मोबर रॉय सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस और डीई	17 -18 नवंबर, 2018 के दौरान बैंगलोर में स्टेट ऑफ दी मैप एशिया, 2018
33.	डॉ. सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर (सीजीएसडी)	19 - 22 नवंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में "सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीतियाँ" पर कार्यशाला
34.	डॉ. आकांक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी सीडीसी	हैदराबाद में 18 - 20 फरवरी, 2019 के दौरान डेटा विश्लेषण, दृश्य और विवेचन पर कार्यशाला
35.	डॉ. आर रमेश एसोसिएट प्रोफेसर (सीआरआई)	हैदराबाद में 18 - 20 फरवरी, 2019 के दौरान डेटा विश्लेषण, दृश्य और विवेचन पर कार्यशाला

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
36.	डॉ. वानिश्री जोसेफ एसोसिएट प्रोफेसर (सीपीआर)	हैदराबाद में 18 - 20 फरवरी, 2019 के दौरान डेटा विश्लेषण, दृश्य और विवेचन पर कार्यशाला
37.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर (सीआरटीसीएन)	हैदराबाद में 18 - 20 फरवरी, 2019 के दौरान डेटा विश्लेषण, दृश्य और विवेचन पर कार्यशाला
38.	डॉ. अंजन कुमार भंज एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
39.	डॉ. सी कथिरेसन एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआर	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
40.	डॉ. पार्थ प्रतिम साहू एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडी	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
41.	डॉ. सुरजीत विक्रमन एसोसिएट प्रोफेसर सीसीएसआर	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
42.	डॉ. राजेश कुमार सिन्हा सहायक प्रोफेसर, सीआरटीसीएन	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
43.	डॉ. सत्य रंजन महाकुल सहायक प्रोफेसर, सीईएसडी	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
44.	डॉ. सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
45.	डॉ. एस के सत्यप्रभा सहायक प्रोफेसर, सीजीजी और पीए	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
46.	डॉ. श्रीनिवास सज्ज सहायक प्रोफेसर, सीएसए	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
47.	महम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शदाता सीआईएटी (आरटीपी)	28 - 29 जनवरी, 2019 को बेंगलुरु, कर्नाटक के पंचायतों और पीआरआई के क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आय बढ़ाने पर राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला
48.	श्री एच के सोनाली सहायक प्रोफेसर (सीगार्ड)	27 फरवरी - 01 मार्च 2019 के दौरान, आनंद, गुजरात में प्रस्तुति कौशल, सार्वजनिक भाषण और पारस्परिक संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
49.	डॉ. आकांक्षा शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रभारी, सीडीसी	16 फरवरी 2019 को हैदराबाद में विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-पहला भूतपूर्व छात्रों की बैठक के पूर्ण सत्र में से एक का मुख्य भाषण

क्र.सं.	संकाय सदस्यों का नाम और पदनाम	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम
50.	डॉ. राज कुमार पम्मी सहायक प्रोफेसर (सीएफएल)	16-20 मार्च, 2019 तक महाराष्ट्र के तुलजापुर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एम ए प्रवेश के लिए व्यक्तिगत प्रवेश साक्षात्कार
51.	टी. रामकृष्णा वरिष्ठ प्रोग्रामर, सीआईसीटी	14-03-2019 से 20-03-2019 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में मशीन लर्निंग और बिग डेटा पर कार्यशाला
52.	डॉ. सुचरिता पुजारी सहायक प्रोफेसर (सीपीजीएस और डीई)	29-03-2019 से 03 04-2019 के दौरान हैदराबाद में प्रायोगिक शिक्षण उपकरण पर पाठ्यक्रम
53.	डॉ. सत्य रंजन महाकुल सहायक प्रोफेसर (सीईएसडी)	29-03-2019 से 03 04-2019 के दौरान हैदराबाद में प्रायोगिक शिक्षण उपकरण पर पाठ्यक्रम
54.	डॉ. वानिश्री जोसेफ सहायक प्रोफेसर (सीपीआर)	29-03-2019 से 03 04-2019 के दौरान हैदराबाद में प्रायोगिक शिक्षण उपकरण पर पाठ्यक्रम
55.	डॉ. रुबीना नुसरत सहायक प्रोफेसर (सीईएसडी)	29-03-2019 से 03 04-2019 के दौरान हैदराबाद में प्रायोगिक शिक्षण उपकरण पर पाठ्यक्रम
राष्ट्रीय (गैर शैक्षिक)		
1.	डॉ. फ्रैकलिन लल्तिंखुमा, आईएएस रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशा.)	22-26 मई, 2018 के दौरान नई दिल्ली में संसदीय प्रक्रिया में क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	श्री टी. रशीद खान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (सीडीसी)	06-08 अगस्त, 2018 के दौरान कश्मीर में एशियाई पुस्तकालयों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (स्मार्ट पुस्तकालयों का निर्माण : परिवर्तन, चुनौतियाँ, मुद्दे और रणनीतियाँ)
3.	श्री विनीत कुमार टंडन सहायक रजिस्ट्रार (टी)	24 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2018 के दौरान राष्ट्रीय "वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद में सरकारी अधिकारियों के लिए सार्वजनिक खरीद" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
4.	श्रीमती अनीता पांडे सहायक निदेशक (राजभाषा)	गुजरात के गांधीनगर में 21 से 22 दिसंबर, 2018 के दौरान "सतत ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका" के विषय पर बहुविषयी राष्ट्रीय सम्मेलन
5.	श्री शेख नजरुल इस्लाम अली उद्यान अधीक्षक	4 - 8 फरवरी, 2019 के दौरान मणिपुर में विश्व बांस वर्कशाप इंडिया 2019 पर कार्यशाला
6.	श्री विनीत कुमार टंडन सहायक रजिस्ट्रार (टी)	14 फरवरी, 2019 को कोच्चि में वर्ष 2017-18 के लिए दक्षिण पूर्व का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन
7.	सुश्री अनीता पाण्डे सहायक निदेशक (राजभाषा)	14 फरवरी, 2019 को कोच्चि में वर्ष 2017-18 के लिए दक्षिण पूर्व का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

मिशन

अनुसंधान, कार्य अनुसंधान, परामर्शी और प्रलेखन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन और अन्य पिछडे समूहों पर प्रकाश डालने, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के विकास को बढ़ावा देने वाले तत्वों का विश्लेषण और परीक्षण करना।

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर ग्रामीण विकास से जुड़े सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों के ज्ञान, हुनर और प्रवृत्ति के विकास द्वारा ग्रामीण गरीब पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास प्रयासों को सरलीकृत करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत
www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण्

अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास

नीति प्रयोजन और समर्थन

प्रौद्योगिकी अंतरण

शैक्षणिक कार्यक्रम

नवोन्मेषी कौशल एवं आजीविका